(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-4 दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चौदहवां दिवस संख्या-8

बुधवार,

5 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के चिकित्सालय की रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नति

228. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर की डिस्पेन्सरियों में से परिवार कल्याण एवं आउटडोर का सबसे अधिक कार्य पिछले तीन वर्षों से किस डिस्पेंसरी में हो रहा है ?

(2) यह डिस्पेन्सरी किस विधान सभा क्षेत्र में स्थित है ?

(3) क्या इस डिस्पेन्सरी को तीस बिस्तर वाला रेफरल अस्पताल बनाने का निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में किसी डिस्पेन्सरी को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जोधपुर की डिस्पेन्सरियों में पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण एवं आउटडोर में सबसे अधिक कार्य "महिला बाग डिस्पेन्सरी" का रहा है।

(2) यह डिस्पेन्सरी "जोधपुर शहर" विधान सभा क्षेत्र में स्थित है।

(3) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 1994-95 में राज्य में जो चिकित्सालय 12 या 12 से अधिक शैया युक्त थे उनकी-रोगी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शैया में तीस शैया तक वृद्धि की गयी थी। जिसमें जोधपुर शहर के मात्र दो, चौपासनी तथा पावटा चिकित्सालय थे।

(4) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ही रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाता है, शहरी डिस्पेन्सरियों को नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पावटा और सूरसागर क्षेत्र शहर क्षेत्र के अन्दर नहीं आते हैं। आपने खण्ड एक और दो में बताया कि जोधपुर शहर की डिस्पेन्सरियों में पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण एवं आउटडोर में सबसे अधिक कार्य महिला बाग डिस्पेन्सरी में किया गया है, यह बात भी सही है। यह डिस्पेन्सरी जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, यहां तक भी सहमत हूं। मगर जो मंत्री महोदय ने बताया कि 12 शैया वाले को क्रमोन्नत करने का विचार हम रखते हैं तो मैं न तो पावटा और न सूरसागर की बात करूंगी, मैं मेरे शहर क्षेत्र की बात करना चाहती हूं, जब पावटा और सूरसागर में होता है तो शहर के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी। जब महिला बाग डिस्पेन्सरी के अन्दर 14 बैड लगे हुए हैं फिर भी उसको न करके आप इस सूरसागर और पावटा को करने के लिए सहमत हैं तो, मैं समझती हूं, शहर वालों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहां विशेषकर सर्विस क्लास लोग रहते हैं और वहां, मंत्री महोदय खुद इस बात को मान रहे हैं कि शहर के अन्दर परिवार कल्याण का कार्य सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर भी उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, इसका क्या औचित्य है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत करने के लिए माननीय सदस्या मांग कर रही हैं उस डिसपेन्सरी के एक से लेकर पांच किलोमीटर के दरमियान तीन-चार ऐसी संस्थाएं हैं जो अभी कार्य कर रही हैं। इसमें महात्मा गांधी चिकित्सालय, जो सबसे बड़ा चिकित्सालय है, साढ़े तीन किलोमीटर दूर है। चांदपोल डिस्पेन्सरी डेढ़ किलोमीटर है, जसवंत डिस्पेन्सरी भी नजदीक है, नवचौकिया डिस्पेन्सरी भी नजदीक है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की यह मंशा रहती है कि आवश्यकताओं को देखते हुए सभी जगह चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। चूंकि यह शहर में स्थित है और जोधपुर शहर में पर्याप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है इसलिए इस डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत करने का हाल फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह कैसी विडम्बना की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं-नहीं, बिराजें कैसे, साहब, मेरी बात ही पूरा नहीं हुई है। यह शहर को नहीं करने का औचित्य बतायें। मैं पूछ रही हूं कि कैसे आप कह रहे हैं एक किलोमीटर और दो किलोमीटर का, जबकि सबसे ज्यादा जोधपुर शहर के अन्दर हैं ? आप खुद मान रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि महिला बाग डिस्पेन्सरी के अन्दर आपरेशन थियेटर बना हुआ है आक्सीजन की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं होते हुए भी उसको क्रमोन्नत नहीं करना, मेरे साथ नहीं, जोधपुर की जनता के साथ अन्याय होगा और यह मैं कभी भी बरदाश्त नहीं करूंगी कि मैं जहां से चुनी गयी हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला एम. एल. ए. होने के नाते क्या जोधपुर शहर का विकास नहीं चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट के टाइम से यह डिस्पेन्सरी बनी हुई है और आज तक इस डिस्पेन्सरी के अन्दर बहुत अच्छा कार्य होता है। जैसे कि मण्डी डिस्पेन्सरी है वहां पर आज तक डिलीवरी होती आयी थी वह भी हटा कर चांदपोल के बाहर ले गये थे। ठीक है, वहां से पूर्व एम. एल. ए. थे, वह कोई बोल नहीं रहे थे और कई मेरे सामने बैठे माननीय सदस्य हैं उनको भी सारी जानकारी है। आज तक शहर के बारे में पूर्व सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं मेरा सवाल पूरा किये बगैर बैठूंगी नहीं। क्योंकि इस विधान सभा क्षेत्र की डिस्पेन्सरी....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अन्याय बरदाश्त नहीं करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : पहले पूरी बात सुन लें मेरी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह मंत्री महोदय हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, राजेन्द्रजी गहलोत पूछ रहे हैं कोई बात।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं-नहीं; राजेन्द्र गहलोत क्या पूछ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं आपके फेवर में ही पूछ रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : प्रश्नकर्ता मैं हूं। प्रश्नकर्ता पूछेगा सवाल। इनका क्या है, इनके तो पावटा कर दिया, उनका सूरसागर कर दिया, रहा तो शहर ही है। शहर विधान सभा क्षेत्र में, पूर्व में कह चुकी हूं कि सब सर्विस क्लास हैं। माननीय मंत्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : उसका जवाब देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक-दो मिनट, मेरी बात सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। आप बिराजें तो सही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूं। कुछ अरसे पहले उस महिला बाग डिस्पेन्सरी को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्वीकृति हुई थी उसको हेराफेरी करके वापस पावटा ले गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुरोध करूंगी, पूर्व माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने जोधपुर शहर के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है। मैं यह चाहूंगी कि हमारे युवा चिकित्सा मंत्री हैं और जब मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट सारा चिकित्सा को समर्पित किया है तो महिला बाग डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है। मेरे साथ अन्याय होगा, जोधपुर की जनता के साथ अन्याय होगा यह मैं बरदाश्त नहीं करूंगी। एक ऐसा टाइम था, स्टेट के टाइम....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति रखें थोड़ी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजा महाराजाओं के टाइम में यह डिस्पेन्सरी इसलिए बनायी थी कि जनता को सुविधा मिले। मगर वह सुविधा हटा करके आप असुविधा करवा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि शहर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बार-बार रिपीटिशन कर रही हैं। आप थोड़ा बिराजें। आपका उत्तर तो देंगे कि नहीं ? बिराजें आप। गहलोत साहब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं-नहीं, यह उत्तर नहीं देंगे तो मैं कैसे...

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं दिलवाऊंगा अभी। आप बिराजें तो सही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पहले इसका उत्तर दिलवायें। यह कैसे कह दिया कि औचित्य नहीं है। यह बात कैसे होगी ? यह क्या बात हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सबसे पुरानी डिस्पेन्सरी को ही अगर यह नहीं करेंगे तो किसको...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी गहलोत पूछ रहे हैं, एक साथ सबका उत्तर आ जाएगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : गहलोत जी का परपज सही हो गया, इनको बोलने की जरूरत कहां है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपके परपज के लिए बोल रहा हूं, बिराजिये तो सही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इनका हो गया और उनका हो गया। इनका हो गया, यह क्या बात हो गयी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं पूरे जोर से आपके लिए बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजे। बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं शहर के बारे में चाह रही हूं बात। प्रश्नकर्ता का ही प्रश्न पूरा नहीं होगा, फिर क्या मतलब हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आपका उत्तर दिलवाऊंगा अभी, बिराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह तो दोनों ही एक हो गये। हमारी बात, महिलाओं की नहीं सुनेंगे क्या? जब महिला वर्ष चल रहा है, यह क्या बात हो गयी। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : बालहठ, त्रियाहठ नहीं चलेगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं इसको करवा कर ही रहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें तो सही। (व्यवधान) गहलोत साहब, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में सरकार ने जहां मेडिकल कालेज हैं....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को अधिकार है तीन सप्लीमेंट्री का पहले उत्तर लेने का।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मना नहीं किया है उनको।

श्री रामनारायण चौधरी : मगर उनका उत्तर नहीं आ रहा है, उनको बाद में दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं। उनका भी एक प्रश्न है....

(6)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, पहले आप उनका उत्तर दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : यदि सबका साथ में...

श्री रामनारायण चौधरी : पहले माननीय सदस्या का उत्तर आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबका साथ उत्तर आ जाय तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बिराजें अब। गहलोत साहब। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, इनका उत्तर दिलवायें पहले। उसके बाद दूसरा सप्लीमेंट्री होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले आप मंत्रीजी से उनके सप्लीमेंट्री का जवाब दिलवायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका उत्तर आयेगा। गहलोत साहब। (व्यवधान) रामस्वरूप जी, बिराजिये। मीणा साहब, बिराजिये आप। माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जब चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी थे तब उन्होंने यह तय किया था कि मेडिकल कालेज हैं या मेडिकल कालेज के अस्पताल है..... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में भाषण की अनुमति आपने कैसे दे दी। प्रश्नकाल में माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, उसको आप भाषण की अनुमति दे रहे हैं, नयी परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय चौधरी साहब....

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह का + + + रहा तो प्रश्नकाल ही होना बंद हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पहले माननीय मंत्री महोदय से माननीय सदस्या का उत्तर दिलवायें। इनका अधिकार है तीन सप्लीमेंट्री करने का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : हमारी पैरवी हम करेंगे, आपको क्या लेने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : उनका अपना प्रश्न है, कोई सप्लीमेंट्री हो सकता है, उनको पूछने दीजिये आप। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, क्या राजस्थान के अन्दर....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पहले सप्लीमेंटी का उत्तर आयेगा । किसी भी माननीय सदस्य को तीन सप्लीमेंट्री का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : तीन-तीन की क्या कह रहे हैं, मैं तो दस-दस करवा रहा हूं। आप विराजिये अब ।

श्री रामनारायण चौधरी : और सरकार के लिए यह लाजमी है कि पहले उनके सप्लीमेंट्री का उत्तर दें । उसके बाद आपको अधिकार है, आप चाहे जिससे सप्लीमेंट्री करवायें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब उनकी कोई बात होगी उसमें आ जायेगी । माननीय, विराजें आप ।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले आप उनका उत्तर दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप विराजें ।

श्री राजेन्द्र गहलोत . उपाध्यक्ष महोदय, जहां मेडिकल कालेज के अस्पताल हैं वहां जिला अस्पताल खोलने की नीति सरकार ने तय की थी। जयपुर में यह अस्पताल खोला गया, जोधपुर में अभी तक अस्पताल खोला नहीं गया। जयपुर और जोधपुर के साथ यह भेदभाव क्यों ? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपके मतभेद की बात हो तो बात करें । इससे कोई मतलब नहीं है, जो सदस्या बोली हैं उनकी बात का जवाब दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कि जोधपुर में ज़िला स्तरीय अस्पताल खोला जाय। उसके साथ, जो सूर्यकान्ताजी ने कहा है यह बहुत पुरानी डिस्पेन्सरी है और जयपुर के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरी बात सुनें ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कई सैटेलाइट और कई रेफरल अस्पताल हैं परन्तु जोधपुर के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पावटा में जो अस्पताल है उसको सैटेलाइट अस्पाल कर दिया जाय क्योंकि 1984 में जब माननीय खेतसिंहजी चिकित्सा मंत्री थे उस समय से प्रस्ताव इनके विचाराधीन है। उसको क्रमोन्नत किया जाय और पावटा में जो महिला अस्पताल है उसको रेफरल अस्पताल बनाया जाय, यह मेरी मांग है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं, माननीय सदस्य ? आप इतना जोर से बोलने की कोशिश

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं करें । माननीय सदस्य । आप बिराजिये, क्यों बार-बार खड़े हो रहे हो ? वे कोई अपनी बात कह रहे हैं। अपनी बात तो पूरी करने देंगे या नहीं आप ?

श्री रामनारायण चौधरी : आसन से प्रार्थना है, आप यह व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय अमराराम जी चौधरी । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह आपके द्वारा भाषण की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आप सत्ता पक्ष के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह भाषण की अनुमति दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, यह बार-बार इस तरह खड़ा ठीक नहीं है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्नकाल में यदि हम पूछते हैं तो आप हमारे समक्ष ही केवल यह पाबन्दी लगाते हैं, अन्त में सुनेंगे और आप सत्ता पक्ष के लोगों को अनुमति दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक जी, बिराजिये आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लोग यह +++कब तक करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात भी नही सुनें और बीच में ही खड़े हो रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह +++ पूर्ण रवैया है कि आप उनको भाषण की अनुमति दें और हम बोलते हैं तब टोका-टोकी होती है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कोई बोलने दे तो पूछें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरा तो एक ही है कि जोधपुर के अन्दर एक रेफरल और एक सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के अन्दर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता लेकिन जब टोटल डिस-आर्डर हो जाय तो लाजमी हो जाता है माननीय सदस्यों के लिए कि आपसे वह व्यवस्था चाहें। तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं आप मेरा पाइंट आफ आर्डर सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोनसा पाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य ?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ ग्रार्डर प्रश्नकाल में कम होता है लेकिन जब हाउस के ग्रन्दर टोटल डिस-ग्रार्डर हो जाय तो जरूरी है ग्रापसे व्यवस्था मांगना, हमारा यह ग्रधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : सन् 1973 में इसी ग्रासन से यह व्यवस्था हुई है कि प्रश्नकाल में कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है लेकिन जब हाउस में टोटल डिस-ग्रार्डर हो जाय तो ग्रापके लिए यह लाजमी है ग्रौर हमारे लिए लाजमी है कि हम ग्रापसे व्यवस्था चाहें ग्रागे के लिए।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, बिठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य। एक मिनट ग्राप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि प्रश्नकाल में प्रश्नकर्त्ता को ग्रपने तीन सप्लीमेंट्री का उत्तर प्राप्त करने का पहला ग्रधिकार है, यहां व्यवस्था हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : दो प्रश्न।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या ने ग्रपना सप्लीमेंट्री किया, ग्रापने उसके ऊपर उत्तर दिलवाया नहीं ग्रौर दूसरे माननीय सदस्यों को ग्रापने भाषण की ग्रनुमति दे दी। मैं ग्रापसे व्यवस्था चाहता हूं। क्या ग्रापने पहले की व्यवस्थाग्रों को तब्दील कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराजिये तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य जो प्रश्नकर्त्ता है वह ग्रपने सप्लीमेंट्री प्रश्नों का उत्तर पाने का पहले की तरह ग्रधिकारी है या नहीं ? ग्राप इसमें व्यवस्था दीजिये ग्रौर व्यवस्था देने के बाद प्रश्नकाल चालू रखें।

श्री उपाध्यक्ष : दो सप्लीमेंट्री प्रश्न करने के ग्रधिकारी हैं। एक प्रश्न इन्होंने पूछ लिया, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं उनसे सन्तुष्ट नहीं होंगी तो दूसरे प्रश्न की ग्रोर ग्रनुमति दूंगा। माननीय मंत्रीजी, बिराजिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहले इनका उत्तर ग्राने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह कहा कि महिला बाग से मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के ग्रन्दर स्थानान्तरित करके चान्दपोल में स्थानान्त-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रित कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ से ही चान्दपोल डिस्पेन्सरी में स्वीकृत हुआ था, वहीं अब कार्यरत है। इसके अलावा जोधपुर शहर में मेडिकल कालेज से सम्बन्धित 5 चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, न्यूरूटीचिंग, मानसिक रोग चिकित्सालय, टी. बी. चिकित्सालय, एक सैटेलाइट चिकित्सालय, 12 डिस्पेन्सरी और 30 शैयायुक्त दो चिकित्सालय अभी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतनी चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त हैं परन्तु फिर भी अगर माननीय सदस्या की यह मांग है तो मैं इनसे बात करके और विभाग से चर्चा करके व्यक्तिगत रूप से इनकी मांग के बारे में इन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, हो गयी बात।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सन्तुष्ट कर देंगे, सारी बात हो गयी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बोलने तो दो। यह क्या बात हुई? क्या बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भीखा भाई। पहले बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेडिकल कालेज जहां हैं वहां जिला स्तरीय अस्पताल खोलने की सरकार की नीति है। माननीय मंत्रीजी, जब जयपुर में अस्पताल खोल चुके हैं तो जोधपुर के साथ यह भेदभाव क्यों है? इसके बारे में यदि जिला स्तरीय अस्पताल खोलें और....

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई प्रश्न और दूसरा उठा लेना। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जो अस्पताल है उसको सैटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए दानदाताओं ने 25 लाख रुपये व्यय करके उस अस्पताल का निर्माण करवाया है और उस अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल घोषित करना चाहिए। और महिला बाग जो अस्पताल है उसको रेफरल बनाना चाहिए। इसमें मंत्री महोदय का किसी प्रकार का व्यय होने वाला नहीं है। दोनों जगह भवन बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। खेतसिंहजी साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की पालिसी है कि ब्रड डिस्ट्रिक्ट के अन्दर डिस्ट्रिक्ट खोले हास्पिटल जायेंगे और जहां मेडिकल कालेजेज हैं वहां निश्चित तौर पर यह किया जायेगा। जयपुर में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आपने यह कर दिया है, जोधपुर के अन्दर मण्डोर का अस्पताल है, डेढ़ करोड़ रुपये का बना हुआ है और चन्द्रशेखरजी, प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, वहां पर रेजीडेंशियल क्वाटर्स हैं, वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल कृपया मण्डोर अस्पताल को कीजिये, पावटा को आप वहां से शिफ्ट करके सैटेलाइट कर दीजिये और महिला बाग को आप अपग्रेड कर दीजिये। तीनों समस्याओं का समाधान हो जायेगा और आपकी वहां वाहवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय मीणा भाई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले वह जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो इन्होंने पहले दे दिया। माननीय मंत्रीजी देना चाहें तो दे दें। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जवाब तो पूरा आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप जवाब दे रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : पहले कोटा के अस्पताल की कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप जवाब दे रहे हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मंत्रीजी से जवाब तो दिलवाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा के अस्पताल की बात तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : वे दे चुके हैं। पूरा जवाब दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि ज्यों ही साधन होंगे, आपकी मांग पूरी कर दी जायेगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से हाथ जोड़कर कह रही हूं कि जो साधन चाहें वह सब साधन उपलब्ध हो जायेंगे। आप तो यह घोषणा करवाओ, मुख्य मंत्री जी, जोधपुर की जनता आपकी जयजयकार करेगी। आप गरीब को गणेश मान करके करिये। आप इस महिला बाग को रेफरल अस्पताल की घोषणा करवाओ, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। मुख्य मंत्रीजी, आपने चिकित्सा को बजट समर्पित किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानता हूं। देखिये, महिला और पुरुष का सवाल नहीं है। यह जोधपुर और जयपुर का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सवाल नहीं है। सवाल पूरे राजस्थान का है। आज जयपुर हो, कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, राजस्थान में 38 हजार गांव भी हैं उन गांवों की चिकित्सा व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। यह नहीं हो कि एक ही जगह सब कंसनट्रेट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। अब बिराजिये आप, बहुत हो गया। माननीय सदस्या। पूरा जवाब आ गया और आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

सागवाड़ा (डूंगरपुर) में महाविद्यालय की स्थापना

229. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर का सागवाड़ा नगर, जो सलूम्बर एवं कुशलगढ़ से व्यापारिक एवं शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, में कालेज नहीं खोलने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि सागवाड़ा कस्बे एवं इर्द-गिर्द शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है?

(3) क्या यह भी सही है कि वहां के नागरिक उक्त क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु सम्पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व मुख्य मंत्रियों ने जनता के आग्रह पर उक्त क्षेत्र में कालेज खोलने का आश्वासन दिया था यदि हां, तो सरकार अब कब तक वहां कालेज खोलने का विचार रखती है?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) सागवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर डूंगरपुर में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मानदण्डों, जैसे जिला मुख्यालय पर होना, छात्र संख्या, जन सहयोग से महाविद्यालय भवन बना हो तथा दानदाता 3 वर्ष का खर्चा देने को तैयार हो, की पूर्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालय यहां नहीं खोला गया।

(2) जी नहीं, यहां 9 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं।

(3) जन सहयोग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(4) ऐसे किसी आश्वासन की इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री भीखा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को कई माध्यमों से उठाया, पत्रों के जरिये से उठाया और मंत्रीजी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सूचना नहीं

(श्री भीखा भाई)

है, कोई आश्वासन नहीं है, यह बात गलत है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दान-दाताओं की कह रहा हूं। आपकी ओर से प्रस्ताव हैं।

श्री भीखा भाई : और यह भी बात सही है कि वहां के स्थानीय लोगों ने भी यह कहा था कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। प्रश्न यह भी नहीं है। प्रश्न सबसे बड़ा नीति का है। अब यहां मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि साधनों को देखकर देंगे। आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर आज तक उन्होंने कोई कालेज नहीं खोला जबकि तहसीलों में कालेज हो जाते हैं, पंचायत समितियों के अन्दर भी कालेज हो जाते हैं। गुजरात के अन्दर, मध्य प्रदेश के अन्दर, सब जगह पर, छोटी-छोटी जगह पर कालेज हैं। तो क्या यह नीति सही है? जो आदिवासी उप योजना का क्षेत्र है उस योजना के लिए पैसा आता है। मेरा ख्याल है 3 अरब नहीं, कम से कम 10 अरब रुपया खर्च हो चुका है। शिक्षा के नाम पर खर्च क्यों नहीं किया है? एक तरफ हम शिक्षा की बात करते हैं, साक्षरता की बात की जाती है। यह कोई शेखावाटी का एरिया है? यह शेखावाटी का एरिया नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यही कारण है कि आप राज-नैतिक दृष्टि से भी बोल रहे हैं। वहां पर आपकी पार्टी चिन्तित नहीं है इसलिए कालेज नहीं खोल रहे हैं। अभी तक कुशलगढ़ में कालेज था। सलूम्बर में कालेज है, छोटी सलूम्बर में, गुजरात में, अलीराजपुर में कालेज है, जापरा में कालेज है, शाहपुरा में कालेज है, छोटे-छोटे स्थानों पर कालेज हैं। इधर गुजरात पर आ जाइये, बड़ौदरा में कालेज है। हर जगह पर एक-एक नहीं, दस-दस कालेज हैं। तो आपका सिद्धान्त यह कह रहा है कि 45 किलोमीटर दूरी पर, क्योंकि जिला से जुड़ा हुआ है, मुख्यालय है? कोई क्राइटेरिया है क्या? यह मुख्यालय क्राइटेरिया है तो इसको बदल दिया जाना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्य और सांसद श्रीमान् जीवमलजी कटारा, दोनों ने सरकार को इस बात के लिए निवेदन किया है कि यहां महाविद्यालय की स्थापना की जाए। किन्तु मैंने अपने जवाब में कहा था, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भवन बनाने का कोई आश्वासन अभी किसी के द्वारा हमको प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नवीन महा-विद्यालय खोलने के जो मापदण्ड हैं, जैसे पहला मापदण्ड है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में महाविद्यालय होना चाहिए, आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस वर्ष में राजसमंद में महाविद्यालय खोलकर इस मापदण्ड के अनुसार राजस्थान के 31 के 31 जिलों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

में महाविद्यालयों की स्थापना कर दी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा क्राइटेरिया है, अब हमने सोचा है कि प्रत्येक जिले में एक अलग से पृथक कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। जैसा आपको ध्यान है कि पिछली बार उच्च शिक्षा के बजट को हमने महिला शिक्षा को समर्पित किया था और इसी नाते से पिछली बार मुख्य मंत्रीजी से विशेष रूप से निवेदन करके, यद्यपि प्रावधान नहीं था आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई भी नया महाविद्यालय खोलने का, 500 से अधिक संख्या छात्राओं की होने के कारण अजमेर में हमने कन्या महाविद्यालय खोला। उसी प्रकार इस वर्ष में हम निश्चित रूप से 300 से अधिक जहां कन्याएं हैं उन सारे स्थानों पर कन्या महाविद्यालय खोल देंगे और जिसकी बजट में घोषणा हो गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक इस सारे वनवासी इलाके में 6 महाविद्यालय हैं और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इन 6 महाविद्यालयों में से, पिछले 4 वर्ष में जब भाजपा की सरकार रही उसी समय हमने दो जगह सलूम्बर और कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोले। इसलिए यह कहना कि वनवासी इलाकों की ओर हमारा ध्यान नहीं है, बिलकुल गलत है।

मैं आपकी अनुमति से और बताना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है कि हम वनवासी इलाके में, बांसवाड़ा कन्या महाविद्यालय खोलेंगे और जिसका नाम श्रीमान् हरिदेव जोशी के नाम से पुकारा जायेगा।

एक और बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कों का महाविद्यालय वनवासी इलाके में खोलने का होगा तो पहला स्थान सागवाड़ा का होगा। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मेरा एक प्रश्न है, साहब ··· (व्यवधान) ···

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। अहारीजी।

श्री भीखा भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : अहारी जी, आप बोल रहे हैं? (व्यवधान) हां भीखाभाई जी, आप बोलिये।

श्री भीखा भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी हमेशा कहते हैं कि मैं आदिवासियों का यह करता हूं, वह

(श्री भीखा भाई)

करता हूं और अभी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने दावा किया है वनवासी क्षेत्र में 6 महाविद्यालयों का। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, गुजरात के अन्दर, मध्य प्रदेश के अन्दर जगह-जगह पर, तहसील में, तहसील हैड-क्वार्टर पर कालेज खुले हुए हैं वह नीति क्या है और यह मापदण्ड कब तक लागू रहेंगे, जो मापदण्ड आज उच्च शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि साधनविहीनता है? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आदिवासियों के लिए जो करोड़ों रुपये, अरबों रुपये आये हैं वे रुपये कहां गये? उसके अ.. क्यों नहीं किया गया है? एक बात।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय ऐजेंसियां हैं वह पैसा शिक्षा के लिए देती हैं और विकास कार्यों के लिए भी देती हैं, उसके माध्यम से कालेज क्यों नहीं खोला गया? क्या यह सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है? क्या यह सरकार हमसे पूछेगी, आदिवासियों का इनको फण्ड दिया जाता है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्दर यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों को, आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार जो पैसा दे रही है वह पैसा गलत खर्च हो रहा है। आदिवासी योजना का सारा पैसा गलत रास्ते पर खर्च हो रहा है। मैं यह कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और योजना मंत्री भी हैं तो ऐसी योजना क्यों नहीं बनाते ताकि आदिवासी लोगों में शिक्षा का ज्यादा प्रचार हो। 6 कालेजों की गम्भीरता ले करके यह कहना कि हमने कालेज खोल दिये, यह कोई बड़ी बात है क्या। तो मैं स्पेसिफिकली यह कहना चाहता हूं, यह कालेज क्यों नहीं खुलता और मापदण्ड को बदलना है कि नहीं बदलना? तीसरा प्रश्न है..(व्यवधान) नहीं, नहीं, गलत बात है यह। मैं यह कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये आप।

श्री भीखा भाई : जो नीति है उस नीति को क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं, उस मापदण्ड पर क्यों नहीं चलना चाहते हैं? (व्यवधान) 'मुख्य' मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा होने जा रहा है और दो प्रश्न पूरे नहीं हो रहे हैं। माननीय स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि वनवासी क्षेत्र में खुलने वाला पहला कालेज आपका सागवाड़ा का होगा। मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पिछली बार किसी भी पोस्ट-ग्रेजुट महाविद्यालय का प्रावधान

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं होने के बावजूद प्रतापगढ़ के महाविद्यालय को पोस्ट-ग्रेजुएट महाविद्यालय में परिवर्तन किया। स्पेशल प्रोविजन किया। राज्य सरकार वनवासी इलाके की प्रगति की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में, विशेषकर महाविद्यालय क्षेत्र में बहुत पर्टिकुलर है। जहां तक मापदण्डों के बदलने का सवाल है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति राजस्थान की ठीक होती जा रही है, हमारे पास साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं हम उसका उपयोग वनवासी इलाके की दृष्टि से महाविद्यालय क्षेत्र में अवश्यमेव करेंगे, कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री भीखा भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हू....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आपके दोनों सप्लीमेंट्री हो गये। बिराजिये, माननीय सदस्य। अहारीजी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी बारे में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र में भवनों के लिए कोई आश्वासन देगा तब कालेज खोलेंगे, क्या आप यह अपेक्षा करते हो कि आदिवासी एरिया में कोई भवन देगा? आपने 2 महाविद्यालय 4 साल में खोल दिये तो कोई मेहरबानी कर दी? यह बिलकुल गलत है। आपको आदिवासी एरिया में भवन भी स्वीकृत करने चाहिए। जनजाति विभाग में काफी रुपया है जो रुपया आप बड़े-बड़े पुलों में, बड़े-बड़े बांधों में देते हैं। आदिवासी एरिया में आप स्कूल खोलें। ऐसे स्कूलों में, कालेजों में देना चाहिये और यह नीति बदलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी अलवर में पब्लिक मीटिंग में घोषणा कर आये, कालेज खोल दिये जायेंगे। इसमें खण्ड-4 में है कि मुख्य मंत्रियों ने जहां-जहां आश्वासन दिये वहां कब कालेज खुलेंगे?,, (व्यवधान) उच्च शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं दिये नहीं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो सलूम्बर, कुशलगढ़ की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान : 5 जगह तो अलवर में दे आये पब्लिक मीटिंग में। बीबीरानी गये, वहां कहां, कालेज खुलेगा। बानसूर में खुलेगा....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सागवाड़ा और सलूम्बर से सम्बन्धित है।

श्री जुबेर खान : गोविन्दगढ़ में खुलेगा, थानागाजी में खुलेगा....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री जुबेर खान : और खेड़ली में खुलेगा । तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी आश्वासन देकर आते हैं जनता के बीच में, वहां....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री जुबेर खान : वहां कालेज कब खोले जायेंगे ? इसका जवाब दिला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । पर्टिकुलरली सलूम्बर और कुशलगढ़ के बारे में पूछा गया है । बिराजिये आप ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो कमिटमेंट होगा, निश्चित रूप से पूरा करेंगे । बीबीरानी का कमिटमेंट दिया है, मैं निश्चित रूप से करूंगा । (व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : गोविन्दगढ़ में चुनरी पहनकर आये, साफा बांधकर आये...- (व्यवधान)......बानसूर में.....(व्यवधान) घोषणा करके आये ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । श्री चुन्नीलाल जी गरासिया ।

श्री जुबेर खान : वहां घोषणा करके आये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । स्पेसिफिकली कह दिया सबसे पहले सागवाड़ा में खुलेगा । बिराजिये आप । बिराजिये । अब आगे प्रश्न लेने दीजिये । बिराजिये आप । श्री चुन्नीलाल जी गरासिया ।

विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर एवं उदयपुर ग्रामीण में एच. एस. डी. बैरल पाइण्ट अनुज्ञा-पत्र

230. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर, उदयपुर ग्रामीण में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में एच. एस डी. बैरल पाइण्ट एवं अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? नाम, पिता का नाम तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिला कलक्टर (रसद) उदयपुर द्वारा इस हेतु कोई विज्ञप्ति प्रसारित की गयी थी ? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(3) क्या आवेदकों को एच. एस. डी. बैरल पाइण्ट के अनुज्ञा पत्र जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो किस-किस को ? जारी करने की दिनांक सहित नामवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उक्त प्राप्त आवेदन पत्र किस स्तर पर लम्बित हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त आवेदकों को उक्त अनुज्ञा-पत्र जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रत्येक गांव में किस आधार पर तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) जी हां, केवल वर्ष 1994-95 एच. एस. डी. बैरल पाइण्ट के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इनमें वल्लभ नगर विधान सभा क्षेत्र में 21 एवं उदयपुर ग्रामीण में 6 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। आवेदन-पत्र अभी जिला स्तर पर जांच प्रकिया में हैं।

(4) बैरल पाइण्ट हेतु अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र विभाग द्वारा मांगे गये हैं, जिसकी अन्तिम दिनांक 31-3-95 नियत थी। इस दिनांक तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच कर नियमान्तर्गत सही पाये जाने पर अनुज्ञा-पत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा एवं आधार हेतु निर्णय विचाराधीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कि नियमित डीजल आउटलेट नहीं है वहां पर बैरल पाइण्ट अनुज्ञा-पत्र दिये जा सकेंगे, यदि वह स्थान नियमित आउटलेट से 10 किलोमीटर की त्रिज्या में नहीं है।

(विवरण एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उक्त विज्ञप्ति से लोगों को पूरी सूचना नहीं मिली, अतः क्या मंत्री महोदय, आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने की मंशा रखते हैं ? नम्बर दो, उनका आधार क्या रहेगा ? नम्बर तीन, क्या टी. एस. पी. क्षेत्र में. जनजाति क्षेत्र में कोई आरक्षण की नीति रखेंगे ? नम्बर चार, आउटलेट से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपने बैरल पाइण्ट देने का प्रस्ताव रखा है परन्तु जनजाति क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़-खाबड़ है क्या उसमें कोई छूट प्रदान करेंगे ?

डा. रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बैरल पांइट की शुरूआत है। हम इसको बन्द नहीं करने जा रहे हैं।

(डा. रामप्रताप)

फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, इसका 15 दिन का टाइम और बढ़ा देंगे और दुबारा इसकी विज्ञप्ति निकलवा देंगे।

दूसरा, इसकी प्रायोरिटीज के बारे में पूछा गया है। खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें खाद्य सचिव और तीन दूसरे सदस्य होंगे, एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित-जन जाति का और एक सामान्य वर्ग से और यह कमेटी बैठ कर प्रायोरिटीज तय करेगी।

तीसरा आपने कहा है, दस किलोमीटर एरिया इसका है। यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है, इसको हम स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। दूरदराज का इलाका जो मरुस्थलीय है, पहाड़ी है, वहां तो जो मोटरेबल डिस्टेंस होगा, उसको मानकर हम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : इसी प्रश्न के अन्दर एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। कई बार हमारा नम्बर आता है और आप उस पर देखते नहीं हैं। मौका दीजिये, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : या तो आप इनकी तरफ अवश्य देख लीजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी : नहीं, आप बिराजिए, हमारा हक मत छीनिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। आप पूछ लीजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषकों के काम आने वाले डीजल में राजस्थान के सब पम्पों पर मिलावट हो रही है। खाद्य मंत्री जी ने स्पेशल रेड्स डालकर इनको पकड़वाया उसके लिए तो हम इनको बधाई देते हैं परन्तु इन बैरल प्वाइंटों में मिश्रण फिर होगा, गांव-गांव में और हमारे ट्रेक्टर फिर खराब होंगे इसका कोई समाधान सोचा है क्या, श्रीमान् मेरा इतना ही प्रश्न है।

डा. रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य की बात से इत्तफाक रखता हूं। निश्चित तौर से यह चिन्ता का विषय है। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे रुग्ण स्टेट्स को कम से कम करने का। जहां तक मिलावट की बात है बैरल पाइंट के माध्यम से, मैं यह मानकर चलता हूं कि कम होगा। कम इस तरीके से होगा, जब आप यह कह रहे हो कि मिलावट हो रही है तो जो कम्पनीज के आउटलेट्स हैं उनका नोजल बन्द का बन्द आता है और बैरल पाइंट वह ड्रमों में होगा, मगर मिलावट करेंगे तो कलर आंखों से दिखाई

(डा. रामप्रताप)

देगा। इसलिए शायद मिलावट कम होगी, यह मेरी मान्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री सुरेन्द्र गोयल।

बोगासनी (जैतारण) क्षेत्र में लाइम स्टोन के खनन पट्टे

231. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बोगासनी की राजस्व सीमा में लाइम स्टोन के खनन पट्टे किन-किन व्यक्तियों के नाम कितनी-कितनी लम्बाई चौड़ाई के आबंटित किये गये? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के उपरोक्त भाग में आबंटित खनन पट्टों के समीप ही ग्रामीणों के आवासीय मकान एवं बाड़े आये हुए हैं? यदि हां, तो कितनी दूरी पर? विभागीय नियमों एवं मानदंड के अनुसार यह दूरी कितनी होनी आवश्यक है?

(3) क्या उपरोक्त खनन पट्टे आवासीय क्षेत्र के नजदीक होने से ग्रामीणों को होने वाली जन हानि को रोकने एवं खनन पट्टे निरस्त करने हेतु जन-प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही नहीं किये जाने के पीछे किस अधिकारी की जिम्मेदारी है? शिकायत की प्रति मय जांच रिपोर्ट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जनहानि एवं जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब इन खनन पट्टों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) सरहद बोगासनी में आबंटित खनन पट्टों से विभाग को पिछले तीन वर्षों में किस किस आबंटी ने कितना कितना राजस्व भुगतान रायल्टी के रूप में किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण, जिला पाली के अन्तर्गत ग्राम बोगासनी की राजस्व सीमा में खनिज लाइम स्टोन का एक खनन पट्टा श्री अशोक देवल पुत्र श्री चावण्डदानजी, निवासी दधवाड़ियान, तहसील, रायपुर जिला पाली के पक्ष में दिनांक 6-7-1994 से 10 वर्ष के लिए 300X 300 मीटर के क्षेत्र का स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त आबंटित खनन पट्टा ग्राम बोगासनी मुख्य आबादी से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। एम. एम. सी. आर. 1986 के नियम 18 (26) के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान से खनन

(श्री कैलाश मेघवाल)

कम से कम 45 मीटर दूर होना आवश्यक है।

(3) जी हां। शिकायत की जांच हेतु दिनांक 6–2–1993 को मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र में कोई आबादी तथा बाड़ आदि बने हुए नहीं पाये गये। साथ ही खननपट्टा क्षेत्र से आबादी लगभग आधा किलोमीटर दूर पायी गयी। शिकायत की प्रति मय जांच रिपोर्ट प्रदर्श "अ" संलग्न है।

(4) जी नहीं। जनहानि एवं जान माल की सुरक्षा का कोई खतरा होने की सम्भावनाएं नहीं हैं।

(5) सरहद बोगासनी में केवल एक खनन पट्टा श्री अशोक देवल के नाम से दिनांक 6-7-1994 से प्रभावी है, उनके द्वारा अब तक रुपये 1,05,000/-राजस्व भुगतान रायल्टी के रूप में जमा कराया गया है।

(जांच रिपोर्ट एवं शिकायत की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब पेश किया, है, उसमें यह बताया है कि 6-7-1994 को 10 वर्ष के लिए 300X300 मीटर क्षेत्र का भू-आवंटन स्वीकृत किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो 6-2-1993 की जांच रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट आपने सदन के पटल पर रखी है, उसके अनुसार पहले तो यह बतायें कि दो साइन हैं वे किन-किन व्यक्तियों के हैं? उस मौका रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 6-2-1993 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, पाली और श्रीमान् स. स. प. कातिल ने गांव का मौका देखा। कलक्टर ने मौका देखा है तो कलक्टर की रिपोर्ट क्या है और उसने क्या धारणा की है, वह सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं, कलक्टर ने मौका देखा है और कलक्टर ने एप्लीकेशन लगने से दो साल तक, एन. ओ. सी. नहीं दी, जबकि उन्होंने खूब प्रयत्न किये और एन. ओ. सी. के लिए मना कर दिया तो फिर किस अधिकारी से मिल करके वह एन. ओ. सी. ली गयी है? एन. ओ. सी. ही ली गयी है तो कैसे भू-खनन् पट्टा दिया गया है? इसका विवरण सदन की मेज़ पर रखें। यह बहुत ही जनहित के महत्व का प्रश्न है। यहां इन्होंने बताया है कि 45 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। मैं कहता हूं, 27 मीटर से दूरी ज्यादा हो तो आप कहो वैसा करने को तैयार हूं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पट्टा जो स्वीकृत

(श्री कैलाश मेघवाल)

हुआ था, वह तो हुआ था 20-4-1992 को। इस स्वीकृति के बाद शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद जैसी रिपोर्ट आयी है कि कलक्टर साहब, फोरमैन और सहायक खनन् अभियन्ता, तीनों ने मौके पर जाकर इसकी जांच की और वहां पर मौका रिपोर्ट बनायी गयी। मौका रिपोर्ट के तथ्य मैंने मुख्य उत्तर में आपके सामने प्रस्तुत कर दिये हैं। यह सच है कि सहायक खनिज अभियन्ता, सोजत और माइन्स फोरमैन के हस्ताक्षर तो इसमें हैं लेकिन कलक्टर की उपस्थिति होते हुए भी कलक्टर साहब की ओर से कोई हस्ताक्षर इसमें नहीं हैं।

मैं जिस समय जैतारण गया था, उस समय एक प्रतिनिधि मण्डल भी इस बारे में मेरे से मिला था और मुझे जब उन्होंने यह सारी बात बतायी। अभी 6-7 महीने ही हुए हैं इस काम को चालू हुए, क्योंकि संविदा निष्पादन बाद में हुआ था और उसके कारण जो खान चालू हुई है, वह 6-7-1994 से चालू हुई है। मैं आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह चाहें तो कलक्टर साहब से, क्योंकि यह तो सारी मौकात् की हालात की स्थिति है और वह चाहें तो अतिरिक्त निदेशक, खनन् एवं भू विभाग, जोधपुर से, जिससे भी वह चाहें, मौका फिर एक बार दिखवा लेंगे और कोई भी जानमाल की सुरक्षा को कहीं भी खतरा होगा तो उस खतरे को निश्चित मिटाया जायेगा। और मिटाने की स्थिति में यहां तक भी है, अगर कोई खान बन्द करनी पड़े तो कर दी जायेगी। सरकार की यह स्पष्ट नीति है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कलक्टर साहब, पाली या कमिश्नर, जोधपुर से करवायी जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : कलक्टर साहब से करवा लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये। श्री कालूलालजी गुर्जर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सवाल पूछते हो, बिहार में लालू और राजस्थान में कालू खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

माण्डल (भीलवाड़ा) के क्षतिग्रस्त तालाब एनीकट्स

232. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा में वर्ष 1994-95 के दौरान अतिवृष्टि से पंचायत समिति माण्डल के तालाब, एनीकट व ग्राम

(श्री कालूलाल गुर्जर)

की कई नाडियां टूट गयी है ? यदि हां, तो कुल कितने तालाब, नाड़ियां और एनीकट टूटे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अतिवृष्टि से टूटे तालाबों, एनीकटों और नाड़ियों का पुनर्निर्माण एव इनकी मरम्मत कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कौन-सी और कब तक इनका निर्माण व दुरुस्ती कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवरलाल जाट) : (1) जी हां, अतिवृष्टि से 105 तालाब, एनीकट व नाड़ियां टूटी हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) टूटे तालाबों, एनीकटों और नाड़ियों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों की है। सम्बन्धित विभाग उनके पास उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का काय करवाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल टालने वाला है इसकी जिम्मेदारी को इन्होंने दूसरे विभाग पर डालने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 01 जुलाई, 1994 को भीलवाड़ा में अतिवृष्टि हुई। बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद वहां पर पूरे जिले में काफी तालाब, नाड़ियां, एनीकट टूटे हैं। पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कें टूट गयीं और इरिगेशन के तालाब भी टूट गये। इतना लम्बा समय हो गया लेकिन आज दिन तक इनकी रिपेयरिंग, तैयार करवाने का कोई प्रावधान सरकार की ओर से नहीं किया गया। मैंने मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 25-10-1994 को लैटर लिखा। मैंने निवेदन किया कि जिस भी विभाग से रिपेयर करवानी है, इनको बनवाना है, बनवाया जाय। लेकिन आज दिन तक इन्होंने किसी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी नहीं की है और न कोई कार्य चालू करवाये है। यह अप्रैल महीना निकलने वाला है इसके बाद मई-जून, दो महीने और बचेगें और यदि इन तालाबों की, इन एनीकटस की रिपेयरिंग नहीं की गयी तो न तो सिंचाई के लिए पानी बचेगा और न मवेशियों के लिए पानी बचेगा। न काश्तकारों के लिए, अन्य किसी काम के लिए जो तालाब, नाड़ी वगैरह हैं उनसे पानी की व्यवस्था हो सकेगी। अभी जो इन्होंने जवाब दिया है, 105 तालाब टूटे हुए बताये, पंचायत समिति माण्डल के जबकि इसके अलावा इरिगेशन के 13 तालाब और टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं।

(२५)

(श्री कालूलाल गर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यहां आपका सहायता विभाग है फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है अगर कोई बाढ़ में, अतिवृष्टि से तालाब टूट गये उनको आप रिपेयर नहीं कराते हैं और सम्बन्धित डिपार्टमेंट करायेगा तो ? सम्बन्धित डिपार्टमेंट कौन-कौनसे करायेगा, यह बताया जाए और क्या इन्होंने सम्बन्धित डिपार्टमेंट को कोई राशि दी और राशि दी तो कितनी दी ?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपको मैंने लैटर लिखा और मुख्य मंत्रीजी को लिखा तो उसके बारे में अब तक क्या जांच और क्या प्रोग्रेस हुई ?

तीसरा प्रश्न है कि कब तक इन तालाबों की रिपेयरिंग हो जायेगी और इन एनीकट्स को बना दिया जायेगा ? अगले साल की बरसात के पहले-पहले इसमें पानी रुक सकेगा या नहीं रुक सकेगा ? जो भी स्थिति है, बताइये। इस तरह से टाल दें कि उस विभाग में पैसा होगा, वित्तीय सहायता होगी तो हो जायेगा, इसका मतलब है कि यदि कोई प्रावधान सम्बन्धित डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो यह तालाब और एनीकट बनेंगे ही नहीं कभी। इसलिए कितना पैसा अकाल राहत में खर्च किया, यह सारा विवरण बताइये।

श्री सांवर लाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तालाब, नाड़ियां अतिवृष्टि से टूटी हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जब भीलवाड़ा में बाढ़ आयी तो मैं भी गया था। जैसा कि मैंने निवेदन किया, इन तालाबों की मरम्मत का काम सम्बन्धित विभागों का है। अगर सिंचाई विभाग का तालाब है तो सिंचाई विभाग को करना है। मान लीजिये पंचायत का तालाब है तो पंचायत समिति, डी. आर. डी. ए. के माध्यम से कर सकते हैं। भीलवाड़ा में ज्यादातर तालाब टूटे हैं उसमें 20 000, 25,000, 40,000/- रुपये का खर्चा है। तो मेरी मान्यता है और मैं यह चाहूंगा कि यह जो तालाब हैं यह जे. आर. वाई-फर्स्ट के माध्यम से पूरे करवा लिये जाएं। जिनमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और सम्बन्धित विभागों के पास अगर बजट नहीं है तो निश्चित रूप से उसके लिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके आबंटन करवा देगें।

अब माननीय सदस्य ने पूछा कि सहायता विभाग की क्या जिम्मेदारी है ? सहायता विभाग की यह जिम्मेदारी है कि कष्ट के समय, संकट के समय अतिवृष्टि और अकाल के समय अगर आवश्यकता हो तो सहायता विभाग आगे आता है। अब प्रश्न है तालाबों की मरम्मत कब तक हो जायेगी ? सहायता विभाग अगर पैसे का आबंटन भी कर देगा तो सम्बन्धित विभाग, जिसके अण्डर में यह तालाब आते हैं, इस बात की गारण्टी देगा कि कब तक हम इसको पूरा कर देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है, आपने यह कहा कि जेआरवाई की फर्स्ट किश्त आयेगी या जेआरवाई फ़र्स्ट में इनको रिपेयर किया जा सकता है। जे.आर.वाई. में तो आपने यह नार्म्स बना रखे हैं कि जो अधूरे अकाल राहत कार्य हैं उनको पहले जे. आर.वाई. की किश्त से पूरा कराया जायेगा। तो अभी तो इतने कार्य अकाल राहत के अधूरे हैं कि जे.आर.वाई. की किश्तें तो उसमें लग जायेगा, रिपेयरिंग के लिए तो कोई एक नया पैसा नहीं जायेगा। इसका मतलब सरकार की मंशा है ही नहीं कि इस साल कोई तालाब बने और उनमें वापस पानी ठहरे, नाड़ियां तैयार हों, मवेशियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो। इसका मतलब यह तो गोलमोल जवाब हो गया और सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख हो रही है। कोई जवाब ही नहीं देना चाहते। यह तो टालने वाली बात हो गयी कि वह इसमें से करवा लिया जाएगा, उसमें से करवा लिया जायेगा। आप स्पेसिफिक बताइये कि कौनसी योजना है और कब उसमें पैसा आयेगा और कब यह तैयार होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री बद्री प्रसाद गुरूजी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1993-94....

श्री उपाध्यक्ष : पहले गुरूजी की सुन लो आप। मैं आपको वैसे ही बुला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और 1994-95 में अतिवृष्टि से....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बोल रहे हैं, परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी काफी बांध और तालाब टूटे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं डामडी घोघरा बांध का मुआयना किया है। उस समय जब यह बांध टूटा है और दूसरे टूटे हुए बांध भी इन्होंने देखे हैं। मैंने सिंचाई विभाग को उन बांधों की रिपेयर के लिए लिखा। सिंचाई विभाग ने मुझे यह जवाब दिया कि सहायता राशि के लिए हमने राहत विभाग को तखमीना बनाकर भेज दिया है, राहत विभाग हमें सहायता राशि देगा तो हम इन बांधों को ठीक करवा पायेंगे। सवाल राहत विभाग का है, सवाल सिंचाई विभाग का है। किसानों को न तो राहत विभाग से मतलब है, न सिंचाई विभाग से मतलब है। उसे तो अपना बांध ठीक होने से मतलब है, खेत में पानी पहुंचने से मतलब है। एक विभाग दूसरे पर और दूसरा विभाग तीसरे विभाग पर ढोलता रहेगा और किसान प्यासे मरते रहेंगे, किसान की जमीन प्यासी रहेगी। इसलिए सरकार यह तय करे कि किस राशि से और किस मद से इनको ठीक कराया जायेगा और कब तक कराया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्टेड क्वेश्चन पूछिये। आप बोलिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1993-94 और 1994-95 में भीलवाड़ा जिले में अतिवृष्टि से पंचायत समिति के एनीकट और तालाब, सिंचाई विभाग के तालाब और एनीकट, सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुलियाएं सड़कें बड़ी मात्रा में टूटीं। यहां मैंने गत वर्ष भी मामला उठाया था। सवाल इस बात का है कि एक विभाग दूसरे विभाग पर इस मामले को टालना चाहता है, इसके कारण बड़े बड़े एनीकट, जिन से सैंकड़ों बीघा जमीन सिंचित हो रही थी, लोग लिफ्ट इरिगेशन कर रहे थे, आज टूट कर बेकार हो गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग को तो अकाल राहत विभाग ने तालाबों की रिपेयर के लिए पैसा दिया, पंचायत समिति में कोई योजना ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से इतनी बड़ी तादाद में तालाब और एनीकट ठीक किये जा सकते हैं और यही स्थिति सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुलियाओं की है। मैं जानना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में आपके पास इन दोनों वर्षों में जितने तालाब, एनीकट, सड़कें और पुलियाएं टूटी हैं उसकी पूरी जानकारी है कि नहीं ? और है, तो वह किस विभाग से कब तक पूरा करा दी जायेगी ? पंचायत समिति में आप कराना चाहें तो उनको बजट दीजिये, सिंचाई विभाग से चाहें तो उनको बजट दीजिये। यह अकाल सहायता बाढ़ विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इन सबको ठीक कराये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी जो प्रश्न पूछा गया है वह मात्र मांडल तहसील के बारे में पूछा गया है। पूरे जिले का तो होने का सवाल ही नहीं। अभी थोड़े ही होगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब मैं जिले की बात कर रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसके बारे में बताना है कि सिंचाई विभाग हो या कौनसा विभाग हो, जब मेरे क्षेत्र सांगानेर के बारे में मुझे उत्तर दिया जाता है कि हां, यह बिलकुल ठीक है कि हमने पैसा मंजूर किया है, गूलर के बंधे के द्वारा ही पानी जायेगा लेकिन उसके बारे में क्या किया जायेगा इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। मेरा प्रश्न अभी आ नहीं पायेगा इसलिए मेरा बोलना जरूरी है। मुख्य मंत्रीजी मेरे क्षेत्र बीलवा में गये, उन्होंने वहां आश्वासन दिया कि रामचन्द्रपुरा का बंधा बना दिया जायेगा। उसके बावजूद सिंचाई विभाग ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं जानना चाहती हूं कि सिंचाई विभाग किसान विरोधी है कि क्या है जो उनकी किसी भी समस्या के बारे में ध्यान नहीं दे रहा ? नेवटा के बंधे के लिए मेरे पास जवाब आया, पैसा मंजूर है। कोई काम नहीं किया गया। गूलर के बंधे के लिए

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

जवाब आया कि उसके द्वारा ही वहां पर पानी जायेगा। कोई काम नहीं किया गया।

सिचाई मंत्री (श्री देवी सिंह माटी) : अपन अलग से बात कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, पाइंटेड प्रश्न पूछिये और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछिये। पूरा माषण हो जायेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : रामचन्द्र-पुरा बंधे के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया। कोई काम नहीं किया गया। मैं जानना चाहती हूं कि सिचाई विभाग इसके बारे में क्या कर रहा है ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1991-92 में भयंकर बाढ़ आयी और अजमेर जिले में मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र का अम्बा-पुरा बांध भी टूटा। उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय कैलाशजी मेघवाल हुआ करते थे, उन्होंने बांध का निरीक्षण भी किया और मुख्य मंत्रीजी भी मौके पर पहुंचे। बांध छलनी हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद वहां पर आपने घोषणा की कि बांध का तत्काल पुनर्निमाण कराया जाएगा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता राशि भी उस समय नार्म्स बदल करके दुगुनी की गयी। मैंने सिंचाई मंत्रीजी से बात की, इस सम्बन्ध में पिछली विधान सभा में भी प्रश्न रखा लेकिन सिंचाई मंत्रीजी ने कहा कि यह राशि बाढ़ सहायता कोष से उपलब्ध हो जाएगी तो बना देंगे। मैं सहायता मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा, सिंचाई मंत्रीजी भी सदन में बिराजे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिरा-जिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : और मुख्य मंत्रीजी की भी घोषणा है और उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी और माननीय पंचायत राज मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब। माननीय सदस्य, पांच-पांच, छह-छह सप्लीमेंट्री हो गयी, बिराजिये आप।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : नाथूसिंह जी ने भी घोषणा की है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात तो एक ही है कि राहत में पैसा चाहिए। (व्यवधान) अब बारबार सब...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महो-दय, माननीय सदस्य और मंत्रीजी 24 घंटे साथ रहते हैं .. (व्यवधान) वक्त जाया कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, हम को हां या ना में जवाब चाहिए कि बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं और कब तक बनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को सुन लीजिये। मांडल से रिलेटेड प्रश्न पूछिये। बिराजिये आप। इस पर बहुत डिस्कशन हो गया, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक मिनट बैठ जाएं...

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे सवाल भी आयेंगे कि नहीं ?

श्री रामनारायण : इससे रिलेटेड है। प्रदेश में अकाल हो रहा है या जहां-जहां यह इस तरह के काम अधूरे हैं और अकाल पड़ा हुआ है...

श्री दलीचन्द (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस साल बांसवाड़ा में...

श्री रामनारायण : अकाल घोषित फिर क्यों नहीं कर रहे हैं..(व्यवधान).... इसका सीधा जवाब दे दें यह।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण : अकाल घोषित है, पूरी जगह अकाल घोषित है और वहां यह काम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं ? उन इलाकों को अकालग्रस्त क्यों नहीं घोषित करना चाह रहे हैं ? सरकार स्पष्ट जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दलीचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो बांसवाड़ा में इस साल... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बांसवाड़ा की बात नहीं हो रही। यह जनरल बात हो रही हैं, मांडल की बात।

श्री दलीचन्द : जनरल में यह पूछना चाहता हूं, बांसवाड़ा के सम्बन्ध में है। अकाल राहत मंत्री हैं उनसे ही सम्बन्धित है इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो बांसवाड़ा में इस साल अधिक बारिश होने की वजह से सैंकड़ों मकान ढह गये हैं क्या मंत्री महोदय ने उन काश्तकारों को कुछ राहत दी है आज तक ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। यह प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है कि कितनी सहायता दी है। यहां कोई रिकार्ड थोड़े लेकर बैठे हैं।

श्री दलीचन्द : दूसरा प्रश्न यह है कि बांसवाड़ा में खरीफ की फसल कितनी पर्सेण्ट अतिवृष्टि से नष्ट हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। आप बिराजें, आपकी बात रिकार्ड हो गयी।

श्री दलीचन्द : क्या वहां अकाल राहत कार्य चालू करने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रश्न संख्या 233.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट : मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, सहायता विभाग की जब आवश्यकता होती है सहायता विभाग हरकत में आता है। बाढ़ जब आयी थी, मैं स्वयं पहुंचा था। बाढ़ से प्रभावित जिन-जिन लोगों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, अविलम्ब उपलब्ध करवायी गयी। मैंने निवेदन किया, हमें भी तकलीफ है तालाब न ठीक होने की। सम्बन्धित विभागों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो हम उपलब्ध करवायेंगे, इस बात में कोई शंका नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यही तो हम चाहते हैं।

श्री सांवरलाल जाट : परन्तु दस हजार, बीस हजार, पच्चीस हजार, जे. आर. वाई. फर्स्ट में ठीक करवा सकते हैं। अगर माननीय सदस्य सही जगह पर कार्यवाही करते तो अब तक यह ठीक हो सकते थे। (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मंत्री महोदय, है कि नहीं यह आपको मालूम होना चाहिए। है कि नहीं, हमको मालूम होना चाहिए ? सम्बन्धित विभागों के पास पैसा है कि नहीं, मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्या, विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और आप खड़े रहें।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मंत्री महोदय, यह बतायें कि सिचाई विभाग ने मंजूर किया कि नहीं किया ?

श्री सांवरलाल जाट : सुनो तो सही पूरा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जब जवाब दे रहे हैं और आप बीच में ही बोल रही हैं।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : पैसा है कि नहीं, यह सदस्यों को मालूम हो या मंत्री महोदय को मालूम हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया, आप पूरी बात तो सुनें। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : ऐसी कोई परम्परा नहीं रही कि सहायता विभाग हर बार अगर तालाब टूट गये, सड़कें टूट

(श्री सांवरलाल जाट)

गयीं, पैसा देता रहा हो। कई बार उनके पास पैसे नहीं थे, सम्बन्धित विभागों के पास, तो हमने धनराशि उपलब्ध करवायी। इस बार भी जहां पर अधिक पैसा लगेगा, बड़े-बड़े तालाब है उनके लिए वह राशि उपलब्ध करवायेंगे। अम्बापुरा का जो मामला है···

एक माननीय सदस्य : आपको सुनाई दे रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा कान लगा कर सुनेंगे तो सुनाई देगा।

श्री सांवरलाल जाट : उसकी जांच करवायेंगे। बड़ा तालाब है, अगर जांच के बाद में सम्बन्धित विभाग हमारे पास डिमाण्ड भेजेगा तो निश्चित रूप से वह राशि उपलब्ध करवा दी जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि सम्बन्धित सदस्य मुझे पूछ रहे हैं, इनको पूछना चाहिए था सम्बन्धित विभाग को। इनको पूरी-पूरी जानकारी ·· (व्यवधान) आज हम किसी पर्टिकुलर तालाब के लिए दे देंगे पांच लाख रुपये तो वह सम्बन्धित विभाग समय पर ठीक करवायेगा, हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रश्न संख्या 233.

श्रीमती इंदिरा मायाराम : सवाल का जवाब नहीं आया। मंत्री महोदय, पहले यह बताइये कि सिंचाई विभाग ने जो मेरे क्षेत्र के बंधों के लिए पैसा मंजूर किया···

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, हो गया जवाब। माननीय हरिसिंहजी महुआ। (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रश्न संख्या 233···· (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : आप मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे बंधे के जो पैसे मंजूर हुए हैं, विशिष्ट जवाब चाहिए मुझे कि उसकी कब तक मरम्मत हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी महुआ।

पंचायत समिति, महुआ (दौसा) को कोंडला सिंचाई परियोजना

233. **श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरिसिंह)

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा की पंचायत समिति महुआ में कोंडला सिंचाई परियोजना का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब तथा इस योजना पर कुल कितना अनुमानित व्यय होना संभावित है?

(2) क्या यह सही है कि कोंडला सिंचाई परियोजना की विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हां, तो किस-किस स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है?

(3) क्या सरकार इस योजना को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) :

(1) जी हां, कोंडला सिंचाई परियोजना का सर्वे कार्य सन् 1988-89 में पूर्ण किया गया था। सन् 1988 की दरों पर परियोजना की अनुमानित लागत रुपये साढ़े उन्तीस लाख आंकी गयी थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कोंडला बांध वर्तमान में निर्मित बड़ा गांव खेड़ला बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आता है, जिससे खेड़ला बांध की भराव क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः कोंडला बांध की योजना ड्राप कर दी गयी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो प्रश्न इसलिए पूछा था कि सरकार के बस्ते में, एक योजना चुप्पी की टोकरी में डाल दी गयी और सरकार ने अन्तिम निस्तारण कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा, मंत्रीजी, इस चैप्टर को खुला तो रखिये कम से कम, इसको बंद तो न करें।

एक माननीय सदस्य : इनका राज आयेगा तो हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाह रहा हूं। मंत्रीजी, आपने भाग दो का जवाब दिया है, "जी नहीं।" हकीकत यह है और मुझे जानकारी भी है शायद विभाग के अधिकारियों ने आपको जानकारी नहीं दी हो, ए. ईएन. एक्स. ईएन. से लेकर एस. ई. तक सभी की इस पर सिफारिश हो गयी और इस परियोजना का पूरा प्रारूप एडीशनल चीफ इंजीनियर के कार्यालय में पड़ा है। आपके दफ्तर तक भी एक बार यह फाइल पहुंच गयी, फिर लौट गयी।

मैं दूसरा निवेदन करूं, इसमें एक बहाना लिया गया है कि बांध बड़ा गांव खेड़ला भराव क्षमता पर असर आता है।

(श्री हरिसिंह)

बांध बड़ा गांव खेड़ला पेटे काश्त का बांध है जिस पर मात्र दो सौ बीघा जमीन की काश्त होती है। इस बांध में जितना भी खेड़ला गांव का रकबा है उसमें पूरे में आबादी हो चुकी है। यह बांध करीब चालीस वर्ष पहले टूट गया था। सिंचाई विभाग ने जब इसको दुबारा मूंदना चाहा, रोकना चाहा दोनों ही गांव इसका विरोध कर रहे हैं। मात्र अब सौ बीघा जमीन पेटे काश्त में पानी भरता है। बांध की पूरी क्षमता बारह फीट है। चार-साढ़े चार फीट जमीन में पानी भरता है। अगर यह कोंडला बांध रोका जाता है तो इस बांध की भराव क्षमता पर कोई असर नहीं आयेगा, न कोई गांव वालों पर असर होगा। कोंडला बांध की जो योजना है, यह दो पहाड़ों के बीच में मात्र पच्चीस मीटर का नाका आपको जोड़ना है और उससे छह गांवों की जमीनों को सिंचाई मिलेगी, नम्बर-एक। नम्बर दो, खेड़ला रीजनल स्कीम के पांच पी. एच. ई. डी. के ट्यूबवैल उसी भराव क्षेत्र में है, अगर यह बांध आप बना देते हैं तो उनको रिचार्जिंग के लिए पानी मिलेगा और सोलह गांवों को पीने का पानी भी आप उपलब्ध करवा सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैप्टर को क्लोज न करें। बहुत थोड़े पैसे की बात है। आप मेहरबानी करके इस बांध के बनाने के आदेश प्रसारित करें।

श्री जुबेर खान : उदार हो जाइये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उदार हो जाइये।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। सिंचाई मंत्रीजी मेरे प्रश्न का जवाब दें। नेवटा बांध पर जो पैसा मंजूर हुआ था उसका काम सिंचाई विभाग ने क्यों नहीं शुरू किया? दूसरा यह कि मुख्य मंत्रीजी ने जब वहां एक आश्वासन दिया था कि रामचन्द्रपुरा का काम शुरू हो जायेगा, वह क्यों नहीं हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि विभिन्न स्तरों पर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। मुझे जो जानकारी दी गयी है उसमें मैंने प्रश्न के जवाब में बताया कि इस प्रकार की कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है। यदि आपकी सूचना सही होगी तो निश्चित तौर पर जिन्होंने गलत सूचना दी, उनके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

दूसरा, मैं उदारतापूर्वक यह भी आश्वासन आपको देता हूं, जैसी सूचना आपने अभी दी है कि इसकी क्षमता वास्तव में कम हो गयी है, इसकी भराव क्षमता पूर्व के अनुसार नहीं रही और यदि ऊपर यह बांध बना दिया जाता तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसके लिए मैं आपसे खुली वार्ता करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कन्विस करेंगे।

(33)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री महावीर भगोरा। महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा : प्रश्न संख्या 234... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक दूसरा और प्रश्न आ रहा है, माननीया सदस्या, आप बिराजें। हर बात का....(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : बांध से सम्बन्धित मेरे प्रश्न का जवाब.....

श्री देवीसिंह भाटी : अपन अलग से मिल लेंगे।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : यहां कोई एंटरण्डम जवाब तो नहीं दिया जायेगा। उनके पास कोई पोथी तो नहीं खुली हुई है कि कहां क्या काम है। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : सिचाई विभाग से सम्बन्धित है। मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। जवाब कैसे नहीं देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा। यह प्रश्न आ रहा है। समाज कल्याण का प्रश्न है, छात्रावास का सवाल है, आप बिराजें।

उदयपुर जिले के छात्रावासों में अधीक्षक के रिक्त पद

234. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में कितने एवं कहां-कहां राजकीय छात्रावास संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संचालित छात्रावासों में अधीक्षकों के अधिकतर पद (विशेष रूप से महिला अधीक्षकों के) रिक्त हैं? यदि हां, तो यह पद कब से एवं क्यों रिक्त हैं?

(3) क्या विभाग अधीक्षकों के बिना छात्रावासों की व्यवस्था एवं छात्रों के शैक्षणिक विकास का सही होना मानता है? यदि नहीं, तो इन रिक्त पदों को किस योग्यता के अधीक्षकों से कब तक भर दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) सूची परिशिष्ट "अ" सदन पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, सूचना परिशिष्ट "ब" सदन पटल पर रख दी गयी है। पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : जवाब कैसे नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। यह प्रश्न आ रहा है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : आज का हो क्वेश्चन है लगा हुआ और बांध से सम्बन्धित है, सिंचाई मंत्रीजी को इस प्रश्न का जवाब देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मैं नहीं बैठूंगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। इस प्रश्न का जवाब देना होगा। आज ही का है यह प्रश्न, आज आया हुआ है, सिंचाई से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

(12:00)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील फुलेरा (जयपुर) के ग्रामों में सड़क निर्माण

344. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के कौन-कौनसे गांवों में वर्तमान में कहां-कहां, किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य चल रहा है तथा कहां-कहां पर सड़क निर्माण कार्य किन-किन योजनाओं में प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य में ग्राम रायथल, तहसील आमेर से ग्राम डूंगरी खुर्द तक वाया ग्राम रामपुरा तहसील फुलेरा होकर सड़क निर्माण की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो अब तक कितना सड़क निर्माण कार्य किया गया ? अब ग्राम रायथल, तहसील आमेर से ग्राम रामपुरा, तहसील फुलेरा तक सड़क निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील फुलेरा जिला जयपुर के अन्तर्गत वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में 20 सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट "क" एवं 6 सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(2) जी हां, अकाल राहत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायथल से डूंगरी खुर्द वाया ग्राम रामपुरा सड़क पर 2 किमी. 3.50 लाख की दिनांक 6-5-1994 को स्वीकृत हुई थी। अकाल राहत की अवधि में उक्त सड़क पर डूंगरी खुर्द से रायथल की ओर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

200 मी. लम्बाई में ग्रेवल सड़क एवं रायथल से डूंगरी खुर्द की ओर 500 मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य करवाया गया। इस पर कुल रु. 24656/-व्यय किये गये। ग्राम रामपुरा की 1971 की जनसंख्या (478) 1000 से कम है एवं यह पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। अतः निर्धारित मानदण्ड में न आने के कारण इस सड़क निर्माण का कार्य कराना वर्तमान में संभव नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

टोडाभीम एवं नादोती (सवाई-माधोपुर) में डाक बंगले का निर्माण

345. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार टोडाभीम एवं नादोती (सवाई माधोपुर) में डाक बंगला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

लूणकरणसर क्षेत्र में सड़क निर्माण सामग्री की आपूर्ति

346. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत धीरेरा से खिपेरो एवं धीरेरा से खारी कुजटी, कस्बा लुणकरणसर की कालू रोड से रेलवे क्रासिंग तक सड़क निर्माण सामग्री की आपूर्ति का काम किस ठेकेदार को दिया गया था तथा उसने कितना काम किया ? यदि कार्य नहीं किया तो ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उक्त ठेकेदार को सरकार ने ब्लेक लिस्ट किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में अकाल राहत के अन्तर्गत धीरेरा से खीयेरा, धीरेरा से खारी, खारी से कूजटी व लूणकरणसर से कालू सड़क से रेलवे क्रासिंग तक की चार सड़कों के लिये निर्माण सामग्री की आपूर्ति का कार्य जिन ठेकेदारों को दिया गया उनके नाम, किया गया काम तथा ठेकेदारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजकीय आवासों का संधारण

347. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित सभी सरकारी भवनों एवं सरकारी आवासीय मकानों की देखरेख एवं संधारण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है ? यदि हां, तो इस कार्य के लिए विभाग ने कौन-कौन से कार्यालय खोल रखे हैं तथा उनमें कितने अधिकारी, अभियन्ता एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इतने लम्बे-चौड़े काम की जिम्मेदारी निभाने में उपरोक्त कार्यालय अक्षम सिद्ध हो रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त परिस्थितियों में विधान सभा के माननीय सदस्यों की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बार-बार फोन करना, पत्र लिखना एवं कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए भवन एवं फर्नीचर संबंधी कार्यों के लिए अलग से कोई कार्यालय खोलकर उनका नियंत्रण विधान सभा सचिवालय को सौंपने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। इसके लिए 2 वृत कार्यालय, 6 खण्डीय कार्यालय, 18 उपखण्डीय कार्यालय खोल रखें हैं।

इनमें 26 अधिकारी (सहायत अभियंता, अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता), 55 कनिष्ठ अभियन्ता एवं 162 कर्मचारी, 1125 कार्य प्रभारी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा फोन या पत्र द्वारा सूचना प्राप्त होते ही कार्यवाही की जाती है। भवन संधारण एवं फर्नीचर सबंधी कार्यों के लिए अलग से कार्यालय खोलकर उसका नियंत्रण विधान सभा सचिवालय को देने हेतु अभी कोई विचार नहीं है।

राजपुरा-रोजवाड़ी (बस्सी) पर सड़क निर्माण

348. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-लवाण सड़क राजमार्ग पर राजपुरा एव रोजवाड़ी के बीच 1 कि.मी. के टुकड़े का निर्माण कार्य कब से विचाराधीन है तथा यह क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

(2) क्या इस 1 कि.मी. के टुकड़े का वांछित पक्षकारों को मुआवजा दिया जा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

चुका है ? यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना व कब ?

(3) क्या सरकार द्वारा जनहित में इस सड़क को बनाने हेतु टेण्डर कॉल किये थे ? यदि हां. तो किसको टेण्डर दिया गया तथा सड़क निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) सरकार जनहित में यह सड़क पूर्ण रूप से कब तक बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर-लवाण राजमार्ग न होकर एक ग्राम सड़क है। इस सड़क में राजपुरा एवं गोजवाड़ी के बीच 1 कि. मी. सड़क का टुकड़ा जो कि स्वीकृत 7 कि. मी. सड़क का हिस्सा है, भूमि अवाप्ति के विवाद की वजह से 1978-79 से अधूरा पड़ा है। अवाप्त शुदा भूमि पर कब्जा न मिलने के कारण यह कार्य नहीं करवाया जा सका है।

(2) कुल पांच वांछित पक्षकारों में से दो पक्षकारों को भुगतान किया जा चुका है। शेष तीन पक्षकारों ने भुगतान प्राप्त करने से मना कर दिया है। भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(3) शेष रहे 1 कि. मी. के निर्माण के लिये विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित नहीं की है।

(4) अवाप्ति कार्यवाही पर न्यायालय में लम्बित विवाद के निर्णय पर निर्माण कार्य निर्भर करेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

जिला उदयपुर के डाक बंगले

349. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले में कहां-कहां डाक बंगले (विभागीय विश्रान्ति गृह) बने हुए हैं एवं उनमें वर्तमान में कितनी-कितनी आवास सुविधा उपलब्ध है ?

(2) क्या वर्तमान आवास सुविधा पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विस्तार का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितना-कितना ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के डाक बंगले और विश्रान्ति गृह की सूचना मय आवास सुविधा के सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वर्तमान आवास सुविधा सभी जगह अपर्याप्त नहीं है। आवश्यकता का आंकलन कर प्रावधान उपलब्ध होने की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्रामों हेतु सड़क निर्माण

350. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में सरकार किन-किन गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है तथा किन-किन गांवों में सड़क निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या सरकार द्वारा खेड़ली से बरनाला पर मरम्मत कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो किसके माध्यम से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क अब भी क्षतिग्रस्त है, मरम्मत कार्य ठीक नहीं हुआ ?

(4) क्या मरम्मत कार्य का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या सरकार बिछोछ से खुर्दा तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में 1994-95 में राज्य सरकार की सड़क नीति के अन्तर्गत जनगणना-1971 के आधार पर 1000 और उससे अधिक आबादी के 10 गांवों को डामर सड़क से, 1 पंचायत मुख्यालय एक निमोद करेल (838) जिसकी 1971 की आबादी 1000 से कम है को डामर सड़क से व 26 पंचायत मुख्यालय को ग्रेवल सड़क से जोड़ना स्वीकृत है। वर्ष 1995-96 में 2 गांवों को डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) जी हां।

उक्त कार्य संवेदक के माध्यम से करवाया गया था।

(3) (अ) उक्त सड़क का कि. मी. 0/0 से कि. मी. 2/0 तक का भाग क्षतिग्रस्त है। यह भाग कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कराया गया था, एवं इसकी रखरखाव भी कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। इस भाग का सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण का कार्य बोर्ड द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। (ब) उक्त सड़क के शेष लम्बाई कि. मी. 2/0 से कि. मी. 13/0 पर वर्षा उपरान्त पेच रिपेयर करवा दिये गये थे, जो संतोषजनक थे, परन्तु अब पुनः नये पेच पड़ गये है, जिनकी मरम्मत का कार्य संवेदक को आवंटित कर दिया गया है, जो मई 95 के अंत तक पूर्ण कर लिए जावेंगे। तथा कि.मी. 10 व 11 में डामर से नवीनीकरण का कार्य भी आवंटित कर दिया गया है जो

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

भी मई 95 के अंत तक पूर्ण कर दिया जावेगा।

(4) वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत पेच रिपेयर एवं मरम्मत किए गये कार्य का भुगतान वित्तीय वर्ष 94-95 में रु. 29,578/- का किया गया है तथा वर्ष 1994-95 के अन्तर्गत किए गए पेच-रिपेयर कार्य के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(5) (अ) बिछोछ गांव (1842), खेड़ली-बैरनाला बाटोदा मार्ग पर स्थित है एवं डामर रोड से जुड़ा हुआ है।

(ब) खुर्रा गांव, बगडी-मंडवारी डामर रोड पर स्थित है।

बिछोछ से खुर्रा को सीधा जोड़ने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

351. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय व ग्राम स्तरीय सभी सड़कें अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं ?

(2) इन सड़कों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि किस-किस सड़क पर आवण्टित की गयी तथा क्षतिग्रस्त सड़कों पर अब तक कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ कलिंजरा वाया अन्देश्वर, ताम्बेसरा, कुशलगढ़-गामदा रोड, कुशलगढ़ से थान्दला, अलिकुआ से डूंगरा, ताम्बेसरा से सज्जनगढ़, कालिंजरा से कुशलगढ़, डूंगरा से लंबाई एवं एवं कसारवाडी से हिम्मतगढ़ सड़क पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है तथा वे अभी भी क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों को सरकार कब तक दुरुस्त कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन सड़कों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 94-95 में 40.10 लाख रुपये खर्च किये गये हैं जो कि खण्ड-द्वितीय, बांसवाड़ा को वर्ष 94-95 के लिये सड़कों की वार्षिक मरम्मत के लिये आवंटित 145 लाख रुपये के अन्तर्गत आते हैं सूची परिशिष्ट "क" में दर्शायी गयी है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत इन सड़कों पर काफी मरम्मत का कार्य किया गया है विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है और मरम्मत का कार्य अभी भी प्रगति

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर है। शेष कार्य वित्तीय वर्ष 95-96 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

माही बजाज सागर परियोजना में पंजीकृत ठेकेदार

352. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माही बजाज सागर परियोजना में पंजीकृत श्रेणीवार कुल कितने ठेकेदार हैं? ठेकेदारों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 में आमंत्रित निविदाओं में इन ठेकेदारी फर्मों में से किस-किस ठेकेदार अथवा ठेकेदारी फर्मों को कितनी-कितनी राशि के कार्यों की निविदाएं स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट- "1" से "5" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट–"1" से "5" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--10 देखें।)

ग्राम मेजा से मेजाबांध (माण्डल) सड़क मार्ग हेतु अवाप्त भूमि

353. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेत नं 1381 ग्राम मेजा तहसील माण्डल में, ग्राम मेजा से मेजा बांध तक जाने वाली सड़क निर्माण के समय सिंचाई विभाग द्वारा उक्त खेत की जमीन का अधिग्रहण किया गया? यदि हां, तो खेत की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 35 वर्ष बाद भी खेत मालिक को नहीं दिया गया है? यदि हां, तो सरकार खेत मालिक को अब कब तक कितने मुआवजे की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मेजा ग्राम से मेजा बांध को जाने वाली सड़क आराजी नम्बर 1381 में से नहीं जाती है, इसलिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया एवं 1381 के मालिक को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया।

घग्घर नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलें

354. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षों में जिला हनुमानगढ़ व गंगानगर में घग्घर नदी की बाढ़ से तबाही हुई फसलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों की खड़ी फसलें बाढ़ से तबाही हुई उनसे राज्य सरकार ने सिंचाई कर (आवयाना) व लगान वसूल किया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990,1991 एवं 1992 में जिला हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में घग्घर नदी की बाढ़ से कोई फसल तबाह नहीं हुई है। वर्ष 1993 में 11,610 एकड़ में खड़ी फसल को नुकसान हुआ। वर्ष 1994 में 1291 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ।

(2) वर्ष 1992 में जिस फसल को नुकसान हुआ था उसके आवयाना एवं भू-राजस्व की वसूली 6 माह के लिए स्थगित की गई थी जो बाद में वसूल की गई। वर्ष 1994 के प्रभावित क्षेत्र का आवयाना व भू राजस्व कायम ही नहीं किया गया, अतः वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति जवाजा क्षेत्र की बांध परियोजना

355. **श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जवाजा पंचायत समिति के बराखन क्षेत्र के रावली के पास कोठी के नाके पर काफी मात्रा में बेकार बहकर जा रहे पानी को रोक कर बड़ा बांध बनाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि वर्णित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में है।

छीपा बड़ोद एवं छबड़ा क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनायें

356. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद एवं छबड़ा तहसील की लघु सिंचाई योजनाओं में वन विभाग की भूमि आने से कार्य रूका हुआ है ? यदि हां, तो उनको चालू करने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ?

(2) इन लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(3) कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजना किस-किस स्थिति में है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मात्र एक लघु सिंचाई योजना (सेतुकोर्न परियोजना) की स्वीकृति उसके डूब में वन क्षेत्र आने के कारण लम्बित है।

(2) लाभ लागत मापदण्ड के आधार पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि उपरान्त कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

(3) विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के क्षतिग्रस्त तालाब

357. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्षा से कौन-कौन से तालाबों को क्षति पहुंची है ?

(2) क्या इन तालाबों के पुनर्निर्माण हेतु सरकार ने कोई स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो किस-किस तालाब की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन तालाबों का पुनर्निर्माण इस मानसून के पूर्व करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में फिलहाल स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

(3) पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

ग्राम जयसिंहपुरा (निवाई) की मध्यम सिंचाई योजना

358. **श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग टौंक ने निवाई तहसील के जयसिंहपुरा ग्राम पर मध्यम सिंचाई योजना बनाकर सरकार को प्रेषित की थी ? यदि हाँ, तो सरकार इसे कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

निर्वाचन क्षेत्र खण्डार को हम्मीर सागर सिंचाई परियोजना

359. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र खण्डार सूखा सम्भाव्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ाने हेतु हम्मीर सागर योजना जिसका पूर्व में सर्वे हो चुका है, को योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। हम्मीर सागर बांध के डूब में अभयारण्य वन क्षेत्र आने के कारण इस परियोजना को ड्रोप कर दिया गया है।

बामनवास व बौंली (सवाई माधोपुर) के क्षतिग्रस्त तालाब

360. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले की बामनवास व बौंली तहसीलों में कितने तालाब क्षतिग्रस्त हैं तथा इनकी मरम्मत के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बिछोछ तहसील बामनवास का तालाब जो कि कीरों की ढाणी के समीप है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत कराने हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? स्वीकृत राशि का उपयोग कौन से तालाब पर किया गया ?

(3) क्या सरकार को उक्त तालाब को बनवाने हेतु ग्रामवासियों की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार ग्राम कुशलपुरा तहसील बौंली के टूटे हुए तालाब की मरम्मत कराना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले की बामनवास एवं बौंली तहसीलों में सिंचाई विभाग के क्रमशः चार एवं सात बांध क्षतिग्रस्त हैं। जिनमें से आकोदिया बांध का लघु सिंचाई योजना के रूप में पुनः निर्माण कराना विचाराधीन है। अन्य 10 तालाबों का जीर्णोद्वार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

(2) जी हां। कीरों की ढाणी तालाब (गोविन्द सागर) ग्राम बिछोछ क्षतिग्रस्त

(सिचाई मंत्री)

है, इसकी मरम्मत के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

(3) जी नहीं। कीरों की ढाणी तालाब (गोविन्द सागर) को बनवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

(4) यह तालाब पंचायत समिति का है। जो वर्ष 1994 की बरसात में टूट गया था। जिसका पुनः निर्माण पंचायत समिति द्वारा किया जाना है।

ग्राम चीथवाड़ी (चौमूं) के खेतों से विद्युत स्टार्टर्स की चोरी

361. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चीथवाड़ी थाना चौमूं जिला जयपुर के किसान के खेत से 14 दिसम्बर, 1994 को स्टार्टर चोरी हो गये थे ? जिसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई थी ?

(2) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस संबंध में एफ. आई. आर. नं. 702/94 धारा 379 भा. दं. सं. दिनांक 15-12-94 को थाना चौमूं पर दर्ज हुई थी। मुकदमें में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा माल व मुल्जिम के पता लगाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन पता न लगने पर अंतिम नतीजा, एफ. आर. अदम पता माल मुल्जिम में दिया गया। फिर भी चोरी के अन्य अपराधों के साथ मुल्जिमों की तलाश कराई जा रही है।

जिला पाली में स्थापित खनन नाके

362. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कहां-कहां व कब से खनिज विभाग के नाके स्थापित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन नाकों को कायम करते वक्त स्थानीय खनिज अभियंता ने सभी पट्टाधारियों को यह लिखित आदेश दिया कि खनन क्षेत्र से निर्गम किया जाने वाला माल नाके पर चैक करवाकर ही निर्गम किया जावे ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई पट्टाधारी बिना रवाना खनिज सम्पदा के निर्गम करते हैं व निर्गम चालान से करना बताते हैं ?

(4) क्या चालान से माल का निर्गम खनन क्षेत्र से बिना रवाना निर्गम नहीं है ?

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

वर्ष 1993 व 1994 में किस-किस पट्टाधारी ने बिना रवाना चालान से कितना-कितना माल निर्गम किया ? सरकार ने पट्टाधारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या सरकार इस तरह विभागीय आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में खान विभाग द्वारा स्थापित नाकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है ।

(2) जी, हां । सोजत तहसील के सम्बन्धित लाइमस्टोन के पट्टाधारियों जिनके द्वारा निर्गमित खनिज इन नाकों से गुजरता है को तत्कालीन सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा 15-10-92 को लिखित निर्देश दिये थे कि वे खनिज वाहन को नाके पर चैक करावें ।

(3) यह सही है कि कुछ पट्टाधारियों द्वारा बिना रवाना के डिलीवरी चालान के जरिये खनिज का निर्गमन किया गया था । वर्तमान में केवल सोजत लाइम कम्पनी तथा हर्षवर्धन मेहता द्वारा डिलीवरी चालान के आधार पर दिनांक 11-1-95 तक निर्गमन किया । वर्तमान में किसी पट्टाधारी द्वारा डिलीवरी चालान के आधार पर निर्गमन नहीं किया जा रहा है ।

(4) पट्टा क्षेत्र से खनिज का चालान से निर्गमन करना नियमानुसार नहीं है । लेकिन जो खनिज रवन्नाओं के साथ स्टोक में लाया जाता है, उसे डिलीवरी चालान से निर्गमन किया जा सकता है । विभाग की जानकारी में वर्ष 93 व वर्ष 94 में बिना रवन्ना चालानों से जिन-जिन पार्टियों द्वारा जो खनिज निर्गमन किया गया है, उसका विवरण प्रदर्श "ब" अंकित है ।

जिन व्यक्तियों ने इस अवधि में चालानों के माध्यम से खनिज का निर्गमन किया है उन्हे कारण बताओ नोटिस दिया जाकर रवन्ना, स्टोक, प्राप्ति स्रोत इत्यादि की जानकारी मांगी गई है और विस्तृत जांच के उपरान्त अगर चालानों द्वारा निर्गमित खनिज, बगैर रवन्नाओं के प्राप्त किया जाना पाया गया तो नियमानुसार दंडित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

(5) जी हां । ऐसे प्रकरणों के बाद जांच अगर खनिज पट्टाधारी दोषी पाया जाता है, तो ऐसे पट्टाधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें ।)

साकेत नगर, ब्यावर आवासीय कालोनी में पुलिस चौकी की स्थापना

363. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार आवासन मण्डल साकेत नगर, ब्यावर में बढ़ रहे अपराधों को मध्य नजर रखते हुए कानून एवं व्यवस्था हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

ब्यावर के साकेत नगर में बढ़ते हुए अपराधों को मध्य नजर रखते हुए पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है जिसका पुलिस मुख्यालय पर परीक्षण किया जाकर तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी ।

नांगल राजावतान (दौसा) का थाना भवन

364. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दौसा जिले के थाना नांगल राजावतान के लिए किराये का भवन लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त भवन का क्या किराया माहवार निर्धारित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मकान मालिक को कियायानामा लिखकर दिया गया है ? यदि हां, तो किरायानामा की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त भवन का किराया बाकी है ? यदि हां तो अब तक कितना भुगतान किया गया है एवं कितना बकाया है ?

(4) उक्त भवन के मालिक द्वारा बार-बार किराया मांगने पर भी किराये का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार भवन मालिक को शीघ्र किराया भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ । उक्त थाने के लिए चार सौ रुपये माहवार किराये पर 15 अगस्त, 1987 से लिया गया था ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हाँ, लेकिन आंशिक रूप से माह अगस्त, 87 से नवम्बर 1992 तक का किराया 25,400/ रु. भवन मालिक को भुगतान किया जा चुका है । दिसम्बर, 1992 से जुलाई 1994 तक उक्त भवन का किराया ग्राम पंचायत नांगल राजावतान में रु. 8,000/- जमा कराया गया है एवं माह अगस्त, 94 से फरवरी, 95 तक के किराये का भुगतान करना शेष है, जो शीघ्र किया जावेगा ।

(गृह मंत्री)

(4) माह अगस्त, 87 से नवम्बर, 1992 तक का किराया भवन मालिक को 400/- रु. माहवार के हिसाब से अदा किया गया, इसके पश्चात् ग्राम पंचायत नांगल राजावतान ने अपने पत्र संख्या 16 दिनांक 24-2-93 द्वारा उक्त भवन का किराया ग्राम पंचायत नांगल राजावतान में जमा कराने हेतु थानाधिकारी थाना नांगल राजावतान को लिखा जिसके क्रम में माह दिसम्बर, 1992 से मकान किराया ग्राम पंचायत नांगल राजावतान में जमा कराया जा रहा है।

(5) ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के अनुसार उक्त भवन ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अवैध रूप से निर्मित किया गया है एवं विवादित हैं (पंचायत का प्रमाण-पत्र संलग्न है) इस भवन का किराया ग्राम पंचायत नांगल राजावतान में जमा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भूमि की मिल्कियत (टाइटल-डीड्स) का सही स्पष्टीकरण होने के बाद ही भवन के मालिक को किराये के भुगतान की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(प्रमाण-पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

पुलिस थाना बगरू (जयपुर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

365. **श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के पुलिस थाना बगरू कलां में माह जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1994 तक किस-किस प्रकार के किस-किस विषय से संबंधित कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस थाना बगरू में जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1994 तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मारपीट तथा सड़क दुर्घटना के कितने केस दर्ज हुए ? इनमें से कितने चालान प्रस्तुत किये गये एवं कितने केसों में एफ. आर. (केस खारिज) लगाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सुरेश कुमार पुत्र श्री जय नारायण अनुसूचित जाति का दिनांक 21 मई, 1994 को मांकरोटा-अजमेर रोड पेट्रोल पम्प के पास टाटा मोबाइल लोडिंग वाहन से एक्सीडेंट होने से पैर में फ्रैक्चर हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में एफ. आर. लगाई गई है, यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त टाटा मोबाइल लोडिंग वाहन को जब्त क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या सरकार पुनः जांच कराकर अनुसूचित जाति का प्रकरण होने के नाते न्याय दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वांछित सूचना का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां। तफ्तीश से टाटा मोबाईल के चालक की कोई गलती नहीं पाई जाने से नतीजा तफ्तीश एफ. आर. अदम वकु अक्समात एक्सीडेन्ट में दी गई।

(4) मुस्तगीस ने पहले बिना नम्बरी जीप से एक्सीडेन्ट होना बताया था। बाद में तफ्तीश से पाया गया कि एक्सीडेन्ट टाटा मोबाईल से हुआ। तब तक तफ्तीश से यह भी स्पष्ट हो चुका था कि एक्सीडेन्ट स्वयं मजरूब के अचानक रोड़ पर आ जाने व रोड़ पर गिरने की वजह से हुआ था वाहन चालक की कोई गलती नहीं पाए जाने से वाहन को जप्त नहीं किया गया था।

(5) जी नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

उदयपुर के पुलिस थानों/चौकियों में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी

366. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर शहर में कुल कितने थाने और पुलिस चौकियां हैं ? प्रत्येक में नियुक्त अधिकारी और कान्स्टेबलों के पदनाम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में उदयपुर शहर तथा नई आवासीय बस्तियों में चोरियां, नकबजनी और लूटमार की वारदातों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1994 की उक्त वारदातों की संख्या और पुलिस द्वारा उनमें से कितने के चालान प्रस्तुत किये गये सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में कुल 8 थाने एवं 12 चौकियां हैं। प्रत्येक में नियुक्त अधिकारी व कांसटेबलों के पदनाम का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि विगत एक वर्ष में उदयपुर शहर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन लूट एवं नकबजनी में कमी आई है। वर्ष 1994 में दर्ज लूट, नकबजनी एवं चोरी के मुकदमों के निस्तारण का विवरण निम्नानुसार है :—

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	अपराध	दर्ज अभियोग	एफ. आर. अदमे वकु	एफ. आर. अदम पता	अदम-सबूत	चालान
1.	लूट	28	10	11	शून्य	7
2.	नकबजनी	176	4	144	शून्य	28
3.	चोरी	366	14	289	2	61

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें ।)

राजधानी में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक हेतु व्यवस्था

367. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1994 में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, एवं नशीली दवायें खिलाकर लूटने आदि के कितने मामले पुलिस थानों में दर्ज हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य की राजधानी में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कोई विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1994 में हत्या के 63, लूटपाट के 64, चोरी के 2489, डकैती के 4, अपहरण के 145, बलात्कार के 22, एवं नशीली दवाएं खिलाकर लूटने के 20 अपराध विभिन्न थानों में पंजिबद्ध हुए हैं । निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

(2) राज्य की राजधानी जयपुर शहर की विशेष परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर शहर की पुलिस व्यवस्था के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें ।)

ग्राम रास (जैतारण) में पुलिस थाने की स्थापना

368. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के ग्राम रास (जैतारण) में भौगोलिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कायम करने की मांग जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में रास पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय सदस्य द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 97 के अन्तर्गत एक याचिका 1994 में प्रस्तुत की थी।

(2) प्रस्तुत याचिका के सन्दर्भ में पुलिस चौकी रास को थाने में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया था लेकिन चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाना उचित नहीं समझा गया। पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत पुलिस चौकी रास में कांस्टेबल के दो पदों की वृद्धि के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जिला भरतपुर में विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरण

369. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में 1 दिसम्बर, 1993 से 31 जनवरी, 1995 तक विभिन्न थानों में कितनी डकैती व चोरी की घटनाओं को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें कितनी धनराशि या सम्पत्ति की लूट व चोरी हुई ?

(2) उक्त घटनाओं की तफ्तीश के दौरान कितनी सम्पत्ति या धनराशि बरामद हुई ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में दिनांक 1-12-93 से 31-1.95 तक डकैती के 9 व चोरी के 933 मुकदमें दर्ज हुए, जिनमें कुल 1,23,78,130 रुपये (एक करोड़ तेइस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तीस) सम्पत्ति की लूट व चोरी हुई। परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) दर्ज शुदा मुकदमात् में कुल 82,48,261 रुपये (ब्यासी लाख अडतालीस हजार दो सौ इकसठ रुपये) की सम्पत्ति बरामद हुई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

पुलिस कर्मियों की राशन व्यवस्था पर व्यय

370. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या कुल कितनी है और उनमें राजपत्रित और अराजपत्रित कितने-कितने हैं ?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1992, 1993 एवं 1994 में पुलिसकर्मियों की राशन व्यवस्था पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों की राशन व्यवस्था पर व्यय की गयी राशि के दुरुपयोग को रोके जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में यह जांच कब-कब व किन-किन के द्वारा करवायी गयी, जांच का परिणाम क्या रहा तथा जांच के आधार पर क्या किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को दोषी पाया गया ?

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या 59191 है। राजपत्रित पुलिस कर्मियों की संख्या 594 है व अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की संख्या 58597 है।

(2) वर्ष 1992 1993 एव 1994 में पुलिस कर्मियों की राशन व्यवस्था पर क्रमशः 706.42 लाख, 762.64 लाख एवं 951.81 लाख का व्यय किया गया है।

(3) जी हां। विभागीय आन्तरिक जांच दल द्वारा नियमित आडिट करवाया जाता है तथा समय-समय पर उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक निरीक्षण भी किया जाता है। गत तीन वर्षों में मैस लेखों की विशेष जांच दौसा, सवाई माधोपुर एवं जयपुर शहर की करवाई गई। इस जांच में लेखों के संधारण में सामान्य कमियां पाई गई हैं, जो प्रक्रिया से संबंधित हैं। प्रक्रिया की कमियों की पूर्ति के लिए संबंधित कार्यालयों द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं। आडिट द्वारा सम्पन्न की गई जांच में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है।

जिला नागौर के विभिन्न चिकित्सालयों में स्वीकृत पद

371. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद कब

(श्री रूपाराम)

से रिक्त हैं ? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों के कुल 121 पद एवं कर्मचारियों के 1000 पद स्वीकृत हैं तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों के 16 पद रिक्त थे, जिन्हें दिनांक 24-3-95 को नवनियुक्ति द्वारा भर दिया गया है। कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के 176 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची संलग्न है, इन पदों में मुख्यत: नर्सिंग स्टाफ तथा लेबोरेट्री टेक्नीशियनों के पद रिक्त हैं, जिन्हें प्रशिक्षित एवं योग्यताधारी अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा जोधपुर द्वारा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज के विरूद्ध ज्ञापन

372. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा जोधपुर ने सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा की गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की है ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने लेखाधिकारी तथा अन्य एक कर्मचारी के विरुद्ध तो कार्यवाही की है लेकिन प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा, जोधपुर द्वारा मुख्यत: जिन मामलों की शिकायत की गई थी, उनका उल्लेख निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा मेडिकल कालेज, जोधपुर की स्पेशल आडिट रिपोर्ट में भी किया गया था। इस पर राज्य सरकार द्वारा प्रधानाचार्य की टिप्पणी मांगी गई। विभाग प्रधानाचार्य के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं था।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

अतः राज्य सरकार की आज्ञा दि. 5-12-94 द्वारा समस्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया व वित्त विभाग की आज्ञा स. प 5(7) वित्त/रा.ले./94 दिनांक 4-3-95 द्वारा अनियमितताओं की जांच हेतु एक जांच दल का गठन किया गया है। दोनों आज्ञाओं की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। सभी अनियमितताओं की जांच की जा रही है। जांच में जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(शिकायत की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

शेरगढ़ व बालेसर (जोधपुर) के चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन

373. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या शेरगढ़ व बालेसर (जोधपुर) के अस्पताल में एक्सरे मशीन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सरकार एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? विभाग द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बालेसर व शेरगढ़ के आस-पास खान श्रमिक पत्थर कटाई का काम करते हैं और उनमें मूत्र रोग, अस्थि टूट जाना, फ्रेक्चर हो जाना आम बात है ? यदि हां, तो क्या बालेसर व शेरगढ़ में एक-एक पद यूरोलोजिस्ट व अस्थि रोग विशेषज्ञ का इस सत्र में स्वीकृत किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बालेसर (जोधपुर) स्थित अस्पताल में 100 एम. ए. एक्सरे मशीन वर्ष 1983 से उपलब्ध है। शेरगढ़ (जोधपुर) के अस्पताल हेतु एक 100 एम. ए. की एक्सरे मशीन क्रय करने के आदेश दिनांक 10-2-95 को दिये गये थे। मशीन शेरगढ़ में पहुंच गई है।

(2) ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है। बालेसर व शेरगढ़ में एक-एक पद यूरोलोजिस्ट व अस्थि रोग विशेषज्ञ का स्वीकृत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये पद इन चिकित्सालयों हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं।

(3) शेरगढ़ में महिला चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत थे, जो

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

मरा हुआ है। बालेसर में पृथक से महिला चिकित्सा-अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है, किन्तु डा. (श्रीमती) सलमा कादरी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध पदस्थापित है।

राज्य में पीलिया रोग से पीड़ित मरीज

374. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पीलिया रोग से पीड़ित कितने मरीज 1 अप्रेल, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक भर्ती हुए ? इनमें से कितनों की मृत्यु अस्पतालों में हो गई ? भर्ती होने व मृत्यु होने की अस्पतालवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पीलिया रोग के फैलने का क्या कारण रहा है तथा इसके निवारणार्थ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) पीलिया रोग से पीड़ित मरीजों की भर्ती होने व मृत्यु होने की अस्पतालवार सूची एकत्रित की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जावेगी।

(2) पीलिया रोग पानी के प्रदूषित होने के कारण फैलता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व स्थानीय निकाय विभागों के संयुक्त प्रयासों से पीलिया रोग की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :-

(i) एक जन स्वास्थ्य अभियान (अप्रेल-जुलाई, 1995) प्रत्येक जिले के संभावित क्षेत्रों में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में स्वास्थ्य, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगरपालिका/पंचायत आदि सम्मिलित हैं।

(ii) पेयजल, जल स्रोतों के पानी के नमूनों की नियमित जांच।

(iii) सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सैम्पल लेने के साप्ताहिक लक्ष्यों का निर्धारण और प्रयोगशालाओं से जांच परिणाम निश्चित अवधि में प्राप्त करने का कार्यक्रम।

(iv) जल शुद्धिकरण और क्लोरीनेशन कार्यक्रम।

(v) निरन्तर जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विभिन्न आई. ई. सी. कार्यक्रम व पंचायतों और गांवों की स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से आई. ई. सी.

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

को गतिविधियों व मल्टी मीडिया प्रचार-प्रसार।

इस प्रकार जिला स्तर पर यह अभियान दोनों विभागों के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है व इसकी समीक्षा जिला कलक्टर व संभागीय आयुक्त स्तर पर की जाती है। राज्य स्तर पर भी साप्ताहिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चिकित्सकों की व्यवस्था

375. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कितने चिकित्सा अधिकारियों की कमी है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी का कारण कई स्थानों पर बिजली, पानी, आवासीय सुविधा आदि का अभाव है जिसके कारण डॉक्टर वहां से अनुपस्थित रहते हैं और अन्ततः उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं ?

(3) क्या सरकार डाक्टरों से यह अपेक्षा करती है कि बिजली, पानी और आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी डाक्टर ऐसे स्थलों पर कार्य करें ?

(4) राज्य सरकार ने डाक्टरों की आवास समस्याओं को दृष्टिगत रख कर वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक प्रत्येक वर्ष योजना मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की है ताकि डाक्टर ऐसे स्थलों पर कार्य करें और ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके ?

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 79 चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में, बिजली, पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव असामान्य नहीं है, किन्तु इन कारणों से चिकित्सकों का ग्रामीण क्षेत्रों से अनुपस्थित रहने की कोई सूचना विभाग को नहीं है। लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें राज्य सेवा समाप्त करने का प्रावधान भी है।

(3) जी हां, सरकारी डाक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी सेवा के लिये जनहित में और चिकित्सकीय दायित्व का निर्वाह करने के लिये अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहे।

राज्य सरकार उक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है किन्तु जब तक ये सुविधायें उपलब्ध नहीं करा दी जाती, तब तक जनहित में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और निरन्तरता को बनाये

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

रखने के लिये राजकीय सेवा की शर्तों के अनुरूप चिकित्सकों से उनके कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है।

(4) राज्य सरकार ने डाक्टरों की आवास समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक प्रत्येक वर्ष योजना मद में चिकित्सक आवास गृहों के निर्माण हेतु निम्न प्रकार वित्तीय प्रावधान रखा है :–

वर्ष	डाक्टर आवास गृहों की संख्या	स्वीकृत राशि
1991-92	25	50.00 लाख
1992-93	10	20.00 लाख
1993-94	60	182.00 लाख
1994-95	71	220.60 लाख
	166	472.60 लाख

इसके अतिरिक्त आई. पी. पी. नवम एवं यू. एन. एफ. पी. ए. आदि परियोजनाओं में भी आवास व अन्य सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान है।

पंचायत मुख्यालय डेली तलाई (बीकानेर) में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

376. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बमलू (बीकानेर) में राजकीय चिकित्सालय कार्यरत होने से वहां के उप स्वास्थ्य केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करना उचित है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को पंचायत मुख्यालय डेली तलाई पर स्थानान्तरित करने की मांग स्थानीय जनता एवं क्षेत्रीय विधायक ने की है? क्या वहां उपयुक्त भवन सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा बनाया हुआ उपलब्ध है?

उत्तर

(1) जी हां, बमलू उप स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम दन्तौर, पं. स. बीकानेर में दिनांक 1-3-95 से स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(2) इस प्रकार की मांग प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु ग्राम कक्कू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र के रूप में दो संस्था होने के कारण उप केन्द्र कक्कू को पंचायत मुख्यालय डेली तलाई

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

पंचायत समिति बीकानेर में दिनांक 1-3-95 से स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जी हां, यहां सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का भवन उपलब्ध है।

बम्बोरी एवं खजूरी (बून्दी) उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

377. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र बम्बोरी एवं खजूरी के लिए राजकीय भवन व्यवस्था नहीं होने से जवाहर रोजगार योजना, निर्बन्ध राशि योजना में भवन बनवाने हेतु जिला कलक्टर को लिखा गया है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपलब्ध बजट में से प्राथमिकता के आधार पर उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त भवनों का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उप केन्द्र खजूरी के भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1994-95 में दी जा चुकी है। यह निर्माण कार्य जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जा रहा है। जिनकी कुल लागत 2.30 लाख रु. में से 1.30 लाख रुपये चिकित्सा विभाग ने उपलब्ध कराये हैं तथा 1.00 लाख जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होंगे, खजूरी उप केन्द्र भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

(3) राज्य में 1995-96 में 2406 उप केन्द्र भवन निर्माण जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत उप केन्द्र बम्बोरी का भवन भी निर्माण कराया जा सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

ग्राम खींवसर (नागौर) में आयोजित परिवार कल्याण कैम्प में मृत्यु प्रकरण

378. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खींवसर जिला नागौर में विभाग द्वारा आयोजित परिवार कल्याण कैम्प में दिनांक 23 फरवरी, 1995 को एक महिला का ऑपरेशन टेबल पर ही देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो यह महिला कौन थी ? किस डाक्टर ने ऑपरेशन किया था तथा मृत्यु का कारण क्या था ?

(2) क्या इस मामले की जांच की गई ? यदि हाँ, तो इसमें कौन दोषी पाया गया तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जाँच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस प्रकार असावधानीपूर्वक किये गये आपरेशनों के कारण मृत्यु हो जाने के मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं तथा उनकी पालना इस मामले में कहाँ तक हुई है ?

(4) क्या इस जिले में पूर्व में भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब कौन-कौन सी घटनाएं हुई और उसमें सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 23 फरवरी, 1995 को ग्राम खींवसर जिला-नागौर में आयोजित परिवार कल्याण शिविर में श्रीमती जानकी पत्नि श्री मालाराम जाति कुम्हार निवासी गांव मगेरिया तहसील भोपालगढ़ जिला-जोधपुर का नसबन्दी आपरेशन डा. पी. डी. पुरोहित वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) राजकीय चिकित्सालय नागौर कर रहे थे, आपरेशन के दौरान ही श्रीमती जानकी "पेरीटोनियल शॉक ड्यू टू वासा वेगल स्टीमूलेशन कॉजिग कारडियक अरैस्ट" (Peretonial shock due to Vasa Vagal stimulation causing Cardiac arrest.) के कारण मृत्यु हो गई ।

(2) इस मामले में जाँच की गई, जिसमें किसी को भी दोषी नहीं पाया गया अतः किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । जाँच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) नसबन्दी से हुए मृत्यु प्रकरणों में मृतक/मृतका के वारिस को निर्धारित राशि जो वर्तमान में रुपये 20,000/- है, अनुग्रह के रूप में भुगतान की जाती है, एवं प्रकरण की जाँच 4 सदस्यीय चिकित्सकों की समिति से करवाई जाती है । जाँच में यदि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबदी आपरेशन के सम्बन्ध में केस का नसबन्दी आपरेशन हेतु चयन किये जाने से

(चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री)

लेकर उसके आपरेशन पश्चात् पूर्ण स्वस्थ होने तक अपेक्षित सभी प्रकार की सावधानी का ध्यान रखने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश उनकी पूर्णतः पालना किये जाने हेतु समय-समय पर दिये गये हैं।

(4) गत पांच वर्षों में घटित ऐसी घटनाओं का विवरण संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उचित मूल्य की दुकानों हेतु निगरानी समितियां

379. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं जोधपुर शहरों में दैनिक वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, दालें और कपड़े के मूल्यों में जनवरी 1991 से जनवरी 1995 तक कितनी बढ़ोतरी हुई है और उनका प्रतिशत क्या रहा? विगत छः माह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये और इसमें कितनी सफलता मिली?

(3) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों से प्रति व्यक्ति प्रति माह गेहूं शक्कर, कपड़ा देने की क्या नियन्त्रित व्यवस्था है और कितने परिमाण में प्रति व्यक्ति प्रति माह उक्त वस्तुयें उपलब्ध करायी जाती है? क्या इसमें वृद्धि करने से बाजार में बढ़ रहे मूल्यों पर नियन्त्रण करने में सहायता मिल सकती है?

(4) सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराये जाने वाले उपभोक्ता सामान की मात्रा विगत 10 वर्षों में कितनी बार कितनी-कितनी बढ़ाई गई? क्या सरकार पुनः राशन के सामान की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी के लिये क्या निगरानी समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो गठित निगरानी समिति में कौन-कौन पदाधिकारी होते हैं तथा उनकी उपलब्धियां विगत दो वर्षों में क्या रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं जोधपुर शहरों के दैनिक वस्तुओं यथा गेहूं, चावल, चीनी, दालें एवं कपड़े के मूल्यों का विवरण जनवरी, 1991 से जनवरी, 1995 प्रति वर्ष के भावों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

जनवरी, 1991 को आधार 100 मानकर जनवरी, 1995 की कीमतों का

(खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री)

प्रतिशत दिया गया है। मात्र दाल उड़द में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जो 178% से 254% तक है, शेष में सामान्य वृद्धि है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि रोकने एवं बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा नहीं हो सके, खाद्य व्यापारी काला बाजारी एवं जमाखोरी नहीं करने पावे इसकी व्यवस्था की जाती है। विभाग द्वारा समय-समय पर जिला कलक्टरों एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिये जाते रहे हैं एवं राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मोनीटरिंग/नियंत्रण कक्ष आदि की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यवस्था द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

(3) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों से प्रति व्यक्ति प्रति माह गेहूं 10 किलो, शक्कर 425 ग्राम, समान रूप से देने के राज्य सरकार के आदेश है, किन्तु जिला कलक्टरों द्वारा उपलब्धता एवं मांग के आधार पर कमी-बेशी कर सभी उपभोक्ताओं को नियंत्रित वस्तुओं का लाभ पहुंचाया जाता है। उपरोक्त वस्तुओं में केन्द्रीय सरकार वृद्धि कर देती है तो आवश्यक रूप से सहायता मिल सकती है। गत कई वर्षों से नियंत्रित कपड़े का आबंटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। नियंत्रित कपड़े की बुनकर सहकारी समिति एवं हाथकर्घा उद्योग द्वारा ही मांग के अनुरूप सीधे जिलों को आपूर्ति की जाती है।

(4) राज्य सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में नियंत्रित वस्तुओं की वितरण मात्रा में कोई कमी या वृद्धि नहीं की गई है। नियंत्रित वस्तुओं के राज्य कोटे में अगर भारत सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है, तो उपभोक्ताओं की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

(5) जी हां। निगरानी समितियों के गठन की प्रक्रिया चार स्तरीय है, जिसमें—

(i) जिला स्तरीय निगरानी समिति, जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर।

(ii) उपखण्ड स्तरीय उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष,

(iii) तहसील स्तरीय तहसीलदार अध्यक्ष एवं

(iv) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सदस्य स्वयं अध्यक्ष चुनेंगे। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए 5 सदस्य सम्मिलित होते हैं। शहरी क्षेत्र में सदस्य सम्बन्धित वार्ड का स्थाई निवासी होना ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। जिला, उपजिला व तहसील स्तर की कमेटियों में सदस्यों

(खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री)

का मनोनयन जिला कलक्टर करते हैं। इस हेतु प्रस्ताव उप-जिलाधीश व तहसीलदार से प्राप्त किये जा सकते है। राशन की दुकान स्तर की कमेटी के सदस्यों का मनोनयन तहसीलदार करेंगे। महिला / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/उपभोक्ता संरक्षण परिषद्/समाज सेवक आदि को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। निगरानी समति अपने क्षेत्र में नियंत्रित वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ताओं को देती है एवं वस्तुओं का वितरण सही व समय पर कराती है। वर्तमान में राज्य में 16242 उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समितियाँ गठित की गई है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट--20 देखें।)

महेश एन्टरप्राइजेज, दौसा द्वारा जारी गैस कनेक्शन्स

380. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के डीलर महेश एण्टरप्राइजेज, दौसा द्वारा वर्ष 1991 से 1995 तक कितने गैस कनेक्शन जारी किये गये ? जारी किये गये कनेक्शनों के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही कि वर्ष 1992 में बुकिंग किये हुए आवेदकों को भी कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रेशन नम्बर 2821 जो दिनांक 20 अगस्त, 1992 को बुक कराया गया था, को कनेक्शन जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो जारी कनेक्शन के अलाटमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो अब कब तक इन्हें कनेक्शन जारी कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के डीलर महेश एण्टरप्राइजेज, दौसा द्वारा वर्ष 1991 से 92 तक कुल 1678 गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं। जारी किये गये कनेक्शनों के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1992 में बुकिंग हुए सभी आवेदकों को गैस कनेक्शन जारी नहीं किये गये है। महेश एण्टरप्राइजेज, दौसा द्वारा दिनांक 5-6-91 से बुकिंग चालू की गई थी। उक्त एजेन्सी द्वारा दिनांक 4-4-92 तक की बुकिंग क्रमांक 1400 तक के उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन जारी करने हेतु इन्डेन्ट पत्र जारी किये जा चुके है। रजिस्ट्रेशन नम्बर 2821 जो दिनांक 20-8-92 को बुक करवाया गया था, को कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा कनेक्शनों का आवंटन प्राप्त होने पर वरीयता के आधार पर उक्त रजिस्ट्रे-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

शन नम्बर 2821 को कनेक्शन दिया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विभागीय छात्रावास

381. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास कहां कहां कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार ग्राम बिछोछ, मित्रपुरा, पिपलवाड़ा, बरनाला में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बौंली तथा बामनवास में छात्रावास संचालित है।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय आवश्यकता के आकलन के पश्चात् विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना व पूंजी संरचना

382. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना के समय पूंजी संरचना का ढांचा क्या रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में निगम के उद्देश्य की पूर्ति एवं निगम को चलाने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त की गई एवं उस राशि को निगम द्वारा किस-किस मद में खर्च किया गया ? निगम द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व (2) राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0, की स्थापना के समय अधिकृत पूंजी 5.00 करोड़ रुपये थी जिसमें ए, बी एवं सी श्रेणी के सदस्यों के लिये पूंजी संरचना क्रमशः तीन करोड़, एक करोड़ एवं एक करोड़ रुपये थी।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

		राशि (लाखों में)	
प्राप्त राशि का प्रकार	1992-93	1993-94	1994-95
विशेष केन्द्रीय सहायता	1130.66	1153.10	602.79
भंगी कष्ट मुक्ति एवं पुनर्वास	576.50	—	—
हिस्सा पूंजी	15.67	17.11	10.00
मैचिंग सहायता	21.58	22.98	11.77

यह राशि निगम के संस्थापन व्यय के अतिरिक्त निगम द्वारा संचालित विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय किया गया है। वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 एवं 1994-95 में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर निगम द्वारा क्रमश: 931.84, 960.61 एवं माह फरवरी, 95 तक 2428.00 लाख रुपये व्यय किये गये। निगम की व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से वर्ष 1992-93 में 48524 वर्ष 1993-94 में 54876 तथा वर्ष 1994-95 में फरवरी, 95 तक 60304 अनुसूचित जाति के परिवार लाभान्वित हुए।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अग्निकाण्डों में हुए नुकसान की आपूर्ति

383. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 1990 से अब तक कितने परिवारों के साथ अग्निकाण्ड की दुर्घटनाएं घटित हुई। उनमें से कितने कितने लोगों का कितना-कितना नुकसान हुआ ?

(2) सरकार द्वारा कितने-कितने रुपये की सहायता किन-किन व्यक्तियों को प्रदान की गयी ? कितने लोगों को यह सहायता प्रदान नहीं की गयी एवं इसके क्या कारण रहे ? क्या सरकार शेष रहे लोगों को भी सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? सहायता प्राप्त एवं सहायता अप्राप्त लोगों के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने झोंपड़ी बीमा योजना लागू की है ? यदि हां, तो कब से तथा कहां-कहां इसे लागू किया गया ? इस योजना के क्या प्रावधान हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को पटवारी, एफ. आई.

(64)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

आर., तहसीलदार एवं गिरदावर की रिपोर्ट आदि की जांच के बिना उनको सहायता राशि नहीं मिलती है ?

(5) क्या सरकार पंच एवं सरपंचों को भी यह अधिकार दिये जाने तथा इस प्रक्रिया को और सरल बनाने का विचार रखती है ?

(6) क्या सरकार अग्नि पीड़ित व्यक्ति की नष्ट हुई सम्पत्ति की मुआवजा राशि और बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ? नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उक्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इसकी सही समय पर पालना की जाती रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके भुगतान में कितना समय लगता है एवं भुगतान किस अधिकारी द्वारा किया जाता है ?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 1990 से अब तक कुल 666 परिवारों के साथ अग्निकाण्ड की दुर्घटनाएं घटित हुई। नुकसान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–"अ", "ब")

(2) राज्य सरकार द्वारा 304 परिवारों को सहायता प्रदान की गई एवं 362 परिवारों को यह सहायता अग्निकाण्ड आवासीय घारों में नहीं होने तथा विभागीय मापदण्डों के अनुसार आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण प्रदान नहीं की गई। अग्नि सहायता गरीबी की रेखा से नीचे यापन करने वाले ऐसे परिवारों को ही देय है जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 11,000/—रुपये से अधिक नहीं हो। सहायता प्राप्त एवं सहायता अप्राप्त लोगों के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं। (परिशिष्ट—-"अ", "ब")

(3) जी हां। भारत सरकार ने झोपड़ी बीमा। मई, 1988 से पूरे देश में लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 4,800/—रु0 से कम हैं, को उनकी झोपड़ी और झोपड़ी में रखे सामान को केवल आग से हानि हो जाने पर झोपड़ी मालिक को ओरियण्टल बीमा कम्पनी झोपड़ी के लिए 1,000/— तक तथा झोपड़ी में रखे सामान के लिए रुपये 500/— तक देती है। परन्तु यदि आग किसी अपराधिक आशय से किसी कानून को तोड़ने के कारण लगी हो या ऐसी आग से हुये नुकसान के लिए सरकार ने 1,500/— से अधिक मुआवजा दिया हो तो यह राशि नहीं दी जाती है। यदि सरकार ने मुआवजा 1,500/— रुपये से कम दिया है, तो शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा दी जाती है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"स")

(4) जी हां, यह सही है कि अब तक

(सहायता राज्य मंत्री)

की प्रक्रिया के अनुसार पटवारी गिरदावर एवं तहसीलदार की जांच एवं एफ. आई. आर. भी अपेक्षित थी। अब विभाग द्वारा अग्नि पीड़ित द्वारा पुलिस में रिपोर्ट कराने की शर्त हटा दी गयी है। केवल एस. डी. ओ. की प्रशासनिक जांच पर्याप्त होगी।

(5) पंच एवं सरपंचों को अधिकार देना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(6) आर्थिक सहायता दिये जाने के मापदण्ड मई, 1992 में ही संशोधित किये गये हैं तथा इन प्रावधानों के तहत समुचित सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(7) जी हां, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इसकी सही समय पर पालना का प्रयास किया जाता है। अग्नि पीड़ित की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा उसकी जांच समय पर की जाकर बाद स्वीकृति राशि तहसीलदार के माध्यम से भुगतान करायी जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

चारा परिवहन व्यय अनुदान की बकाया

384. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पूर्व के वर्षों के अकाल के समय के पशु चारा परिवहन व्यय की राशि का पूरा भुगतान अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो नागौर जिले में किस-किस संस्था की कितनी कितनी राशि के चारा परिवहन व्यय अनुदान की कब-कब से बकाया है?

(2) उपरोक्त राशि इतने लम्बे समय तक बकाया क्यों रखी गयी? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में बकाया चारा परिवहन अनुदान की राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) उपरोक्त राशि से सम्बन्धित क्लेम अपूर्ण या सन्देहात्मक होने के कारण बकाया है। इस सम्बन्ध में विभागीय आडिट भी कराया गया था व उनके आक्षेप के कारणों से इनका भुगतान अब तक नहीं हो सका। अब ऐसे मामलों की जांच की जाकर अंतिम निर्णय की कार्यवाही जिला कलक्टर, नागौर द्वारा की जा रही है जो लगभग अगले तीन चार महीनों में पूर्ण होना संभावित है। जैसे जैसे जिला कलक्टर, नागौर जांच पूर्णकर अंतिम निर्णय लेगें उसके तुरन्त पश्चात् जांच के आधार पर जो भी भुगतान

(66)

(अकाल राहत मन्त्री)

योग्य बनता होगा भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न होने के कारण व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है।

(1) श्री रामनारायण, व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र की ऐंबरा माइनर की टेल पर हुए भूमि कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगदीप धनखड़ व छह अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर परिषद के विजयी पार्षद श्री फतेह सिंह मेव के भतीजे श्री जाकिर हुसैन की जघन्य हत्या के मामले की जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम कल्याण खेड़ा तथा बहड़ावली की नाकाबिल काश्त भूमि वन विभाग को एवं वन विभाग के नाम पर अंकित तथा किसानों के कब्जे काश्त की भूमि राजस्व सिवाय चक में तबदील करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर कस्बे के पब्लिक हैल्थ सेण्टर की दशा अत्यधिक खराब होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद, उदयपुर की सीमा में हो रहे अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में सड़कों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला अलवर के कस्बा नौगावां में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1979 में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कोटा में मकान आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त भी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके लिए आवासों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील के कस्वे गुढ़ा गौड़जी में सब तहसील कार्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भंवरसिंह डांगावास, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के 80 प्रतिशत गांव एवं शहरों में पेयजल का गंभीर संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी के निकट ही शिवगंज कृषि उपज मंडी बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले की मांडल नवा आदि माइन्सों में कार्यरत हजारों मजदूरों के मैनेजमेंट के कारण बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में विश्वस्तर की रत्न आभूषण हाट विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन से सम्बद्ध मुद्दों के सम्बन्ध में।

(12) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के सर्वेशुदा तालाब व एनीकटों पर निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(13) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील जायल के ग्राम सुरणलिया से

(श्री अध्यक्ष)

हुडास तक 10 कि.मी. की सड़क के कच्चा होने से आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(14) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोबनेर की बबेरवालों की ढाणी में दिनांक 12-1-95 को एक महिला की हत्या करने वाले हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम मण्डावरी के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की सराड़ा व रायपुर तहसीलों की पेयजल योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

(17) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

(18) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के कतिपय गांवों की पेयजल योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आसन जब पैरों पर होता है तो माननीय मंत्री गण उठकर बाहर जाते हैं, आते हैं, थोड़ा सा उनको सिखायें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज काफी काम है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य डिबेट में भाग लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्था दीजिये आप इस पर। जब आसन पैरों पर हो तो .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रियों की बात नहीं है, यह सबकी बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सदन की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं.... (व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस सदन की स्वस्थ परम्पराओं का है। सदन की परम्पराओं को बनाये रखने में मदद कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, व्यवस्था दें।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव माननीय सात सदस्यों ने कल आपको 4 बजे प्रस्तुत किया है यहां सचिवालय के अन्दर । उस स्थगन प्रस्ताव पर आपकी कोई व्यवस्था नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : कल ।

श्री लक्ष्मण सिंह : जी हां, कल शाम को स्थगन प्रस्ताव दिया है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है । उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के सचिवालय से एक गुप्त और अत्यावश्यक पत्र 23 फरवरी को मुख्य सचिव, राजस्थान के पास भेजा गया है । बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है । .... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कल मैं देख लूंगा ।

श्री लक्ष्मण सिंह : गुप्त पत्र, अत्यावश्यक पत्र की कापियां सर्कुलेट की गयी हैं । उस पत्र के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, यह लिखा गया है कि राजस्थान के कई मंत्री खाड़ी देशों में जाते हैं और यहां पर प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए पैसा लेकर आते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य, कल देख लेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव के ऊपर आप व्यवस्था दीजिये । वह गुप्त पत्र कैसे सर्कुलेट हो गया ? राष्ट्रपति जी के यहां से एक गुप्त पत्र आया हुआ सर्कुलेट कैसे हो गया इसकी व्यवस्था दीजिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा (व्यवधान)....

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, गुप्त पत्र को सर्कुलेट कैसे कर दिया ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है । खाड़ी देशों में कौनसे मंत्री जाते हैं और पैसा लेकर आते हैं, इसके बारे मे कम से कम स्पष्टीकरण तो हो इस सदन में । ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में चैम्बर में आकर बात कर लें । ...(व्यवधान).... वैसे यह रूल 50 के तहत तो नहीं है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : एक गुप्त पत्र सर्कुलेट कर दिया गया है । उसकी साइक्लोस्टाइल करके सैंकड़ों कापियां बन गयी हैं । मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने गुप्त पत्र को सर्कुलेट कर दिया और आप कहते हैं कि चैम्बर में बात कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य । आज ज्यादा बिजनस है । बिराजिये, माननीय सदस्य को-आपरेट करें ।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप व्यवस्था तो दीजिये कि आप इस पर क्या करना चाहते हैं । हम इसके ऊपर अभी तुरन्त कोई निर्णय नहीं चाहते लेकिन आपकी व्यवस्था की

(श्री लक्ष्मण सिंह)

अपेक्षा है। आप इसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं सबको जल्दी-जल्दी मौका देना चाहता हूं। थोड़ा को-आपरेट करें। कल, आज आप चैंबर में मिल लें।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पेयजल स्थिति के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्दर आसीदा में तीन हैंड पम्प लग गये हैं और उन तीनों हैंड पम्पों में पीने योग्य पानी नहीं निकला और आज भी वहां के रहने वाले लोग, माता और बहनें डेढ़ किलोमीटर दूर छापोल गांव के पास से पानी लाते हैं। गत वर्ष जब माननीय उप मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में कोटा में पेयजल समस्या के समाधान के लिए वहां पर मीटिंग ली गयी तब मैंने उस समय भी इस बिन्दु को उठाया था और माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन आज दिन तक कोई समाधान नहीं हुआ।

इसी तरह से जो निमोला ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर है वहां पर 8 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं। उनमें दो हैण्ड पम्प चालू हैं और 6 हैण्ड पम्प आज भी खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामवासियों को काफी समस्या हो रही है।

अयाणा पंचायत हैड क्वाटर है, वहां पर पीने के पानी की काफी समस्या है। निमोला, अयाणा, तला और लौबद, चार पेयजल स्कीम, नल योजनाओं के लिए पिछले काफी लम्बे समय से डिपार्टमेंट के पास सैंक्शन के लिए भेजी गयी हैं लेकिन आज दिन तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनको ठीक करवाने के लिए व्यवस्था करें। नल योजनाओं के लिए चार स्कीम बनाकर के भेजी गयी हैं उनको सैंक्शन करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी।

श्री **गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान बीसलपुर परियोजना में जो विस्थापित हैं उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस योजना की ऊंचाई 302 से बढ़ाकर 304 मीटर करने, जिससे जयपुर को पानी मिल सके, सरकार की योजना है और इसको बढ़ाने से करीब चार हजार आदमी और 14 गांव विस्थापित होंगे और उनको पुनःस्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष

71

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

महोदय, इसको ऊपर बढ़ाने के लिए जो पानी एकत्र होगा, उस पानी का उपयोग किस प्रकार से होगा इसकी भी कोई योजना अभी तक नहीं है। जयपुर में पाइप लाइन नहीं डाली गयी है। जयपुर की योजना भी विश्व बैंक से सैंक्शन नहीं हुई है। इसी तरह से जो सिंचाई के लिए पानी देने का है उसके लिए नहरों का निर्माण भी अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए बांध को ऊंचा उठाकर जो लोगों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए मैं सरकार से चाहूंगा कि वह कुछ कार्यवाही करे।

उपाध्यक्ष महोदय, 17-11-1994 को मुख्य सचिव जी ने इस पूरी समस्या के सम्बन्ध में एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में कुछ निर्णय लिये गये थे। उन निर्णयों का पालन करने के लिए....

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। सदन की व्यवस्था यह है कि एक मामला यदि सदन के अन्दर उठा दिया गया है तो उसको दुबारा नहीं उठाया जा सकता। यह बीसलपुर का मामला परसों ही आ चुका है। फिर उसी बात को माननीय बीना काक ने उठाया है और उसी मामले को आज फिर उठाया जा रहा है। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपा करके व्यवस्था दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं दूसरी बात कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने खास मुद्दा रख रहा हूं। 17-11-94 को मुख्य सचिव जी ने एक मीटिंग ली थी और उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे। उन निर्णयों की पालना नहीं होने से आज यह चार-पांच हजार विस्थापित लोग विधान सभा के सामने आये हुए हैं—

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको सुनें और उनकी समस्याओं को हल करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला क्योंकि इससे रिलेटेड है दुबारा देंगे तो वह मामला बैठेगा नहीं। मैंने सबसे पहले दिया है आज आपको मैंने पर्सनली दिया है, मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, दिया है।

श्री रामनारायण : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलें। मोदी साहब, विराजें आप।

श्री रामनारायण : फिर वह लिंक टूट जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह मामला दुबारा क्यों उठा, थानागाजी

(श्री रामनारायण)

से आने वाले माननीय विधायक महोदय कानून तो ज्यादा समझते हैं लेकिन बीच में तो नहीं बोलना चाहिए।

श्री रमाकान्त : व्यवस्था का प्रश्न तो बीच में ही होगा।

श्री रामनारायण : समझदार हैं। आप मंत्री बनेंगे और उस कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद बीच में बोलना छोड़ देंगे। इसलिए आप बोल रहे हैं ताकि सरकार ध्यान दे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप इस आशा में न रहें, वह भैरोंसिहजी हैं, वे आप जैसे को मंत्री बनाने वाले नहीं हैं। मैं निवेदन कर रहा था बीसलपुर का मामला साधारण मामला नहीं है। आज आप देखें कि सरकार कोई सुन रही हो, सरकार में कोई दमखम हो, सिंचाई मंत्री जी को यह मालूम पड़ा बीसलपुर का मामला था। हजारों की संख्या में किसान यहां खड़े हैं। औरतें हजारों की संख्या में हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है, भारत सरकार इसमें चिट्ठियां लिखती है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष चिट्ठियां लिखते हैं, जल संसाधन मंत्रालय इसमें चिट्ठियां लिख रहा है कि राजस्थान सरकार इसमें राजनीतिकरण नहीं करे, राजनीतिक रूप नहीं दे। विश्व बैंक से जो पैसा आ रहा है, भारत सरकार का पैसा रहा है उसको ईमानदारी से खर्च करे। राजस्थान सरकार इसका पोलिटिकलाइजेशन कर रही है। 368 गांव काट दिये गये हैं और काश्तकारों का नाम लेते हो। जब कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि आप चम्बल का पानी ईसरदा में डालिये और उससे पानी दीजिये तो मेरा जहां तक ख्याल है टोडारायसिंह के जो विधायक हैं या मंत्री महोदय हैं, वह भी इस बात को महसूस करेंगे। आप मंत्रिमण्डल में बैठे हैं, आप जनता के साथ बेइमानी कर रहे हो, इसलिए बेईमानी कर रहे हो कि आपने एनीकट बनाने की इजाजत दे दी। मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। पानी लाने की बात करो। चक्कर यह पड़ रहा है, आज क्यों आया है? किलों का, गढ़ों का तो लाखों रुपया मुआवजा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्यों दिया जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हो। एक काश्तकार जिसका कुआं आज एक लाख रुपये के बिना नहीं बन सकता, सहकारिता मंत्रीजी इस बात को जानते हैं। ईमानदार काश्तकार कुआं नहीं खोद सकता, एक लाख रुपये उसको नहीं दिये जाकर दो हजार रुपये दिये जा रहे हैं, चार हजार रुपये दिये जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण : यह किसानों के साथ ज्यादती हो रही है इसलिए औरतें आयी हैं। यही नहीं यह नियम बना दिया है कि चार एकड़ दी जाएगी। हजारों की संख्या में खड़े हैं। मैं तो आशा करूंगा आपसे कि आप मुख्य मंत्रीजी से कहें सिंचाई मंत्रीजी से कहें। पंचायत राज

(श्री रामनारायण)

मंत्रीजी जाकर उनसे मिलें, आपके इलाके के काश्तकार हैं, आप जाकर उनसे मिलिये....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री रामनारायण : संकट यह आ रहा है यह नियम बना दिया है एक परिवार को चार एकड़ यदि जमीन दी जायेगी तो दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री रामनारायण : एक परिवार में 20 सदस्य हैं । 20 में चार एकड़ जमीन का क्या होगा । मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है और मुआवजे में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वह सारे सदन की जानकारी में है, अखबारों की जानकारी में है । पटवारी को तो आप सस्पैंड कर दें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजें आप ।

श्री रामनारायण : नहीं, यह उनकी मांग है । मामला बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पूरा बोलने दिया है, बिराजिये ।

श्री रामनारायण : यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसके....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खड़े मत होइये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मामला बहुत महत्वपूर्ण है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी खुद ही अपनी बात कहने में पूरे सक्षम हैं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, विस्थापितों की बस्तियां डूब रहीं हैं, उनकी जमीन डूब गयी, सिंचाई का कोई साधन नहीं रहा, यह मामला महत्वपूर्ण है, बोलने दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री रामनारायण : मामला यह है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अधिकारियों को बचाया जा रहा है । जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको बचाया जा रहा है । आई. ए. एस. अधिकारी मुआवजे के करप्शन में शामिल हैं, सीनियर स्केल के आफिसर शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है इसलिए इस मामले पर सदन में पूरे एक दिन की तिथि निर्धारित की जाए क्योंकि बीसलपुर का मामला पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है ...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री रामनारायण : यह जयपुर से जुड़ा हुआ नहीं है, ब्यावर से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे कोटा सम्भाग से है और जयपुर

(श्री रामनारायण)

सम्भाग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें सारा राजस्थान इन्वाल्व है....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये न आप।

श्री रामनारायण : सरकार को आदेश दें, इस बारे में समय निर्धारित किया जाए। किसानों का जाकर हाल सुनें....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह हमारे से जुड़ा हुआ मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने दिया है शून्यकाल में, शून्यकाल में कोई डिबेट थोड़ी करवानी है मुझे। विराजिये आप माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : किसानों का मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल लिये हैं। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, गलत प्रविष्टियां करके लगभग 90 लाख रुपये का फर्जी भुगतान हो गया और दो करोड़ रुपये का घोटाला, अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आया है। उस सबके बावजूद भी राजस्थान की सरकार उन विस्थापितों के साथ अन्याय करने पर तुली हुई है। जब यह बांध बना उससे पहले विस्थापितों को बसाने की बात थी वह आज तक नहीं हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : वे दर-दर भटक रहे हैं और इसके बावजूद बांध के स्तर में हमेशा परिवर्तन किया जा रहा है और जिन विस्थापितों को अब तक नहीं बसाने की बात, पोंग बांध के नाम पर उनको भेजा जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अनुमति नहीं दी है तो फिर नहीं दी है। विराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो कि वहां सम्भव नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आप इस गंभीर मामले पर चर्चा करवाइये। हजारों लोगों की रोजी रोटी, भुखमरी का सवाल है जो बाहर आये हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये अभी। अब विराजिये माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जिले के लोग हैं, टोंक जिले के लोग हैं, उन सबकी समस्याएं गंभीर हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। शांतिलाल जी।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा था आपने।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपका आ रहा है। श्री शांतिलाल जी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (पंचायती राज राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा रेफरेंस आया है। माननीय सदस्य ने मुझे रेफर किया है और मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि किसानों को पूरा उचित मुआवजा मिलना चाहिये, जमीन मिलनी चाहिये, उनको ठीक जगह बसाना चाहिये और इसमें राज्य सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है लेकिन....(व्यवधान) एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला....

श्री रामनारायण (नैनवां) : चम्बल का पानी ईसरदा में आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी बात भी सुनिये आप, विराजिये। मैंने आपको बात कहने की पूरी अनुमति दी है, छूट दी है तो दूसरों की बात सुनने का थोड़ा माद्दा भी रखिये आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सरकार कितनी इसमें जागरूक और सचेत है, सरकार बनते ही मैंने खुद ने जाकर बीसलपुर में अधिकारियों की बैठक ली, किसानों को बुलाया, गांवों में जाकर मुआवजा देने के निर्देश दिये। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये। माननीय सिंचाई मंत्री जी मैं, और मुख्य सचेतक जी तीनों बीसलपुर गये, अधिकारियों को ले गये, वहां बैठक ली। वहां उनकी समस्याओं का निराकरण करवाया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी वहां गये बीसलपुर में, वहां निर्देश दिये....(व्यवधान) आप सुनिये....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उन निर्णयों की पालना तो करा दीजिये।

श्री रामनारायण : लोग क्यों यहां पर आये हैं आज.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, विराजिये आप। माननीय गुर्जर साहब, विराजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप पालना क्यों नहीं कराते उनको।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ यह है कि उन किसानों को बिना बिचौलियों के पैसे मिले और बिना बिचौलिये के जमीन मिले ....(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मेरा आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। पहले इन्होंने एक दुकान खोली संघर्ष समिति के नाम से, पैसा सरकार का खा गये। करोड़ों रुपयों के उसमें घोटाले हुए और गरीब लोगों का पैसा खा गये....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कार्यवाही करो।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : कर रहे हैं कार्यवाही....

श्री परसादीलाल मीणा : क्या सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : क्यों नहीं कर रहे हो कार्यवाही? क्यों नहीं करते हैं कार्यवाही....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक करोड़ नब्बे लाख रुपये का भुगतान हुआ और अन्वेषण ब्यूरो ने जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : अन्वेषण ब्यूरो ने घोटाले की जो रिपोर्ट दी है उसकी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है इसके पीछे क्या कारण हैं? यह जानना चाहते हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप.... (व्यवधान) खोइवाल साहब।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सरकार ने जांच करायी, दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। कांग्रेस की कमेटी थी, दूसरी यह भी कांग्रेस की कमेटी है जिसमें मेधा पाटेकर भी....

श्री रतनलाल ताम्बी : अन्वेषण ब्यूरो ने जो रिपोर्ट दी उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मेधा पाटेकर कहां से चलकर कहां आयी है। इनकी चिन्ता है कि वह बांध नहीं बने, राजस्थान को पानी नहीं मिले.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं ....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, 1976 में आपकी क्या स्थिति

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

थी और आज क्या स्थिति है। आप खुद की स्थिति देखिये, 1976 में आपकी क्या स्थिति थी ...(व्यवधान) आज क्या स्थिति है। आरोप लगा रहे हैं, असत्य आरोप लगा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कांग्रेस पार्टी पर असत्य आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी का नाम असत्य लगा रहे हैं। इस तरह के एलीगेशन, आपको जो कुछ कहना है आप स्पष्ट कहिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी: अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट सदन की मेज पर लायी जाए। वह रिपोर्ट सदन की मेज पर लायी जाए और कार्यवाही करायी जाए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी माली हालत सही थी क्या ? आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, आज आपकी स्थिति कैसे हो गयी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को, मंत्रीजी को कहिये, वह हजारों भुखमरी के शिकार किसान बाहर खड़े हैं। एस. सी., एस. टी. के लोगों को विस्थापित बना दिया, उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया, जमीन नहीं दी और करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया। उस पर सरकार टैक्स बचा रही है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिना अनुमति के मर्जी आये तब खड़े होकर बोलने लग जाते हो आप लोग। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैंने आपको सुन लिया है। पूरी बात सुन ली है, उसके बावजूद भी बोले जाएंगे। माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप गृह मंत्री को निर्देश दीजिये कि अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट सदन की मेज पर लायी जाये। यह +++ सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये आप। बिराजिये अब आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : आन. ए. पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : इनके इलाके के लोग हैं, इनकी बात को

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

सुनना नहीं चाहते हैं इनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं कमीशन नहीं खाने दूंगा....

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तो किसी को मत खाने दो, जो खाये उसको निकाल दो....

श्री रामनारायण : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप चलो मंत्रीजी, आप में हिम्मत है, नीचे चलो....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : चलिये........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या चाहते हैं कि शून्यकाल में कोई बात नहीं ली जाए, या आपकी मर्जी आये वही ली जाए ?

श्री रामनारायण : पाइण्ट आफ आर्डर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको पूरा समय देकर कोई बात कहलवा रहा हूं....

श्री शैलेन्द्र जोशी : सम्बोधित कीजिये न बाहर जाकर। आप तो संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मंत्री हैं। वह विस्थापित आये हैं जिनकी जमीन डूब गयी है, मकान डूब गये हैं उनको जाकर आप सम्बोधित करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मानवीय संवेदना का सवाल है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बताइये आपकी संवेदनशीलता का परिचय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराजियें आप....

श्री परसादीलाल मीणा : क्या यह सरकार का जवाब है ? अगर मंत्रीजी में हिम्मत हैं तो उनको जाकर सम्बोधित करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : करिये न आप चलिये सम्बोधित करिये उनको, हिम्मत है तो करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्रीजी कह रहे हैं कि दस हजार आदमियों को किराये पर लाये हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ताम्बी साहब, बिराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप गांव चले जाएं, एक-एक गांव के लोग वहां के आये कि नहीं या किराये के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ताम्बी साहब, बिराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, यह कह रहे हैं किराये के इकट्ठे कर लिये दस हजार आदमियों को। यों ही आ जाते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने मंत्रीजी का नाम लिया, मंत्रीजी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया....

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्रीजी अपने शब्द वापस लें। यह मंत्रीजी ने कहा है कि वह किराये के लोग थे दस हजार आदमी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप इनको बाहर भेजिये सम्बोधित करने के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप मंत्रीजी को भेजिये। किराये पर कौन थे, मैं जानता हूं, यह भी जानते हैं एक-एक को, फिर यह बात करिये....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मेरा भाषण से क्या लेना देना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ताम्बी साहब, मैं आपको 25 बार टोक चुका हूं। आप, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, वह किराये के लोग बता रहे हैं उनको।

श्री परसादीलाल मीणा : यह जमवा-रामगढ़ के रहने वाले हैं, आपको क्या लेना देना है टोंक में? क्या लेना देना है? टोंक में क्यों जाते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या लेना देना है टोंक में?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। परसादी लाल जी, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट आफ आर्डर, सर (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को रोकिये। यह अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप व्यवस्था तो दें। उपाध्यक्षजी, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाइये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय, आप सुन तो लो थोड़ा, आप ही का पाइंट आफ आर्डर है।

एक माननीय सदस्य : आप कुर्सी को सम्बोधित करो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे और नाथूसिंहजी के बीच की बात है। आप क्या पंचायती कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह विधान सभा की गरिमा का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर मेरा यह है माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने हाउस से सातवीं विधान सभा में व्यवस्था इसी सब्जेक्ट पर दिलायी और यहां की रुलिंग हुई और मैं यह चाह रहा हूं कि जो भी मंत्री महोदय ने उस रुलिंग के तहत उस समय डिलीट करवाया तो इनका जो भी आरोप लगा है और जो भी यह बोले हैं उस रुलिंग के तहत यहां से एक्सपंज होना चाहिये। बिना प्रस्ताव, बिना सूचना, बिना कारण व बिना विचारणीय विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। श्री नाथू सिंहजी, सदस्य विधान सभा ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कुछ समय पहले सदन में मंत्री महोदय पर कुछ आरोप लगाये गये हैं किसी माननीय सदस्य द्वारा। उसके पश्चात् माननीय मंत्री महोदय ने उसका प्रतिवाद किया प्रतिवाद करने के पश्चात् माननीय सदस्य ने अपने आरोप साबित करने की सदन में मंत्री महोदय को चुनौती दी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह मामला बड़ा गम्भीर है और चूंकि यह भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला सदन में आ चुका है, यह सदन की प्रोपर्टी हो गया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं, सदन जानना चाहता है कि इसमें वास्तविकता क्या है ? हम लोग अंधेरे में हैं इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप सदन की एक कमेटी बनायें इत्यादि इत्यादि। उस समय, अध्यक्ष की व्यवस्था यह रही, जो कुछ भी मंत्री महोदय ने उस समय टोका टाकी की, वह सब एक्सपंज हुई और उसके तहत मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मंत्री महोदय ने यहां टिप्पणी की है, इस हाउस की प्रोसीडिंग्स से उसको एक्सपंज किया जाए।

एक माननीय सदस्य : इनको प्रताड़ना दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने रूलिंग दी है। उन्होंने आपको बता दिया, आपने वही का वही कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप अपना ध्यान लगाइये, इनकी बातों में मत आइये और न उधर ट्रेजरी बैंचेज की बातों में आइये उपाध्यक्षजी, यह डुबोयेंगे आपको।

एक माननीय सदस्य : आपका इतिहास लिखा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब नेक्स्ट लीजिये (व्यवधान) यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण (नैनवां) : आरोप लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में कोई बात आ गयी है। बात आ गयी तो इन्होंने भी बात कही। आपने भी बात कही। इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसलिए नहीं बैठूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शांतिलालजी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक सैकण्ड उपाध्यक्षजी, हाउस में (व्यवधान) प्लीज एक मिनट, कौन सी रूलिंग दी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह रूलिंग दे दी है कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बिराजिये आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : इनके लोग मुआवजे का पैसा खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुआवजे का पैसा खा रहे हैं। जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जब गवर्नर महोदय इन मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्षजी, यह रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते। रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप विधान सभा की प्रक्रिया नियमों के माध्यम से आइये····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य। मैंने आपकी बात सुनी है। बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रक्रिया के नियमों से आप कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शांतिलालजी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इनको बुलवा रहा हूं आपका इनके बाद ले रहा हूं।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजसमंद जिला मुख्यालय कलक्ट्रेट परिसर में भवन निर्माण करने के लिए कुछ जमीन अवाप्त की गयी थी। उसमें 95 प्रतिशत जमीन हरिजनों की थी और 5 प्रतिशत जमीन सवर्ण जातियों की और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की थी। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि जो जमीन प्रभावशाली और सवर्ण लोगों की थी उसके बजाय जिलाधीश ने इस तरह का नेगोसिएशन किया है, हरिजनों की जो जमीन अवाप्त की है उस जमीन में से कम्पनसेट कर दिया जाए, जमीन के एवज में जमीन। मैं यह समझता हूं कि उन हरिजनों पर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। यदि वह जमीन (व्यवधान) मेरी बात पूरी कर लेने दीजिये। यदि उस जमीन को वापस देनी है जिला परिषद् को भवन निर्माण के लिए जिला अधिकारियों, कर्मचारियों के आवास गृहों के लिए आवश्यकता नहीं है तो वह जमीन जिन हरिजनों की अवाप्त की है उन्हीं हरिजनों को दी जाय न कि अन्य व्यक्तियों की जो जमीन अवाप्त की है उसके बजाय उस जमीन में से दी जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय होगा क्योंकि प्रभावशील व्यक्ति अपने प्रभाव में अधिकारियों को और अन्य लोगों को लेकर यदि हरिजनों की अवाप्त भूमि सवर्णों को दे दी जाती है तो यह बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह यदि हो गया तो इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। मैं सदन को आगाह करना चाह रहा हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री मोहन लालजी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कपिल हास्पिटल नीमकाथाना उपखण्ड का चिकित्सालय है। 50 बैड्स स्वीकृत हैं। इस हास्पिटल में वर्षों से सर्जन की पोस्ट रिक्त है। सर्जन का काम कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनी करता है जो प्रति आपरेशन एक-एक हजार रुपये लेता है। दंत चिकित्सक व नेत्र विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं। माननीय मंत्रीजी वहां पधारे थे कुछ दिन पहले, वहां के डाक्टर की शिकायत लेकर कुछ लोग मिलना चाह रहे थे लेकिन उस डाक्टर के कुछ लोगों ने मंत्रीजी से मिलने नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना

(श्री मोहनलाल मोदी)

चाहता हूं कि मंत्रीजी ने वहां 70 बेड्स की घोषणा की थी लेकिन आज तक उस हास्पिटल में कहीं भी आदेश नहीं पहुंचा। यह सरकार सिर्फ घोषणा ही करती है। आज तक 70 बेड्स के आदेश प्राप्त नहीं हुए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस सर्जन का जो पद वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है, उसको व अन्य रिक्त पदों को भरा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : हास्पिटल की एक्सरे मशीन खराब पड़ी है। सफाई व्यवस्था नहीं है। इस बार सारा बजट चिकित्सा को समर्पित है। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष तो कम से कम चिकित्सा सुविधाओं की तरफ ध्यान देकर के इस राजस्थान का भला करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय रमाकान्तजी।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 मार्च को डी. जी. पुलिस ने सैंकड़ों अल्प वेतन भोगी सिपाहियों का तबादला कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र 23 मार्च को प्रारम्भ हो गया। बहुत सारे इमरजेंसी मामलों के अन्दर यदि हम कभी किसी मंत्री महोदय के पास पहुंचते हैं या किसी अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो यह बता दिया जाता है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है इस समय तो प्रश्न ही नहीं उठता और डी. जी. पुलिस ने 100 से ऊपर सिपाहियों का जयपुर डिवीजन से कहां-कहां ट्रान्सफर किया है? सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर 500 किलोमीटर दूर। यदि इन्होंने कोई गलती की है, यदि उनका काम खराब है तो उनको आप गंगाजी भिजवायें। 500 किलोमीटर ही दूर क्यों? परन्तु बिना किसी मतलब के क्योंकि शायद आपके यहां पर ज्यादा होंगे, तो विधान सभा के सत्र तक तो रोक ही सकते थे और कम से कम यह तो कर ही सकते थे कि जो आदमी जयपुर का है उसे भरतपुर भेज दीजियेगा, सवाईमाधोपुर भेज दीजियेगा, जयपुर के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को आप यहां से पांच सौ किलोमीटर भिजवा रहे हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है इस चीज का। (व्यवधान)....एक मैं अकेला नहीं कह रहा हूं कम से कम 6 विधायकों की तरफ से बोल रहा हूं मैं और 6 विधायकों ने लिख कर दिया है मुझे, तो भिजवाना था तो आसपास के अंदर भिजवा देते परन्तु किसी को सूरतगढ़ और न जाने कहां-कहां भेज देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री रमाकांत : पुलिस विभाग वाले एक तरफ कहते हैं कि हम सिपाहियों के वेलफेयर की बहुत चिंता करते हैं, वेलफेयर के नाम पर आमोद-प्रमोद के बड़े-बड़े विश्राम, आरामगृह बनाते हैं और दूसरी

(श्री रमाकान्त)

तरफ उनका वेलफेयर यह है कि बिना मतलब जो एक आदमी अलवर का है उसको सूरतगढ़ भेज दिया। जी हां, अलवर के हैं तभी तो मैं बोल रहा हूं वरना मैं बोलता काहे को। मेरा नम्र निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि कृपा करके कम से कम विधान सभा के सत्र के दौरान इसे वे स्टे करवा दें और पुनर्विचार करवा करके आदेश दे दें, मैं आभारी रहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण मेरे सामने आ चुका है। चूंकि हनुमानगढ़ जिला नया जिला स्थापित हुआ है और वहां पुलिस बल के कांस्टेबल्स को भेजना था इसलिए जहां-जहां आधिक्य था वहां से भेजे गये। इसमें कुछ अव्यवस्था हुई है, मैंने इस बारे में महानिदेशक, पुलिस को निर्देश दे दिये हैं कि बहुत ज्यादा दूरी से नहीं भेजें और सारी व्यवस्था इस तरह सैट करे कि जो कांस्टेबल है अल्प वेतन भोगी, उसमें कम से कम अव्यवस्था हो और इस बारे में कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें जिस किसी भी तरह हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में हनुमानगढ़ में कांस्टेबल भेज सकते हैं, वही नीति अपनायी जा रही है।

श्री रमाकान्त : मंत्री महोदय, इसमें स्टे तो दिलवाइये। उनको रिलीव कर दिया और वह वहां परेशानी में है, आपको हनुमानगढ़ में चाहिए तो गंगानगर से लगा दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीनाजी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने भले ही यह कह दिया हो कि हनुमानगढ़ जिला नया बना है इसलिए हमने भेजा है, वास्तविकता यह है कि पुलिस के कांस्टेबल्स की भर्ती दूसरे जिलों में ज्यादा कर ली गयी हैं, आवश्यकता से ज्यादा और उसके बाद उनको खपाने के लिए ट्रांसफर्स किये गये हैं। बड़ी संख्या में रिश्वत लेकर नियुक्तियां की गयी हैं, बिना आवश्यकता के भर्ती कर ली गयी है, उनको खपाने के लिए ट्रांसफर्स करके उनके साथ अन्याय किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आप ताज्जुब करेंगे कि एक कांस्टेबल का इस तरह का ट्रांसफर किया गया है, जो बर्खास्तशुदा है, नौकरी में है नहीं, उसके बाद भी ट्रांसफर्स आर्डर निकाल दिये गये, इस तरह की हालत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्रीमती मीनाजी।

श्री रामनारायण : क्या यह सही है कि कांस्टेबल्स की भर्ती में 25-25 हजार रुपये रिश्वत के खाये गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : 25-25 हजार रुपये का मैं आरोप लगा रहा हूं, सिपाही की भर्ती में 25-25 हजार रुपये की रिश्वत खायी गयी है। (व्यवधान) ···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि रिश्वत का पैसा गया कहां, 25-25 हजार रुपये हैं कहां ? (व्यवधान)····

श्री रामनारायण : 25 हजार रुपये लिये गये हैं। +++ ने लिये हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामनारायण : मैं प्रूव करूंगा, 25-25 हजार रुपये दिये हैं +++ ··· (व्यवधान)।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आवश्यकता नहीं थी वहां उनको खपाने के लिए ट्रांसफर किये गये, मोटी रिश्वत ली गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य। आप, जब मर्जी आये तब बोलना चालू कर देते हैं। माननीय सदस्या बोल रही है शून्यकाल में, कोई बात उठी है, उनको इजाजत दी है। शून्यकाल में माननीय सदस्या बोलना चाहती है और आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) **:** माननीय उपाध्यक्षजी, आजकल फिल्मों के अश्लील पोस्टर शहर में लग रहे हैं, ऐसी जगह लग रहे हैं जहां लड़कियों के स्कूल और कालेज हैं यानि सार्वजनिक स्थान पर लगे रहते हैं। इससे युवा बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह टी. वी. पर, मैगजीन के फोटो में, फोटोग्राफी की दूकानों में, जनरल दुकानों में विज्ञापन लगे रहते हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां भी इस तरह के विज्ञापन करवाती हैं और अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत में इटली के राष्ट्रपतिजी आये थे उनकी अगवानी पर भारतीय युवतियों का जो फैशन शो आयोजित किया गया बताया, इससे भारतीय संस्कृति का अपमान भी होता है। उपाध्यक्षजी, पश्चिमी संस्कृति का असर आजकल ज्यादा पड़ रहा है और हमारी हिन्दू संस्कृति भूल रहे हैं जबकि हमारी हिन्दू संस्कृति बहुत ही सुन्दर है। उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह अश्लील पोस्टर लगाने पर सख्त कार्यवाही लागू है उसी तरह हमारे यहां राजस्थान में भी लागू करवायें जिससे बच्चों का जीवन सुन्दर बने।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् शिवनाथ सिंहजी

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, आबकारी विभाग द्वारा देशी शराब की बिक्री के ठेके दिये जाते हैं, इस साल भी अभी दिये है। मैं माननीय उपाध्यक्षजी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नीति सरकार की है इससे भयंकर उपद्रव खड़ा हो रहा है। असामाजिक तत्व पनप रहे हैं और यह ठेकेदार जो निर्धारित दुकानें है उनके अलावा अलग दुकानों पर गांव-गांव में जाकर शराब की बिक्री करते हैं। आपसी झगड़े होते हैं इसके कारण से। मैं झुन्झुनूं जिले की बात कहना चाहूंगा कि पिछले साल 4-5 मर्डर सिर्फ इस कारण से हो गये कि आपस में ठेकेदारों की लड़ाई चली। माननीय उपाध्यक्ष जी यही नहीं, सरकार की नीति है कि राजमार्ग से 150 मीटर दूरी पर दुकान होनी चाहिये। झुन्झुनूं में मुश्किल से 25 और 30 फीट की दूरी पर शराब की दुकान चल रही है, खुली शराब बिक रही है जो कि नियमों के विरुद्ध है। वहां मुसाफिरों के साथ झगड़े करते हैं, शराब पीकर। वहां पास में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल है लड़कियों की जो 150 मीटर से कम दूरी पर है, हरिजन बस्ती है जो 150 मीटर से कम दूरी पर है और वहीं लड़कों का सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है वह भी 100 मीटर से अधिक की दूरी पर नहीं है। यह सब नियम विरुद्ध हो रहा है और यह माफिया ग्रुप पनप रहा है। आपकी सरकार के पेरेलल ग्रुप पनप रहा है और यह आपकी राजनीति में प्रवेश कर रहा है। मुझे ध्यान है नीमकाथाना म्युनिसिपेलिटी के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को इस माफिया ग्रुप ने इतनी बड़ी शिकस्त दी अपने रुपये-पैसों के बल के आधार पर। आज पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ है, वह राज्य सरकार को नहीं, इन ठेकेदारों की सेवा में अपने आपको मानता है और पूरा संरक्षण पुलिस विभाग उनको देता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सड़क नीति बना रहे हैं, खनिज नीति बना रहे हैं, उद्योग नीति बना रहे हैं तो एक नीति और बना दीजिये। शराब पीने की भी नीति बना दीजिये जिससे हमको पता लग जाए कि किसको कहां शराब पीनी है, किसको नहीं पीनी है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसी विषय की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति से लोगों का जन-जीवन ग्रस्त-व्यस्त हो रहा है, कठिनाई हो रही है, इसको रोका जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय बद्रीप्रसादजी गुरूजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस किस प्रकार बरामदगी करती है। 4-4-94 को कोटा में सिलका माइंस पर चोरी हुई उसके सम्बन्ध

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

में भीमगंज, कोटा के थाना प्रभारी राजेन्द्र ओझा अपने साथ 3-4 पुलिस मैन को लेकर आये मेरे गांव बिजोलिया में। वहां के रहने वाले राधेश्याम स्वर्णकार, हीरा लाल सेठिया और रमेश स्वर्णकार को पकड़ कर ले गये। हीरालालजी सेठिया की उम्र हैं 86 वर्ष और राधेश्याम जी स्वर्णकार की उम्र है 60 वर्ष, इस प्रकार उनको पकड़कर ले गये और उनको कहा कि तुमने चोरी का माल लिया है। उन्होंने मना किया कि हमने कोई चोरी का माल नहीं लिया है और न ही हम चोरी का माल लेते हैं। इस सम्बन्ध में उनको यातना दी गयी, यातना से घबरा कर रात को वहां पारसचंद जैन को बुलाया गया, उसके द्वारा सोना देने की हां करने पर उनको छोड़ा गया और सुबह उसने सोना दिया। पारसचंद जैन ने आठ और पांच, तेरह तोला सोना दिया, करीब 70 रुपये हजार का सोना दिया। इसके सम्बन्ध में मैंने सम्बन्धित विभाग को और गृह मंत्री को लिखा। उसने 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर राजेन्द्र ओझा को जो सोना दिया है उस स्टाम्प की कापी माननीय गृह मंत्रीजी को और अन्य अधिकारियों को मैंने दी है। उसके बाद उन्होंने एक कोर्ट में इस्तगासा दायर किया। एम. एम. कोर्ट, बिजोलिया में पारसचद जैन ने बयान दिया है, उस बयान की सर्टिफाइड कापी भी मैंने पेश की है कि मैंने कि राजेन्द्र ओझा को सोना दिया है। जब मैंने विधान सभा में पहले नियम 295 के तहत मामला उठाया था, ध्यान आकर्षण के तहत मामला उठाया था तो मुझे यह जवाब दिया गया कि इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब पारसचंद जैन सोना देने वाला है और वह कोर्ट में बयान दे रहा है कि मैंने सोना दिया है; इनको सोना दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस प्रकार से पुलिस वाले बरामदगी करते हैं और किसी की चोरी किसी के माथे डाल देते हैं, जबरदस्ती सोना ले लेते हैं। यह बहुत बड़ी गम्भीर घटना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : गृह मंत्रीजी इस बारे में विशेष ध्यान दें।'

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे प्रकरण की जांच मैंने सी. आई. डी. के वरिष्ठ अधिकारियों से कराने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत एक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पखवाड़े में बांदीकुई पंचायत समिति में कोई भी ग्राम नागरिक घुस नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। कारण यह है कि बांदीकुई पंचायत समिति का जो भवन है जिस पर पंचायत समिति कार्यालय, बांदीकुई लिख रखा है उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, बांदीकुई का बेनर लगा दिया गया है ग्रौर ग्राम जनता का कोई भी नागरिक ग्रब विकास ग्रधिकारी महोदय से या किसी से भी नहीं मिल सकता है। गत दिनों न केवल वहां पर मीटिंग हुई, न केवल बैनर लगाया गया, न केवल वहां पदाधिकारियों की मीटिंग हुई बल्कि पूरे पंचायत समिति कार्यालय का भारतीय जनता पार्टीकरण कर दिया गया है। मैं ग्रापके सामने एक नोटिस, जिसके ऊपर ग्रोरिजनल सिग्नेचर बांदीकुई पंचायत समिति प्रधान के हैं, पढ़कर सुनाता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज संस्थाग्रों को ग्रपने पार्टी दल का कार्यालय बना रही है। केवल वह मूल मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं मर भी जाऊं तो भी इसको पढ़कर ही मरूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रभी तो बहुत जिन्दा रहना है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल पढ़कर सुना रहा हूं। ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं।

"कार्यालय पंचायत समिति, बांदीकुई, दौसा डिस्पेच नं. 827-853 दिनांक 28-3-95। बैठक सूचना। ग्रापको सूचित किया जाता है कि दिनांक 1-4-95 शनिवार, दोपहर 1 बजे भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यगण व पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले समस्त सदस्यगण की एक ग्रावश्यक बैठक पंचायत समिति सभा भवन में ग्रायोजित की गयी है जिसमें पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेंगे। ग्रतः ग्रापकी उपस्थिति ग्रनिवार्य है। कमला। प्रधान, पंचायत समिति, बांदीकुई।"

इस तरह की घटनाएं तीन बार हो चुकी हैं। इसमें जिला प्रमुख महोदय ग्रा चुके हैं ग्रौर जिला भारतीय जनता पार्टी के ग्रध्यक्ष ग्राये हैं। वहां पर जो भी सरकारी टाइप है, जो भी स्टेशनरी है उसका उपयोग किया जा रहा है ग्रौर ग्राम ग्रादमी को यह कहा जा रहा है कि ग्रब यह भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति बन गयी है। इसमें किसी का भी प्रवेश निषेध है। इस तरह की बात बहुत घिनौनी हरकत है ग्रौर सरकार को चाहिये कि इस तरह की बातों पर रोक लगाये ग्रन्यथा भारतीय जनता पार्टीकरण नहीं होने दिया जायेगा ग्रौर मुठभेड़ होगी ग्रौर उसका परिणाम यह होगा कि 332 ग्रौर 333 में जिस तरीके से रामगोपालजी बैरवा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

को लाया गया, उसकी पुनरावृत्ति होगी। यदि पुनरावृत्ति रोकनी है तो उनको चाहिये कि यह अपने क्षेत्राधिकार में रहें। यदि उसकी पुनरावृति होती है तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा और एक स्वस्थ परम्परा बिगड़ेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानो के आज मेले चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा केलादेवी माताजी का मेला है, श्री महावीरजी और श्री मेंहदीपुर के बालाजी का मेला, यह तीन मेले हमारे जिले के अन्दर चल रहे हैं। केलादेवी का मेला जो सबसे बड़ा है, जहां लाखों तीर्थयात्री, हिन्दुस्तान से आते हैं, आज वहां की हालत यह हो गयी है कि आज वहां पर आपकी फोर्स व्यवस्था बहुत कमजोर है। अबकी बार जब मैं मेले में दर्शन करने के लिए गया था तो उस दिन वहां पर लोग बता रहे थे कि कल ही यहां पर सबसे ज्यादा जेबकतरों की शिकायतें आयी हैं और वहां पर कई तो महिलाओं की जेबें कटीं और कई ऐसे तीर्थयात्री थे जिन की जेबें कटीं। उनके पास किराये तक के पैसे नहीं थे। +++रो रहे थे। इसी प्रकार से दूसरा मैं निवेदन करूं कि केलादेवी के मेले के अन्दर एक विश्रामगृह था। उस विश्रामगृह के अन्दर ताले लगा दिये गये। मैंने जब पूछा कि यह ताले क्यों लगाये हैं तो उन्होंने बताया कि विश्राम गृह के अन्दर बलात्कार, वेश्यावृत्ति और सारे कुकर्म हो रहे हैं। इसलिए हम इस विश्रामगृह को नहीं चला सकते। इसका सबूत और प्रमाण सबसे बड़ा यह है कि अखबारों के अन्दर सारी बातें आज आयी हैं। आज अखबारों में भी इसके बारे में बड़े बड़े अक्षरों में यह छपा है कि विश्रामगृह को बलात्कार एवं अश्लील घटनाओं के कारण बन्द कर दिया गया है। इतना बड़ा मेला, जो हिन्दुस्तान लेवल का है, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं, माननीय गृह मंत्रीजी हो जाएं, यह बड़े दुःख की बात है। इन्चार्ज महोदय से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे पास फोर्स नहीं है। अब की बार मुझे फोर्स कम दी गयी है। मैं आपके ज़रिये निवेदन करता हूं कि इस मेले में फोर्स व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, कानून व्यवस्था ठीक की जाए और माननीय कलक्टर महोदय को यह निर्देश दिये जाएं कि वह स्थिति को संभालें और मेले के अन्दर रहें।

इसी प्रकार से श्री महावीरजी के अन्दर जहां महामहिम राष्ट्रपति के पधारने का प्रोग्राम बना रहे है, मैंने ऐसा सुना

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपनोदित किया गया।

(90)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है कि उस मेले में वहां भी इसी प्रकार की घटनाएं जेबकतरी की ग्रोर इस प्रकार की हो गयी हैं। जेबकतरे पकड़े गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पकड़ने के बाद उनको पुलिस ने पैसा लेकर छोड़ दिया ग्रोर पुलिस मिलकर इस प्रकार का धंधा करवा रही है। हमसे यह घटना करने वाले स्वयं कहते हैं कि पुलिस वाले हम से इस प्रकार का धंधा करवाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय गृह मंत्रीजी इस बात की ग्रोर ध्यान दें ग्रोर जेबकतरे पकड़े जाएं उनको छोड़ने से पहले उनकी इन्क्वायरी की जाए ग्रोर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

इसी प्रकार से मेंहदीपुर के बालाजी के अन्दर मेला चल रहा है। परसों के दिन की घटना है। एक यात्री को सरेआम गुण्डों ने पकड़ लिया ग्रोर पकड़ कर उसकी जेब में जो पैसे थे वह ले लिये ग्रोर एक बहन जो बहुत गरीब थी उसके गले से चैन छीन ली। इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि ग्राप कानून-व्यवस्था की स्थिति को समझें ग्रोर इन मेलों की ग्रोर विशेष ध्यान दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान कोटा नगर की तरफ दिलवाना चाहता हूं। 1982 में हाउसिंग बोर्ड ने एक मिनी कोटा बनाने का प्लान बनाया ग्रोर यू. ग्राई. टी., कोटा ग्रोर हाउसिंग बोर्ड, कोटा ने जोइंटली एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ग्राफ इन्डिया, फारेस्ट मिनिस्ट्री को भेजी कि इन ग्रमुक 7 गांवों की यह जमीन, जो वन भूमि है, को हाउसिंग बोर्ड को डवलप करने के लिए ग्रलाट कर दी जाए। इस पर 1188.58 हैक्टेयर जो करीब 7 हजार बीघा जमीन होती है, इसको गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया ने रिलीज कर दी ग्रोर रिलीज करने के बाद में कलक्टर, कोटा, जो उस वक्त यू. ग्राई. टी. के चैयरमैन भी हुग्रा करते थे, यह जमीन सीधी की सीधी यू. ग्राई टी. को सेट-ग्रपार्ट कर दी जबकि इस जमीन के ऊपर हाऊसिंग बोर्ड ने पूरा प्लान किया, खर्चा किया ग्रोर जो हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन चैयरमैन थे श्री एम. एल. मेहता, जो ग्राज चीफ सैक्रेटरी हैं, उनकी ग्रध्यक्षता में बैठक हुई उसमें यू. ग्राई. टी., हाउसिंग बोर्ड के ग्रोर दीगर ग्राफिसर्स मौजूद थे ग्रोर यह तय हुग्रा कि 1188.58 हैक्टेयर जो कि 7 हजार बीघा जमीन होती है इसमें से 844.85 हैक्टेयर जमीन तो हाउसिंग बोर्ड को दी जाएगी ग्रोर 318.59 हैक्टेयर यू. ग्राई. टी. को ग्रलाट की जाऐगी लेकिन कलक्टर ने पता नहीं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

किस होशियारी में आकर सारी की सारी जमीन यू. आई. टी. को सैट-अपार्ट कर दी। अब आज हालत यह है कि कोटा शहर में करीब 8500 आवेदक हाऊसिंग बोर्ड के पास मौजूद हैं, जिन्होंने 1980 के पहले से पैसा जमा करवा रखा है और कोटा के हाऊसिंग बोर्ड के पास एक इंच जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए। यू. आई. टी. ने यह जमीन कब्जे में ले ली। आज इस जमीन के लिए यू. आई. टी. वाले हाऊसिंग बोर्ड से कहते हैं कि आपको इसमें से 47 एकड़ जमीन दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और उसके लिए भी आपसे 47 करोड़ रुपये लेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आपका जो वहां हाऊसिंग बोर्ड का दफ्तर है उसके ताले लगवा दो या फिर इस बेइमानी मे दखल देकर जितना-जितना उनके बीच में तय हुआ था कि कितनी जमीन यू. आई. टी. को दी जाएगी और कितनी जमीन हाऊसिंग बोर्ड को मकान बनाने के लिए दी जाएगी, उसका फैसला करवाइये। इससे जो साढ़े आठ हजार एप्लीकेंट्स हैं उनकी अनिश्चितता बन्द होगी। आज वह हाऊसिंग बोर्ड के चक्कर लगा लगाकर परेशान हैं। हाऊसिंग बोर्ड के आफिसर वहां पर बैठे रहते हैं क्योंकि वहां पर उनके पास कोई काम नहीं है। जब एक इंच जमीन नहीं है, मकान बनाने का कोई प्लान नहीं है, किसी तरह का उनके पास कोई फण्ड नहीं है तो वह करेंगे क्या? बाकायदा आपके दोनों डिवीजंस वहां खुले हुए है और यू. आई. टी. ने अप+++ करके सारा का सारा मामला पेचीदगी में डाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। साढ़े आठ -हजार एप्लीकेंट्स हैं, मामूली नहीं है, जिन्होंने सन् 1980 से पैसा जमा करवा रखा है। आपका यह डिपार्टमेंट, जिस पर आप लाखों रुपये महीने के खर्च कर रहे हैं वहां पर बन्द पड़ा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य, मेरे से एक बार चर्चा कर लें, बैठकर बात कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी से बैठकर बात कर लें, माननीय मंत्रीजी सारी बात समझना चाह रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। साढ़े आठ हजार एप्लीकेंट्स का करीब एक करोड़ रुपया जमा है और हाऊसिंग बोर्ड का अलग-अलग वर्क डिफाइंड है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : लैट अस डिस्कस इट।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिसकस कर लें। माननीय सदस्य, बिराजें। श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, शायद सी. ए. डी. मंत्री जी तो नहीं हैं, बूंदी जिले में पिछली गर्मी के दिनों में सिंचित क्षेत्र विकास मंत्रीजी का पदार्पण हुआ था। उनके सामने चम्बल सिंचित क्षेत्र के अधिकारियों ने यह बात स्वीकार की थी कि जो बांई मुख्य नहर है उसकी बाजर डिस्ट्रीब्यूटरी की एवरा माइनर की टेल पर वास्तव में गांव वालों का आने-जाने का रास्ता खत्म हो गया है। नहर के पानी से खाले पड़ गये हैं और वहां पर एक महावीरजी बालाजी का स्थान है और एक राम का मन्दिर भी है। वह राम का मन्दिर और महावीर का स्थान टूटने की स्थिति में आ गया है। उसकी मरम्मत नहीं होगी और वह गिर जायेगा तो उसके बाद उसका क्या होगा? मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद को+++ आ रही है कि नाम राम के नाम का लें, वोट राम के नाम पर लें और मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए, जो नहर के पानी से खराब हो रहा है, उसको ठीक करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

एक गांव का मसला नहीं है, इलाके के 50 गांव वाले वहां से निकलते हैं। जब यह स्थगन प्रस्ताव आया था और आपके द्वारा यह व्यवस्था दी गयी थी कि इस बारे में मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा तो उसके बाद सी. ए. डी. मंत्री को यहां से नहीं जाना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जहां गांव वाले परेशान हैं, इलाके के 15 गांव परेशान हैं, खाल नाल पैदा हो रहे हैं, गांव वाले-काश्तकार निकल नहीं सकते, मवेशी निकल नहीं सकते तो क्या इसके बारे में सरकार ध्यान देगी और सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री जी के सामने जो अधिकारियों ने स्वीकारोक्ति की थी कि इस काम को करवायेंगे तो क्या सरकार इस काम को करवायेगी? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से कोई बोलना चाहे तो आप उनसे पूछ लें। इस महत्वपूर्ण काम को करवाना चाहते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

माननीय श्री जगदीपजी धनखड़। श्री फतेह सिंह मेव के भतीजे श्री जाकिर हुसैन की जघन्य हत्या के मामले की जांच के बारे में दो मिनट बोलेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें नाम है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, दो मिनट बोलेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा भी नाम है, रामस्वरूपजी का भी है।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट ही है सबके लिए। जो भी बोलना चाहें, बोल लें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 94 में अलवर नगर परिषद के चुनाव हुए और उन चुनावों में वार्ड नं. 14 से हमारे राज्य मंत्री नसरू खां जी के भाई और जाकिर हुसैन, जिसकी हत्या हुई है उनकी तरफ से फतेह सिंह जी आमने-सामने उम्मीदवार थे। गृह मंत्री जी कृपया ध्यान दें। उसमें फतेह सिंह जी की जीत होने के बाद नसरू खां, राज्य मंत्री के परिवार के लोगों ने एक राय होकर, जिसमें माननीय मंत्रीजी भी वहां मौजूद थे, इन्होंने एक राय होकर, नसरू खां के दोनों भाई फक्कड़ और जब्बार और उनके परिवार के सारे लोगों ने मिलकर जाकिर, जो अपने ट्रेक्टर से अपने खेत पर जा रहा था, को पकड़ कर ट्रेक्टर से नीचे उतार कर कुल्हाड़ियों से और तेज धारदार हथियार से उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। उसको लाकर अस्पताल में उसके बयान लिये, मजिस्ट्रेट के यहां बयान हुए। उसमें उसने राज्य मंत्री के भाई फक्कड़ और जब्बार का नाम लिया है। नाम लेने के बाद भी राज्य सरकार में अपना प्रभाव होने के कारण, अपने दबदबे के कारण, सरकार की बदनामी होने के कारण, जब 25-2-95 को चालान पेश किया गया तो फक्कड़ का नाम गायब। आप एफ. आई. आर. में नाम देख लीजिये, इनका नाम मौजूद है।

उसके बाद पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि नसरू खां के भाइयों का कोई लेना-देना ही नहीं है। जब उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिये हैं, जब उसने अस्पताल में मरने से पहले कहा है कि फक्कड़ जब्बार मेरे पर कुल्हाड़ी चलाने में मौजूद थे तो उनका नाम कैसे निकाल दिया उपाध्यक्ष महोदय? और तो और जब पुलिस इन तीनों को वहां पर ले गयी फक्कड़ को भी पुलिस साथ ले गयी थी, राज्य मंत्री जी सरकारी गाड़ी से वहां पर जाते हैं और यह कहते हैं कि आप फक्कड़ को मेरे को दे दीजिये, जब जरूरत हो बुला लेना। क्या राज के लोग अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे, हत्यारों को बचायेंगे, चाहे वह किसी का भी हो? गृह मंत्री जी, इसमें जघन्य अपराध हुआ है। एफ. आई. आर. में नाम है, नसरू खां के सारे परिवार के लोगों के नाम हैं, आज तक भी दो बन्दी हैं, इसमें 8-9 मुल्जिम हैं। आप बता दीजिये गृह मंत्री जी, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया। दो के अलावा कोई तीसरा आदमी आपकी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। यह सरासर आपके मंत्री के पद का दुरुपयोग है।

आप यह कहते हैं कि आप न्याय देंगे, आप लोगों को मरवाओगे। वह जीत गया,

(श्री परसादीलाल मीणा)

जनता ने उसको वोट दिया, आपने उसके लड़के का कत्ल करवा दिया। पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले गयी, आपने उनको छुड़वा दिया। बाकी जो सात मुल्जिम हैं, आपने उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। गृह मंत्री जी, आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है, आप बिलकुल त्यागी आदमी हैं, अगर आपमें थोड़ी भी भी मानवता है, इस तरह का अपराध चाहे कोई भी करे, चाहे आपके परिवार का आदमी करे, चाहे बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी करे, कोई भी करे, आप उनको तत्काल गिरफ्तार करवाइये। इस केस में राज्य सरकार में रहते हुए जांच सही तरीके से नहीं हो सकती है, पुलिस इसमें जांच सही नहीं कर सकती है, आप 9 आदमियों में से दो आदमियों का चालान करके रह गये, बाकी के लोगों का आपने क्या करना है, यह बताइये, बाकी के लोगों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने फक्कड़ को क्यों छोड़ दिया? गृह मंत्री जी, आपके पास क्या जवाब है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्रीजी को अपनी सरकार बचानी है, नसरू खां को अपने साथ रखना है। तो इस केस की जांच यहां रहते हुए सही तरीके से नहीं हो सकती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसकी जांच सी. बी. आई. को दे दें। सी. बी. आई. को जांच देने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। परन्तु आपकी पुलिस इसकी जांच नहीं करेगी। आपने केवल दो आदमियों का चालान पेश कर दिया। गृह मंत्रीजी आपको+++आनी चाहिए। आप सारे मुल्जिमों को गिरफ्तार करते चाहे वे सारे बरी हो जाते। आपने जब्बार और फक्कड़ को छोड़ दिया। आपके मंत्री भी इसमें लिपट रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसने मेरी बेइज्जती की है, मैं पहली बार मंत्री बना हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो मिनट के स्थान पर पांच मिनट बोल गये हैं। बिराजें माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, एक युवक की हत्या का मामला है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह ऐसे नहीं चलेगा, राज्य के मंत्री लोगों की हत्या करेंगे, लोगों को मरवायेंगे, अपराधियों को छुड़वायेंगे....

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। आपको दो मिनट का समय दिया है। आपने पांच मिनिट ले लिये, बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने इसको खारिज कर दिया, आप सरकार का इस पर स्टेटमेंट दिलाइये। स्टेटमेंट के बिना, उपाध्यक्ष महोदय, इसका समाधान नहीं है। आप बाकी के मुल्जिमों को गिरफ्तार करवाइये।

(13.00)

उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार से स्टेटमेंट दिलवायें। आप इसमें समय निश्चित करिये कि सरकार अपनी तरफ से क्या कहना चाहती है। ऐसे नहीं चलेगा। हम बोलने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, हम कुछ अपनी बात कहने के लिए आये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात पूरी कह दी है। (व्यवधान)...बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आप व्यवस्था दीजिये स्टेटमेंट के लिए, मैं आपसे यह मांग करता हूं, पूरा कांग्रेस विधायक दल आपसे मांग करता है कि सरकार से स्टेटमेंट का टाइम तय कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : ऐसा सेंसिटिव मामला है तो आप व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हम स्टेटमेंट चाहते हैं. सरकार से और आपके नसरू खां जी मंत्री हैं उनसे आप त्याग पत्र लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन कभी सरकार को बाध्य नहीं कर सकता इस बारे में। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : स्टेटमेंट दिलवायें। बिलकुल बाध्य कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं वह न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के लिए सरकार को कहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा सेंसिटिव मामला है....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। मामला सब-ज्युडिस है। माननीय सदस्य, बिराजें (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं ·· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मामला सब-ज्युडिस है। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जवाब नहीं दे पा रहे हैं····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। मामला सब-ज्युडिस है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप स्टेटमेंट के लिए कहिये सरकार से, यह क्या बात है····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। आपको दो मिनट का मौका दिया गया है।····(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जिस हत्याकांड में शामिल हो और सरकार स्टेटमेंट नहीं दे····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ेगा, यह इस तरह का मामला है····(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा :····जान माल की सुरक्षा नहीं है····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप।···· (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जिस मसले में सरकार के मंत्री का नाम आ रहा हो उस·· (व्यवधान).. तो अच्छा लगेगा वह (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह हत्याकांड में शामिल हैं···(व्यवधान)····फिर भी सरकार चुप बैठी है····(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सरकार का वक्तव्य····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर : सरकार के एक मंत्री का मामला है।··· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। मामला सब-ज्युडिस है, कोर्ट में जा चुका है।

श्री परसादीलाल मीणा : कोई सब-ज्युडिस नहीं है···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला हत्या का सामने आया है और राज्य के राज्य मंत्री पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आरोप भी लगाये हैं। यहां पर विधान सभा में इस बारे में जो आरोप लगाये हैं इसमें कुछ स्थिति जो मुझे मालूम है वह स्पष्ट करना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ··

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप स्टेटमेंट दे दें। ···(व्यवधान) यह फैक्ट्स का मामला है मंत्री महोदय।···· (व्यवधान)····आप स्टेटमेंट दे दें।(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन पक्षों में··· (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट दीजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : पहले बात तो सुन लीजिये आप।····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनेंगे नहीं, आपको 5-7··· (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात भी सुनिये। आप सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए निर्देश दीजिए। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।····

श्री उपाध्यक्ष : विराजें माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसे नहीं, आप सरकार के+++हमारी बात भी सुनेंगे। यह मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह हत्याकाण्ड का मामला है।···· (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी बात का तो जवाब दे रहा हूं।····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये, माननीय गृह मंत्रीजी पूरी बात कह रहे हैं।····(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने व्यवस्था दी कि दो मिनट तक बोलने का समय दिया गया और जो तथ्य सामने आये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है वह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन पक्षों में झगड़ा होना कहा जाता है, जो पराजित सरपंच का उम्मीदवार है वह कांग्रेस का उम्मीदवार है और सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या की सिफारिश पर उसको टिकट मिलता है और इसलिए कि एक मर्डर केस हो गया, उस मर्डर केस में····(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) उसको कोई टिकट नहीं दिया हम लोगों ने। उस वक्त कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया था, मेरा नाम लिया इसलिए बोल रही हूं। कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया।··· (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : रशीद खां आपका उम्मीदवार है और रशीद खां जिनसे झगड़ा हुआ है, नसरू खां जी का

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

नाम, वे राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री से प्रतिशोध के कारण ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : फक्कड़ नाम का कौन है ? जब्बार कौन है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जायें। माननीय सदस्य, बिराजें। आपकी तो मर्जी आये जब खड़े हो जायेंगे ... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : देखिये, कत्ल के केस में, मर्डर के केस में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बिराजो। आपको यह लिबर्टी नहीं है कि जब मर्जी आये तब आप खड़े हो आओ। आप बिराजें। ... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : ये इस तरह से बोलते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह चौपड़ पर भाषण नहीं हो रहा है, जवाब देना पड़ेगा, हत्या का मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) आप दूसरों को सुनेंगे नहीं, मंत्रीजी की नहीं सुनेंगे आप ? .. (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें आप.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान) .... हत्यारों को बचा रही है सरकार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको लिबर्टी नहीं है खड़े होने की। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सरकार का एक मंत्री शामिल है। .... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार का एक मंत्री भी शामिल हैं।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय बात कह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : ....राजनीतिक आधार पर आरोप लगाकर.... (व्यवधान) राजनीतिक आधार पर मुकदमों को इजाजत नहीं दी जा सकती। (व्यवधान) ये बिलकुल मिथ्या आरोप लगाये गये हैं (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : हत्या का स्पष्ट मामला है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : नसरू खां जी आपकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) उस एफ. आई. आर. में बाद में कलम से, टाइप की हुई में नहीं, टाइप करायी हुई तब तक नहीं और जब देने गये तो अलग

(श्री कैलाश मेघवाल)

से नाम लिखा दिया इनके छोटे भाई का। हमने उसकी जांच की है और सरकार ने उसको देखा है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हत्यारे आप हैं.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसलिए इस तरह कत्ल के केस में ॐ असत्य ॐ मुकदमे में मुल्जिमों का नाम लेना, यह राजनीतिक प्रतिशोध के इरादे से बनाये गये थे... (व्यवधान) यह सारे आरोप जो लगाये जा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आधार पर लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी जिस हालत में पहुंच गयी है, क्योंकि नसरू खां जी.... (व्यवधान) राज्य मंत्री बने, यह इनको बरदाश्त नहीं है और मैं चाहता हूं कि अगर आपमें ईमानदारी है.... (व्यवधान) ...चर्चा की जाये....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह एफ. आई. आर. देखिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह एफ. आई. आर. मेरी देखी हुई है।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप जैसे गृह मंत्री....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु पर.... (व्यवधान) मर्डर के केस में राजनीतिक आधार पर नहीं फंसाया जायेगा ...(व्यवधान) राजनीतिक आधार पर....(व्यवधान) ... किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजनीतिक हत्याएं.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इस एफ. आई. आर. में नाम दर्ज हैं... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : हमारे में मतभेद हो सकते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की गिरावट आ सकती है कि राजनीतिक +++ के लिए .... (व्यवधान)... और यहां पर यह सारी बात करें... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने आसन पर बैठें। माननीय सदस्य, आप अपने आसन पर बैठें। माननीय सदस्य, मैंने आपको दो मिनट का मौका दिया (व्यवधान) .... मैंने आपको पूरा सुना है, आपको सुना है....

ॐ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) आप पूरी बात सुने माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया और सांगानेर की विधायिका श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी के कहने पर उसको टिकट मिला है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो कोई तरीका नहीं है। आपको पूरा मौका दिया है और आप मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : .... का कोई लेना देना नहीं है....(व्यवधान) .... आपने टिकट दिलाया था और इसमें नसरू खां का कोई हाथ नहीं है....(व्यवधान).... नसरू खां और उसके रिश्तेदारों.... (व्यवधान) राजनीतिक गिरावट का इससे ज्यादा कोई घिनौना काम हो नहीं सकता है।....(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेसी सदस्य एक अल्पसंख्यक मंत्री बन गया उसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जानबूझकर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस वालों ने हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काया है। ....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह जुबेर खान जी से पूछें कि असलियत क्या है। कांग्रेस के सदस्य, श्री जुबेर खान सारा मसला जानते हैं, उन्होंने सारा मसला उठाया है। उनसे पूछा जाये कि असलियत क्या है। मैं उनसे जानकारी करना चाहता हूं। .... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : *असत्य* रिपोर्ट लिखा कर किसी को नाजायज तौर पर फंसाना चाहते है....(व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : यह आपस का जो झगड़ा है उस मसले को कांग्रेस के विधायक श्री जुबेर खान जानते हैं। ....(व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : इस प्रकार का +++ करके सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन को चलाने ही नहीं देना चाहते हैं। ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये सब। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : मामले की असलियत रखिये। ....(व्यवधान)

---

* शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रति स्थापित किया गया।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये पहले, अपने-अपने स्थानों पर जाइये आप ।.... (व्यवधान)... आप बिराजिये तो सही । माननीय सदस्य, आप बिराजिये सारे ।

एक माननीय सदस्य : अपनी-अपनी जगह पर बैठकर सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया प्रदर्शन आपका ।

एक माननीय सदस्य : सच्ची बात को सहन करने की ताकत रखें । ....(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप .... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो यह काम किया है यह घिनौना कार्य है, बहुत ही घिनौना कार्य है ।....((व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा जवाब दे रहे हैं । आप सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : आपको जवाब दे रहे हैं, उनको सुनने की कृपा तो करें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं । माननीय सदस्य, बिराजिये आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभियुक्तों से जो मिल गये हैं, अभियुक्तों को बचा रहे हैं वे अपना स्टेटमेंट क्या देंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की कोई गरिमा नहीं रही है, इस तरह के मामलों को, एक गम्भीरता के मामले को सहजता में लेकर डाइल्यूट कर देंगे, यह सदन की मर्यादा और परम्परा बन चुकी है, हर संवेदनशील मामले को डाइल्यूट कर देंगे । सारी +++ के लोग यहां सत्ता में आ गये हैं । .... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा को तो बिहार विधान सभा से भी मात कर दिया.... (व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : भारतीय जनता पार्टी ने जांच नहीं की, यह आरोप लगा रहे हैं ....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये +++ के लोगों को संरक्षण देने के लिए सत्ता में बैठे हैं । ....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट देना एग्री कर लिया है, वह स्टेटमेंट कब देंगे वह आप बता दीजिये । ... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेंट देना एग्री कर लिया है.... (व्यवधान)....

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप विधिवत प्रस्ताव लेकर आयें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं अभी पूछ कर आया हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप व्यवस्था देंगे, मैं अपना स्टेटमेंट दे दूंगा, सारी स्थिति स्पष्ट रख दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप स्थगन प्रस्ताव लेकर आयें।....(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : नहीं, मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट तभी देंगे जब आप शांतिपूर्वक सुनेंगे वरना नहीं देंगे....(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये कि कब देंगे स्टेटमेंट।

श्री उपाध्यक्ष : दे दूंगा मैं। विराजिये आप। ....व्यवस्था दे दी जायेगी। मैं देखकर बता दूंगा इसमें। इसमें समय लगेगा। बिराजिये आप। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्टेटमेंट कल होगा क्या? कल स्टेटमेंट आयेगा या नहीं, यह बतायें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये फिर मुकर जायेंगे। हत्या जैसे मामले में....(व्यवधान).

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चल रहा है ? (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : बोलने दें। मंत्री जी स्पष्टीकरण दें। मैं बोलता हूं। मैं होता तो तुरन्त इस्तीफा देकर रवाना हो जाता। (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन एप्वाइंट आफ आर्डर (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 का स्टेटमेंट चल रहा है....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष महिला विरोधी है, कोई भी महिला जब बोलने के लिए खड़ी होती है तो उनको बोलने नहीं देते हैं।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको कह दिया कि मैं समय देखकर बता दूंगा कि वह कब आ सकता है।

श्रीमती तारा भण्डारी : महिला बोलती हो तो ये लोग व्यवधान डालते है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समय किसको दीजिये, इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने वालों को भी क्या समय दिया जाता है....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : ये प्रतिपक्ष के लोग महिला विरोधी लोग हैं....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधियों को बचाने वालों को तो कोई टाइम नहीं दिया जाता है, तत्काल जवाब दीजिये ।

श्री नरेन्द सिंह भाटी : सदन का समय रखिये उपाध्यक्षजी ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को+++बना दिया है, बिलकुल+++बना रहे हैं सदन को भी....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : महिला विरोधियों, बैठो । महिला विरोधियों, बैठो । प्रतिपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप भी बैठ जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था देखकर बता दूंगा कि कब....(व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : कोई भी महिला खड़ी होती है तो....

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, पाइण्ट आफ आर्डर । सर, पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आसन पैरों पर खड़ा है ।

श्री शिवनाथ सिंह : आसन मेरे बाद में खड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की चिन्ता किसको है, आसन तो बैठ जायेगा, आप बोलिये । आप कोई व्यवस्था से नहीं चलाना चाहते हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : यह+++ नहीं चलेगी ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आखिर आप क्या चाहते हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जो मामला सदन में सामने आया है और जानकारी जो मिली है... (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रतिपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं । जब भी हम महिलाएं खड़ी होती हैं, कुछ भी बोलना चाहती हैं तो ये सब टोका-टाकी करते हैं ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इतनी मदद करते हैं, जब सूर्यकान्ताजी व्यास को आप लोग नहीं बोलने रहे थे उस समय हम साथ दे रहे थे, हम उनके साथ थे, हम विरोधी नहीं, पक्ष में है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जब सदन को जानकारी मिल चुकी है कि इस केस में चालान कुछ के हो चुके हैं और कुछ का बाकी है, तो क्या इस अवस्था में स्टेटमेंट देना, उसकी मैरिट्स पर डिस्कस करना उचित होगा ?... मेरे ख्याल से... (व्यवधान)... यह सब मामला इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेगा, अदालत को प्रभावित करेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में इस स्टेज पर स्टेटमेंट दिलाना, डिस्कस करना उचित है या नहीं ?.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो एक सैकण्ड में नाराज हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। माननीय सदस्य, एक जना खड़ा होकर अपनी बात कहे, आप पचासों लोग खड़े हो जायेंगे, मेरे अकेले की आवाज को दबा देंगे....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्यों नहीं, विपक्ष का और काम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या+ + +समझ रखा है सदन को।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : विपक्ष का और काम क्या है ? यह सरकार तो कुछ करती नहीं है। आपके सामने खड़े नहीं होंगे तो किसके सामने खड़े होंगे हम ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आखिर टोलरेंस की भी एक सीमा होती है। एक साथ दस-दस खड़े हो जायेंगे... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई टोलरेंस की सीमा नहीं है, इस हाउस में आपको टोलरेट करना पड़ेगा। हम सिर्फ एक सिम्पल चीज पूछ रहे हैं, ...(व्यवधान)... हम एश्योरेंस चेयर से चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना आसन की अनुमति के बोलना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बगैर आसन की अनुमति से बोलना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूं....

श्री कालूलाल गुर्जर : किस नियम के तहत बोल रहे हैं माननीय सदस्य ?

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या

+ + +शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

आपने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : अनुमति दी है तो किस विषय पर दी है ? जब एक बार निर्दलीय माननीय सदस्य ने व्यवस्था दे दी....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं....

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें तो मैं अपना 295 का प्रस्ताव शुरू करूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहें तो समझ में आता है। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं... (व्यवधान) मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आप बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये आप। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव पर माननीय विश्नोई जी की रूलिंग सुना रहा हूं। स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात श्री गुमान मल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये और माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई जी ने व्यवस्था का प्रश्न दिया। इस पर अध्यक्ष जी ने कहा "There is no question of point of order on adjournment motion".

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो ठीक है। हम तो आपसे यह निवेदन कर रहे हैं मान्यवर कि गृह मंत्रीजी ने यह असेप्ट कर लिया है कि मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। हमने आपने यह निवेदन किया है कि वह समय तय कर दीजिये कि किस समय देंगे, किस वक्त में देंगे। आप समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि मैं अभी समय देखकर बताऊंगा, आज या कल या परसों, कब रख सकते हैं। यह मैंने कहा है आपको। मैंने कहा कि देखकर विचार करूंगा इस पर। (व्यवधान) समय तो देखना पड़ेगा। मैटर सब-जुडिस जरूर है, आप इस पर विचार करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मैटर सब-जुडिस नहीं है, यह सब-जुडिस नहीं माना जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री रामनारायण जी, बिराजिये आप। आपका हो गया ताराजी ?

श्रीमती तारा भण्डारी : अभी तो शुरू ही नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी, आप बिराजिये। ताराजी का प्रस्ताव पहले है। बिराजिये आप।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सुमेरपुर उपज मंडी के निकट शिवगंज कृषि उपज मंडी बनाने से उत्पन्न कठिनाइयां

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी क्षेत्र, शिवगंज में विकास कार्यों में आने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

शिवगंज तहसील के कृषि विपणन कार्यों के सम्पादन हेतु शिवगंज मुख्यालय पर एक भव्य कृषि उपज मण्डी भवन बना हुआ है। शिवगंज से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर पाली जिले के सुमेरपुर नगर की भी कृषि उपज मण्डी स्थित है।

सुमेरपुर की मंडी पूर्व से विपणन कार्यों की दृष्टि से पूर्णतया जमी हुई होने के कारण सिरोही जिले की समस्त उपज काश्तकार सुमेरपुर मंडी में ही बेचते हैं। ऐसी स्थिति में शिवगंज मंडी में कृषि जिन्सों का लेन-देन नहीं होता तथा शिवगंज मंडी की कोई आमदनी भी नहीं होती। मंडी में जब कोई आमदनी ही नहीं होगी तो उस मंडी क्षेत्र का विकास कैसे सम्भव होगा।

हमारे जिले की समस्त उपज तो सुमेरपुर मंडी में बिकती है परन्तु जब विकास की बात करते हैं तब हमारा मंडी क्षेत्र अलग जिले में बताकर इतिश्री कर ली जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे मंडी क्षेत्र के समस्त विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। सम्पर्क सड़कें, रोशनी व्यवस्था आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो सम्पादित नहीं होने से शिवगंज मंडी क्षेत्र के काश्तकार बड़ी भारी समस्या का सामना कर रहे हैं तथा यातायात की असुविधा के कारण कई बार दुखद दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि जब सुमेरपुर में कृषि उपज मंडी पूर्व से ही थी तब दूसरी मंडी मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ही शिवगंज में बनाने की क्या आवश्यकता थी और क्या औचित्य था ? ऐसे कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रकार का गलत निर्णय लेकर जनता की गाढ़ी कमाई एवं राजकीय कोष का दुरुपयोग किया ?

मेरा सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस प्रकार के गलत निर्णय लेकर मंडी निर्माण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवा कर कार्यवाही की जाये। साथ ही मंडी क्षेत्र शिवगंज के सम्पूर्ण विकास की व्यवस्था करवाई जाये।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सदन को मालूम

(श्री रामनारायण)

है, जंगलात विभाग में बहुत भ्रष्टाचार पनप रहा है और काश्तकार को बहुत परेशान किया जा रहा है, ऐसे में ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पढ़िये । सुबह से शाम तक अकेले एक घंटे तक भाषण मत दीजिये । पहले पूरा पढ़िये आप ।

श्री रामनारायण : मेरा जहां तक ख्याल है, वह तो आपके चैम्बर में ही चलेंगे । यहां तो नहीं कहें कि ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़िये आप, पढ़िये आप ।

श्री रामनारायण : यहां इनको मत पढ़ाओ, ये लोग क्या-क्या कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये आप । माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण : राम-राम, इनसे भगवान बचायें ।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये आप ।

कल्याणी खेड़ा तथा बहड़ावली ग्राम की नाकाबिल काश्त भूमि की राजस्व सिवायचक में तब्दीली

श्री रामनारायण (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम कल्याणी खेड़ा तथा बहड़ावली की नाकाबिल काश्त भूमि वन विभाग को एवं वन विभागके नाम पर अंकित तथा किसानों के कब्जे काश्त की भूमि राजस्व सिवायं चक में तब्दील करने का यह प्रस्ताव आपके माध्यम से सरकार के सम्मुख पस्तुत कर रहा हूं ।

वन विभाग के नाम पर रिकार्ड में अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 37, 160, 161 ग्राम कनकपुरा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी पर वर्ष 1960 के पूर्व से ही किसान निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उन्होंने कृषि कार्य हेतु कुओं का निर्माण करके विद्युत सम्बन्ध भी रखे हैं । दिनांक 12-10-1977 को उप जिलाधीश, नैनवां की अध्यक्षता में वन सलाहकार समिति की मुकाम करवर में सम्पन्न बैठक में उक्त कृषि भूमि को सिवाय चक राजस्व भूमि में तब्दील करने बाबत लिये गये निर्णय की पालना में तैयार किये गये कागजात के मुताबिक रिकार्ड दुरस्ती आवश्यक है । खसरा संख्या 160 की 10 बीघा कृषि भूमि ग्राम कनकपुरा को दिनांक 9-5-1978 को भू-आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा सूरजनाथ आत्मज रामनाथ निवासी कनकपुरा, तहसील नैनवां को आवंटित भी कर दी गयी है, इसी तरह से दूसरी भूमि भी आवंटित की गयी है । वर्ष 1960 से 1973 तक के कब्जे काश्त बाबत रिकार्ड में पूरा इन्द्राज राजस्व पटवारी द्वारा नहीं करने से उक्त अवधि के कब्जे काश्त बाबत मौखिक साक्ष्य ली जाने पर स्वतः ही किसानों का पुराना कब्जा साबित हो जाता है । ग्राम कल्याणी खेड़ा तहसील

(श्री रामनारायण)

नैनवां एवं ग्राम बहड़ावली तहसील केशव रायपाटन अथवा बूंदी जिले के किसी भी ग्राम की वन योग्य भूमि की पहचान करके सूची बनायी जाकर उसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जावे तथा ग्राम कनकपुरा के किसानों द्वारा काश्त की जा रही वन विभाग के नाम पर रिकार्ड में अंकित भूमि को वन विभाग के नाम से निरस्त करा राजस्व भूमि में अंकित करने से वन विभाग एवं किसानों की समस्या का स्थायी हल निकल सकेगा।

(13.26)

(श्री समर्थ लाल मीणा, सभापति, पदासीन।)

वन विभाग के नाम पर अंकित काश्त भूमि राजस्व विभाग के नाम अंकित होने पर काश्त कर रहे किसानों को परेशान नहीं करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को आदेशित किया जाये ताकि काश्त करते चले आ रहे किसानों की परेशानी दूर हो सके। यदि वन समिति की बैठक में 12-10-1977 को लिये गये निर्णय के मुताबिक प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हों तो जनहित में तुरन्त प्रस्ताव तैयार करवाकर यथाशीघ्र स्वीकृत करवाये जाये ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। जहां तक मेरा ख्याल है, इस बारे में सरकार यथाशीघ्र निर्णय ले और निर्णय लेकर किसानों के हितों की रक्षा करें। इसी के साथ आपको धन्यवाद।

मेरा जहां तक ख्याल है, आप पहली दफा सभापति के पद पर बिराजमान हुए हैं, आप लड्डू खिला दीजिये थोड़ा। मंत्रीजी का तो नम्बर नहीं है सभापति महोदय, लड्ड ही खिला दीजिये।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

कुम्हेर कस्बे के पब्लिक हैल्थ सेन्टर की दयनीय स्थिति

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत सदन के समक्ष अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय प्रस्तुत करता हूं।

कुम्हेर कस्बे में स्थित पब्लिक हैल्थ सेन्टर की दशा अत्यधिक खराब हो चुकी है। जिस ध्येय से इस प्रकार के सेन्टर्स खोले गये थे, उसको यह लेश मात्र भी पूरा नहीं कर रहा है। अत्यधिक दुःख की बात है कि इस सेन्टर का प्रसूति गृह काफी दिन पूर्व नष्ट होकर गिर गया है। इस दुःखमय पीड़ादायक स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है कि पंचायत मुख्यालय पर प्रसूति गृह ही नहीं हैं।

स्थानीय अधिकारियों ने काफी समय पूर्व विभाग के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सूचित कर रखा है। भवन के पुनर्निर्माण हेतु करीब एक लाख का अनुमान भी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेज रखा है किन्तु अभी तक सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमन्, इस वर्ष बजट में

(श्री हरिसिंह)

करीब 71 लाख रुपये शिक्षा एवं स्वास्थ्य के भवन निर्माण पर रखा गया है। श्री रोहिताश्व कुमार, यातायात मंत्री जब कुछ माह पूर्व भरतपुर गये थे तब उनके सामने भी यह बात रखी गयी थी। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से भी इस प्रसंग में बात की थी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मुख्य कार्य, प्रसूति गृह जैसे विषय के ऊपर सरकार ध्यान देकर इस भवन का शीघ्र ही पुनर्निर्माण कराये।

पब्लिक हैल्थ सेन्टर का भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो चुका है। मरीजों हेतु वार्ड टूटी-फूटी दशा में है। डाक्टर्स समय पर सेन्टर में उपलब्ध नहीं होते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति अवरुद्ध हो चुकी है। जनता में इस अवस्था से गहन असन्तोष एवं रोष है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक माह के अन्दर-अन्दर, जो प्रसूति गृह गिरा है, उसका तखमीना आ जायेगा, उसकी स्वीकृति जारी कर दी जायेगी और जिस पब्लिक हैल्थ सेन्टर के जीर्ण-शीर्ण होने की बात की है, उसकी भी मरम्मत की पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी और आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

उदयपुर नगर परिषद सीमा में अतिक्रमण

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की नियमावली व प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि उदयपुर नगर परिषद स्थानीय नगर की सुव्यवस्था और नागरिक जीवन के बेहतरी के लिए कार्य करती है लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान इस शहर में मकान बनाने आदि की स्वीकृतियां देने में जो आपाधापी हुई है उसके फलस्वरूप इस शहर का सौन्दर्य तो बिगड़ा ही है, पर्यावरण भी दूषित हुआ है। साथ ही नियमों का निर्ममतापूर्वक उल्लंघन किया गया है। नगर परिषद अपनी सीमा में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक भवनों की अनुमति देने के लिए सक्षम है लेकिन कई बार उन नियमों को तथा दरों को मनमाने रूप से बदला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भवन निर्माण जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक हो रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार ने या परिषद ने क्या नियम बना रखे हैं और क्या दरें हैं, साफ नहीं है। इसी तरह स्वीकृति भी कभी आयुक्त ने, कभी प्रशासक ने और कभी जयपुर से राज्य सरकार ने जारी की है। इसी का दृष्टान्त देकर अभी आयुक्त मनमाने रूप से यहां आदेश जारी कर रहे हैं। जनवरी, 1993

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से लेकर अक्टूबर, 1994 तक की अवधि में तीन मंजिला भवन से अधिक जो स्वीकृतियां जारी की गयी हैं उनमें भारी हेरफेर हुआ है और मनमाने रूप से निर्णय किये गये हैं जिनके बारे में किसी को सूचना नहीं है।

इसी तरह यहां पर कुछ मकान मालिक अपने आवासीय भवनों को गैर आवासीय या व्यावसायिक भवन बना रहे हैं यथा होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक काम्पलेक्स। ऐसी स्थिति में आवासीय से गैर आवासीय भवन रूपान्तरण के नगर परिषद के पास यदि कोई नियम हों तो उसकी जानकारी नहीं है।

उदयपुर शहर में भवन निर्माण के लिए जमीन तल से कितनी ऊंचाई तक भवन बनाने की अनुमति दी जा सकती है और इस सम्बन्ध में 45 फीट तक भवन निर्माण की अनुमति देने के नियम हैं तो क्या यह सर्वे कराया है कि कुछ पैसे वाले लोगों ने अपने धन बल से इससे अधिक ऊंची इमारत बना ली है और परिषद या प्रशासन असहाय होकर उन्हें देख रहा है। ऐसे भवन जो 45 फीट से ऊंचे हैं उदयपुर में कितने हैं, इसकी परिषद के पास कोई जानकारी नहीं है। स्वायत्त शासन विभाग ने अपने स्तर पर भी जनवरी, 1993 से अक्टूबर, 1994 के अंत तक होटलों एवं भवनों को लेकर कुछ स्वीकृतियां जारी की हैं और वह भी बिना नगर परिषद की अनुशंषा के, जो उचित नहीं था। इस प्रकार उदयपुर शहर में धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा भवनों को व्यावसायिक रूप से बदलने और मनमाने रूप से ऊंची बनाने तथा अतिक्रमण से जनहित का मुद्दा बन गया है और लोगों में इस बात को लेकर तीव्र असंतोष है। वे बड़ी होटलों के विरुद्ध जन चेतना पैदा कर आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री सभापति : माननीय जुबेर खान।

नौगावां (अलवर) में उच्च माध्यमिक विद्यालय

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला अलवर का कस्बा नौगावां एक महत्वपूर्ण कस्बा है। लेकिन आज तक भी इस कस्बे में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय उपलब्ध नहीं है। नौगावां कस्बे की पन्द्रह हजार के लगभग जनसंख्या है। आस-पास के 30-35 गांवों एवं चार माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थी उपलब्ध होते हुए भी सरकार यहां पर उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं खोल रही है, यह जनता के ऊपर अन्यायपूर्ण अत्याचार है।

(श्री जुबेर खान)

बार-बार सरकार द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी कस्बा नौगांवा में उच्चतर माध्यमिक स्तर का विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया है। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि जनता एवं छात्र-छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए कस्बा नौगांवा मे उच्चतर माध्यमिक स्तर का विद्यालय खोलने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा :

राजस्थान में सड़कों की दयनीय स्थिति

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आये दिन दुर्घटनाएं एवं घटनाएं होती रहती हैं। जगह-जगह स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं जिनसे दुर्घटना होती रहती हैं। सड़कों के अन्दर गड्ढे पड़ गये हैं, जो सड़कें अधूरी है उनको नहीं बनाया गया एवं जिन सड़कों को बनाया गया उनके मुआवजे आज तक नहीं दिये गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सरकार ने कितनी सड़कें स्वीकृत कीं एवं कितनी अधूरी रह गयी हैं। जो सड़कें अधूरी रह गयी हैं उनको क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेगी? अगर लेगी तो मेरे क्षेत्र की सड़क गुढाचन्द्रजी से पाल, असूदा से गढ़मोरा, केमला सड़क से कूंजेला, मीना पाडा से माला खुर्द, बागोरा से गहरूहा, मोहनपुरा, बालघाट सड़क से एदेलपुर, राजौर माचड़ी से करीरी, पाडला सड़क से साकरवाड़ा, बालाजी, नागल से पहाड़ी, नागल से महस्वा, श्री महावीरजी से शेखपुरा, हिण्डोन से मोपर, मादरपुर सड़कें अधूरी हैं। बहुत समय हो गया है पर आज तक पूरी नहीं हुई हैं एवं जो पूरी हो गयी हैं उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। नयी सड़कों के प्रस्ताव भी सरकार को भिजवा दिये पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार ने नयी सड़क नीति बनायी है, उसके तहत प्रत्येक पंचायत को जोड़ने वाली बात रखी है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर इन पुरानी सड़कों को नहीं बनाया गया तो सरकार का जो पैसा लगा है वह बेकार जायेगा एवं रास्ते में अधूरी सड़क के कारण जो रोड़े पड़े हुए हैं उनसे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं इस माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अधूरी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाये एवं नयी नयी सड़कों के जो प्रस्ताव भिजवाये गये हैं उनको जल्दी बनवाया जाये। धन्यवाद।

श्री समापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने जवाब नहीं देने दिया। वे जरूर भ्रष्टाचार मिटायेंगे, पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर जो भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे आप इसके बारे में आश्वस्त कराते।

श्री समापति : आपने, माननीय सदस्य, लिखा हुआ पढ़ा है या कुछ बोल रहे हो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी जरूर जवाब देंगे इसका और आज आप जरूर जवाब दिलवायेंगे। आप पहली बार बैठे हो, मैं तो मंत्री देखना चाहता था। अगर अध्यक्ष बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। आप जवाब तो दिला दो मेरा कम से कम। इतनी तो मेहरबानी करा दो।

गुढ़ा गोड़जी कस्बे में सब तहसील की स्थापना

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए निवेदन है कि झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील का क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है। एक छोर पर केराठे तथा पंचमेली गांव हैं जो नीम का थाना से सटे हुए हैं तथा दूसरी छोर पर बड़ा गांव है जो झुंझुनूं से सटा हुआ है। इस तहसील की लम्बाई पचास किलोमीटर से अधिक है। तहसील मुख्यालय उदयपुरवाटी एक कोने पर स्थित है। लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। जनता की सुविधा को देखते हुए गुढ़ा गोड़जी में सब तहसील कायम किया जाना अति आवश्यक है। इससे जनता को सुविधा होगी तथा प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा रहेगा।

अतः गुढ़ा गोड़जी कस्बे में सब तहसील स्थापित करने की कार्यवाही राज्य सरकार करे।

श्री समापति : श्री भंवरसिंह डांगावास। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम अहारी।

मांडल माइन्स को बन्द करने से उत्पन्न समस्या

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की मांडल माइंस जो बन्द कर

(श्री नाथूराम अहारी)

दी गयी है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

डूंगरपुर जिले में मांडल माइंस, नया गांव माइंस आदि माइंसों में हजारों गरीब आदिवासी मजदूरी पा रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने इन माइंसों में माल नहीं बता कर मजदूरों को धमकी दी कि अगर आपको नौकरी करनी है तो यहां से बाहर जाना पड़ेगा, इन माइंसों में माल नहीं है। चूंकि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने की वजह से बाहर जाना मुश्किल था अतः कुछ लोग तो बाहर चले गये है लेकिन 400 से 500 मजदूरों को अपनी रोजी से हाथ धोना पड़ा है और 1984 से 1985 तक कर्मचारी कुटुम्ब स्कीम आदि की रकम बाकी है। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है कि क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि कार्यालय, जयपुर को कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। क्या 10 साल तक कार्यवाही होने के बाद भी आज तक गरीब मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन गरीबों का भुगतान अतिशीघ्र कराया जाये।

जहां तक माल नहीं होने की रिपोर्ट के बारे में निवेदन है कि इन माइंसों में अगर माल नहीं हैं, तो प्राइवेट व्यक्तियों को माइंस के लिए क्यों अलाट किया गया ? और वहां लाखों का माल निकाल कर बेच रहे हैं। जानकर और पूर्व में माइंस में कार्य करने वाले लोगों का कहना है कि इन माइंसों में काफी मात्रा में माल है। मैनेजमेंट की गलती या चालबाजी से इन माइंसों को बंद करवाया है। माइंस बन्द होने से गरीब आदिवासी बेरोजगार हुए हैं।

अतः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन माइंसों का पुनः सर्वे कर वापस चालू किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल अहारी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : महोदय, मैं उपस्थित हूं और मेरा नाम रह गया है। आपने नाम पुकारा है।

डूंगरपुर जिले में सर्वेशुदा तालाब व एनीकटों पर निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत में आपका ध्यान दिलाता हुआ निवेदन करना चाहता हूं।

डूंगरपुर जिले में सर्वेशुदा तालाब व एनीकटों पर निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से जनता का काफी रोष बढ़ता जा रहा है। डूंगरपुर जिले की अधिकांश कृषि भूमि सूखी है व

(श्री शंकरलाल अहारी)

वर्षा ऋतु में एक फ़सल होती है। इस सम्बन्ध को लेकर अधिकांश स्थानों पर तालाब व एनीकट निर्माण हेतु काफी लम्बे समय से सर्वे की गयी है। यहां का अधिकांश कृषक अपनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। सिचाई सुविधा यदि पूरी तरह से उपलब्ध हो जाती है तो आर्थिक सुधार में काफी बदलाव आयेगा। सिचाई विभाग में नियमानुसार सर्वे निम्नांकित तालाबों व एनीकटों की है।

तालाब सर्वेशुदा :—

बलवनियां, 2. अमरपुरा, 3. बोर का भाटड़ा, 4. बारंदा व 5 अन्नपुरा आदि पर अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं था क्योंकि जिसकी लागत अनुमानित 50 लाख रुपये से अधिक थी।

एनीकट सर्वेशुदा :—

1. मोरडोंगरा — अनुमानित लागत 5 लाख

2. माणासिबल — अनुमानित लागत 12 लाख

3. झापरा

4. सलरच की नाल

उपरोक्त एनीकटों का प्रशासनिक तखमीना तैयार कर स्वीकृति हेतु डूंगरपुर व रवदर द्वारा सचिव, विशिष्ट योजना संगठन जयपुर को भिजवाया जा चुका है। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि उपरोक्त तालाब व एनीकटों पर जल्दी से जल्दी प्रशासनिक स्वीकृति दिलाकर कार्यों को प्रारम्भ कराने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह डांगावास।

नागौर जिले में पेयजल संकट

श्री भवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : मैं नियम 295 के अन्तर्गत श्रीमान् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

नागौर जिले के 80 प्रतिशत गांव व मुख्य शहर नागौर, मेड़ता, डीडवाना व नावां इत्यादि में पेयजल का संकट बना हुआ है। यद्यपि सरकार ने गत वर्ष चेष्टा की और अस्थाई कुछ हल निकाला, परन्तु जलाभाव व विद्युत अभाव के कारण पूर्णतया पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी।

जिले की स्थिति यह है कि भूतल के नीचे का पानी 200 फीट की सतह तक पीने योग्य है। इस सतह से ज्यों-ज्यों पानी नीचे जाता है, त्यों-त्यों पेयजल में फ्लोराइड व अन्य रसायन इतने अधिक हो जाते हैं जिनके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है। इस सदन में गत वर्ष मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि नागौर जिले में पेयजल का संकट है एवं इन्हीं तथ्यों को

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

विस्तृत में राजस्थान विधान सभा द्वारा तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा की अध्यक्षता में गठित पेयजल समस्या समाधान समिति के समक्ष भी रखा था।

उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 13 के पैरा 3 में जोधपुर डिवीजन के अन्य जिलों के साथ नागौर जिले में, पेयजल का संकट अधिक व्यापक रूप में होना माना है। कुछ कारण देकर उक्त समिति का निर्णय, मैं उद्धृत करता हूं :—

"इसलिए मीठे पानी की समस्या का स्थायी समाधान इन्दिरा गांधी नहर से पानी प्रदाय किये जाने से ही सम्भव है।"

इसी पैरा में आगे समिति ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है "इसलिए समिति की राय है कि इन जिलों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना बनाकर उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाये।"

मैं यह भी मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि नागौर जिले के उत्तरी भाग में इन्दिरा गांधी नहर से जलापूर्ति करने के लिए स्वीडन की टीम ने सर्वे का कार्य करीब 8 माह में पूरा कर लिया था। उनकी राय में दक्षिण भाग नागौर जिले में बीकानेर जिले से जलोत्थान कर पेयजल उपलब्ध होना कठिन बताया है। पूर्व में एक पेयजल योजना जोधपुर जिले के चौमू चौराई से जलोत्थान पेयजल नागौर जिले में लाने की बनी थी।

मैं मंत्री महोदय को यही प्रार्थना करूंगा कि नागौर जिले में 5-7 सालों के बाद भूमि के नीचे पानी पीने योग्य नहीं बचेगा। सरकार चाहे कहीं से भी नदियों का पानी उपलब्ध कराने हेतु शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करावे।

मैं चिंतित हूं कि यह 5-7 वर्ष में शुद्ध पेयजल नागौर जिले को उपलब्ध नहीं कराया गया तो जनमानस व पशुधन पर पेयजल का घोर संकट आयेगा व अपेयजल को आपूर्ति करने से जनमानस व पशुधन कई बीमारियों से ग्रसित होंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल बारूपाल। नहीं हैं। (अनुपस्थित)
श्री गोपीराम।

जोबनेर की श्रीमती आनन्दी देवी कुमावत की हत्या

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन कर रहा हूं कि थाना जोबनेर में श्रीमती आनन्दी देवी कुमावत, बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर को दिन में दिनांक 12-1-95 को बावरियों द्वारा मार कर कुए में डालने की घटना हुई और सदन का ध्यान आकर्षित करके कहना चाहूंगा कि, दिनांक 12-1-95 को

(श्री गोपीराम जाट)

श्रीमती आनन्दी देवी कुमावत पुत्री श्री रामेश्वरलाल अपनी ढाणियों की औरतों के साथ सरसों के पत्तों का चारा लेने गयी थी। सभी औरतें अपने-अपने खेतों में सरसों के पत्ते तोड रही थीं। उस समय औरतें "बचाओ--बचाओ" की आवाज सुनकर सरसों के खेतों से बाहर निकल कर आयीं तो उन्होंने देखा कि श्रीमती आनन्दी को 3--4 बावरिये कुएं में गिरा रहे हैं। इस पर औरतें भाग कर आयीं तो 3-4 बावरिये जिनके नाम रूडा, दाना, मूरा उर्फ मंगला आदि थे, औरतों को देखकर और एक आदमी को देखकर भाग गये। औरतों ने ग्राम में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गयी। पुलिस ने मुकदमा नम्बर 7/95 दर्ज कर धारा 302 आई. पी. सी. के तहत जांच प्रारम्भ कर दी। बावरियों को पकड लिया और शिनाख्त परेड करायी जिस पर घटनास्थल वाली औरतों ने रुडा, दाना वगैरह बावरियों को पहचान लिया। यहां तक पुलिस ईमानदारी से काम करती रही किन्तु इसके बाद बावरियों की मदद राजनैतिक नेताओं के द्वारा करने के कारण स्थानीय पुलिस प्रशासन प्रभावित होकर हत्या की गुत्थी सुलझाने के स्थान पर सबूत नष्ट करने और न्यायालय से बचाने की भरसक चेष्टा करने में लग गया। अतः सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस जनता की रक्षक रहते हुए और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ पुलिस अपराधियों को दण्ड दिला सके, इसके लिए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का श्रम करें।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल।

मण्डावरी ग्राम के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन कर रहा हूं कि दौसा जिले की तहसील लालसोट के ग्राम मण्डावरी की जनसंख्या करीब दस हजार है। इसके आस-पास के आंचलिक माध्यमिक विद्यालय खेडला-खुर्द, महारिया सूरतपुरा एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय मण्डावरी हैं। उक्त विद्यालयों के छात्र माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई करने के लिए लालसोट जाते है। मण्डावरी एवं अन्य विद्यालयों से लालसोट 15-20 किलोमीटर दूर है। छात्र एवं छात्राओं को प्रतिदिन बसों से आना-जाना पड़ता है। सभी छात्र-छात्राओं का विद्यालय का एक ही समय नियत है, जिसके कारण बसों में छात्र-छात्राओं को ऊपर छत पर बैठकर जाना पड़ता है। उक्त विद्यालयों एवं आस-पास के विद्यालयों जैसे पिपलाई आदि के करीब एक हजार विद्यार्थी प्रतिदिन आते-जाते हैं। आम लोगों की बसों में भीड़ होने के कारण छात्र-छात्राएं बसों की छत पर बैठकर आते हैं। जिसके कारण कई

(श्री परसादीलाल मीणा)

छात्र-छात्राओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। छात्रों के अभिभावक तो फिर भी इस तरह के हालात में लालसोट प्रतिदिन भिजवा देते हैं परन्तु छात्राओं को प्रतिदिन भिजवाने में परेशानी महसूस करते हैं जिसके कारण छात्राएं माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। यदि ग्राम मण्डावरी के वर्तमान माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय कर दिया जाता है तो छात्र-छात्राओं के लिए विशेष अनुग्रह होगा एवं जनहित में बहुत ही सराहनीय कार्य होगा।

वर्ष 1995-96 में सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का बजट में प्रावधान किया है जिससे आशा है कि सरकार ग्राम मण्डावरी (लालसोट) की माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के आदेश करेगी।

सुजानसिंहजी के पास ही शिक्षा मंत्रीजी बैठते हैं सुजानसिंहजी, आप हमारी बात को शिक्षा मंत्रीजी तक पहुंचायें।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : मैं कोशिश करूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : करेंगे, जरूर। अच्छा, धन्यवाद।

(13.56)

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामपालजी उपाध्याय।

सहाड़ा एवं रायपुर तहसील की पेयजल योजनाएं

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा रायपुर क्षेत्र में एकाधिक जगह पेयजल का अभाव अभी से गहराने लग गया है। सहाड़ा तहसील के सोनियाणा झवरकिया ग्राम की 5 वर्ष पूर्व जलदाय योजना स्वीकृत हुई थी और उसी सन्दर्भ में समीपस्थ स्थित ऊचकिया बांध के नीचे 2--3 लाख की राशी खर्च करके विभाग द्वारा एक कुआ तैयार करवाया गया। परन्तु इस योजना का अगला कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया। परिणामतः तहसील के इस सर्वाधिक सूखे ग्राम को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और एक-दो किलोमीटर दूर से पेयजल उपलब्ध किया जाता है। कुल मिलाकर इस गर्मी में पेयजल के अभाव में लोगों का जीना मुश्किल हो जायेगा। अतः अनुरोध है कि ग्रीष्मकाल में आने वाले संकट को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के कार्य को तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जाना अत्यावश्यक है।

इसी तरह इसी तहसील की चीडखेड़ा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जलदाय योजना का विस्तार किया जाना आवश्यक है ताकि गरीब, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

सांगानेर में पेयजल संकट

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करती हूं कि सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की गहन समस्या पैदा हो गयी है। मैंने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर पिछले सत्र में भी आकर्षित किया किन्तु अभी तक इस कठिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है।

सांगानेर एवं चाकसू तहसील के कुछ इलाकों में जमीन के अन्दर पत्थर होने एवं पानी का स्तर नीचा होने के कारण हैण्ड पम्प काम नहीं कर पा रहे हैं। सांगानेर तहसील में ये इलाके निम्न हैं :-

अजराजपुरा, बमोरिया, ऊंती-रामपुरा, ठीकरिया, कलवाड़ा एवं चाकसू, दहमी कलां पंचायतों के गांव। इसी प्रकार चाकसू पंचायत समिति के करेड़ा खुर्द, चंदलाई, सील की डूंगरी, आकोडिया एवं शिवदासपुरा पंचायतों के गांव भी इनमें शामिल हैं।

चाकसू पंचायत के कुछ गांवों मे पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 7 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत तक हो गयी है जिसके कारण यहां के नागरिक एवं बच्चों के हाथ-पैर टेढ़े-मेढ़े हो गये हैं।

(14.00)

अनुसूचित जाति के मोहल्ले एवं ढाणियों में पाइप डालने की जो योजना अनुसूचित जाति विकास निगम की ओर से प्रारम्भ की गयी है, उसके तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिलाधीश एवं अध्यक्ष को बार-बार लिखने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके कारण इन मोहल्लों में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है और आपके घर पर आकर महिलाएं घड़े भी फोड़ सकती हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस समस्या पर पूरा ध्यान दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह इसमें लिखा हुआ नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह नहीं लिखा हुआ है, यह बात तो मंत्री महोदय की उदारता की वजह से कही है कि मुझे इतना बोलने की परमिशन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उदयलालजी आंजना।

निम्बाहेड़ा में पेयजल समस्या

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ़) में पेयजल समस्या निवारण हेतु पिछले तीन वर्षों में गांव–चरलिया, कारून्डा (निम्बाहेड़ा), सरसी, जलोदिया, केलुखेड़ा, नारायनी, अरनोदा, केसुन्दा, कारून्डा (छोटी सादडी) में पनघट योजना के तहत ट्यूबवैल खोदे गये, परन्तु अभी तक पाइप लाइन नहीं डालने से उन योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है। पिछले विधान सभा सत्र में भी इस समस्या का उल्लेख नियम 295 के तहत किया गया था। परन्तु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। पुनः गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है और पेयजल की विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है। गांव कारून्डा में तो अभी से टैंकरों से पानी वितरण किया जा रहा है। पनघट योजना के तहत कारून्डा गांव में टंकी बना दी गयी है। ट्यूबवैल तीन किलोमीटर दूर लगाया गया है। दो किलोमीटर पाइप लाइन पूरी कर दी गयी है और एक किलोमीटर पाइप लाइन शेष है, इस कारण गांव पानी की विकट समस्या से जूझ रहा है।

अतः निवेदन है कि इन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराकर पंचायतों को सुपुर्द किया जाए ताकि गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं आये और राज्य सरकार के द्वारा किये गये खर्चे का समुचित लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री राम नारायण जी चौधरी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मान्यवर, यह संसदीय परम्परा का एक हिस्सा है, सत्र प्रारम्भ होने के पहले राज्यपाल महोदय को आपकी अगुवाई में विधान सभा में लाया जाता है और फिर उनके मुख से जो सरकार का लिखा हुआ एक डाकुमेंट होता है वह पढ़वाया जाता है। तो इसमें राज्यपाल का तो नाम है और राज्य सरकार का स्वयं का एक लेखा-जोखा है। अब उसके ऊपर सरकार की तरफ से धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय कालीचरणजी सराफ ने प्रस्तुत किया है और उन्होंने सदन मे यह प्रार्थना की है कि इसको पारित किया जाय।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के प्रति हमारे मन में कोई दूसरी बात नहीं है, वह सर्वमान्य हैं लेकिन जो सरकार की तरफ से डाकुमेंट पढ़ा गया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में उसकी तारीफ की जाय या वर्णन किया जाय।

(श्री रामनारायण चौधरी)

सबसे अहम बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें लिखवायी है, पंचायतों का चुनाव। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, जिसके बारे में इस सदन में और सदन से बाहर भी बहुत चर्चाएं और विचार-विमर्श हुआ था और पिछली बार इसी सदन में जब बजट सेशन चल रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान हो तो हमने यह उठाया था कि आपने तमाम ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको खतम कर दिया और आपने ग्राम सेवकों को प्रशासक बना दिया। सर्व-सम्मत एक राय थी, मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर सर्व-सम्मत थे। हमने एक फार्मूला भी दिया था कि जनता की भावनाएं ग्राम पंचायतों में हों, उनके जरिये काम हो। आपने ग्राम सेवकों को सर्वेसर्वा बना दिया। यहां पर सर्व-सम्मत राय के आधार पर यह तय हुआ था कि ग्राम पंचायतों का काम चलाने के लिए एक एड-होक बोडी बनायी जायेगी। उसके अन्दर जन-प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और एक वहां के स्कूल का हैड-मास्टर भी शामिल होगा।

मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता माननीय परसरामजी मदेरणा, इन दोनों के बीच यह सहमति हुई थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, यह तो आपके सामने है, सदन के सामने है। पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात का पता है, इसका उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। ग्राम सेवक उसी तरह से, जैसे पहले करते आ रहे थे, पूरे एक साल तक उन्होंने जैसा मनमानी से काम किया, वह सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने है। यदि यह काम राजस्थान की सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय की सरकार, उनकी ही प्रतिनिधि है, वह अगर काबिलीयत तारीफ है, इसकी प्रशंसा की जाय, आपमें से कोई भी खड़ा होकर नहीं कह सकता कि वास्तव में यह काबिलीयत तारीफ काम आपकी सरकार ने किया, राज्यपाल महोदय की सरकार ने किया है, कह दो। इस सदन के अन्दर दोनों तरफ से एक मिलाजुला निर्णय है, जिसकी कहीं भी क्रियान्विति नहीं हुई है।

पंचायती राज व्यवस्था के आपने चुनाव करवाये, पंचायती राज कैसे लागू हुआ, यहां आपने इसमें यह कहा, ठीक है हम आपका मान लेते हैं, आपने यह चुनाव करवाये हैं। आपका वायदा था कि चुनाव इस तरीके से करवाये जायेंगे कि उसमें बाड़ाबंदी नहीं होगी और किसी दबाव और किसी प्रकार का कोई बाहरी असर, एक्सटरनल इंफ्लुएंस मतदाताओं के ऊपर सरकार या किसी का भी नहीं डाला जायेगा। मैं कहता हूं कि जितने निकृष्ट ढंग से, जितने मनमाने तरीके से, इस चुनाव के अन्दर व्यवस्था की गयी इससे तो पहले वाले चुनाव हजार दर्जा अच्छे थे।

अब आप देखिये कि कब सरपंचों के चुनाव होते हैं, कब पंचायत समितियों के

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रतिनिधियों के होते हैं, कब जिला परिषद् के होते हैं, फिर कब उनके प्रधानों के, प्रमुख के होते हैं और इसके बाद कब उप प्रमुख, उप प्रधानों के होते हैं, कितना इसको विस्तृत कर दिया गया है, दो महीनों तक लगातार और वायदा यह था माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस सदन और सदन के बाहर कि चुनावों को एक निश्चित अवधि में इस तरीके से किया जायेगा कि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और अधिक खर्चा नहीं होगा, कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होगा। अब उसके अन्दर सबसे बड़ी बेईमानी की बात क्या होगी कि जो आपने चुनाव आयोग बनाया था, उस चुनाव आयोग की परिधि से आपने प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख, इन चारों के चुनाव को आपने निकाल दिया और सरकार के अधिकार में दे दिया, नियम बना लिये। इन नियमों को बनाकर एक दूसरे तरीके से आपने यह चुनाव करवाये। तो यह जो चुनाव को प्रक्रिया आपने अपनायी, यह बहुत दोषपूर्ण थी, बहुत पक्षपात पूर्ण थी और इसमें बड़ी आपाधापी हुई।

राजीव गांधी ने 1989 के अन्दर पंचायत-राज का दर्शन, कानून के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया था। माननीय सदस्यों को अगर स्मरण हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रक्रिया के अन्दर राजीव गांधी ने सारे भारतवर्ष को, सब लोगों से मिलकर, बात करके डाकुमेंट तैयार किया था और वह कानून की शक्ल में, संविधान के अन्दर उसका इनकारपोरेशन किया था, वह पार्लियामेंट में रखा था। इसमें प्रधान, प्रमुख, सरपंच, पंचायत समिति का प्रतिनिधि और जिला परिषद् के प्रतिनिधि, इन तमाम प्रतिनिधियों का निर्वाचन एक साथ आम लोगों द्वारा रखा गया था। वह कानून 1989 के अन्दर पास नहीं हुआ। इसके पास नहीं होने का कारण यह था कि प्रतिपक्ष की तरफ से समर्थन नहीं मिला और एक चौथाई वोट की कमी के कारण से, चूंकि संवैधानिक संशोधन था वह गिर गया और जिस का नतीजा यह हुआ कि उस तरह का कानून लागू नहीं हो सकता। चुनाव के बाद जब नयी सरकार केन्द्र में बनी तो प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने लोगों की राय से एक मत से और वह एक मत प्रतिपक्ष का पार्लियामेंट के अन्दर यह आया कि प्रधान और प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाय, तब जाकर के वह कानून पास हुआ। यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई। इससे जो वास्तविक प्रतिनिधित्व गांव का होना चाहिए था वह नहीं हुआ वरना आम मतों से, आम वोट से जो चुनाव होता वह ज्यादा अच्छा, साधिकार, अधिक सर्वमान्य होता।

पंचायत राज का श्रीगणेश करने का श्रेय आप स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, जहां तक चुनाव कराने की बात है, जैसे-तैसे आपने कराये, वह तो ठीक है लेकिन चुनाव बहुत दोषपूर्ण तरीके से हुए हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में माननीय मुख्य

(श्री रामनारायण चौधरी)

मंत्रीजी ने जिक्र किया है कि लिबरलाइजेशन पालिसी का डाकुमेंट में समर्थन जाहिर होता है लेकिन इसमें भी किन्तु और परन्तु लगा है। खुले दिल से यह कहना चाहिए था कि भारत सरकार की जो उदारता की नीति है, लिबरलाइजेशन है वह राष्ट्र के हित में है। अब आपने इसमें आह्वान किया है कि ऐसा किया जाना चाहिए कि बाहर की मल्टी नेशनल्स कम्पनीज भारत में आकर छा नहीं जाएं। अब एक तरफ आप उनको यहां लाने के लिए वकालत कर रहे हो और दूसरी तरफ आपने राजस्थान के अन्दर, क्योंकि मैं देखता हूं कि हर दीवार पर लिखा होता है, कि "स्वदेशी लाओ और देश बचाओ", यह आपकी पार्टी का एक प्रोग्राम है। अब उस स्वदेशी का आपने इसमें और इससे बाहर कहीं कोई जिक्र नहीं किया, खुलासा नहीं किया कि आपकी स्वदेशी नीति क्या है?

महात्मा गांधी ने स्वदेशी पर जोर दिया था, सत्य और अहिंसा का प्रोग्राम देश के सामने उन्होंने आजादी के वक्त रखा था, उन्होंने खुलासा कर दिया था कि उनकी अहिंसा क्या है, उनका सत्य क्या है और उनकी स्वदेशी क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी स्वदेशी का तात्पर्य है तात्पर्य, इस प्रकार का यह कि बैलगाड़ी का युग गया, आप स्वदेशी के नाम पर इस देश में बैलगाड़ी की परम्परा और उसकी व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं? पुराने जमाने में ऊंटों के साथ में इक्के लगते थे उसमें बैठकर लोग चलते थे, वह व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं? कौनसी आपकी स्वदेशी है, क्या है? आज जब सारे विश्व के अन्दर प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन देश किससे आगे निकले, टेक्नोलोजी की लड़ाई है, आज स्पेश के अन्दर अलग तरह की व्यवस्था हो रही है। तो आप स्वदेशी के नाम पर यह सारे लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं और यहां आप मल्टी नेशनल्स को इंवाइट कर रहे हैं।

मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो औद्योगिक नीति घोषित की उसमें किस प्रकार से बाहरी धन जिनके पास है उससे काम नहीं चलने वाला है, जितने भी आपके उद्योगपति हैं वे सब विदेशों में उन कम्पनीज से बात करना चाहते हैं और बात कर रहे हैं जो यहां आ कर धन लगा सकते हैं। आपने भी अपनी औद्योगिक नीति के अन्दर इस बात की सराहना नहीं की है, उदारीकरण की आपकी औद्योगिक नीति जो आपने यहां डाकुमेंट किया है वह एक पर्सेंट भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि आप विदेशी लोगों को, मल्टी नेशनल कम्पनीज को और बाहरी टेक्नीक को इंवाइट कर के यहां देश में नहीं लगायेंगे, प्रदेश में नहीं लगायेंगे तो आपका एक भी उद्योग न तो लगने वाला है और न चलने वाला है। अब आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा उदारीकरण किया कि यहां ईस्ट इंडिया कम्पनीज आ जायेगी, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में आयी और उसने

(श्री रामनारायण चौधरी)

आते-आते, धीरे-धीरे देश का राज ही ले लिया और भारत का शासन खतम कर दिया, अंग्रेजों का राज यहां पर आ गया। यह आप लोग ओपन अपने प्लेटफार्म से कहते हैं। जब देश की हालत ही ऐसी हो जायेगी, जो बहादुरशाह जफर के वक्त में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कम्पनी नहीं, कोई भी आ सकता है। लेकिन आज बहादुरशाह जफर नहीं है, आज भारत-वर्ष का एक-एक नागरिक जो 18 साल का मतदाता है वह इस देश का बहादुरशाह जफर है, उनके बाजुओं में जब तक ताकत है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपको इंटरविन करूं, चूंकि आप अपना भाषण जारी रख रहे हैं और दो सवाल आपने सीधे मेरे से किये हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका स्पष्टीकरण करूं जिससे आपको बोलने में सुविधा होगी।

पहली बात तो यह है कि न हमारी यह नीति है कि हम वापस बैलगाड़ी की तरफ जायें। स्वदेशी का अर्थ जिस रूप में आप ले रहे हैं उस रूप में नहीं है। स्वदेशी का अर्थ है स्वदेशी मेंटेलिटी, जैसे देश भक्ति वैसे ही स्वदेशी वस्तु, यह है। उसका किसी चीज के निर्माण से सम्बन्ध नहीं है। आप अपने देश को जिस तरह से प्यार करते हैं वैसे ही देश में बनी हुई चीज को आप स्वीकार करें, यह है स्वदेशी का मतलब। दूसरी बात यह है कि जहां तक मल्टी नेशनलस का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैंने तो बहुत बार स्पष्ट किया है कि हम मल्टी नेशनलस का स्वागत करते हैं कि वह हाई टेक्निक लेकर यहां आये जिस टेक्नोलोजी की आप बात कर रहे हैं, काम्पीटिशन की, हमें उसकी जरूरत है और उसमें हम मल्टी नेशनलस को इंवाइट कर रहे हैं, तीसरा, हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां औद्योगिक विकास हो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना बहुत जरूरी है जिसके लिए न केन्द्र सरकार के पास उतना पैसा है न राज्य सरकारों के पास पैसा है। हम मल्टी नेशनलस को उसमें भी इंवाइट करते हैं कि वह आये और हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में जितना इंवेस्टमेंट करना चाहें वह करें। उनका हम स्वागत करते हैं।

हम जिस बात के प्रति चेतावनी देते हैं, विरोध का सवाल नहीं है चेतावनी इस बात की देते हैं कि यदि हमारे यहां के उद्योगपति मल्टी नेशनलस से कोलेबरेशन कर के और यहां के उपभोक्ता बाजार में अधिक संख्या में घुस गये तो उसका परिणाम आपके यहां के उद्योग जो अभी सक्सेसफुली चल रहे हैं वह मल्टी नेशनलस की जेब के चले जायेंगे और हमारे उद्योगपति बेकार होंगे। दूसरी बात इसमें यह होगी कि जो हमारे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम संतुलित नीति चाहते हैं। हाई टेक्निक में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उनका

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

सहयोग चाहते हैं लेकिन हमारे यहां जो औद्योगिक विकास हम अपने आप करें वह हम करें अन्यथा यदि हमारे उद्योगपति कोलेबरेशन करने के लोभ में आकर अपने यहां पर जो टेक्निक हम डवलप कर सकते हैं उसको छोड़ देंगे और उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे कि उनसे पैसा लाओ हमारा व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, तो आगे जाकर हमारे यहां के उद्योगों को इसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ सकता है, यह बात स्पष्ट है। इसको आप ध्यान में रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : आर्थिक नीति और योजना बनाने वालों को अब इस गलती का अहसास हुआ है, फलस्वरूप पिछले 5 वर्षों में देश में आर्थिक उदारवाद का माहौल बना है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके बारे में संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाय। गांधीजी कहा करते थे कि हमें हमारे कमरे की सारी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, उन्मुक्त रूप से सभी दिशाओं से हवा आती रहनी चाहिए। इधर तो आप उन्मुक्त रूप से खुली हवा लाना चाहते हैं और उधर आप यह प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। आपके यहां दूसरे देश से धन आयेगा तो उसका प्रभाव होगा और वह प्रभाव देश हित में होगा। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम तो....

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन कर दूं। यह आप ध्यान में रखें कि मल्टी नेशनल्स केवल धन लेकर नहीं आयेंगे, मल्टी नेशनल्स अपनी संस्कृति को भी लेकर आयेंगे, अपनी सभ्यता को भी लेकर आयेंगे इसलिये इस बात की हमको सावधानी रखनी पड़ेगी कि मल्टी नेशनल्स का धन, जिससे हमारे यहां का उद्योग विकसित हो, वह तो हमारे लिए लाभप्रद है परन्तु मल्टी नेशनल्स के साथ उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका आचार, उनका व्यवहार, यदि यह सारे आ गये तो इस देश की क्या स्थिति बनेगी ? आप विचार करिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मल्टी नेशनल्स अपनी संस्कृति लेकर आयेंगे या नहीं आयेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आगे की बात है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अपनी सभ्यता, जो टी. वी. के अलग-अलग चैनल्स चलते हैं, मेरी पांच पीढ़ी जिन्दा हैं, तो मैं तो देख नहीं सकता, जो संस्कृति उनकी आ रही है, वह तो आ गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कहना चाहता था वह पूनम चन्दजी ने कह दी कि मल्टी नेशनल्स तो आयेंगे जब आयेंगे और वह अपनी संस्कृति लायेंगे जब लायेंगे लेकिन आज आपके टी. वी. के जरिये, जी. टी. वी. के जरिये, दूसरी टी. वी. के ज़रिये....

श्री हरिशंकर भामड़ा : इन्हीं के प्रभाव से हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, जो आ रहा है वह सारी विदेशी संस्कृति आ रही है। अब तो आपका संचार इतना छोटा हो गया है, इतना वननेस और कम्पेक्ट बन गया। आज न्यूयार्क में एक फैशन आती है अमरीका के अन्दर तो सैकण्ड्स में यहां भी पहुंच जायेगी। उसकी तो आप चिन्ता नहीं करें उसके और दूसरे बहुत से तरीके हैं और भारत सरकार ने जो अपनी डाकूमेंट, उदारता का परिचय दिया है उसमें इस बात का कहीं कोई खतरा नजर नहीं आता। साफ लिखा हुआ है, आप कहते हैं कि आपकी स्वदेशी यह है। यह स्वदेशी आप तक है। आप कुटीर उद्योगों को बचाना चाहते हैं। कुटीर उद्योग तो बचे हुए ही हैं। जो कम्पनियां बाहर से आयेंगी, जो बड़ा कारखाना लगेगा, प्रोड्क्शन होगा, उसमें जितने भी दूसरे इक्विपमेंट, कल-पुर्जे, पार्ट्स, वह तो इसी देश में बनेंगे, वह छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के मार्फत बनेंगे, वह तो उसके साथ-साथ पनपेंगे ही। एक भारी कम्पनी लगती है तो उसके साथ-साथ छोटे-छोटे कितने लोगों को काम मिलेगा, वह कुटीर उद्योगों के मार्फत मिलेगा।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अमरीका के किसी जमाने के बहुत बड़े नीति-निर्माता आये तो उन्होंने आपकी पार्टी के अध्यक्ष अडवाणी जी से मुलाकात की। वे भारत की उदारीकरण नीति के बारे में जानना चाहते थे तो उन्होंने यह फरमाया कि हम तो पहले से ही इस नीति के मानने वाले हैं, पक्षधर हैं, पोषक हैं। उन्होंने पूछा आजकल आप चुप क्यों हैं? वह बोले यह तो कांग्रेस वालों ने, आज की सरकार ने हमारी ही नीति को चुरा लिया।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : थोड़ा सा उदारीकरण को और मल्टी नेशनल्स को मिलाइये मत। हम उदारीकरण के पक्ष में हैं। इस देश में हमने कोटा-परमिट लाइसेंस का विरोध किया है। हम चाहते हैं कि इस देश में उद्योगपति निर्बाध रूप से, स्वतन्त्र रूप से, बिना किसी अनावश्यक अंकुश से उद्योगों का विकास करें, यह है हमारा उदारीकरण। लेकिन मल्टी नेशनल्स लाने का उदारीकरण से सम्बन्ध नहीं, यह अलग बात है। मल्टी नेशनल्स एक अलग चेप्टर है और इस देश में उद्योगों को पनपाने के लिए, उनको स्वतन्त्रता रहे, उन पर अनावश्यक रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, यह है उदारीकरण। जिसका हम समर्थन पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और भारत सरकार भी इसको मानती है। (व्यवधान) अब मानने लगी है, पहले नहीं मानती थी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आप उद्योगों को नहीं पनपना चाहते, उद्योगपतियों को पनपाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : वह उसमें से निकलेगा। जब आप मल्टी नेशनल्स को लाओगे तो सारा पैसा इन्हीं के हाथ में

(श्री हरिशंकर माभड़ा)

आ जायेगा और उद्योग की बात आप कह रहे हो कि वह कलपुर्जे बनायेंगे, वह सब आटोमेटिक होगा... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : आप तो विदेशियों को पनपाना चाहते हो, विदेशी कम्पनियों को पनपाना चाहते हो।

श्री हरिशंकर माभड़ा : (व्यवधान) मैंने उनकी इजाजत से कहा है, जो कुछ भी कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय, मुख्य मंत्रीजी ने राज्यपाल महोदय, के मुंह से कहलाया कि आजादी के बाद पहले चार दशकों में हमारी विकास अवधारणा में सार्वजनिक उपक्रमों को अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। कंट्रोल एवं लाइसेंस प्रणाली इसकी सहज परिणति थी जिससे विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर हमारे देश की उद्यमिता को जकड़ दिया था। बड़े पैमाने पर प्रशासन तन्त्र का विस्तार किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खर्चे बढ़े। निरन्तर घाटे की व्यवस्था के कारण मुद्रा-स्फीति बढ़ी, विश्व व्यापार पर आधारित अन्तरराष्ट्रीय विकास का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाये। यह उनसे कहलवाया था। जो नीति हमारे प्रदेश की और देश की थी वह तो सारे विश्व में दो विचार-धाराओं से जुड़ी हुई थी। उस नीति के जो नियोजक थे, वह चली थी समाजवाद, साम्यवाद, रूस और कम्युनिस्ट कंट्रीज में, उनका एक कंसेप्ट था, लेनिन का एक कंसेप्ट था। वह सारा महल ही सारे विश्व के अन्दर धराशायी हो गया। तो देश भारतवर्ष, आप और हम उससे अछूते कहां रह सकते थे? इसकी उसमें जिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं थी वह तो एक अन्तरराष्ट्रीय विचार था जिसको आज बहुतों ने पकड़ रखा है और अधिकांश लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है तो वह सारा ढांचा ही चरमरा गया। रूस चला गया, युगोस्लाविकया चला गया, चैकोस्लोवाकिया चला गया। जो लिबर-लाइजेशन आपने किया है, चाइना ने पन्द्रह साल पहले उसको स्वीकार कर लिया था, आपके देश ने स्वीकार नहीं किया। यह तो एक भूल हुई थी। बाकी जिन देशों ने स्वीकार किया वह आज कहीं आपसे आगे निकल गये। आप कहते हैं कि यह अब महसूस किया गया। अब महसूस करने के बाद में मुख्य मंत्रीजी आगे चलकर किन्तु और परन्तु इसमें लगवा दिये कि आर्थिक उदारवाद का पूरा लाभ देश को तभी मिलेगा जब हमारे उद्यमी अपनी स्वयं की क्षमता का विस्तार करें तथा प्रतिस्पर्धा में वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला कर सकें।

यदि हमारे उद्यमियों को समान धरातल नहीं मिला तो वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सामना नहीं कर पायेंगे और धीरे-धीरे ये कम्पनियां हमारे उद्योगों को आत्मसात करती चली जायेंगी। इसका

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो औचित्य ही समझ में नहीं आता। किस प्रकार आपके उद्योगपति उनके साथ आत्मसात हो जायेंगे, यहां से वह उठ जायेंगे और खत्म हो जायेंगे। आपके उद्यमियों को, जिनको आपने सलाह दी है राज्यपाल महोदय के मुंह से, एक भी उद्योगपति ने भारतवर्ष के लिए नहीं कहा है कि हम इनके साथ आत्मसात हो जायेंगे या नहीं हो जायेंगे, एक ने भी नहीं कहा। सर्वसम्मत ओपीनियन, यदि किसी की राय है तो उद्योगपति की है कि भारत सरकार की जो उदारीकरण की नीति है, यह सर्वश्रेष्ठ है और इसके अंदर दोष की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप उनको आगाह कर रहे हैं और आगाह करते वक्त आपने यह तो लिखवाया नहीं कि आप इस तरह से चलो। जब उसमें स्पष्ट है कि उनके साथ जो समझौते हों, उन समझौते की शर्तें, 51 प्रतिशत आपके हो सकते हैं, 49 प्रतिशत उनके हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, उनका भी बहुमत हो सकता है, आपका भी बहुमत हो सकता है, उसके बाद मेनेजमेंट उनके पास हो सकता है, उनका मेनेजमेंट आपके पास भी हो सकता है, यह उद्योगपतियों के आपसी मशविरे हैं। यह आपने बिलकुल निरर्थक, इसमें आप बचना चाहते हैं। भारत सरकार की उदारीकरण नीति की मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं करना चाहते और उसको न आपसे निगला जा रहा है और न आपसे उगला जा रहा है। आपके यह बात गले में फंसी हुई है, मन में आपके बचने की बात, ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गले में तो भारत सरकार के फंस गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : भारत सरकार तो इतनी उदार है कि अभी कोटा में भारत सरकार के विदेश मंत्री आये, जो अखबारों में पढ़ा और प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, वह आपको कितना काम्प्लिमेंट दे गये। वह आपके इस नजरिये से नहीं चलते। जिस तरह राजस्थान सरकार ने गवर्नर से कहलवा दिया, वह नजरिया भारत सरकार का नहीं। हमारे भी कई साथी नाराज हो गये थे कि भारत सरकार के विदेश मंत्री को क्या हो गया? मैंने कहा, बड़ा देश है, बड़े आदमी इस देश को चला रहे हैं, किस संदर्भ में क्या बात कही है, अखबार में किस रूप में आयी है, क्या कही है? लेकिन कुछ भी हो, कुछ न कुछ तो उन्होंने उदारीकरण के मामले में एक परिचय दिया। फिर आप इतने कंजरवेटिव, इतने संकुचित क्यों हो रहे हैं? खुले दिल से एक बात तो इसमें लिख देते, इसमें कुछ जाता नहीं है, इसमें बड़प्पन की बात होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या लिखवाना चाहते हो?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्रीजी

(श्री रामनारायण चौधरी)

मे यह जानना चाहता हू कि इसी अधिवेशन में प्रतिपक्ष और पक्ष, दोनों ने एक राय से माना कि किसान के जीवन का आधार आज बिजली है, ठीक है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत भाग-दौड़ मचा रहे हैं। वह भी जब तक आप मल्टी नेशनल्स से नहीं मिलेंगे, विदेशियों से नहीं मिलेंगे, तब तक आपका पूरा होने वाला नहीं, यह अलग बात है। लेकिन हमने आपसे बारह घंटे बिजली देने की मांग की और दोनों तरफ से एक पूरी सर्वसम्मत राय है। आपने प्रतिपक्ष से बात करके यह निर्णय किया था कि मैं राजस्थान में काश्तकारों को निरन्तर आठ घंटे बिजली दूंगा, चाहे उद्योगपतियों की मुझे बिजली काटनी पड़े, उनके कारखाने मुझे बंद करने पड़े, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ें, कितनी भी कीमत पर मुझे बाहर से बिजली लानी पड़े, लेकिन मैं किसानों को आठ घण्टे निरन्तर बिजली देने का वायदा करता हूं। यह आपने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी। क्यों माननीय पक्ष के सभासदों, यह बात नहीं हुई थी? हुई थी आप दोनों तरफ से लेकिन आज मैं माननीय सभासदों की तरफ से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आज क्या स्थिति है? किसान तबाह हो गये, कितना बड़ा नुकसान इस वर्ष के अन्दर किसानों को हुआ है। किसान की हानि और बरबादी का यह वर्ष इतिहास में लिखा जायेगा कि किसान इस वर्ष के अन्दर बरबाद और तबाह हो गये। यह तो भगवान की मेहरबानी हो गयी कि इन्द्र देवता ने कुछ वर्षा कर दी वरना बिजली के भरोसे तो मामला साफ हो गया था, किसान नष्ट हो गया था। आठ घण्टे बिजली देने का मुख्य मंत्री महोदय का आश्वासन था।

पंचायतों की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो की, वह ग्राम सेवक बदस्तूर रहे पूरे साल तक यह कहा है कि पंचों की राये सिर माथे लेकिन परनाला वहीं गिरेगा। मुख्य मंत्री जी के जंची हुई थी कि मुझे तो ग्राम सेवक को गांव के अन्दर, पंचायत के अन्दर सर्वे सर्वा रखना है। वह आपने रखा, 12 महीने तक रखा। आपने उसमें जन भागीदारी समावेश नहीं की। किसानों को आठ घण्टे बिजली देने का आपने जो वायदा किया था वह वायदा आपने नहीं निभाया। आप, हम सभी भारत वर्ष के अन्दर गोधन के पुजारी हैं, पशुधन के पुजारी हैं। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था खेती के साथ-साथ उतनी ही पशुधन पर निर्भर करती है। आज उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी स्वयं ही कह दें, सरकार स्वयं ही कह दें प्रतिपक्ष के सभासद और विपक्ष के सभासद कि गांवों के अन्दर गोचर भूमि जो थी आज उसकी क्या स्थिति है। सारी गोचर भूमि, उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव के माफिया लोग थे, असरदार आदमी थे, पंचायतों के हैंड-ओवर के नाम पर, पट्टों के नाम पर जिसके पास,

(श्री रामनारायण चौधरी)

मकान नहीं है उसके नाम पर, कमजोर वर्ग के नाम पर, गरीब के नाम पर, जानकारी करवा लीजिए आप अपनी एजेन्सी से कि गांवों के अन्दर ग्राम पंचायतों की मार्फत जो पट्टे मिले हैं उनमें कमजोर वर्ग के लोगों को कितने मिले हैं और समर्थ लोगों को कितने मिले हैं। सारी गोचर भूमि सब की सब नष्ट कर दी गयी है। वह तो आपने कानूनी तरीके से कलक्टरों से दिलवा दी कि उन्होंने अलाट कर दिया और जो माफिया लोग हैं, गांव के जो असरदार लोग हैं उन्होंने सारी गोचर भूमि पर अपने बाड़े बना लिए और मकान बना लिये। आज उस पर कोई कार्यवाही नहीं। आपने कई आदेश दिये हैं लेकिन एक भी आदेश आपका इम्पलीमेंट नहीं हो रहा। आपने एडिशनल/डिवीजनल कमिश्नर को लगा रखा है कि इनको बेदखल करो, जमीन खाली करवाओ। एक गांव का भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास आया हो तो मुझे बता दीजिए किसी गांव के अन्दर किसी एडिशनल कमिश्नर ने, किसी भी कलक्टर ने, किसी भी एस. डी. ओ. ने और किसी भी तहसीलदार ने एक भी जगह से गांवों के अन्दर जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है उनको हटाया नहीं, वैसे ही बदस्तूर पड़े हुए हैं। उनसे पैसे खा रहे हैं और जमीनें रेगुलराइज हो रही हैं। एक दिन हटाते हैं दूसरे दिन कह देते हैं कि वापस कब्जा कर लिया है यह क्या हो रहा है? यह राज है या मजाक है? क्यों आपने इतना खर्चा किया, क्यों आपने उनको कार और गाड़ियां दे रखी हैं? गांव में दौड़-दौड़ कर जाते हैं कि हम हटा रहे हैं। हटाने का नाम नहीं और कहा कि हम आये उसके पहले कुछ बना लो। तो जाते हैं उससे पहले पक्का मकान बनाकर तैयार खड़ा कर देते हैं। अब आप ही इसके ऊपर सोचिये कि जो धन काश्तकार का है, जो गरीब आदमी, जिसके पास जमीन है वह अपने पशुधन को कहां ले जाकर खड़ा करेगा?

चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा शर्म जब आती है कि मेरी मां और मेरी बहनें रोज सुबह और शाम शौचादि क्रिया के लिए जाती हैं तो उनको जगह नहीं मिलती। शौचादि जाने के लिए मेरी माताएं और बहनें आस पास की जो पड़ी हुई गोचर भूमि थी उसको ही इस्तेमाल करती थीं। आज उस सारी की सारी जमीन पर नाजायज कब्जे माफिया लोगों ने कर लिये और गांवों के अन्दर यह समस्या पैदा हो गयी। उसका इसके अन्दर कुछ वर्णन नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है।

आज लॉ एण्ड आर्डर के नाम पर काश्तकारों को ग्राम वासियों को शहरवासियों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए आपने जगह-जगह अदालतें लगायी हैं, जगह-जगह आपने थानों की संख्या बढ़ायी है। जयपुर के अन्दर एक एस. पी. की जगह दो एस. पी. कर रहे हैं, दो

(श्री रामनारायण चौधरी)

एडिशनल एस. पी. की जगह चार एडिशनल एस. पी. कर रहे हैं, पुलिस फोर्स बढ़ा रहे हैं। जगह-जगह आप रेवेन्यू कोर्ट खोल रहे हैं, ज्युडिशियल कोर्ट खोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी मेहरबानी करके अपनी छाती पर हाथ रखें और यह कहें कि गांवों के लोगों को इससे कितनी रिलीफ मिली है, कितने लोगों के फैसले हुए हैं, कितने लोगों ने यह राहत महसूस की है कि जो कुछ हमारा विवाद था वह मलट गया। आज भी विवाद गांवों के चल रहे हैं। काश्तकार, गांवों के रहने वाले लोग तबाह हो गये। मुकदमे बाजी के अन्दर फैसले नहीं हो रहे हैं। एक अदालत से दूसरी अदालत के अन्दर, कानून का सरलीकरण कीजिए, व्यवस्था कीजिए इस तरह की कि मुकदमे का निश्चित रूप से इस अवधि के अन्दर यह फैसले होने चाहिए। आप कहेंगे कि मैं इसके अन्दर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप हस्तक्षेप क्यों करें, आप व्यवस्था ही ऐसी कीजिए कि वह व्यवस्था ही उसके अन्दर हस्तक्षेप करेगी कि डिस्पोजल क्विक हो, लोगों को तुरन्त लाभ मिले। जो देर से मिलने वाला इन्साफ है वह कोई इन्साफ नहीं है। वह भी वैसा ही एक इन्साफ है जो डिले हो गया, लोग मर गये, अपनी उम्र के अन्दर फैसला नहीं करवा सके। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं।

गांवों के अन्दर जिन लोगों ने सरकारी भूमि दबा ली, लोगों ने जबरदस्ती काश्त कर ली, उसको दबाये बैठे हैं। एक प्रश्न अभी था और उसके ऊपर आपने भी हस्तक्षेप किया था, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, परसादी लालजी माननीय सदस्य ने रखा कि किस प्रकार से अधिकारी जन प्रतिनिधियों की अवहेलना करते है। मीटिंग रखते हैं 10 बजे की और आते हैं 4 बजे, जन प्रतिनिधि, एम. एल. ए. चला जाता है वहां से उसके बाद में कोरम पूरा कर लेते हैं, सरपंच को गाड़ी में बैठाकर ले आते हैं, उसके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, अलाटमेंट फाइनल हो जाता है अब जाने वाला अपील के अन्दर जाओ। अब मुख्य मंत्री जी कहते है कि हम कानून के अन्दर दिखवायेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। कानून के अन्दर आप दिखवाइये लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को आप ताडना मत दीजिए आप कृपा करके उनके विरुद्ध एक्शन लीजिए। मैं यह नहीं कहता कि विधान सभा के आधार पर लीजिए, किसी भी तरीके से आपके ध्यान में आ जाये उसी तरीके से लीजिए।

आपने इसमें जिक्र किया है कि अन्वेषण ब्यूरो, किसी जमाने में एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट उसको कहते थे। आज आपने अपनी सूझ-बूझ से उसका नाम दूसरा किया नाम कुछ भी कर दो बात वही है। इसमें आपने लिखा है कि इतने लोगों के हमने रेड की, इतने लोगों के हमने

(श्री रामनारायण चौधरी)

छापे मारे, इतने लोग पकड़े गये और लास्ट में आप क्या कहते है कि हमने सात लोगों को सजा दी। जब आपने सात लोगों को सजा दी इसका मतलब यह है कि 400 लोगों के आपने छापे मारे और सात लोगों को आपने सजा दी तो 393 आदमी तो निर्दोष थे। तो निर्दोष लोगों की सिविल लिबर्टी को आपने उनकी जो आजादी थी उसको क्यों हस्तक्षेप किया ? सिर्फ सात आदमी इसमें दोषी पाये गये। मैं यह नहीं कहता कि आप आई. पी. एस. और आई.ए.एस. पर हमला करवायें, उनके ऊपर रेड करवायें (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : करवायें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं, इन रेड की वकालत नहीं करता। इसमें भी बड़ा भारी करप्शन है। रेड के बाद कोई इन्साफ होता है वह बात नहीं है। शासन तंत्र ऐसा होना चाहिए कि आज आप मुख्य मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप इस शासन तंत्र को कण्ट्रोल नहीं कर सकते। आप यह मानते हैं कि हमारी सर्विसेज में इतना भ्रष्टाचार हो गया और हम उनके ऊपर रेड करवायेंगे, उनके ऊपर हम छापा डलवायेंगे, उनको हम पकड़वायेंगे तो आपकी योग्यता और आपकी सतर्कता, आपकी तत्परता का कैबिनेट मन्त्रियों का तात्पर्य ही क्या है। अधिकारियों पर अगर उनकी सर्विसेज को आप डीमोरेलाइज करते हैं उसमें निकलता कुछ है नहीं और निकलता भी है तो ले देकर उसको रफा दफा कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी रेड में कुछ भी फायदा नहीं है। इनमें सर्विसेज डीमोरेलाइज हो रही है। जो ईमानदार आदमी हैं वह भी पिस रहे हैं। चार सौ आदमियों की रेड के बाद में सात आदमियों को सजा मिलती है। क्यूं मिलती है, कहां यह दोष है ? या तो रेड दोषपूर्ण था या व्यवस्था आपकी दोषपूर्ण है। इन दोनों में सुधार की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, थोड़ा शीघ्रता से।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं समाप्त हो कर रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं। आपकी कृपा का। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि करप्शन को मिटाने के लिए आप यह कर रहे है। एक प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न के जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी आयी थी कि इतने मामले एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के अन्वेषण ब्यूरो में पड़े हुए है, सरकार अनुमति नहीं दे रही। अनुमति क्यों नहीं दे रही है ? अनुमति देने का अधिकार मुख्य मंत्री जी के पास है। कृपा करके यह बतायें कि जिन लोगों की जांच होकर के आपके पास आ गयी और नीचे के अधिकारी सब इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इन अधिकारियों का चालान काम्पीटेंट

(श्री रामनारायण चौधरी)

कोर्ट के अन्दर किया जाना चाहिए। उनकी मंजूरी, उनकी स्वीकृति राज्य सरकार को, किसी को भी रोकने का क्या अधिकार है? अगर आप वास्तव में ही प्रशासन में स्वच्छता लाना चाहते हैं तो इस मामले में डिसपोजल क्विक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार और मुख्य मंत्रीजी ने दो वायदे किये थे ग्राम पंचायतों के अन्दर सरपंचों के हटने के बाद ग्राम सेवकों को उन्होंने उसमें प्रशासक बनाया था, उसमें जन भागीदारी का वायदा किया था, वह इन्होंने नहीं निभाया। और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से यह वायदा किया था कि निरन्तरता के आधार पर आठ घंटे काश्तकार को बिजली देंगे, वह नहीं दी गयी। इन दोनों बातों का कोई खुलासा नहीं है। ऐसी स्थिति में अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. शंकरलाल।

डा. शंकरलाल (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मेरे दल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित एवं समर्थित प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो चर्चा चली थी उसमें पुष्कर से आने वाले, माननीय सदस्य ने चर्चा को नेशनल और अन्तर्राष्ट्रीय आयाम दिये थे। उन्होंने बताया था कि 1938 में योजना आयोग की स्थापना करके कांग्रेस ने विधि पूर्वक योजना को प्रारम्भ करने का संकल्प लिया और उस अनुसार नीतियां बनायी और जब आजादी मिली तो उसी अनुसार उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया। मेरा निवेदन है, जो प्लानिंग कमीशन कान्स्टीट्यूट हुआ था उसके अध्यक्ष माननीय जवाहरलाल जी नेहरू बहुत महान व्यक्ति थे। उसके अलावा बाकी जितने भी उसमें सदस्य थे उनका भी फ्रीडम स्ट्रगल में हर तरह का सहयोग था। इसमें कोई सन्देह नहीं लेकिन मैं उसकी एक कमी को दर्शाना चाहता हूं कि उसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो गांव से जुड़ा हुआ हो, जो किसान, मजदूर के दर्द को समझता हो। "जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।" उनकी जो मंशा थी उस पर मुझे कोई शक नहीं लेकिन उन्होंने जो देश की दुर्दशा की अपनी अच्छी मंशा और उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने की मन में धारणा लेते हुए भी जो उनमें स्वयं में इनहेरेंट कमी थी, इस वजह से जो देश की दुर्दशा हुई उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आप विकास की कोई भी तालिका उठाकर देख लीजिये। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा अंधे हमारे भारत में हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हमारे भारत में हैं। दुनिया की जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज को टीकों के माध्यम से, माडर्न साइन्स के माध्यम से

(डा. शंकरलाल)

कण्ट्रोल कर सकते थे, प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रकार की बीमारियां सबसे ज्यादा हमारे देश में इस वक्त मौजूद हैं। आप कोई-भी तालिका लें, चाहे पर कैपिटा इनकम लें, चाहे गेम्स की कोई भी पदक तालिका लें, कोई भी विकास का पेरामीटर ले लें····

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : पापूलेशन भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है।

डा शंकरलाल : कोई भी विकास का पेरामीटर आप ले लें, उसमें····

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं इंटरप्ट कर रही हूं, माफी चाहती हूं। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण से देश की दुर्दशा हुई यह शब्द और यह भाव इतना ही निरर्थक है जितनी कि कोई और चीज हो सकती है क्योंकि देश का जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रचर विकास का बनाया गया था वह उन्होंने ही बनाया जिसके ऊपर आजका प्रगतिशील हिन्दुस्तान बना हुआ है। इसलिए ऐसा कहते वक्त कम से कम सोचना चाहिए कि हम क्या शब्द किसके उपयोग में ला रहे हैं।

डा. शंकरलाल : उस महान आदमी की शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है लेकिन जो दुर्दशा है आंकड़ों के आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं उसमें कोई शंका नहीं। आप कोई भी पदक तालिका ले लें, विकास का कोई-सा भी पेरामीटर ले लें, नीचे से हमारा चौथा नम्बर है। हमारे नीचे बंगला देश उसके बाद इथियोपिया, सोमालिया। इसके अलावा इस तरह के दुर्भिक्ष, पीड़ित और डिक्टेटोरियल स्टेट्स हमारे नीचे हैं बाकी पाकिस्तान तक हमारे से ऊपर है, यह बड़े शर्म की बात है। कोई-सी भी तालिका आप मुझे गिना दें कि हम आगे हैं। अभी माननीय वी. पी. सिंह जी ने निवेदन किया था उस तालिका में हम सबसे आगे, ऊपर हैं इसमें कोई शंका नहीं है। तो इस तरह से जो देश की दुर्दशा हुई।····

श्री हरिसिंह (महुआ) : डाक्टर साहब, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की सोच रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है, कम से कम 25 सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं।

डा. शंकरलाल : चर्चा का विषय जो माननीय सदस्य नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले गये इसलिए मैंने निवेदन करना उचित समझा····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आपस में बात नहीं।

डा. शंकरलाल : हमारी जो स्थिति है उसका मैंने निवेदन किया था। अब उदा-

(डा. शंकरलाल)

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे देश के बड़े-बड़े नेता और ग्राम ग्रादमी भी ग्रवसर ग्रपने देश की दूसरे देशों से तुलना करते हैं। सबसे पहले जैसे जापान का नाम बड़े फैशन से लिया जाता है कि जापान छोटा-सा देश, उसकी कोई प्राकृतिक सम्पत्ति नहीं ग्रौर पर केपिटा लैण्ड ग्रवेलेबिलिटी भी उसकी हिन्दुस्तान से कम है। सात एकड़ है, हमारी तीस एकड़ के ग्रास पास है। तो पापूलेशन का घनत्व भी हमारे से ज्यादा है। फिर भी सैकण्ड वर्ल्ड वार में बिल्कुल नष्ट हो जाने के बावजूद इतना तेजी से कैसे बढ़ा ग्रौर कैसे उसने दुनिया के मानचित्र पर ग्रपना ग्रार्थिक साम्राज्य स्थापित किया? इसके पीछे लोग ग्रपने हर तरह के तर्क देते हैं कोई मोरल का, कोई काम करने की क्षमता का, हर तरह के तर्क देते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो गलत काम, भ्रष्टाचार की बात लें या ग्रौर कोई लें, जापान भी इन सारे मामलों में किसी से पीछे नहीं। ग्राखिर क्या चीज है कि फिर भी वह हमसे ग्रागे हैं, दुनिया में सबसे ग्रागे हैं, हमारी तो उसमें गिनती ही नहीं है। उसके लिए मेरा सीधा निवेदन है कि 1868 में वहां के सम्राट ने कंपलसरी एज्यूकेशन घोषित की थी। स्टेट के सारे सब्जेक्ट की शिक्षा लेना ग्रनिवार्य है इस तरह की घोषणा 1868 में की थी। उसका परिणाम ग्राज की पीढ़ी भुगत रही है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि बेसिक इनग्रेडिमेंट्स विकास का ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज पर जब तक हम जोर नहीं देंगे, ऊपरी लीपापोती करते रहेंगे, सड़कें, बांध, एनीकट या छोटे-मोटे काम करते रहेंगे, इस तरह की बातों से विकास होने वाला नहीं है। हमें हमारा सारा बजट भी ग्रगर शिक्षा पर लगाना पड़े हमारा कोई भी बच्चा, बच्ची ग्रनपढ़ नहीं रहे, उसका जब तक पूरा प्रबन्ध नहीं होगा तब तक यह देश, यह राष्ट्र ग्रागे नहीं बढ़ सकता।

मेरा दूसरा निवेदन है जैसे एग्जाम्पल देने का फैशन है, उसी तरह का एग्जाम्पल इजरायल का दिया जाता है। छोटा-सा इजरायल, 14 ग्ररब राष्ट्रों से घिरा हुग्रा ग्रौर ग्ररब राष्ट्र कैसे, उसने एक रात में उनको धूल चटा दी। कैसे चटा दी? क्या फर्क है दोनों में? इसको ग्रगर गहराई से देखें तो सिर्फ शिक्षा के ग्रलावा कोई फर्क नहीं है। बहादुरी के मामले में ग्ररब लोग इतने बहादुर थे, लड़ते-लड़ते हमारी सीमा तक ग्रा पहुंचे थे। इसमें कोई शंका नहीं, इतिहास की बात है। दुनिया में तुर्की ग्रौर यूरोप तक उनका बोल-बाला था। तो बहादुरी के मामले में किसी तरह कम नहीं थे। जबकि इजराइल दुनिया में बनिये की तरह माना जाता था, व्यापारी था, कमजोर कम्युनिटी माना जाता था, हर तरह से उनको प्रताड़ित किया गया था, हर देश में उन पर ग्रत्याचार हुए थे ग्रौर सबसे जैसे प्रताड़ित हो गये थे वापस देश में ग्राकर जमे थे। उससे उन्होंने सबक लिया शिक्षा

(डा. शंकरलाल)

प्राप्त की, दुनिया से सबक लिया। उसके बाद उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे इतने डवलप्ड थे जबकि अरब राष्ट्रों के पैसे की कमी नहीं थी। पैसा इतना था खुदा छप्पड़ फाड़ कर देता, उनको धरती फाड़ कर पैसा दिया था। पैसे के मामले में वह इजराइल से लाख गुणा ज्यादा थे फिर आखिर क्यों हार गये ? हारने का कारण था डवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका कारण शिक्षा के अलावा और नहीं हो सकता। इसी तरह का एग्जाम्पल जर्मनी का दिया जाता है। यूरोप में सबसे ज्यादा स्कूल एजूकेशन का स्टेण्डर्ड जर्मनी का है यह सर्व विदित है। जापान के बारे में मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले दिनों जब जार्ज बुश प्रेजीडेंट थे उन्होंने वहां की यात्रा की थी तब डाइट के स्पीकर ने एक कमेंट कर दिया था, एक रिएक्शन के तौर पर लोगों ने कहा आर्थिक साम्राज्यवाद लादना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या अमेरीकन हमारे पर आर्थिक साम्राज्यवाद लादेंगे। वहां के 25 पर्सेंट लोग ठीक ढग से लिखना पढ़ना नहीं जानते। यह हकीकत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां जो पिछड़े लोग हैं अमेरीका में ब्लेक्स और दूसरे रेड इंडियन व्हाइट्स की अनुशासनहीनता की वजह से। शिक्षा का स्तर इतना नहीं है जितना कि जापान का है। इसलिए उसने कमेंट क्या किया था ? यह नहीं किया कि हम बहुत पावरफुल हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें।

डा. शंकरलाल : यह कमेंट किया था कि जापान का मुकाबला वह नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप्ड हैं।

एक अंतिम मैं निवेदन करूंगा कि चीन का हमारे से कम्पेरीजन किया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय हमारे एक प्रोफेसर है हार्वर्ड युनिवर्सिटी में अमृत के. सैन। उनको अभी इन्टरव्यू में एक दिन पूछा था कि क्या कारण है कि चीन की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा 13 पर्सेन्ट जबकि हिन्दुस्तान की 3.5, 5.5 कभी—2.5 हो जाती है। यह क्या कारण है कि हम उस तरह से इंवेस्टमेंट भारत में नहीं बढ़ा पा रहे हैं जबकि चीन में इतना ज्यादा इंवेस्टमेंट हो रहा है। तो जवाब में उन्होंने यही कह दिया, था बिलकुल उनका कन्सिसटेंट रिप्लाई था। उन्होंने कहा कि जहां भारत में डीसेन्ट्रलाइज इकानामी थी और चीन में डीसेन्ट्रलाइज इकानामी थी हमारे यहां कहने को हम मिक्स्ड भी कहते हैं लेकिन फिर भी मिक्स्ड की चोटी सेन्टर के हाथ में थी। तो सेन्ट्रलाइज इकानोमी को डी-सेन्ट्रलाइज दोनों देशों ने किया और दोनों देश कर रहें हैं लेकिन जब सेन्ट्रलाइज इकानोमी थी जब भी चीन के नेताओं ने यह पूरी तरह से ध्यान रखा, even during the first stage of cultural revolution, शिक्षा पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और शिक्षा पर इस तरह ध्यान दिया

(डा. शंकरलाल)

कि उसका स्तर हर तरह से आगे बढ़े, चाहे उन्होंने दुनियां में ओलम्पिक में टीमें नहीं भेजीं, उन्होंने अपने आपको साईकल पर चलने को मजबूर किया, कारें नहीं उपलब्ध करायीं, हर तरह से इकोनोमी की लेकिन उन्होंने शिक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया। आज चीन लिटरेसी के मामले में भारत से कई गुना ज्यादा है। इसी का परिणाम है कि वहां 13 प्रतिशत ग्रोथ रेट है जबकि हमारे यह यहां स्थिति है।.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

डा. शंकरलाल : तो इस तरह की दुर्दशा है। इसका कारण है शिक्षा का अभाव और फिर आप आज्ञा दे रहे हैं ज्यादा नहीं बोलने की तो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसका समाधान क्या हो सकता है वह भी मैं कह सकता था फिर कभी निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेहसिंह (अनुपस्थित), श्री दलीचन्दजी (अनुपस्थित), श्री अमराराम चौधरी।

माननीय, आज काफी माननीय विधायकों को अपने विचार व्यक्त करने हैं और समय सबका निर्धारित है। कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा समय ले लिया है, उनका समय कम हो गया है। मैं सभी माननीय विधायकों से निवेदन करूंगा टू दी पाइंट अपने विचार रखें और 7, 8, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें। माननीय।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब का लक्ष्य एक ही है कि हमारा जो प्रदेश है उसमें किस प्रकार से उन्नति हो, समाज को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, हमारे समाज का किसी प्रकार से आर्थिक ढांचा अच्छा हो। यह हम सभी के मन में लक्ष्य है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र में विकास के मुद्दे पर मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मैं इसी पंक्ति को लेकर आपसे निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पचपदरा विधान सभा क्षेत्र जिसमें आर. आई. सर्कल गीडा जो बायूत पंचायत समिति में है और वैसे पचपदरा के अन्य चार सर्कल और हैं वह भी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी को इस बात की पीड़ा और चिन्ता है कि कुछ जातियों को इन्होंने पिछड़े वर्ग में घोषित किया इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन जब मुख्य मंत्रीजी के दिल में यह बात है कि किसी प्रकार से बिना मतभेद के राजस्थान का विकास हो और खास तौर से ऐसे क्षेत्र का जो सबसे पिछड़ा हुआ है, गीडा सर्कल की 15 पंचायतें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बात चल रही थी। सिर्फ एक सैकण्डरी स्कूल उन 15 पंचायतों के अन्दर दी है और एक दो पंचायत हैड क्वार्टर हैं

(श्री अमराराम चौधरी)

जो डामर से जुड़े हुए हैं। यह हालत उस क्षेत्र की है। हम लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं लोक जुम्बिश के माध्यम से, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लेकिन ऐसे क्षेत्र जो सबसे पिछड़े हुए हैं उनमें समानता नहीं। अब आप 60 स्कूलें खोलेंगे, 60 हाई स्कूलें बनायेंगे। तो यह समानता का हक हमको भी एक मिलना चाहिये। मैं, माननीय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि मरु विकास के अन्दर लाखों करोड़ों रुपये योजना में लगा रहे हैं। हमें 10 हाई स्कूल दे दीजिये हम 10 लाख पेड़ लगायेंगे एक पैसा भी आपसे उन पेड़ों के लिए नहीं लेंगे। हमारी जनता लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज 60-60 मील के अन्दर एक हाई स्कूल है। हमारे देश के ऐसे कीम विद्यार्थी न मालूम अब तक कहां-कहां पहुंच जाते, विश्व में उनका नाम होता।

(15.00)

लेकिन उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण वे अपने गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जो लोग कर्ज लेकर भी बाहर गये हैं उन्होंने नाम कमाया है। बाड़मेर की धरती, राजस्थान की धरती शूरवीरों की धरती है। हमारे बाड़मेर जिले के जवानसिंह राजपुरोहित जम्मू-कश्मीर में वह काम किया, जहां ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी, तीन बम गाड़ी की पटरी पर पड़े थे जिनको उसने खत्म किया बहादुरी के साथ, ऐसे कैप्टेन जवानसिंह की कई पेपरों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशंसा की है। टाइम्स आफ इण्डिया के अंदर-आर्मी आफिसर रिफ्यूजेज थ्री बम्स,- यह था टाइम्स आफ इण्डिया, उसके बाद में 'काश्मीर टाईम्स' के अंदर भी उसकी बहुत प्रशंसा की गयी है और काश्मीर टाइम्स के अलावा हमारे "जलते दीप" ने भी उसकी प्रशंसा की है। के. आर. पटेल, कमाण्डेंट भुज, जिन्होंने भी कश्मीर के अंदर बहुत कुछ वीरता दिखायी और जिसके कारण उसको भी राष्ट्रपति ने इसी 26 जनवरी को हाइएस्ट पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया। ऐसे शूरवीर लोग हमारी धरती पर पैदा होते हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है, अपने घर को छोड़कर और किराये के मकान में खुद रोटी पका कर शिक्षा पाकर जो बहुत अच्छी पोस्टों पर गये हैं।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस धरती में ऐसे वीर पैदा होते हैं वहां आप कम से कम ऐसे पिछड़े क्षेत्र में इस साल 10 हाई स्कूल खोल दें और मैं गारंटी के साथ कहता हूं दस लाख पौधे हम लगायेंगे, उनको जीवित भी रखेंगे, पानी की कमी होते हुए भी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब आप 5 साल के अंदर एक भी हाईस्कूल नहीं खोलेंगे, आप शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, आज पूरे विधान

(श्री अमराराम चौधरी)

सभा क्षेत्र के अंदर सिर्फ 6 हमारे पास हाई स्कूल हैं और जासोल, पचपदरा और कल्याणपुरा के अंदर तीन हायर सैकेण्डरी हैं सिर्फ। और महिला शिक्षा के बारे में गत साल पचपदरा में 2 सैकेण्डरी स्कूल हैं, यह है हमारी शिक्षा का स्तर। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्रीमान् सहरियों के विकास हेतु जो पिछड़े क्षेत्र के अंदर आपने कोटा के अंदर, बारां में आपने जो 5 करोड़ रुपये रखे हैं, उसको वैसे भी रखना पड़े, आज मेरे क्षेत्र के गीडा अराई सर्किल से लेकर पाटोदिया आर. आई. सर्किल और कालाथान यह सब मिलकर डोली तक का जो एरिया है वह शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आप जब जोधपुर से जैसलमेर जाते हो तो रास्ते के अंदर या तो बायतू के अन्दर आपको स्कूल मिलेगा या जो पिछले साल हायर सैकण्डरी कल्याणपुर में हुआ है।

उस रोड में जो स्टेट हाइवे है, कितने ही हमारे जो भारत विख्यात दर्शनीय स्थान हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, लेकिन आज वहां सड़कों का पूरा प्रबन्ध नहीं है। आप सड़क नीति अपना रहे हैं, अच्छी बात है। हर पंचायत को आप जोड़ेंगे लेकिन जहां 100 किलोमीटर का जब फासला रामदेवरा के लिए कम होता है यदि आप पाटोदी से अरेरु तक तो अभी डामर रोड बन रही है, उसके आगे खोखर से लगा कर फलसूंड और फलसूंड से लेकर रामदेवरा तक लाखों रुपयों की लोगों को आमदनी होगी और उस क्षेत्र का विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शासन के दौरान मैंने एक प्रश्न पूछा था। माननीय राजस्व मंत्रीजी जो मेरे जिले के ही रहने वाले हैं, मैंने कहा इस क्षेत्र के विकास का एक ही तरीका है आप गीडा को उप तहसील बना दीजिए, गीडा पुलिस थाना है वह आज से 25 साल पुराना है लेकिन वहां पर, उस क्षेत्र के अंदर कोई उप तहसील नहीं है, कोई विकास नहीं है तो उन्होंने यह कहा था, उत्तर दिया था, जी हां, तहसील बायतू में ग्राम गीडा को उप तहसील बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

इस प्रकार जो बात विचाराधीन करते-करते साल भी बीत गया लेकिन अभी तक वहां उप तहसील नहीं खोली गयी।

आप ताज्जुब करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर बालोतरा में हमारा जो रेफरल हास्पिटल है, 100 बेड्स का सब कुछ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, हम ग्रामों की बात कर रहे हैं, एक भी पी. एच. सी. वहां नहीं है, 15 गांवों के अन्दर एक भी कम्पाउण्डर नहीं रहता है। कहीं सब सेंटर जरुर है लेकिन कोई भी आपका कम्पाउण्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पिछड़े हैं इसलिए इस क्षेत्र के लिए आपको भी चिंता करनी चाहिए कि इसका विकास हो और मैं सही बात आपके सामने रख रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि कुछ जो पिछड़ी जातियां हैं, ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र जहां है वहां पर आप चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध करें और इस साल अब भी पी. एच. सी. खोलें तो वहां पर प्राथमिकता के आधार पर खोलें।

दूसरा निवेदन यह है कि आपने पिछड़ी जातियां जो घोषित की हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर, राजस्थान में दूसरी जगह, सब जगह, एम. पी. में विक्रम यूनिवर्सिटी है वहां पर प्रावधान है, ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन का, जोधपुर यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं है, यानी यह जो प्रबन्ध है, कराना चाहिए ताकि इन पिछड़ी जातियों को भी वाकई में फायदा मिले, वह मिल सके लेकिन ऐसा जोधपुर यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी : आपके आर. ए. एस. में, इसमें तो आपने कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामपाल जी उपाध्याय।

श्री अमराराम चौधरी : लेकिन इसमें वह नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावासों का सवाल है, पाटोदी के अंदर पिछले सील खुला छात्रावास, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना। कल्याणपुर के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए भवन नहीं है, इस प्रकार की जो कमियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें, आपने पूरी बात कह दी है। काफी समय हो गया।

श्री अमराराम चौधरी : मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि पानी की इस प्रकार की योजनाएं बनायी जाएं जो वहां की छोटी-छोटी योजना बना करके और खास तौर से जो कृषि कुण्ड हैं, आप सामुदायिक बनाते हैं, सामुदायिक कृषि कुण्ड वह कामयाब नहीं होंगे। कौन सम्भालेगा ? आप पशु कृषि कुण्ड व्यक्तिगत बनवाइये जिससे लोगों को फायदा मिले।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी : भ्रष्टाचार के बारे में मेरा निवेदन यह है कि आप बार--बार विधान सभा में कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे जो करेंगे तो डेढ़ दो घण्टे लग जायेंगे, माननीय, बिराजिये आप।

श्री अमरराम चौधरी : जो भी नौकरी लगे उनकी आधी तनख्वाह साल भर के लिए आप एफ. डी. में जमा कराइये, यह भ्रष्टाचार खत्म होगा क्योंकि, मेरा निवेदन है, बहुत इम्पोर्टेन्ट बात कह रहा हूं, आज कोई भी नौकरी में लगता है, मान लीजिये उसको दो हजार तनख्वाह मिल रही है और यहां 24 हजार तनख्वाह मिलती है साल भर में, 12 हजार यदि वह जमा करा देता है तो वह 12 हजार जब भी नौकरी उसकी छूटेगी तब उसके बच्चे बड़े हो जायेंगे, शादी लायक हो जायेंगे, 10 लाख रुपये से ज्यादा रुपये उसके बजट में रहेंगे ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप बिराजें, बिराजिये।

श्री अमरराम चौधरी : इसलिए भ्रष्टाचार कम होगा, इस प्रकार कमीशन वाला भ्रष्टाचार पी. डब्ल्यू. डी. में है उसको बंद कीजिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। वैसे प्रक्रिया और परम्परा के अनुसार हम लोग अपनी बात कहेंगे दोनों पक्ष, बहुमत वाली सरकार के जो नेता हैं वह अपनी बात कहेंगे, स्पष्टीकरण देंगे और उसके बाद यह धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। यह परम्परा और प्रक्रिया है—इसको मैं चेलेन्ज नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ ऐसी मौलिक बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि सदन के नेता जब मैं बोल रहा हूं तब हमारे बीच में बिराज रहे हैं।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक पार्टियां सरकार में आती हैं अपना युधिष्ठिर का स्वरूप लेकर और धीरे-धीरे वह धृतराष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने लगती हैं। मैं प्रत्येक राज्य को एक पालिटिकल कल्चर का उत्पादक कह सकता हूं। उदाहरण के लिए, मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू और उनकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, 1977 में माननीय शेखावत जी साहब के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके बाद वह दो या ढाई साल रहे। उसमें सभी लोग थे समाजवादी भी थे, सर्वोदयवादी भी थे और कांग्रेस के, आज भी कांग्रेस के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह लोग थे लेकिन उस राजनैतिक संस्कृति का कितना जबरदस्त उद्‌भव हुआ, उसका कितना विकास हुआ और देश में स्थाई मूल्य बनाने के लिए उसमें क्या-क्या नहीं हुआ। उसका हश्र हुआ, यह इतिहास की बात नहीं है, हमारे सबके सामने है। 1990 में फिर दूसरी बार आप सदन के नेता बने, राज्य मुख्य मंत्री बने और उसके अन्दर भी कई लोग शामिल हुए। जनता दल और जनता दल में भी टुकड़े होकर फिर जनता दल, चाहे हमारे साथी दिग्विजयसिंह जी वगैरह सारे थे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस राजनैतिक पार्टी की संस्कृति का भी क्या हश्र हुआ और उसके बाद अभी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि लम्बी चले लेकिन इसका क्या हश्र होगा। आज ताली बजाने से नहीं चलेगा। अभी मैं आ रहा हूं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : तुलना करो जब आप मंत्री थे तब क्या हुआ और अभी क्या हुआ? ऐसे तुलना करो।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हश्र होना है वह तो जो विधि ने लिखा है वह होगा। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमने इसमें क्या नवीन परम्पराओं का स्थान बनाया है। क्या शाश्वत मूल्य हमने इसमें दिये हैं और मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह हमारा जो अभिभाषण है, मैं मानता हूं कि बहुमत से पास हो जायेगा। परम्परा है, प्रक्रिया है लेकिन कहीं तो तटस्थ भाव रखकर महामहिम राज्यपाल, चाहे वह आपकी ही बात कहें लेकिन तटस्थ भाव से तो कहते। इस प्रदेश में क्या-क्या इस संस्कृति ने पैदा किये जयनारायण जी व्यास, शास्त्री जी, टीकाराम जी पालीवाल, स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया और जोशी जी आदि ने एक संस्कृति पैदा की और अगर मैं नहीं भूलता हूं, जैसा मैं मानता हूं उन्होंने अपने समान हमको भैरोंसिंह जी जैसा राजस्थान का एक नेता दिया। ताली बजाइये, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे लेकिन पूछना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तटस्थ भाव से सोचिये कि श्रीमन् फिर आगे क्या हो रहा है और अगर मैं इसको रखूं, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में दो लाइनें रखना चाहता हूं :—

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध

इसलिए माननीय सदस्यगण, हमारा जो अभिभाषण है कहीं-कहीं तो तटस्थता रखिये जीवन में। एक घड़ी काम की तो एक घड़ी राम की। कहीं-कहीं तो तटस्थ रहिये और जाकर आत्म निरीक्षण कीजिये। मैं इस अभिभाषण को एक आत्म निरीक्षण की संज्ञा देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय आप कम देंगे मुझे मालूम है। मेरा बोलना कई विषयों पर था और मैं हमारे नेता महोदय से इस मामले में मार्गदर्शन चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : गागर में सागर भर दें। माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि महामहिम ने ग्रामीण तथा नगरीय शासन में सहभागिता स्थापित करने तथा सामाजिक एवं राजनैतिक समता के उद्देश्य की बात कही है। बहुत अच्छा हुआ। यह

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कैसे होगा। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 93506 अनुसूचित जाति, जन जाति और महिलायें बैकवर्ड क्लास के लोग आये, दूसरे लोग आये हैं। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके जन्मदाता कौन थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह भारतीय संस्कृति तो चिर-ऋणि संस्कृति है। एक पंक्ति अगर स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में कुछ प्रेरणा की बात कह देते तो क्या तकलीफ थी। मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन् कि यह सारा लेखा-जोखा, यदि भारत सरकार की उदारवादी आर्थिक नीति नहीं होती तो यह अभिभाषण इस रूप में नहीं आता और यह बजट इस रूप में नहीं आता। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। आप स्वयं ने अपनी नयी औद्योगिक नीति में यह माना कि वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया वस्तुत: एक महान घटना है जिसने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र उद्योग, वित्त, घरेलू अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी नियोजन इत्यादि को प्रभावित किया है। इन सुधारों में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन तथा अधिकांश उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्ति अन्य क्षेत्रों में वगैरह-वगैरह में की है। तो यह मैं सोचता हूं कि आपने स्वयं ने इस बात को स्वीकारा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : लिख कर अच्छा किया ना। आप अभी कह रहे थे कि किसी का उल्लेख नहीं किया।

श्री रामपाल उपाध्याय : नेता महोदय, हम आपकी बात बड़े आदर और श्रद्धा से सुनते हैं। मेहरबानी करके आप मार्ग-दर्शन फिर दें। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इसके जनक श्री नरसिंहराव और उनके प्रमुख अर्थशास्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह थे। क्या होता, क्या आपकी उदारता में कमी आ जाती कि यदि आप डाक्टर मनमोहन सिंह का नाम ले लेते....

एक माननीय सदस्य : वह तो डुबो रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : मुझे मालूम है सब। समझता हूं थोड़ा-बहुत। आपके मुकाबले में एक परसेन्ट समझता हूं और आप 99 परसेन्ट ज्यादा समझते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने इस बात को प्रस्तुत करने में गौरव अनुभव करता हूं कि हमारे संसार में विद्वान लोग कई हुए हैं और उनके अन्दर प्रिस अपापकिन एक महान विद्वान हुए हैं। उन्होंने माननीय सदस्यगण, हम लोगों को अपने आत्मलोचन के समय में तीन बातों को नहीं भूलना चाहिए। हम लोकतंत्र में जीते हैं लेकिन लोकतंत्र को रिवर्स में ले जाने वाले तीन तत्व हैं। पहला अपार्चुनिज्म याने अवसरवाद। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आप सब विद्वान हैं। मेरे से ज्यादा विद्वान हैं। दूसरा निहित स्वार्थ और तीसरे नौकरशाही

(श्री रामपाल उपाध्याय)

नौकरशाही याने ब्यूरोक्रेसी। यह 3 तत्व ऐसे होते हैं, श्रीमन् हम प्रजातंत्र के अन्दर जीते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कम से कम ताने-बाने को देखिये कि हमारी राजस्थान की प्रगति किधर जा रही है और हम अपने आपको उसके सहभागी बना करके आने वाले इतिहास में हमारा नाम किस दिशा में लिखवा रहे हैं, इसको हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो निवेदन नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके साथ ही साथ गृह मंत्रीजी, आपको भी देना चाहता हूं लेकिन वह केवल 1/4 और वह इसलिये 1/4 कि ईश्वर का बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने श्री राजेन्द्र मिर्धा को सकुशल ढ़ंग से वापिस अपने घर पहुंचा दिया। ईश्वर का बहुत-बहुत आभार और इसके साथ ही साथ माननीय भैरोंसिंह की समन्वित नीति और निरन्तर परिश्रम, इसके प्रति उनका भी आभार मानता हूं लेकिन श्रीमन् आज हालात क्या है? महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में छठे पृष्ठ पर यह कहा है— "हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि पंजाब के आतंकवादी अभी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई. एस. आई. योजनाबद्ध तरीकों से राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से आतंकवादियों, हथियार एवं बारूद को भारी मात्रा में राजस्थान भेजने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान की एजेन्सियों द्वारा कश्मीरी उग्रवादी खालिस्तान कमाण्डो फोर्स एवं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एवं अतिवादी संगठनों को मिलाकर भारत में हिंसात्मक कार्यवाही कर आतंक उत्पन्न करने की योजना की सूचना है।" और यह सूचना है इसलिए चिंता की बात है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने एक भयंकर समस्या से निजात पाने में बहुत भरसक कारगर कदम उठाया है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर मान लो माइनस भैरोंसिंह जी और माइनस गृह मंत्री, फिर क्या होगा इस पुलिस तंत्र का? क्या हालात हैं? मैं चार उदाहरण दे रहा हूं। सदर थाना के पीछे बाडोदिया बस्ती है और उस बाडोदिया बस्ती में हरनेकसिंह (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : आप मेरी बात सुनने का कष्ट करें। 100 मीटर दूरी पर सदर थाना स्थित है और उसके पीछे बाडोदिया बस्ती है उसमें हरनेक सिंह 1। वर्ष से मकान लेकर रह रहा है और वहां पर जो कालोनी है, ही बाज लिविंग लाइक ए किंग और उसके बाद कितने ही रिटायर्ड पुलिस आफिसर्स ने, कितने वर्तमान आफिसर्स ने, कितने दूसरे बड़े-बड़े लोगों

(श्री रामपाल उपाध्याय)

के लड़कों ने उनकी जिम क्लासेस का उपयोग किया। कितने बड़े लोगों ने उस जिम क्लासेस का उदघाटन किया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह एक बात। दूसरी मैं निवेदन करना चाहता हूं वैशाली नगर। 100-150 मीटर की दूरी पर वैशालीनगर का थाना है और उसके पीछे बी.-82 में रामनिवास जी मर्धा के साढ़ू भाई भूपेन्द्रसिंह जी रहते हैं और बी-83 में कौन रहते थे? यही श्रीमान हरनेक सिंह जी सुरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से रहते थे। श्रीमान, विगत चार वर्षों से मानसरोवर के अन्दर देवेन्द्रपाल सिंह भुल्लर मनीष अग्रवाल के नाम से वहां पर सैक्टर 30 में संगमरमर का व्यापार करता था और उसके आधार पर सारे पाकिस्तान से जिन-जिन एजेन्सियों का नाम मैंने गिनाया, उनसे आवाजाही होती थी। और चौथा, अभी जो नवनीतसिंह कादिया को जो मारा है या मारा गया है, माडल टाउन कितना दूर है। आपका कन्ट्रोल रुम इससे कितना दूर है? मालवीय नगर थाना से कितना दूर है? कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत संवेदनशील मामला है, और भी बहुत से मामले हैं, बात कह सकते हैं लेकिन बहुत मर्यादित बात कहने के लिए संकेत मात्र देना चाहता हूं, यह आत्मालोचन का विषय है। प्रश्न एक है, यदि श्री राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण नहीं हुआ होता माननीय नेता महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह राजस्थान बारुद के ढेर पर खड़ा होता, उसका क्या हाल होता। कहां पर क्या-क्या स्थिति होती। कही-अनकही कहानियां हैं। पुलिस प्रशासन कैसा है, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने 21 तारीख को एक लाख रुपये की घोषणा की, फिर उसको विदड्रा किया, फिर 23 तारीख को दो लाख रुपये की घोषणा की। इसका मतलब सारे पुलिस तंत्र और आपके खुफिया विभाग के सामने हजारों-हजारों सवालिया निशान खड़े हैं श्रीमन, इसलिए मैं संक्षेप में निवेदन करना चाह रहा हूं कि कृपा करके इसको बचाइये और पंजाब जितना भी सारा मामला के. पी. एस. गिल ने जो कुछ वहां किया और सारा कुछ करने के बाद में, राजस्थान जो एक शांत प्रांत है, आपकी कल्पना है, आपने कई नई-नई नीतियां बनाई हैं, नई नीतियों का समावेश किया है, अच्छी बात है, राजस्थान को शांत ही रखना। चूंकि आपने इसमें उल्लेख किया है, नई औद्योगिक नीति में, कि राजस्थान में शांति सबसे बड़ा एलीमेंट है... (समय समाप्ति सूचक घंटी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन मन के कुछ उदगार हैं, कुछ तो बात करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी चाहता हूं कि आप खूब बोलें, समय लिमिटेड है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या, आपको रास नहीं आ रहा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे रास आने, न आने

(श्री उपाध्यक्ष)

से कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य, मेरी कुछ मर्यादा है। माननीय सदस्य, आपके सचेतक महोदय ने कहा है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे। मजबूरी यह है कि मैं दस मिनट से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं हूं फिर भी आपको 15 मिनट दिये हैं। माननीय सदस्य, अब दो मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के दूसरे साथी का समय भी मुझे देने की कृपा करें।

प्रमुख राज्यों का आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे सभी साथी गुनगान करते हैं कि 11500 करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना है। यह तो ट्रेंड इनक्रीज है, यह आर्थिक उदारवादिता का सुपरिणाम है। न केवल राजस्थान, राजस्थान में 11500 करोड़ की पंचवर्षीय योजना है और प्रति व्यक्ति क्या आय है? वह है 2613.64 रुपया। दूसरा गुजरात में भी 11500, वहां पर 2784.50 प्रति व्यक्ति है। उड़ीसा में 10 हजार है और वहां पर 3154.57 है। पंजाब में 3236.45 प्रति व्यक्ति। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इसमें काफी कुशलता दिखा करके चाहे विदेशों से हमें कितना ही ऋण लेना पड़ा हो, चाहे हमें कोई कुछ करना पड़ा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं। राज्य में प्रति व्यक्ति कि आय में लगातार गिरावट है। इसक एक छोटा सा सिनेरियो में सदन के सामने रखना चाह रहा हूं। 1980-81 में हमारे ऊपर विदेशी कर्जा था 1552 करोड़, 1985 में था 3055 करोड़, 1990 में था 6023 करोड़ और 1994-95 में 13,738 करोड़ रुपये। अब इसका व्याज क्या देना पड़ रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1992-93 में 743 करोड़ रुपये दिये, 1993-94 में 808 करोड़ रुपये दिये। 1994-95 में 1450 करोड़ रुपये देने की बात हो गई और आज के दिन में हमारे ऊपर 3139 रुपये प्रति व्यक्ति भार है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आपकी प्रतिव्यक्ति आय घट रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप इतने पटु हैं, दक्ष हैं, आल राउंड चैम्पियन हैं ....

एक माननीय सदस्य : कर्जा कितना है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : 15,503.48 करोड़ रुपये का कर्जा विभिन्न संस्थाओं से आप ले रहे हैं प्रक्रिया चालू है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं 1992-93 में हमारी व्यक्ति आय थी 1897 रुपये, 1993-94 प्रति में वह घटकर 1728 रुपये रह गई और 1994-95 में वह 1700 रुपये रह गई। श्रीमान, कर्जा लीजिये, लेना है, आर्थिक उदारवाद है, अगर यह आर्थिक उदारवाद नहीं होता तो 1800 हजार की बिजली की योजना की जो कल्पना आप कर रहे हैं वह नहीं हो सकता तब तक बिजली नहीं

(श्री रामपाल उपाध्याय)

आयेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं। आपने आर्थिक दृष्टिकोण की कौनसी मजबूरी कर रखी है। सहकारिता में मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्पिन फंड बनाया है गुलाबपुरा को आपरेटिव मिल, गंगापुर को आपरेटिव मिल और हनुमानगढ़ को आपरेटिव मिल। 20911 इसके सदस्य हैं। आज के दिन आपने उसमें 7 करोड़ रुपये की बात कह दी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने इतने दूरदृष्टा हैं आपको पूरा पता होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हमारी कहीं गलती रही होगी। इससे 20911 काटन उत्पादक सदस्यों को हटा दिया गया और उनको नोटिस दे दिया गया कि आप नामिनल मैम्बर रहेंगे। जिन दीवारों पर यह छत बनी है आप उन दीवारों को हटा रहे हैं फिर यह छत कैसे रहेगी ? दूसरा उदाहरण तिलम् संघ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिलम् संघ की हालत तो बहुत ही अजीब है। 1990-91 से हमारा यह तिलम् संघ चला है इसमें इस समय 48 करोड़ 57 लाख रुपये का शुद्ध घाटा है और 51 करोड़ रुपये के इसमें राज्य सरकार के हिस्से हैं और एक करोड़ चवालीस लाख और कुछ हजार रुपये यहां के हिस्सेदारी के उसमें हिस्से हैं। आप मुझे बताइये कि आखिर इसमें अर्थ व्यवस्था का कुशल प्रबन्धन कहां है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताईये, आपने तिलम संघ में 48 पाइंट कुछ करोड़ का घाटा बताया है, इसमें डेफिसियेशन और इन्टरेस्ट के कारण से कितना अमाउंट बनता है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप बजट में सहकारिता पर डिसकस करेंगे उस समय मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। श्रीमन् आपने इसमें लिखा है—कुशल प्रबन्धन, इसलिये एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पिन फंड तो फायदे में चल रही हैं न ?

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। स्पिन फंड में जो सहकारिता का विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्र मूल आधार है वह लोकतंत्र खतम हो गया है। आपने इसमें बताया कि 7 करोड़ रुपये का लाभ तीनों मिलों में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या 7 करोड़ रुपये के मुनाफे के लिए आप लोकतन्त्र को खतम करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : लोकतन्त्र भी जिन्दा है।

श्री रामपाल उपाध्याय : जिन्दा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप थोड़ा सुनने का कष्ट करें, क्यों सरकारीकरण आप इतना कर रहे हैं ? और मैंने पहले

(श्री रामपाल उपाध्याय)

बताया ब्यूरोक्रेसी तो सबसे बड़ी दुश्मन है लोकतंत्र को। इसलिए आप कहां इसकी चपेट में आ रहे हो, थोड़ा-थोड़ा आना ही पड़ता है, आपको भी और हमको भी, सबको ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं आया लेकिन 1947 से लेकर 1990 तक उसी ब्यूरोक्रेसी की लपेट में आप भी थे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो कोई मतलब नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर 50 वर्ष तक आपने गलती की है तो उस गलती को दुरुस्त करने में समय लगेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लेकिन बिना ब्यूरोक्रेसी के डेमोक्रेसी, आप स्वयं जानते हैं, चल ही नहीं सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये क्या कह रहे हैं, अब आप कहो।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय, एक मिनट आपके लिए और निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने पंचायती राज के बारे में सारी वाह-वाही लो जिसके बारे में मैंने संक्षेप में पहले ही बताया। अब जरा पंचायत राज मिनिस्टर सुन लें, पंचायत पुनर्गठन के अन्दर आपने क्या-क्या शुभ काम नहीं किये जो ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद, चाहे वह भीलवाड़ा हो, चाहे टोंक हो उसमें नगरीय लोगों के नाम ग्रामीण मतदाता लिस्ट में जुड़ाने के लिए आपने सम्बन्धित लोगों ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया, नाम नहीं लेना चाहते हो और फिर उसके बाद यह पंचायत कानून। मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 73 वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान के पंचायत कानून की प्रवर समिति में आपके साथ हम भी थे और उस समय में आपने इसको बनाया। अब जरा इसके थोड़े नतीजे सुन लें, इसलिए आप घबराये या नहीं घबराये, जरा हिसाब-किताब, हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि इंजीनियर साहब जा रहे थे, नाप द्यो, भूंका द्यो, छोरा-छारी डूब्या क्यों। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद जानो-नाप द्यो, भूंका द्यो, छोरा-छारी डूब्या क्यों। मतलब, पंचायत राज के अन्दर आप सुनिये, (व्यवधान) आप समझने की कोशिश करेंगे, आप मेरा समय ले लोगे समझने में तो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं श्रीमान् कि बी. जे. पी के लोग यह दावा करते हैं, जिस समय जिला परिषदों के नतीजे निकले, 14 जिला परिषदें कांग्रेस की, 11 भाजपा की, बिना बहुमत की 5 और एक बांसवाड़ा जिसमे जनता दल का बहुमत आया था। यह जिला परिषदों का हिसाब आया था। उसी तरह से आपके सदस्य, जिला परिषदों का जो हिसाब आया

(श्री रामपाल उपाध्याय)

वह यह है कि कुल 997, कांग्रेस की 479, भाजपा की 413, निर्दलीय 84, जनता दल 16, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी 4 और परिणाम जो कोर्ट से रुका हुआ है वह एक। फिर आपकी उपलब्धि कहां से होगी? जरा इस पर आप और हम पुन विचार करें।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : गुजरात और महाराष्ट्र।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवीसिंह जी जैसे संभ्रान्त व्यक्ति से यह प्रार्थना करता हूं कि आपकी संभ्रान्ताओं को आप कम नहीं करें। मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, फिर 18 परिषदें कहां से आ गयीं? आप की इतनी पंचायत समितियां कहां से आ गयीं? मैं यह कहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण मतदाता....

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : आत्मा की आवाज से।

श्री रामपाल उपाध्याय : फिर अलका पटेल को क्यों नहीं प्रमुख बना दिया आत्मा की आवाज से। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण मतदाता द्वारा दिये गये इस जनादेश के विपरीत जो आपने काम किया है, जो धनादेश से काम किया है उसको इतिहास कभी नहीं बख्शेगा। इस बात को आप मानकर चलिये ...

श्री नाथूसिंह गुर्जर : दिल्ली की सरकार का क्या हुआ? अजीतसिंह का क्या हुआ?

श्री रामपाल उपाध्याय : संतोष तो रखो। 1977, 1990 कादो का हश्र तो बता दिया और यह 1995 का हश्र, आने वाला क्या होगा यह इतिहास बतायेगा। यह समय बतायेगा, समय लिखेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। श्री किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और आन्ध्र सब ने इतिहास बता दिया। आप चिन्ता ही मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे केवल दो तीन मिनट और दें।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा हो गया है आपको। विराजें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अच्छा हुआ न, हो गया तो क्या तकलीफ थी आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट दें मुझे।

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास समय लिमिटेड है।

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द (नगर) : लगातार एक वीक से नाम दे रहा हूं और बार-बार मेरे नाम की उपेक्षा की जा रही है। एक ही तो गलती की है कि भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी गो-माता की रक्षा के खातिर मैंने बोलने की हिम्मत की। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने से उपेक्षित रखा जा रहा है। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मैं बोलूंगा, मेरे बाद में कोई दूसरा साथी बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। नहीं नहीं आप बोल रहे हैं। आपका नाम है।

श्री रामपाल उपाध्याय : गोपीचन्द जी, एक मिनट दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गोपीचन्द जी, बिराजें। अभी एक मिनट में वे खतम कर रहे हैं। बिराजें। आप ही बोल रहे हैं अब। बिराजें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में गांधीजी का नाम लिया। बहुत अच्छा, आपने गांधीजी का नाम लिया। भगवान आपको सद्‌बुद्धि दें, हम सब लोगों में सद्‌बुद्धि आये-गांधीजी को याद करें। लेकिन मैं इसके लिए एक बात कह कर खतम करता हूं।

बहुत हो चुका, तुम गांधी का नाम
न लो।
उसका नाम बेचकर इतने दाम न लो।
वह तो फक्कड़ था, गरीब का
साथी था,
उसका रक्त ढ़ालकर, उसके नाम पर
इतने जाम न लो।

धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। किशनजी के बाद आपका है। माननीय गोपीचन्द जी, बिराजें आप। (व्यवधान) आप बोलिये। आप बोलिये।

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, ने आपने संवैधानिक दायित्व के मुताबिक आपने अभिभाषण को दिया। मैं सत्ता की गरिमा के मुताबिक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। साथ ही मेरे साथियों ने जो समर्थन का प्रस्ताव रखा इस सदन के अन्दर, एक साल चार महिने से ऊपर हो गया, जो स्वरुप मैंने प्रजातंत्र का यहां देखा, स्वरुप को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक प्रश्न पैदा होता है कि यहां प्रजातंत्र

(श्री गोपीचन्द)

है या + + + है या राज तंत्र है । मेरे को ऐसा महसूस होता है कि राजतंत्र और + + + के बीच में आसन के सामने प्रजातंत्र सिसक रहा है । एम्फोर्ट के मुद्दे से लेकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तक जो माननीय प्रतिपक्ष के बन्धुओं का स्वरुप देखा, जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन की गरिमा को गिराया, जिस तरह का स्वरुप दिखाया, जिस महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने संवैधानिक दायित्व को निभाया लेकिन + + + से डूब मरने की बात है कि संवैधानिक दायित्व का भी विरोध किया और बहिष्कार किया । इससे ज्यादा कोई गलत नहीं हो सकता है जबकि मालूम है कि राज्यपाल महोदय आप ही की पार्टी के माध्यम से चुनकर आते हैं और वे अपना एक संवैधानिक दायित्व सदन के अन्दर निभाते हैं कि उनको राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ना है, पढ़ना है । लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो स्वरुप दिखाया एम्फोर्ट के समय पर आप लोगों ने जो चरित्र दिखाया, इस सदन के अन्दर जिस तरीके से अंगरक्षकों जैसे लोगों पर भी आपने वार किया, सदन की गरिमा को गिराया, किताबों को फैलाया, आसन की गरिमा को गिराया और इस एम्फोर्ट के मुद्दे पर आप लोग बहस करते, सच्चाई को सामने लाते, राजस्थान के अन्तिम छोर पर रहने वाले गांव और झोंपड़ी के बरबाद होने वाले किसान को यह पता लगता कि एम्फोर्ट के अन्दर क्या हुआ है, कौन इस एम्फोर्ट के अन्दर गलत है, कौन इस एम्फोर्ट के अन्दर चोर है, इस बात की चर्चा आप सदन में करते । सारे राजस्थान के लोगों को इस बात का मालूम पड़ता कि एम्फोर्ट के अन्दर क्या गलत हुआ है और कौन करता है इसके अन्दर । लेकिन ऐसा लगता है कि मिली-भगत का खेल तो नहीं है । चोर-चोर मौसेरे भाई का खेल तो नहीं हो गया और उस एम्फोर्ट के मुद्दे को भी फर्ज अदा कर छिपा दिया गया । आज आम आदमी को मालूम नहीं है कि........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री गोपीचन्द : इस एम्फोर्ट के अन्दर कौन चोर है और कौन डकैत है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दें आप ।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून और व्यवस्था पर आता हूं कि जहां आतंककारी गतिविधियों के दौरान राजेन्द्र मिर्धा को सकुशल हमारी मशीनरी और सरकार

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री गोपीचन्द)

ने आंतककारियों से छुड़वाया उससे मुझे तो एक संदेह होता है। सारे राजस्थान के अन्दर इस बात की चर्चा हुई कि आंतककारियों से हमने राजेन्द्र मिर्धा को संकुशल छुड़वाया उससे एक तो यह प्रश्न पैदा होता है कि आंतककारी किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं, अपहरण करते हैं तो आज तक के इतिहास में जहां से अपहरण होता है वहां उसको रखने की आवेश्यकता महसूस नहीं की, उसको हमेशा दूर ले जाते हैं, वहां से फोन नहीं करते हैं, दूर से जाकर फोन करते हैं और आज तक इस तरह से बिलकुल अनटच्ड वापस कर देना, इससे संदेह पैदा होता है, इस पर शक होता है कि कहीं राजेन्द्र मिर्धा की आंतककारियों से कोई मिली-भगत का खेल तो नहीं था। बड़े +++ की बात है, मैं तो साफ बात कहने वाला आदमी हूं। जहां हम वाह-वाही लूटने की बात करते हैं वहां हमें इस बात की शर्म आनी चाहिए कि इतने लम्बे समय से आंतककारी राजस्थान की राजधानी के सिर पर बैठकर बड़ी शान के साथ रह रहे थे, इस बात को तो गम्भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं और जिन सिपाहियों ने अपनी गोली से आतंककारी को मारा उन सिपाहियों को अखबारों में नहीं दिखाया गया और अन्य लोगों ने मीठी-मीठी बातें कह-कह कर प्रचार-प्रसार करने की कोशिश की। हम लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए कि बम्बई बम काण्ड का मुख्य अपराधी भी जयपुर के अन्दर आ रहा है, आतंककारियों का अड्डा जयपुर बन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ रही है, क्यों लड़खड़ा रही है। इस चीज पर किसी ने गम्भीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं सोची। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, अखबारों के ऊपर चित्र मांडने की कोशिश की, भिन्न-भिन्न तरीके से जिस तरीके से कि राजा-महाराजाओं के टाइम में भाटगिरी होती थी, उसी तरीके से पत्रकारों के माध्यम से राजस्थान में भाटगिरी का प्रचार किया गया। इससे मुझे बड़ी वेदना, दुःख और तकलीफ होती है कि राजस्थान के अन्दर एक कितना अहम मुद्दा है और उसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। राजेन्द्र मिर्धा से नहीं पूछा गया है कि आपको सुरक्षित कैसे छोड़ दिया, आपके कहीं हाथ नहीं लगाया गया। इससे निश्चित रूप से शक की सुई राजेन्द्र मिर्धा पर भी जाती है, हम लोगों ने उसकी वास्तविकता निकालने की कोशिश नहीं की। इसलिए चाहे इस देश का प्रधान मंत्री घर में गोलियों से छलनी बना दिया जाय, चाहे इस देश के प्रधान मंत्री को बम से उड़ाकर चले जायं लेकिन अपराधियों का पता बड़ी मुश्किल से लग पाता है। निश्चित रूप से इसका कारण यह है कि राजनैतिक

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीचन्द)

लोगों के साये के नीचे आतंककारी इस देश के अन्दर रहते हैं, निश्चित रूप से बड़े अधिकारीयों के साये के नीचे इस देश के अन्दर अपराधी लोग रहते हैं इसलिए अपराधी लोगों को पकड़ने से पहले गम्भीरता से भी देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति उनको शरण देता है, उस शरण देने वाले व्यक्ति को, उस शरण देने वाले अधिकारी को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहिए।

जहां पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 330 करोड़ रुपये मिलने की बात आती है, मुझे इस बात पर वेदना है कि 1860 के अन्दर पुलिस का गठन अंग्रेजों ने किया था लेकिन उस समय से लेकर आज तक पुलिस के जो उद्देश्य हैं, किसलिए पुलिस का गठन किया गया था उसमें व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, पुलिस के द्वारा जो अत्यचार की बाते आती हैं, मैं मानता हूं कि बहुत गलतियां होती हैं लेकिन मेरा अपना सोचना है कि मशीनरी जहां कहीं भी गलती करती है उसके लिए मशीनरी दोषी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी अधिकारी चोरी करता है, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, या कहीं कोई गड़बड़ियां होती हैं तो निश्चित रूप से जिसका राज होता है उसका दोष होता है। प्रशासन अच्छी बात करता है तो वाहवाही राज चलाने वाले को मिलती है और जब प्रशासन चोरी करता है तो यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को चोर बताने की हिम्मत करता है तो मुझे बड़ी वेदना होती है इस बात की, बस के अन्दर एक ड्राइवर होता है और सवारियां उसके अन्दर बहुत होती हैं और यदि एक्सीडेंट होता है तो मुकद्मा ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होता है, सवारियों के खिलाफ नहीं होता है।

इसलिए यदि इस राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार है तो राजस्थान का ड्राइवर भ्रष्ट होगा, सवारियां भ्रष्ट नहीं हो सकती है, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। राजस्थान के अन्दर मशीनरी के ऊपर, मैं तो एक बात साफ तरीके से कहता हूं, जब मैं सरपंच हुआ करता था तब भी कहता था कि पंचायत के अन्दर पटवारी रिश्वत लेता है, सेक्रेटरी रिश्वत लेता है तो सरपंच ईमानदार नहीं हो सकता है और जिस विधायक के क्षेत्र के अन्दर कोई तहसीलदार और बी. डी. ओ. रिश्वत लेते हैं तो वह विधायक ईमानदार नहीं रहता है और जिस सरकार के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारी यदि रिश्वत लेते हैं तो वह सरकार ईमानदार नहीं हो सकती है। इसलिए यदि कोई ईमानदार है तो सत्ता में रहने वाला व्यक्ति है और बेईमान है तो सत्ता में रहने वाला व्यक्ति है। अधिकारियों के ऊपर अंगुलियां उठाना नहीं है। अधिकारियों के साथ तो वह हालत होती है जो हालत समाज के अन्दर जब किसी व्यक्ति के भाई को गोली से मार दिया जाता है, किसी व्यक्ति की बहन की अस्मत को लूट लिया जाता है और कानून

(श्री गोपीचन्द)

उसकी मदद नहीं करता है तो मजबूरी में चम्बल के बीहड़ों में शरण लेता-लेता वह डकैत बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग, सियासत के लोग अधिकारियों को मजबूर करते हैं, ट्रांसफर पर पैसे लेने की बात होती है, पोस्टिंग पर पैसे लेने की बात होती है, मन्थली पैसे लेने की बात होती है, हाजरी लगाने की बात होती है, तो या तो वह पैसे दे वरना उसको सर्विस नहीं करने देंगे तो जिस तरीके से वह मजबूरी में बीहड़ों की शरण लेता है उसी तरीके से वह मशीनरी का आदमी भी मजबूर होकर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के अन्दर डूबता है। मशीनरी चोरी नहीं करती है, सियासत का व्यक्ति करता है, सत्ता का व्यक्ति करता है, जिसके हाथ में लगाम होती है, जिसके हाथ में शासन होता है भ्रष्टाचार और ईमानदारी का दामन उसके हाथ में होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : इस गाडी का ड्राइवर कौन है भाई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ एक चीज ही नहीं है, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जहां पुलिस....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी बोलने दें, चतुर्वेदीजी का+++बोल रहा है।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पुलिस के आधुनिकीकरण की बात आ रही है, मेरा सीमावर्ती जिला भरतपुर है जिसके अन्दर थानों पर कोई गाड़ी नहीं है, मेरा इन्सपेक्टर, मेरा थाना प्रभारी बैलगाड़ी को, धक्के वाली जीप को लेकर चलता है, और बदमाश एम्पाला के अन्दर, तो कहां से पकड़ेगा वह आदमी ? मैं तो एक-सवा साल से, चार-पांच महीनों से कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं कि वहां पर गाड़ियां दी जायं लेकिन गाड़ियां नहीं दी जा रही हैं। ट्रेक्टर चोरी जा रहे हैं, जीपें चोरी जा रही हैं, डकैतियां डल रही हैं, रोजाना अपराध हो रहे हैं लेकिन साधनों का जबरदस्त अभाव है। अभी जहां 330 करोड़ रुपये आधुनिकीकरण के लिए देने की बात है। उसमें व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि केवल शहर की पुलिस को मजबूत बना दिया जाय और सीमावर्ती जिलों के लिए साधनों का अभाव बना रहे। भरतपुर जिले के अन्दर इतनी बुरी हालत है कि थाना प्रभारी, जिनके पास साधनों का अभाव है और जब वह तफतीश करने जाते हैं तो प्राइवेट जीप लेकर जायेंगे तो निश्चित रूप से प्राइवेट वाले पैसे लेंगे तो वह भ्रष्ट होंगे ही होंगे और फिर दूसरी

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीचन्द)

तरफ पुलिस वाले अवैध वाहनों के माध्यम से चौथ वसूली करने के लिए चौराहे पर खड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से वह अन्वेषण में ध्यान नहीं देते हैं, उनको मालूम है कि एक बस 500 रुपये महीने देगी, दूसरे महीने हजार रुपये महीना देगी और इस सम्बन्ध में जब विधान सभा में प्रश्न रखे जाते हैं तो उनके जवाब अधूरे मिलते हैं और यदि कहीं कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको कोई निलम्बित करने की व्यवस्था नहीं होती है। यदि कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी उस मंत्री की खिचाई नहीं करते हैं, उनकी देख-रेख नहीं करते हैं, उनसे पूछते नहीं हैं कि व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए, अपने मंत्रिमण्डल की बैठकें लेनी चाहिए, मंत्रियों के कार्यों को सम्भालना चाहिए।....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। शीघ्रता करें आप।

श्री गोपीचन्द : प्रदेश की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां घुसपैठियों की बात आयी और जो उनकी संख्या बतायी गयी है वह बहुत नगण्य है। जो कुछ भी उपलब्धियां हो रही हैं, जो आंकड़ों के रूप में दिखायी जाती हैं वह नगण्य है, जीरो है। अवैध हथियारों की बरामदगी की बात है, भरतपुर जिले के अन्दर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाखों से ज्यादा अवैध हथियार तो मेरे ही जिले के अन्दर भरे पड़े होंगे लेकिन कौन कैसे करें। यदि कहीं मोटे आदमी से कुछ बरामदगी करने की बात आती है तो निश्चित रूप से कहीं कोई राजनैतिक हस्तक्षेप लगाकर कोई गरीब आदमी आयेगा उसके ऊपर एक कट्टा रख दिया जायेगा और आंकड़ों में उसे शामिल कर दिया जायेगा कि अवैध हथियार बरामद करने की बात है.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : भ्रष्टाचार की जहां बात है, भ्रष्टाचार के अन्दर देखा जाता है कि जो एन्टी करप्शन के अन्दर काम करते हैं, वह पकड़ते हैं और यदि एन्टी करप्शन वाले ही एक-एक लाख रुपये समाप्त करने के लिए लेते हैं तो उसका क्या अंजाम होगा ? यदि वह एन्टी करेप्शन के अधिकारी एक लाख रुपये ले रहे हैं तो कहीं न कहीं राजनैतिक व्यक्ति को पहुंचा रहे होंगे। भ्रष्टाचार मिटाने की बात के लिये तो सियासत के राजनैतिक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में जहां अनुमति देने की बात है उनको वहां अनुमति देनी चाहिये जहां आधुनिक तकनीकी ज्ञान का अभाव हो और हमारे कुटीर उद्योगों पर बुरा असर न हो। पी. डब्ल्यू डी. की बात आती है तो भरतपुर जिले

(श्री गोपीचन्द)

के पी. डब्ल्यू डी. के बारे में तो पता नहीं, सड़कों की स्थिति कैसी है, तीन-तीन तो एफ. आई. आर. लॉज हो रही हैं, और मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया भर की नीतियां बन रही है, खनिज नीति बन रही है, उद्योग नीति बना रही है तो कमीशन नीति भी और बना दीजिये तो बाधा ही खत्म हो जाय। सब लोगों को मालूम है कि कितना भारी कमीशन लिया जाता है उसके बाद भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : निश्चित रूप से कमीशन के अन्दर हमारा शेयर होगा इसलिये हम मौन हैं और यदि हमारा शेयर नहीं है तो गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन आये। सड़कें तीन दिन नहीं चल पाती हैं, 60-60 लाख रुपये भरतपुर की पी. डब्ल्यू. डी. का लेप्स हो जाता है। अधिकारियों की लापरवाही से, सिंचाई विभाग का लेप्स हो जाता है। कहीं किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है, कोई अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोपीचन्द : उसके ऊपर कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री गोपीचन्द : जहां विद्युत क्षेत्र की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर (व्यवधान) कम से कम 8 घण्टे बिजली की सप्लायी करायी जाये। एक बात के लिए मैं माननीय बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कृषि कनेक्शन के लिए एल फार्म को समाप्त कर दिया। जहां कृषि व्यवस्था की बात आती है, फसल बीमा के अभाव में ही कृषि नीति को अभी तक निर्धारित नहीं किया और एक और बात कहना चाहता हूं कि किसानों के कर्जा माफ करने की कई बार राजनैतिक लाभ के लिए घोषणाएं कीं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री गोपीचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर किसानों के कर्ज के ब्याज को माफ कर दिया तो राजस्थान के किसान 18 माह के अन्दर मूल को जमा करा देंगे। आप करोड़ों-अरबों रुपयों का दूसरी जगह घाटा ले सकते हैं तो राजस्थान के गांव और झोंपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी के कर्ज का ब्याज क्यों नहीं माफ किया जाता? यह मैं बाबा जय गुरूदेव की तरफ से यहां बोल रहा हूं। उन्होंने एक संदेश दिया है, उनकी तरफ से राजस्थान के किसानों के कर्ज के ब्याज

(श्री गोपीचन्द)

को माफ करना चाहिए। मेन पावर, से कनेक्शन···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री गोपीचन्द : सिंचाई की बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां पर सिंचाई के अन्दर भी बहुत बड़ा घोटाला है और····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। गोपीचन्द जी, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : मैं सारे बिन्दुओं को जल्दी-जल्दी खत्म कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे 15 मिनट हो गये हैं, माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : एक बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जब तक पशुधन और वनस्पति को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, राजस्थान का विकास नहीं हो सकता है। बजट के अन्दर पशुधन और वनस्पति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जय गुरूदेव ने सोचा कि सबका कल्याण हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : जय गुरूदेव नाम परमात्मा का है। मैं कहना चाह रहा था कि····

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, थक गये होंगे आप।

श्री गोपीचन्द : राजस्थान के अन्दर वृक्षारोपण का अभियान और साक्षरता के अभियान में कोई अन्तर नहीं है। वृक्षारोपण के लिए माननीय वन मंत्रीजी ने निश्चित रूप से कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया है। फर्जी आंकड़े पैदा किये जाते हैं इसलिए फर्जी आंकड़े पैदा मत करो, वास्तव में पेड़ लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक वही स्थिति शिक्षा के बारे में है। भरतपुर जिले के लिए···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। 15 मिनट हो गये हैं। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : ····मैं दावा करता हूं कि भरतपुर के अन्दर 5 प्रतिशत लोग भी साक्षर नहीं हुए। जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा है उसको साक्षरता में लगा दिया, विद्यालय का बालक निरक्षर हो गया। यह किस तरह का अभियान है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : छात्र के अनुपात में अध्यापक और विद्यालय के अनुपात में भवन

(श्री गोपीचन्द)

की व्यवस्था कर दो तो बालक अपने आप साक्षर हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप । अब पूरे 15 मिनट से ज्यादा हो गये हैं । विराजिये आप । माननीय दीपेन्द्र सिंह शेखावत ।

श्री गोपीचन्द : एक चीज और कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण की नीति भी....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : हां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं ।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात कही, किसी को वेदना लगी होगी लेकिन सच कहूंगा, इस विधान सभा में जिस दिन तक भी रहूंगा । बिना किसी की परवाह किये हुए जो सही होगा, उसको सही कहूंगा, जो गलत है, उसको गलत कहूंगा । जय गुरूदेव ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दीपेन्द्र सिंह शेखावत ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने अपनी तरफ से, कुछ गवर्नर के माध्यम से अभिभाषण के रूप में कहलवाया । इस अभिभाषण को देखकर मुझे इसलिये धन्यवाद देना पड़ेगा इस सरकार को कि जिसके पास कहने को कुछ नहीं होते हुए भी कुछ कहला डाला । इसके लिए तो एक ही बात कहनी है :—

"अहसास यह होता है दौर-ए-तबाही है
शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही ।"

अभिभाषण में पिछला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला वर्ष रहा, यह कहा गया । इस बात की तारीफ की गयी कि पंचायत के चुनाव इन्होंने करवाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है । इसमें 17 नम्बर पर लिखा है, "भारतीय जनता पार्टी यह वादा करती है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव सत्ता के आने के बाद 4 माह में करवायेगी ।" उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिनों पहले की बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो प्रजातंत्र में विश्वास की बात करते हैं, जिन्होंने पंचायत के नाम पर चुनाव कराकर वाहवाही लूटी, इसी सदन में जनतंत्र का गला घोंटकर इन्होंने कानून बनाया कि हमारे चहेते और चमचों को हम सीधे बिना चुनाव के नोमिनेट कर देंगे । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सरपंच नोमिनेट किया के कार्यकर्ताओं को बिना चुनाव के भारतीय जनता पार्टी और आज कहते हैं, हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं । मुझे मजबूर होकर राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा । (व्यवधान) मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नोमिनेशन हुआ है और राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर के मैंने उसके खिलाफ स्टे ले लिया है ।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

इन्होंने सरपंचों का चुनाव नहीं करवाने की नीयत रखी थी और राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टे देकर उनके आदेशों को निरस्त किया और मजबूर किया राजस्थान की सरकार को कि वह चुनाव करवाये और उसके उपरान्त मजबूर होकर इनके चुनाव करवाने पड़े। इनकी मंशा चुनाव करवाने की नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा भारत सरकार ने इनको मजबूर किया कि आप चुनाव करवायें वरना आपको मिलने वाली सारी राशि रोक दी जायेगी और मजबूर होकर इनको चुनाव करवाने के लिए जनतन्त्र का सहारा लेना पड़ा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने चुनाव करवाये। हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद इस प्रकार के चुनाव कभी नहीं हुए होंगे। पंचायत का चुनाव बाद में, पंचायत समिति का चुनाव पहले। पंच और सरपंच का चुनाव बाद में, जिला परिषद का चुनाव पहले। यह इनके चुनाव कराने का तरीका रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। ये इस बात को जानते थे कि इनके समर्थक लोग नहीं आ पायेंगे और उसके लिए इन्होंने रास्ते निकाले। चुनाव आयोग बनाया गया और जनता को विश्वास हुआ कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। नीचे के स्तर पर पहला चुनाव जब निर्वाचन आयोग ने करवाया तो इनकी पोल खुल गयी और घबरा गये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव आयोग को कहा कि प्रधानों, उप प्रधानों, प्रमुखों, उप प्रमुखों का चुनाव हम तुमसे नहीं करायेंगे, सीधे प्रशासन के मार्फत करवायेंगे। क्यों निष्पक्षता पर आंच आयी? ईमानदारी से चुनाव कराने देते चुनाव आयोग को लेकिन पोल खुल रही थी। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको धक्के देकर बाहर निकलवाया। वोटर वोट देने के लिए मौजूद नहीं था, अस्पताल में वोटर पड़ा था, दूसरे व्यक्ति को ले जाकर वोट डलवाया। इस प्रकार की निष्पक्षता से चुनाव करवाये, इन्होंने परिणाम हाथ में लिये, शाबासी ली है इन्होंने।

उसके बाद पंचायतों के चुनाव तो करा लिये लेकिन प्रधान और जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव कराने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। मजबूर होकर फिर मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। राजस्थान के उच्च न्यायालय ने इनको मजबूर किया कि वह चुनाव भी करवायें, तारीख तय करें। इनकी मंशा नहीं होते हुए भी इनको चुनाव कराना पड़ा। इनके नेताओं के स्टेटमेंट आये, चुनाव के लिए इन्होंने कहा कि बाड़ाबन्दी समाप्त कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बाड़ाबन्दी कौन सी समाप्त की? नीलामी, बोली लगी है। पंचायत समिति के मेम्बर का 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक और जिला परिषद के मैम्बर का एक

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

लाख रुपया और बांसवाड़ा में तो माननीय गृह मंत्रीजी थैली लेकर बैठे थे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : और जोधपुर में मामड़ा जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने को मजबूर होना पड़ता है कि कहा करते हैं कि मिश्र में गुलाम बिका करते थे, इंग्लैण्ड में कुत्ते बिका करते थे, हाय रे देश का दुर्भाग्य, जहां राजनीति के चौराहे पर चन्द चांदी के टुकड़ों से इन्होंने राजनीतिज्ञों को+++ का सिलसिला शुरू किया है। निर्दलीयों को गाली देते थे। निर्दलियों के भरोसे पर सरकार बना बैठे। निर्दलीयों को+++ करके, कांग्रेस के चिन्ह पर जीते हुए लोगों की+++करके, जनता दल के जीते हुए लोगों की+++करके, अब शाबासी लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातन्त्र पर विश्वास रखते हुए, आस्था रखते हुए, पंचायत राज पर छा गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि चुनाव के टिकट के लिए सबसे पहले आगे होकर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए। मैं धन्यवाद तो देना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया लेकिन मुझे खुशी होती कि दलीय आधार पर चुनाव कराने के बाद आप हिम्मत करते और दल-बदल कानून को लागू करते। मैं आपसे अब भी कहता हूं, यदि आप में जमीर है तो पंचायतों में भी दल-बदल कानून को लागू कीजिये जिससे+++ की समस्या का समाधान हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चुनाव तो आपने करा दिये, पंचायत समितियां बना दीं, जिला परिषदें बना दीं, आपने सात नम्बर पर अपने घोषणा पत्र में, कहा

(16.00)

है कि पंचायतों और व्यवस्थापकों को अधिकार देकर ग्राम स्वराज्य की कल्पना को फलीभूत किया जायेगा। आज पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति पूछता है मेरा काम क्या है, जिला परिषद का सदस्य कहता है मेरे को चुनकर क्यों भेजा गया है, मेरा काम क्या है, क्या यही अधिकार देने थे आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : एम. एल. ए. का काम क्या है, आप यह बताओ न?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपका तो मालूम है, नहीं पार पड़ेगी अध्यक्ष बनने की, आप शांति रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष को छोड़ो, आप एम. एल. ए. का काम बता दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एम. एल. ए.

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री हरिसिंह)

तो कानून बनाता है, वह पंचायत समिति के लिए कानून बनायेगा क्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह विकास करेगा, वहां कानून बनायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : विकास नहीं बनायेगा, योजनाएं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम यह लोग खराब कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को आप फरमायें। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार के चुनाव कराने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी कृपा दिखायी है उसका नमूना मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिस प्रकार की घोषणायें इन्होंने चुनावों से पहले की, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की घोषणाओं की जांच के आदेश दिये। चुनावों के बीच में घोषणायें करके लोगों को प्रलोभन दिये। जिस प्रकार के चुनाव इन्होंने कराये और चुनावों के परिणाम में क्या स्थितियां बनी हैं उसका भी पूरा नतीजा पेश करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने नजारा देखा होगा, अलवर में एक मंत्री के भाई के बारे में जो चर्चायें हुई, केवल वह एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए राजसमंद जिले के खमनोर पंचायत समिति के नाना भाई गोमती की हत्या की गयी जो पंचायत समिति का मेम्बर था। पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली, आज तक इनको पता नहीं चल पाया, यह क्या था। उसका बहुत बड़ा कारण है। मैं स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसकी इसलिए हत्या करवायी थी कि वह कांग्रेस के पक्ष में मत देकर आया था। इस तरह के हालात जहां पैदा होते हों जनतंत्र में, आप ताज्जुब करेंगे, एक समाचार आपने पढ़ा होगा, सांसद के भाई समेत आठ की जमानत। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जरा मुलाहिजा करें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बलि चढ़ाने की नीयत से अपहरण के एक मामले में भाजपा सांसद कुंजीलाल मीणा के भाई व अन्य सात लोगों को जमानत पर रिहा किया। भाजपा सांसद के भाई सुवालाल को बामनवास ग्राम पंचायत समिति में निर्दलीय सदस्य देवकिया कोली के अपहरण के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को डूंगरपुर में गिरफ्तार किया था। यह हालात हैं।

एक माननीय सदस्य : पागल भी हो गया शायद वह, पागलखाने में भर्ती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इस तरह के चुनाव, इस तरह की +++ का हाल और यह जनतंत्र के रखवाले, आप देखिये,

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

क्या होने वाला है। यह कहते हैं कि वे पागल भी हो गये, यह हालात हैं, यह चुनाव कराये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : गांव ही छोड़ गये वे।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में पर्यटन नीति की बात कही गयी है। मुझे खुशी है पर्यटन नीति को यह बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन किस प्रकार की पर्यटन नीति को ? मैं एक सबूत प्रस्तुत करना चाहता हूं। उदयपुर में एक बहुत बढ़िया महल महाराणा का था जो राजस्थान की सरकार को उन्होंने गिफ्ट किया था, सज्जनगढ़ पैलेस। ओबेराय से मिलकर, उस सज्जनगढ़ पैलेस को ओबेराय के हाथों में देकर पर्यटन नीति का विकास करना चाहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पहले इन्होंने खासा कोठी होटल को बेचने का विचार किया, उसके बाद गवर्नमेंट होस्टल को बेचने का विचार किया, जब यहां विरोध हुआ तो सज्जनगढ़ पैलेस को ओबेराय को दिया। मैं तो इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, ऊपर बैठने वाले लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी, कि यह धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, यदि इनको मौका मिला।

यह धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे,
कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे।
कलम के सिपाहियों, अगर सो गये तो,
यह वतन के रखवाले वतन बेच देंगे।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसी प्रकार की पर्यटन नीति यह चाहते हैं हमारी धरोहर को बेच बेच करके, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। कानून और व्यवस्था के नाम पर बड़ा संतोष जताया गया। निश्चित रुप से इनको संतोष होता। राजेन्द्र मिर्धा को इन्होंने सकुशल हासिल कर लिया। निश्चित रुप से मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किये, इस बात से भी इन्कार नहीं करता कि राजेन्द्र मिर्धा सकुशल हम लोगों को मिले, निश्चित रुप से ये धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहे बिना भी नहीं रह सकता कि राजेन्द्र मिर्धा की सकुशल वापसी के बाद इस बात की शाबाशी यह लें कि राजस्थान में अमन चैन है, राजस्थान में कानून व्यवस्था बड़ी माकूल है, राजस्थान में कानून व्यवस्था से यह पूर्ण रुप से संतुष्ट हैं। इन्होंने कहा-मार्खीजा हत्याकांड के मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा होता पंकज सिंघवी हत्याकांड के लोगों को भी आप गिरफ्तार करके बताते तब मैं सोचता कि निश्चित रूप से आपको अपनी कानून व्यवस्था पर संतोष है। अच्छा होता मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक वृद्धा ग्यारसी देवी की 25-8-1994 को हत्या हुई थी, उसके

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

हत्यारों को भी आप गिरफ्तार करके बताते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें अब ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो ये ले गये और अभी मुझे आप....

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अभी तक तो भाषण पर आये ही नहीं ये ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अच्छा होता, मूंगफली बेचने वाले दुर्गापुरा के दो मासूम बच्चों के हत्यारों को पकड़ कर यह शाबाशी लेते और फिर कहते कि कानून और व्यवस्था के नाम पर हमको संतोष है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कानून व्यवस्था की बात तो कही, कानून व्यवस्था से संतोष तो बताया, लेकिन इनके प्रतिवेदन के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, कैसी इनकी कानून व्यवस्था है, 1994 का पुलिस का प्रतिवेदन इस बात का सबूत है । आप ताज्जुब करेंगे, 1994 में 1 लाख 33 हजार 19 मामले पंजीकृत हुए हैं पुलिस में । औसत प्रति दिन 364 मुकदमें दर्ज होते हैं इस राज्य में और यह कानून व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं । जहां पिछले साल 88 डकैती और 1137 लूट के मामले दर्ज हुए, 1499 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं, 18741 बलवे के मामले दर्ज हुए हैं, 8327 नकबजनी के मामले दर्ज हुए हैं, 15517 चोरी के मामले दर्ज हुए हैं, 1002 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं, अन्य अपराध 86708 दर्ज हुए हैं । आप ताज्जुब करेंगे जहां हर छह घंटे में एक हत्या होती हो इस राजस्थान में, जहां हर आठ घंटे में एक बलात्कार होता हो इस राजस्थान में, कानून और व्यवस्था से यह सरकार पूर्ण रूपेण संतुष्ट है, दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का क्योंकि यह संवेदनशील सरकार है ।

एक माननीय सदस्य : पिछला इतिहास भी देखो ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई है । अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ 1993 में जहां 113 घटनाएं हुई थी, 1994 में 130 घटनाएं घटित हुई हैं । अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ 33 घटनाएं घटित हुई हैं और आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि 1993 में जहां 2537 मामले थे अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अत्याचार के, 1994 में 3139 मामले दर्ज हुए हैं । इस बात से यह संतुष्ट हैं और आपको ताज्जुब होगा अगली बात सुनकर, सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार की जितनी घटनाएं 94 में हुई है सब में चालान हुए हैं, शत प्रतिशत, और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति की 130 महिलाओं के बलात्कार के मामलों में केवल यह सरकार 65 में चालान कर पायी है । इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

होगा। अनुसूचित जन जाति के 32 मामलों में से केवल यह 13 में चालान कर पाये हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में इनकी यह फरफोरमेंस रही है जो पुलिस रिकार्ड से है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से नहीं है। इनकी गुप्तचर एजेंसियों की पोल तो टिबड़ेवाल आयोग ने भी खोल दी, इनकी गुप्तचर एजेंसियों की पोल आतंकवादी गतिविधियों ने खोल दी। उसके बावजूद भी यदि यह संतुष्ट हैं अपनी न्याय और कानून व्यवस्था से तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके राज में पिछले एक साल में 16 वर्ष से कम आयु के पन्द्रह सौ बच्चे गायब हुए हैं जिनमें से केवल 400 ही बच्चे यह बरामद कर पाये हैं। जयपुर शहर में इनकी नाक के नीचे धड़ाधड़ बच्चे गायब हो रहे हैं, यह बरामद करने में असक्षम हैं। उसके बावजूद भी गवर्नर के अभिभाषण में यह कहलवाते हैं कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है। यदि इसके बाद भी कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है तो, उपाध्यक्ष महोदय, न इस अभिभाषण की आवश्यकता थी, न मेरे बोलने की आवश्यकता थी और न राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने की आवश्यकता है। इन हालात में आप जानकर ताज्जुब करेंगे, पिछले दिनों पढ़ा होगा आपने अखबारों में, बड़ा दुःख होता है जानकर के, राजस्थान वन विभाग के 13 कर्मचारी गायब हुए हैं पिछले वर्षों में इनके राज में। राजस्थान वन विभाग के 13 कर्मचारी जिनकी सूची मेरे सामने है, धनसिंह, सहायक वनपाल, अभ्यारण्य दर्रा; श्री महेन्द्रसिंह सोलंकी, सहायक वनपाल, अभ्यारण्य सीतामाता; धरियावद, गंगा सिंह, वन रक्षक, अभ्यारण्य कुम्भलगढ़।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, बिराजें अब।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत: मैं पांच मिनट लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बिराजें नहीं साहब, अभी तो शुरू किया है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत: कल्याणसिंह, वन रक्षक, रणथम्भोर।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो माननीय मुख्य सचेतक की पालना कर रहा हूं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत: दालाराम, अभ्यारण्य उदयबाड़ी, उदयपुर; सुवालाल गूजर, सरिस्का; हनुमान प्रसाद रैगर, सरिस्का; श्री नारायण मीणा, वन रक्षक; किशोर सिंह, जमवा रामगढ़, जो हाल ही में 95 में घटना घटित हुई है, मालसिंह, वनपाल, पाली; कालूसिंह, बनपाल, अलवर रोड, कुम्भलगढ़; रावतसिंह, बनपाल रेंज नाहरगढ़। जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों का इस प्रकार से अपहरण हो, हत्यायें हों, उसके बाद भी यदि राजस्थान

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

की संवेदनशील सरकार कहती है यह कानून व्यवस्था उचित है, ये संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जहां का न टैक्सी ड्राईवर सुरक्षित है, न जहां का एक आम आदमी सुरक्षित है। मेरे यहां की एक जीप को किराये पर करके ले गये, आज तक 6 महीने से पता नहीं लगा उसकी कहां हत्या हुई। जब भी जाकर पुलिस को पूछते हैं, पता नहीं चला। कोटा की एक गैंग हमने पकड़ी है उसका पता लगेगा, आज तक पता नहीं लगा और कानून व्यवस्था बड़ी उचित है। यह स्थितियां जहां हों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इससे बड़े ताज्जुब की बात और क्या होगी? यहां की कानून व्यवस्था की रखवाली करने वाली जिस पुलिस की यह तारीफ करते है, मैं एक सबूत, बानगी आपको पेश करना चाहता हूं। चुनाव ड्यूटी पर गई आर. ए. सी. की टुकड़ी, हत्या व इज्जत लूटने के आरोप हैं। बिहार में यहां की आर. ए. सी. गई थी वहां के चुनावों को सम्पन्न कराने के लिये, इन्हीं की, आर. ए. सी. राजस्थान की ही और अड़की एक जगह है रांची में। जहां का एक समाचार आपको सुनाना चाहता हूं। राजस्थान आर्म्स कान्स्टेबिल आर. ए. सी. की 19 वीं बटालियन जो बिहार चुनाव ड्यूटी पर आयी हुई है जिसके तहत जवान रांची के 70 किलोमीटर दूर अड़की गांव लगाये गये थे उसके खिलाफ एक अध्यापक मुन्नालाल बोहरा ने अड़की पुलिस थाना में श्री भगवान पाठक की पत्नी रामेश्वरी की इज्जत लूटने तथा रामेश्वरी की सहायता के लिये आये जगन्नाथराम को गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। जिनकी पुलिस का यह हाल हो फिर भी कानून व्यवस्था से यह सन्तुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पुलिस के कारनामों के लिये एक और रपट पेश करूं। पुलिस के अपमान से स्वतन्त्रता सैनानी ने ताम्र-पत्र लौटाया। इनकी ज्यादतियों से एक स्वतन्त्रता सैनानी ने दुःखी होकर अपना ताम्रपत्र राष्ट्रपति को लौटाते हुए कहा है, इतने जुल्म यह पुलिस करती है तो जनतन्त्र और देश को आजाद कराने के लिये क्या हमने हमारी जिंदगियां दी?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, किशन गोपालजी कोगटा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जहां की पुलिस का यह हाल हो, जहां के कानून व्यवस्था की यह स्थितियां हों।....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले विधायक महोदय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय कोगटाजी को समय दिया है। आपको पूरे 20 मिनट हो गये हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : राजेन्द्र जी मिर्धा के अपहरण के बारे में बहुत सी शाबासी की बातें हुई। इसके पीछे के जो रहस्य हैं उन पर चर्चा करने की आवश्यकता मैं आवश्यक समझता हूं, निश्चित रूप से ईनामें घोषित हुई, ईनामें दी जानी चाहिये थीं लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं ईनामें किसको मिल रहे हैं? बड़े ताज्जुब की बात है गोलियों से एक आतंककारी मरा लेकिन दुर्भाग्य देखिये मारने वाले सिपाही कोई और थे, अफसरों ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से हवा में फायरिंग करके यह साबित किया हमारे रिवाल्वर से गोली चली है, ईनाम हमको भी मिले, पड़ी हुई लाश के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि मारने वालों में हम थे, हमको भी ईनाम मिले। क्या उसी पुलिस के भरोसे आप लोगों ने राजेन्द्र मिर्धा को हासिल किया है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजेन्द्र मिर्धा के मामले में केवल दो तीन बातें आपको निवेदन करना आवश्यक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर मैं दूसरे सदस्यों को मौका नहीं दे पाऊंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, मैं मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. का समय नहीं ले रहा हूं।

खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के जयपुर अजमेर, कोटा, बूंदी और गंगानगर में अड्डे हुए। उन अड्डों का राजस्थान की सरकार को 2 वर्ष तक पता नहीं लगा। पंजाब पुलिस ने 2 वर्ष पहले ही कह दिया था कि वहां इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं लेकिन राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रही। खैर, जो भी हो, देवेन्द्र सिंह भुल्लर जैसा व्यक्ति राजस्थान में दो साल पहले आ जाय, जैसा कि माननीय उपाध्याय जी कह रहे थे, मानसरोवर में रहे, राजस्थान सरकार को पता नहीं लगे। यह तो निश्चित रूप से सही है कि राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण से सारी पोलें खुलीं वरना बारूद के ढेर पर बैठे हुए राजस्थान का क्या हश्र होता?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : किन्तु बहुत से सवाल पैदा होते हैं। राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण के बाद में कि आखिर आपने आतंकवादी को मारा, नवनीतसिंह कादिया तो मरा किन्तु मैं पूछना चाहता हूं हरनेकसिंह कहां गया, दयासिंह लाहौरिया कहां गया, विनय गुप्ता कहां गया, वह महिला

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

कहां गई, वह बच्चा कहां गया और वह कुत्ता कहां गया ? जब आतंकवादियों के साथ आपका गोली से एनकाउन्टर हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, उस एनकाउन्टर में यह आतंकवादी कहां चले गये ? जिसका जवाब राजस्थान की सरकार ने आज तक नहीं दिया है और एक सवाल खड़ा होता है जो 61 लाख रुपये अटैची में मिले थे।

एक माननीय सदस्य : वह कहां गया ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वह तो कहीं गये होंगे सरकार खजाने में, मुझे पता नहीं लेकिन जिस व्यक्ति के पास 61 लाख थे, महिला थी, वहां जेवर था वह कहां गया ? पुलिस को जब्ती में ज्वेलर्स की रसीदें मिली हैं, उन रसीदों का क्या हुआ ? कितने ज्वेलर्स को बुलाकर आपने तफ्तीश की, जिससे पोल खुलती। बहुत से सवाल खड़े होते हैं, उनका जवाब यह सदन चाहता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्य से कहा कि यहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्नचिन्ह लगता है। जब बम्बई में बर्बर बम-काण्ड हुआ और उसके अपराधी मेमन बन्धु जयपुर आकर जाते हैं, राजस्थान की सरकार को पता नहीं। जिस जहाज से विस्फोटक सामग्री आयी थी, बम्बई से, उस जहाज में चांदी भी आयी थी और वह चांदी जयपुर आकर बिकती है, उनके सम्बन्धों का खुलासा यहां होता है और राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था से बड़ी सन्तुष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, दाउद इब्राहीम और उसके रिश्तेदार जयपुर और अजमेर आते हैं। यहां प्रापर्टी खरीदने की कोशिश करते हैं। उनके गिरोह के लोग आज भी सक्रिय हैं और उसके बावजूद भी राजस्थान में कानून और व्यवस्था, अमन चैन माकूल है, किसी प्रकार की इनको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं संवेदनशील सरकार के बारे में कि यह कितनी संवेदनशील है ? समाज कल्याण मंत्रीजी यहां बिराज रहे होंगे। वह बड़े संवेदनशील हैं। मैं उन्हीं की चिट्ठी पढ़ता हूं। एक यह अखबार पढ़ा होगा आपने भी समाज कल्याण मंत्रीजी की फोटो भी इस मेगजीन में छपी है। यहां आवासनियों का एक गृह है राजस्थान सरकार का, उसमें महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, महिलाओं को गर्भ रहा और उसके बाद शिकायत हुई, जांच हुई, जांच मे सही पाया गया और यह मैं नहीं कहता वर्तमान समाज कल्याण मंत्रीजी उस वक्त विधायक थे। यह चिट्ठी उनकी स्वयं की, मंत्री महोदय को जो लिखी है जांच के लिये, उस पर क्या कार्यवाही आज तक हुई, मैं मंत्री महोदय से भी जानना चाहता हूं। यह मेरे नहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों के दस्तखत हैं। वर्तमान माननीय समाज कल्याण

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

मंत्रीजी के दस्तखत हैं जो उन्होंने जांच के लिये मांग की थी उसके बाद जांच का क्या हुआ मंत्री जी ? विधान सभा के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा जांच के बारे में, लिखित प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया यह-यह जांच हुई यह-यह प्रश्न मांगे गये और यह-यह जांच की शिकायतें हुई। मंत्री महोदय अपने इस प्रश्न को छिपा गये, राजस्थान की विधान सभा में जवाब देने में भी +++ कर गये। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जहां की आवासनियों के साथ इस प्रकार की घटनायें हों, मंत्रीजी जब विधायक थे तो खुद शिकायत करें और मंत्री बनने के बाद सारी बात को भूल जायं। इसकी वजह क्या है यह तो मंत्रीजी स्वयं जानते होंगे लेकिन इस प्रकार की संवेदनशील सरकार इस स्थिति में पहुंच जाय और उसके बाद संवेदनशीलता इनकी बाकी बनी रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है।

बड़ा सन्तोष व्यक्त किया गया बिजली पर, मैं निवेदन करना चाहता हूं बिजली के मामले में, यह मैं नहीं कहता हिन्दुस्तान की रिपोर्ट कहती है, किसानों को बिजली देने में राजस्थान सबसे पीछे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रतिवेदन है। इसमें कहा गया है। इन सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जहां किसानों को 20 घण्टे बिजली मिलती है, आंध्रप्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था प्रतिदिन 16 घण्टे बिजली मिलती थी, गुजरात में जब कांग्रेस का शासन था प्रतिदिन 15 घण्टे बिजली मिलती थी, पंजाब में 13 घण्टे बिजली मिलती है, हरियाणा में 11 घण्टे बिजली मिलती है और राजस्थान के अन्दर....

एक माननीय सदस्य : दो घण्टे बिजली मिलती है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब चुनाव लड़ा, घोषणा पत्र में 10 नम्बर पर, कहा किसानों को निर्बाध रूप से 8 से 12 घण्टे बिजली दी जायेगी। कितने घण्टे बिजली दी गयी ? सदन ने चिन्ता महसूस की। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां कुछ दिन पहले ढाई हजार करोड़ रुपये के ऋण की बात कही गयी और जोर-जबरदस्ती, सत्ता के बल पर, विधायकों के बहुमत के बल पर पास संकल्प पर ऋण लिया है लेकिन उस ऋण का होगा क्या ? पिछले दिनों बाण्ड्स के आधार पर ढाई सौ करोड़ का ऋण लिया सूरतगढ़ के लिये, बजाय सूरतगढ़ के वह ऋण चुका दिया गया ऋण चुकाने में, कहां से प्रोडक्शन होगा ? यहां सरकारी लोग जाते हैं विदेशों में, कलकत्ता और बम्बई में और वह कहते

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

हैं आइये उद्योग लगायेंगे। जब इनकी बिजली की हालत की पोल खुलती है तो उद्योगपति राजस्थान में कोई उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं होता। मैं निवेदन करूं आपसे कांग्रेस के जमाने में 10 रुपये लगता था कुएं के कनेक्शन की एप्लाई करने का, जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया, इन्होंने एक हजार रुपये रेट बढ़ा दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह स्वर्ग युग तो गया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एक पोल के 7 हजार रुपये लेंगे, प्रति हार्स-पावर ढ़ाई हजार रुपये लेंगे और यदि 10 हार्स-पावर का कनेक्शन है 5-6 पोल लग गये 20 और 30 हजार रुपये की बीच में ए. ईएन. साहब की रिश्वत हो गयी, 50 हजार रुपये का कनेक्शन पड़ता है और घोषणायें करते हैं हर हाथ को काम, हर किसान को पानी, हर खेत को बिजली, भारतीय जनता पार्टी के राज में पानी मिलेगा। राजस्थान में जब कांग्रेस का शासन था, दो पैसा प्रति यूनिट की रेट बढ़ायी थी जिसमें यह इधर बैठे लोग ढेड़ लाख लोगों का नेतृत्व करते हुए जेलों में लेकर गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का टाइम खतम हो रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : केवल दो पैसा रेट बढ़ाने में। उपाध्यक्ष महोदय, दो पैसा रेट बढ़ी, डेढ़ लाख लोगों को जेल भेजा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : झुंझुनू में बालूराम मर गये थे, उनकी हत्या हुई, उनकी लाश को पटकी रखकर इन्होंने राजनैतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की।

श्री उपाध्यक्ष : आपके मुख्य सचेतक भी बोलना चाहेंगे, पार्टी के लीडर हैं और समय खतम हो रहा है, पार्टी का समय भी समाप्त हो रहा है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सिस्टम इम्प्रूवमेंट के नाम पर, नर्सरी के नाम पर, पोलट्री के नाम पर अफसरों ने रास्ते निकाले कनेक्शन देने के।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब सही-सही बातें कही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : 2 रुपये यूनिट चार्ज किया जा रहा है नर्सरी के नाम पर और 5 हजार रुपये डी पी के नाम पर...

श्री जुबेर खान : बिलकुल सही कह रहे हैं आप...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

बिजली बोर्ड रोजाना ढाई करोड़ का घाटा दे रहा हो, राजस्थान का किसान जहां त्राहि-त्राहि कर रहा हो। उद्योगपति भी जहां उद्योग लगाने को तैयार नहीं हों और उसके बावजूद भी बिजली पर इनको संतोष है बिजली में यह कार्यवाही कर रहे हैं, बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। क्या हुआ धौलपुर का, क्या हुआ बरसिंहसर का, क्या हुआ पलाना का? जितने प्रोडक्शन की आप कल्पना करके चलते हो उससे ज्यादा खपत बढ़ती है। ट्रांसमिशन लॉस आपसे रुकता नहीं, थेफ्ट आपसे रुकती नहीं बिजली का प्रोडक्शन आपसे होता नहीं। वादों और आश्वासनों के आधार पर चलने वाली यह सरकार किस प्रकार से चलेगी मुझे पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, बड़ी कृपा की। इतना निवेदन अंत में मैं करना चाहता हूं खास तौर से इधर बैठे लोगों को चेतावनी के रूप में "जिन बुतों को आ जाता है खुदाई का गरूर ..." (व्यवधान) बुत कहते हैं भगवान की मूर्तिया जैसे बनती है उनको।

"जिन बुतों को आ जाता है खुदाई का गरूर,
मैंने देखा है वह बुत तोड़ दिये जाते हैं।"

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैं सहमति व्यक्त करते हुए कुछ विचार रखता हूं। इस बार इस अभिभाषण में वर्ष के विकास के कार्य का लेखा-जोखा है और आने वाले वर्ष की रूपरेखा सामने प्रस्तुत है 1994-95 का वर्ष महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है। प्रदेश में प्रथम बार ऐसा हुआ जब पंचायत संस्थाओं, नगर पालिका, नगर निगम में निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में प्रशासन का कार्यभार, बागडोर आयी और यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका सारा श्रेय राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व को, राज्य की जनता को जिसने शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराये व जनता ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। अभी चर्चा राजस्थान के चुनाव की, पंचायत चुनाव के बारे में थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो जिस प्रकार से वहां चुनाव हुए उससे बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्थित चुनाव राजस्थान में हुए और इतना ही नहीं, इसके परिणाम भी अच्छे निकले। जहां सदस्यों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यों ने ...

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोजत के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार ने वोट पेट के अन्दर खा लिया।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

यह भी आपको जानकारी है कि नहीं····(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से पंचायत राज में मठाधीश और ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, उसको समाप्त करने के लिए नयी चुनाव प्रणाली विकसित करके चुनाव कराये गये, उसकी बोखलाहट की वजह से ये, विपक्ष के सदस्य लोग पंचायत चुनाव प्रणाली पर जो आक्षेप लगा रहे हैं वह मात्र यही हैं कि जो पुरानी 40-45 साल से ठेकेदारी चल रही थी, एक ही पार्टी का राज चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए नई व्यवस्थायें कीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था इस वर्ष में बहुत संतोषजनक रही। बढ़ती हुई आबादी, संचार व्यवस्था, विस्तार बदलती हुई सामाजिक मान्यताएं, बढ़ता हुआ औद्योगीकरण, साधनों की कमी से पूरे देश में जिस प्रकार पिछले साल अशांति रही, आतंकवाद का वातावरण रहा पिछले 2-3 साल से उसके आधार पर राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछले वर्ष में पुलिस की सजगता, सक्रियता से अपराधों में कमी आयी। साथ ही राजेन्द्र मिर्धा का जो प्रकरण सामने है, शेखावत साहब ने जो बोला है। राजेन्द्र मिर्धा के बारे में और अन्य प्रकरणों में, मेरा यह कहना है कि उन्होंने जो कहा है वह वास्तविकता से परे है इसलिये वे सदन छोड़कर चले गये। पिछले साल पुलिस और ग्राम प्रशासन ने जिस गति और एक्टिवनेस से आतंकवाद पर जो कण्ट्रोल किया और जो पाकिस्तान और पंजाब से आतंकवादी आये हैं जो तस्करों की पकड़ा-धकड़ी हुई और हथियार वगैरह पकड़े वह एक प्रशंसनीय कार्य है। परन्तु इसके साथ-साथ, केवल इसी पर ही विश्वास नहीं जो पुलिस प्रशासन पिछले 50 साल से चला आ रहा है उसको सुधारने की आवश्यकता है। उसमें माडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है और इसी को देखते हुए सरकार ने 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जिससे नये थाने, नयी पुलिस चौकियां और आधुनिक उपकरण व हथियार उपलब्ध कराये जाएंगे।

इस वर्ष रिकार्ड उपज हुई और इसके साथ-साथ इस वर्ष रबी की फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्षा आदि अच्छी हुई जिससे राज्य का आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ीकरण होगा। मान्यवर, फव्वारों की खेती, फव्वारों का जो उपयोग हो, उसको बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य है वह पहले 5416 थे उसको बढ़ाकर 12 हजार किया। सिंचाई योजना, राज्य के जल स्रोत का अधिक से अधिक उपयोग हो इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं बनायी गयीं और विश्व बैंक से सम्पर्क करके पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। साथ ही छोटे तालाबों और

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

नालियों के विकास के लिये विशेष जोर दिया गया। मान्यवर, राजस्थान की जो बनावट है, जो भौगोलिक परिस्थितियां है, उसमें बड़े तालाब, बड़े बांध बन नहीं सकते, पानी बारिश में बहकर चला जाता है। इसका उपयोग करने के लिये छोटे तालाब और छोटी नालियां वगैरह, एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे पीने का पानी भी रहे और सिंचाई के साधन भी छोटे-छोटे हों, राज्य सरकार ने यह तय किया कि छोटे तालाबों और नालियों वगैरह की व्यवस्था पंचायतों को दी जाए और पंचायत इसकी अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल का बजट शिक्षा को बजट समर्पित था। शिक्षा के बजट में 119% व साक्षरता पर 105% बजट का खर्च किया गया। दो जिलों डूंगरपुर और अजमेर में साक्षरता सम्पूर्ण हुई और उत्तर साक्षरता प्रारम्भ हुई इसके साथ-साथ 13 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता का काम हाथ में लिया गया, 2268 प्राथमिक पाठशालायें खोली गयीं, जिसमें 50 शहरी क्षेत्रों में खोली गयीं, 1190 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शालायें खोली गयीं इसके साथ-साथ माध्यमिक शाला जो बजट में 90 थीं लेकिन 148 खोली गयीं। इसके साथ-साथ उच्च प्राथमिक शालायें 138 के लक्ष्य के अगेंस्ट में 165 स्कूलें खोली गयीं। उच्च प्राथमिक शालाओं व माध्यमिक शालाओं में पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है और इसके 46 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला और 4 लाख छात्राओं को इससे जो पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयीं पांचवीं क्लास तक के विद्यार्थियों को, आठवीं क्लास तक की बालिकाओं को, इसका परिणाम हुआ कि चार लाख विद्यार्थियों के नये नामांकन प्रस्तुत किये गये। इसके साथ....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बहुत हो गया, बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिये जो योजनाएं बनी हैं तीन सौ करोड़ की योजना बनायी गयी। इसके अन्तर्गत नयी तहसीलें उप-खण्ड न्यायाधिकरण व आधुनिकीकरण के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। ग्रामीण विकास के लिये जिला ग्रामीण अभिकरण के माध्यम से इस वर्ष 540 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किये गये, जिसका किये जाने का अनुमान है इसके साथ-साथ मरु विकास कार्यक्रम में 8 नयी पंचायत समितियां ली गयी।

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम में दो नयी पंचायत समितियों का चयन किया गया। आश्वासित योजनान्तर्गत आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत 50 नयी पंचायत समितियों का चयन किया गया। इस प्रकार 172 उप खण्डों में यह योजना चलायी जा रही है। अगले पांच वर्ष में इस अवधि के लगभग तीन हजार करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, स्थानीय विकास कार्यों के लिये उपलब्ध होंगे।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

योजनाबद्ध विकास हो इसकी दीर्घकालीन योजनाएं बनायी जा रही हैं और उसी के आधार पर....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अगले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये जोर दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मान्यवर, विभिन्न प्रकार की नीतियां, खनिज नीति बनायी गयी, नयी सड़क नीति बनायी गयी और उद्योग नीति बनायी गयी। मान्यवर, जिस प्रकार सड़कों के लिये योजना और सड़क विस्तार के लिये 1991 के एक हजार की आबादी वाले गांव और पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था, इसी के साथ जन जाति क्षेत्रों में 750 की आबादी वाले क्षेत्रों में सड़क से जोड़ने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की एक योजना बनायी गयी। जिसमें राज्य योजना, ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली योजनाएं, कृषि उपज मण्डी की योजनाओं से आय, वित्तीय साधनों से प्राप्त धन आदि को जोड़कर इसको पूरा किया जायेगा। मान्यवर, राज्य की वार्षिक योजना में आशातीत वृद्धि हुई है, चालू वर्ष में 2450 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत ज्यादा है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राम नारायणजी नैनवां को टाइम दे दीजिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आने वाले वर्ष में 2500 करोड़ रुपये की योजना है, यह 30 प्रतिशत से भी अधिक है। यह सभी कुशल वित्तीय प्रबन्ध करों की बेहतर वसूली और मितव्ययता से सम्भव हो सका है। अब अन्य राज्यों के मुकाबले प्रति व्यक्ति विनियोजन भी अधिक हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा करें अब। माननीय सदस्य, मैंने आपको कई बार कहा कि आप अपने समय का ध्यान रखें। माननीय चौधरी साहब ने पूरे 40 मिनट लिये हैं, रामनारायण जी चौधरी ने। माननीय शेखावत साहब ने लिया....

श्री किशन गोपाल कोगटा : मान्यवर, आपने जो हमें समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो लिमिटेड है मेरे पास ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपने

(श्री रामस्वरूप)

इधर तो समय नहीं दिया, उधर समय क्यों दे दिया ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप एक घण्टे तक बोलते रहे तो फिर समय तो उतना ही है।

श्री रामस्वरूप : इधर तो आप ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्यादा बढ़-चढ़ कर बात करने की कोशिश न करें, माननीय सदस्य। दुनिया भर के लिए ऐसे ही लगा रहे हैं आप। बैठ जाइये आप, बैठ जाइये आप मैं कहता हूं, बैठ जाइये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा है। मैं बराबर नोट कर रहा हूं, समय की सीमा है, आपको पता नहीं है मैं बराबर नोट कर रहा हूं, हमारी पार्टी.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : हमारे भी शेखावत साहब....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठिये आप। यह क्या बात हुई, हर मामले में आप खड़े हो जाते हैं।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मेरा यहां आपसे यह कहना है, अर्ज करना है, आसन से ऐसी भाषा नहीं निकले जिससे सदन में कोई गर्म माहौल पैदा हो, वह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद ही सहृदय है, मुझे नहीं तो दूसरे विधायकों के लिये मौका दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अब आप बजट पर बोल लेना। बजट पर बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप आगे बोल लेना। आप रोज ही बोल रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री विष्णु मोदी : सदन का समय पांच बजे तक ही रहेगा और पांच बजे के बाद आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम डिवीजन चाहते हैं।....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : नहीं-नहीं आपकी रिप्लाई पूरी हो जायेगी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : नहीं-नहीं, पांच बजे बाद के लिए डिवीजन साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी माननीय यह सारे पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है।....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : (व्यवधान)....नो, डिवीजन....(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : डिवीजन, डिवीजन....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिना काम के समय खराब करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी की बात है।... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : नहीं मांग रहे साहब, हम तो आपके रूल्स के तहत डिवीजन मांग रहे हैं। आपके रूल्स के तहत डिवीजन मांग रहे हैं। डिवीजन पांच बजे बाद के लिये....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डिवीजन, डिवीजन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजिये आप। माननीय सदस्य, आप कागज फाड़-फाड़ कर इधर फेंकने की चेष्टा नहीं करें, सदन की गरिमा रखिये, रामस्वरूपजी।

श्री विष्णु मोदी : नहीं साहब, पांच बजे डिवीजन। पांच बजे बाद में अगर बढ़वाना चाहते हैं तो पहले डिवीजन करवा दीजिये। फिर इसको पारित करवाइये। फिर आप चाहे जो करवायें।.... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : डिवीजन, डिवीजन... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : नो-नो, डिवीजन, डिवीजन।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह परम्परा मत डालो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति ... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : डिवीजन कौनसा गलत काम है, यह कौनसा सही काम कर रहे हैं। डिवीजन, डिविजन, डिवीजन.... (व्यवधान)....

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्या रखें, क्यों बार-बार रोकते हैं हमें। आप क्यों रोक रहे हैं? आप अपनी जगह पर रहिये,

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अगर हमने डिवीजन मांगा है तो डिवीजन होगा, क्या मतलब हुआ ? निकालिये न आप पार्टी से, हर समय आप लोग आगे बैठे हुए पीछे से कर लेते हो। डिवीजन मांगेंगे। नो, डिवीजन। डिवीजन, डिसीप्लिन तो साहब आप मुझे मत सिखाओ। डिसीप्लिन आप खुद देख लो अपने आप में। डिसीप्लिन सिखा रहे हैं मुझे। डिवीजन प्लीज।....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : कोई डिवीजन नहीं होगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी। समय लिमिटेड है हमारे पास, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इन नियमों के तहत आपको रखना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वाइस वोट से हो चुका है।....(व्यवधान) ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, वाइस वोट से कहां तय हुआ ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वाइस वोट से हो चुका है। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले हमने डिवीजन मांगी है। डिवीजन सर। यह हाउस अगर चेयर नियमों से चलायेगा तो हम आपसे कोआपरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन इस बात की चिन्ता नहीं करता। आसन मर्यादित रहेगा। आसन मर्यादा में ही काम करेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप नियमानुसार काम करिये, नियमानुसार चलिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके मुख्य सचेतकजी, माननीय विपक्ष के मुख्य सचेतकजी अपनी पार्टी के लोगों को सम्भालें।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डिवीजन सर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, आप लोग.... (व्यवधान)...

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, कोई डिवीजन नहीं होगा और आप रिप्लाई दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप प्रस्ताव लाओ, निकालो, लाओ ना आप प्रस्ताव.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि आप इस सारे सदन पर अपनी व्यवस्था लादेंगे, सदन का समय खराब करेंगे तो वह प्रस्ताव भी लाना पड़ेगा।

श्री विष्णु मोदी : आप प्रक्रिया के.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं सारी प्रक्रिया जानता हूं ।... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्यों जाने दे प्रक्रियाओं को, क्यों जाने दें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जानता हूं, जाने देने की बात क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : 286... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डिवीजन सर ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई डिवीजन नहीं होगा । आप बोलते रहिये, मैं सुनता रहूंगा । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा, मैं इनके भाषण को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं लेकिन यहां की मर्यादा आप रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूरी मर्यादा में रह रहा हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुख्य मंत्री महोदय का भाषण मैं बिलकुल सुनना चाहता हूं लेकिन यह नहीं चलेगा कि आप टाइम एक्स्टेंशन बगैर नियमों के रख दें ।

श्री माधव सिंह दीवान : नियम बिलकुल क्लियर है : If the opinion of the Speaker as to the decision of the question is challenged, he shall order the lobbies to be cleared.

एक माननीय सदस्य : देखिए है ही नहीं, ओपीनियन तो एक ही है ।

श्री उपाध्यक्ष : वाइस वोट से जीते हैं हम ।....(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : होते होते अपन यहां पहुंचते हैं । किसी को बोलने देते नहीं हो, यह क्या मतलब है ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परन्तु यदि । आगे मैं सुना देता हूं आपको—"परन्तु अध्यक्ष की राय में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गयी हो तो वह क्रमशः "हां" तथा "ना" वाले सदस्यों से अपने अपने स्थानों पर खड़ा होने के लिए कह सकेगा और गणना होने पर सदन का निर्धारण विघोषित कर सकेगा, ऐसी दशा में देने वालों के नाम अभिलिखित नहीं किये जायेंगे ।" मैंने कह दिया है आपको.... (व्यवधान) ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : खड़े करवाइये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मांग ही नहीं हो रही है, जब पार्टी व्हिप ने मना कर दिया है He has denied for division, then there is no need of division. (व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : खड़े करवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : वाइस वोट से बात हो गयी। वाइस वोट से ...(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नाथूसिंह जी, वह तो नोटिस देंगे न उसका मैं जवाब दे दूंगा।....(व्यवधान)....वह तो हमारी अंदरूनी बात है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : भाटीजी, आप बहादुर आदमी हो, नोटिस की परवाह नहीं करो। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है 'If the Speaker grants the request for a division....' आपने मना कर दिया है, बात खत्म हो गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कमलाजी मेहरबानी करके मुझे इन चक्करों में मत डालिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 286 के अन्दर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अपना तो क्या हो रहा है वह तो जनता देख रही है डेढ़ साल से।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी की मर्यादा है, विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक ने भी कह दिया कि डिवीजन नहीं चाहते उसके बाद किसी प्रकार की बात करने का सवाल ही नहीं उठता है।...(व्यवधान)... पार्टी की मर्यादा भी कुछ होती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप खड़ा कर दीजिये न।....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : उनको बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में शायद यह पहला मौका है जब धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान के समय या कोई भी कार्य सूची का काम पूरा होने के लिए सदन का समय जब बढ़ाने की बात होती है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तिवाड़ी जी एक मैं अर्ज कर दूं।...(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट सुन लीजिये। उस समय आसन सदन का सेंस लेकर अपना निर्णय घोषित कर देता है और आसन ने सदन का सेंस लेकर समय बढ़ा दिया।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं बढ़ाया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं बढ़ाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बढ़ा दिया, बढ़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ा दिया, असेंट लेकर बढ़ा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बढ़ाने के बाद में पुन: डिवीजन की मांग हुई और पुन: डिवीजन की मांग होने पर आसन ने हां और ना, दोबारा करा दिया। अब जो नेकड आई से साफ दिखाई दे रहा है। जब डिवीजन की मांग उस समय मानी जाए कि ऐसा लगे कि बराबार की आवाज आ रही है। जब नेकड आई से साफ-साफ दिखाई दे रहा है और फिर कोई माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में अनावश्यक अवरोध पैदा करने के लिए बारबर डिवीजन क्लेम करता है तो आसन आवश्यक नहीं है कि डिवीजन स्वीकार करे। आसन की व्यवस्था हो चुकी है और इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भाटीजी स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, न तो तिवाड़ीजी को अध्यक्ष बनाया गया और न उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वह इस दुविधा में हैं कि क्या करें वहीं बैठे-बैठे रूलिंग दे रहे हैं कि, साहब यह न करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : श्रीमान् हमारे सदस्यों का वक्त काट कर के आपने टाइम बढ़ाने की बात की है। डिवीजन अगर कोई एक भी माननीय सदस्य मांगता है तो वह मांगने का हकदार है।.... (व्यवधान)...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो आपत्ति भाटीजी ने की है, इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। डिवीजन कहां पर मांगी जाती है, कैसे मांगी जाती है, इस पर मैं कुछ निवेदन कर दूं। 286 (4) 'If the Speaker grants the request for a division, ...

साफ लिखा हुआ है 286 (4) के अन्दर। वह सोचे कि जैसे आइज कम हैं नोइज ज्यादा हैं, जब ही आप यह डिसीजन छोड़ा गया है और आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। साफ लिखा है इसमें।

अनेक माननीय सदस्य : कब ले लिया ?....(व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और अगर भाटीजी को... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : . . . तो अपना कोई दोष नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक चीज मैं और आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही मैम्बर A member cannot hold the whole House to ransom like this....(व्यवधान)....

श्री नरेंद्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शकधर पढ़ कर सुना दूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार निर्णय कर चुका हूं, मैंने कह दिया कि वोइस वोट से हो चुका है, मैंने सब लोगों की कन्सेंट ले-ली है उसके बाद there is no ruling.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किस नियम के तहत ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरा अधिकार है डिवीजन डिमाण्ड करने का। मैं सदस्य हूं, मैं कोई इनकी मेहरबानी से नहीं आया हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका अधिकार यह नहीं है कि सारे दिन 200 सदस्यों के हाउस को आप अकेले रोक कर के रखें। यह आपका अधिकार नहीं है। आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे को राजस्थान की जनता ने और ओसियां की जनता ने यहां भेजा है और मैं डिवीजन डिमाण्ड कर के रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये नहीं भेजा है कि आप डिस्टर्बेंस करें। बिराजिये। आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नो। डिवीजन। भले ही खड़े होकर आप करवाइये, हम खड़े होकर कर देंगे। आप हमें 'गिनती' में डिफीट करवाइये लेकिन मैं डिवीजन डिमाण्ड कर सकता हूं I want to co-operate with you.

श्री उपाध्यक्ष : अपेरेंटली जो चीज नजर आ रही है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, आपने खुद ने ही पढ़ कर यह सुनाया है कि खड़े हो कर यह बात हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डिवीजन मत करवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, माननीय सदस्य। भाटीजी, बिराजिये आप। (व्यवधान)...भाटीजी, बिराजिये आप।.... (व्यवधान)....बिराजिये आप। जो टांग पर खड़े हुए थे वह 13 ही थे इसलिये रिजेक्ट किया जाता है। बिराजिये आप।.... (व्यवधान)....13 ही खड़े थे और दूसरे सब बैठे हुए हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों नाप लिये मैंने। आप बिराजिये। ..(व्यवधान)... हां, खड़े होकर देख लिया मैंने। बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पहले हां पीछे ना।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो पूरे बैठे हुए हैं और आप खड़े होकर कह रहे हैं, खड़े होने वालों को मैंने गिन लिया 13 ही थे। बिराजिये आप। माननीय भाटीजी, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय ,हम आपका रेस्पेक्ट करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Now you should not rock the House.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्षजी I am not holding the House to blackmail. I am demanding my right.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने राइट को पूरा क्लेम कर के आप जितने खड़े हुए थे उनके पक्ष में मैंने 13 लोगों को गिन लिया, दूसरे सब बैठे हुए हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप प्रोसीजर फॉलो करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं है ।....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह तो डुबो देंगे, यह तो डुबो देंगे चेयर को । आप इनकी क्या व्यवस्था सुन रहे हो ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई चुनौती नहीं है अध्यक्षीय व्यवस्था को । माननीय भाटीजी बिराजिये आप ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप प्रोसीजर फॉलो करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, आप बिराजिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप नाम से पुकारिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीजर फॉलो करिये ।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मामड़ाजी अभी अध्यक्ष होते तो अब तक सदन से बाहर निकालने की कार्यवाही कर चुके होते ।

सदस्य का निलम्बन

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी सदस्य का सदन के बैठक के शेष समय तक निलम्बन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 292 (2) के अन्तर्गत, क्योंकि बार-बार आसन की अवहेलना की जा रही है और सारे हाउस का अपमान किया जा रहा है, आज दिनांक 5-4-1995 को माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्रसिंह भाटी ने आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना की और सदन की कार्यवाही में निरन्तर बाधा डाली एवं लगातार बाधा डाल रहे हैं । इनका इस प्रकार का आचरण संसदीय परम्पराओं के विपरीत है, जिन्होंने सदन की मर्यादाओं का हनन किया है अतः मैं प्रक्रिया के नियम 292 (2) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, को आज शेष समय के लिये निलम्बित किया जाये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पास तो करवाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी को आज की कार्यवाही के लिये बाहर किया जाता है।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डिवीजन। डिवीजन।

श्री माधव सिंह दीवान : यह क्या तरीका है ? आपने क्या कर दिया ?

श्रीमती कमला : इस तरह से मेम्बर को निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो अन्याय है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह वेल्यूएबल हाउस है, इसका समय बहुत इम्पोर्टेण्ट है और एक सदस्य बिना काम के, बिना किसी मतलब के सारे हाउस को रोक नहीं सकते... (व्यवधान) I cannot allow this type of things.

—

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सबको निकालें पहले....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नियम 282 के तहत अपने अधिकार का उपयोग किया, ऐसी अवस्था में सरकारी मुख्य सचेतक को नियम 292 के तहत इस प्रकार की कार्यवाही करने का मैं समझता हूं, कोई न तो विधिक आधार है, न अदरवाइज कोई आधार है। इतना सख्त रवैया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं वर्तमान परिस्थिति के अंदर अनुचित है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है, उसको वापस लिया जाए और माननीय सदस्य को आश्वस्त किया जाए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण तक... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करना पड़ता है, संसदीय परम्पराओं को कायम रखना पड़ता है पर यदि अगर कोई सदस्य अपने अधिकारों के उपयोग में कोई बात कहता है, उस बात को सदन की कार्यवाही को आब्सटेकल करने वाली नहीं मानी जा सकती और ऐसी परिस्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के नेताजी से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कि नियम 292 के तहत सरकारी मुख्य सचेतक वर्तमान स्थिति में इस प्रकार की कठोर कार्यवाही के लिये सदन की आज्ञा की आवश्यकता समझते हों। निर्णय आपको करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 292

(श्री जगदीप धनखड़)

में आपको खुद को निर्णय करना है। मेरा आपसे अनुरोध है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि माननीय सदस्य ने नियम 286 के तहत अपने उन अधिकारों का उपयोग किया, इसको सदन की कार्यवाही में किसी भी तरीके से बाधा डालने वाला नहीं कहा जा सकता। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, नियम 292 की पूरी स्पिरिट यह है, उपाध्यक्ष महोदय इसका निर्णय करें। माननीय मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव का पारित होना, किसी भी सदस्य के अधिकारों पर कुठाराघात करना, मैं समझता हूं न तो सदन की मंशा हो सकती है और न संसदीय परम्पराओं के निर्वहन में कोइ पोजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपके माध्यम से सदन के नेताजी से अनुरोध करूंगा कि यह जो कड़वाहट आ गयी है, इसको समाप्त करने के लिये सदन के नेता कम से कम खड़े होकर यह कहें कि इस प्रस्ताव को अब वापिस लिया जाता है। इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं .... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेताजी को संसदीय परम्पराओं के निर्वहन के लिये···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भीख मांगने की जरूरत नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि गलत परम्परा पड़ रही है इस हाउस के अंदर, गलत परम्परा यह पड़ रही है कि समय बढ़ाने के लिये कभी भी डिवीजन नहीं मांगा गया ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सरकारी मुख्य सचेतक को +++ भिजवा दें....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आज तक न परम्परा के अनुसार कभी ऐसा हुआ कि कभी डिवीजन मांगा गया हो इसलिये परम्परा को ध्यान में रखते हुए माननीय सचेतक महोदय ने यह कहा था हम कोई डिवीजन नहीं मागें।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : मेरा सात दिन का निलम्बन किया था। मेरी तो छोटी सी बात थी........ (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हीप को +++ भेजा जाए। अब तो मेरे खिलाफ लाइये। भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हीप को +++ भेजा जाए।....(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरी सदस्यता खतम करवा दी थी उस समय का आपको याद नहीं जब टोटल मैजोरिटी .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्तिम कदम होता है। आप अन्तिम कदम इतना जल्दी ले लेते हैं... (व्यवधान) आपको सहृदयता रखनी चाहिये। छोटी-छोटी बात के लिये अगर आप निलम्बन करने लगे, निलम्बन करना कोई छोटी बात नहीं है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात निवेदन करना चाह रही हूं वह यह है कि हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने माननीय श्री भाटी को कुछ ऐसा न करने के लिये कहा था वह इसलिये कहा था कि परम्परा के मुताबिक आज तक कभी ऐसे मौके पर डिवीजन नहीं मांगा गया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं और उसके लिए प्रस्ताव लेकर ... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : परम्परा के ऊपर ही तो हाउस को जीवित रखते हैं।

श्रीमती कमला : आदेश प्रदान करें इसलिये यह प्रस्ताव वापस लिया जाए और जो कार्यवाही . (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : परम्परा ही तो सबसे बड़ी चीज है।

एक माननीय सदस्य : सदन में गलत परम्परा नहीं डालें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : गलत परम्परा नहीं डालें....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वी. पी. सिंहजी आप गलत बात कह रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो हद हो गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कमला जी, जो अभी बात कर रही थीं, ये मंत्री थीं और तेरह व्यक्तियों को, हम जब उधर बैठते थे, मार्शल के मार्फत निकलवाकर पटकवाया था। मैं कुछ बोली भी नहीं थी और मुझे हाउस चलने तक के लिये सस्पेण्ड किया तो यह तो खुद ऐसा कर चुके हैं और अब तो अपराध कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो निश्चित कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अगर कोई फांसी का आदेश है तो वह भी दे दिया जाए। अच्छा हो अगर किसी का गला ही घोट दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें आप। सबकी डिबेट का समय फिक्स था कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों

(श्री उपाध्यक्ष)

को ज्यादा समय दिया, उसके बाद भी रामस्वरूप जी कागज फाड़कर यहां फेंक रहे थे। इसके बाद यह बात उठी कि समय बढ़ाया जाता है। (व्यवधान) सब सदस्यों के हां पक्ष और नां पक्ष में वाइस वोट से इसको मान लिया उसके बावजूद भी आप बार-बार खड़े होकर एक-एक बात करते हैं, यह बात ठीक नहीं है। को-आपरेशन मांगिये, यहां केवल कानून से काम नहीं चलेगा। यहां एक-दूसरे के को-आपरेशन से ही काम चलेगा। केवल गले का मसल पावर यूज करना चाहते हैं तो दूसरी बात है ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात कहने का मतलब मसल पावर का यूज (व्यवधान) नहीं है।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की वाणी आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप रक्षक हैं, आपको गम्भीरता रखनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको गंभीरता रखनी चाहिये .. (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीरता रखिये, कौनसी मसल पावर यूज कर रहे हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी टोलरेंस तो आज तक किसी ने इस सदन में नहीं रखी होगी। दिन में जितनी टोलरेंस मैंने बताई है, इस इतिहास में कभी नहीं हुई होगी।.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा नहीं है जब उधर के माननीय सदस्य इधर बैठते थे कई बार यहां पर (व्यवधान) पेपर फाड़े गये।

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : राजस्थान विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना आज तक आज की तारीख में इतनी आसन की गरिमा, सदन की गरिमा गिरायी जा रही है, इतिहास में कभी नहीं गिरायी गयी....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सब्मीशन करना है। सदन के नेता यहां मौजूद हैं....

श्रीमती इंदिरा मायाराम : किसने किया मसल पावर के लिये ?

श्री शिवनाथ सिंह : क्या आज यह सदन इस स्थिति पर पहुंच गया है, जिसके लिये माननीय सदस्य का निष्कासित किया जाए। यह बहुत मामूली बात थी। वह अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते थे। हम सब सदन का समय बचाना चाहते थे और वहां उस बात पर चलकर सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव ला दिया। क्या आज यह सदन, जहां सदन के नेता मौजूद हैं, दोनों पक्षों के सभी सदस्य मौजूद हैं, इस स्थिति पर पहुंच गया कि यह स्टेज और यह कार्यवाही हमको करनी पड़ रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं, कोई

(श्री शिवनाथसिंह)

समस्या है नहीं, एक माननीय सदस्य अपना अधिकार मांग रहे थे, यदि दे देते, उसमें डिवीजन की बात थी ··· (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सातवीं विधान सभा की कार्यवाही देखिये आप ।

श्री शिवनाथ सिंह : विपक्ष के सचेतक महोदय ने कह दिया कि हम डिवीजन नहीं मांग रहे हैं । इसके बावजूद हर सदस्य को अधिकार है कि वह डिवीजन मांग ले और जहां तक बात आ गयी कि खड़े होकर यह बात सुलट जाए। मैं चाहता था और मेरा निवेदन था माननीय सदस्य से कि वह अपनी बात को छोड़ देते, डिवीजन नहीं मांगते । लेकिन यदि वह मांग रहे हैं उसके बाद में क्या यह सदन इस नतीजे पर पहुंच गया कि माननीय सदस्य को बाहर निकाले बिना सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती ? और इस प्रकार का प्रस्ताव उधर से आ गया । मैं फिर भी, अब भी माननीय सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति को (व्यवधान) संभालें और इस प्रस्ताव को वापस लें और इस प्रकार की गलत परम्परा, एक भावुकता में आकर किसी माननीय सदस्य को नीचा दिखाने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही हो, इसको न तो हम बर्दाश्त करेंगे और यह उचित भी नहीं है ।

(17.00)

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे साथी जो आज उधर बैठे हैं पहले यहां, बैठते थे । हमारे सम्मानीय तिवाड़ी जी कई बार कागज फाड़ा करते थे और यह हमारे देवीसिंहजी भाटी कपड़े खोलकर यहां तख्ती लगाकर लाया करते थे । यहां इनका नजारा अलग था, कोई नहीं निकलता था ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने सात दिन का निलम्बन किया था + + + मेजोरिटी के आधार पर । + + + नहीं आती आपको, वह समय याद करो ।

श्री राधेश्याम : कब की बात कर रहे हो ? ····(व्यवधान) ·· जब आप तख्ती लगा कर आते थे ? आप तो हर रोज नयी-नयी बात करते थे । ऐसा कभी नहीं हुआ ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हुआ ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के गुढ़ा से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने जो बात कही है और सदन के

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जगदीप धनखड़)

नेताजी से अनुरोध किया है, एक माननीय सदस्य ने नियम 286 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा, संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इधर से अधिकांश लोगों ने समर्थन नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने की इजाजत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि ··· (व्यवधान)····इस प्रकार की छोटी बात के लिए इस प्रकार आप बिलकुल कोई ऐसा रुख अख्तियार न करें कि सदन में उत्तेजना हो, कन्फ्रंटेशन बढ़े। (व्यवधान) माननीय सदस्य अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे थे···

श्री देवीसिंह भाटी : चेयर को बाध्य भी नहीं कर सकते।

श्री जगदीप धनखड़ : कटुता बढ़े, तो सदन के नेताजी राइज टू दी आकेजन ··· (व्यवधान) आपको जब ओकेजन पर राइज करना होता है आज अपने मुख्य सचेतक को कह देते हैं, सरकारी सचेतक को कह देते हैं। बहुत ही गम्भीर बात माननीय शिवनाथ सिंह जी ने कही है, इस पर आप चिन्तन कीजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : इसका मतलब तो यही हुआ किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य, आप हठधर्मी करें और हम आपकी हठधर्मी सहन करें। यह कौनसा तरीका है ?····(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ही हैज ए राइट। ··· (व्यवधान) ···

श्री भंवरसिंह चौधरी : मैं तो ओसियां से आये सदस्य का, मैं भी पाइन्ट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं यह पाइन्ट आफ आर्डर के अलावा बात नहीं करते। (व्यवधान) हठधर्मी है, कम्पलीटली हठ-धर्मी है। ····(व्यवधान)····कैसे नहीं है हठधर्मी ?(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब हमने यह बात कह दी थी और वह यह चाहते थे कि डिवीजन हो तो यह इनका राइट है डिवीजन मांगने का और उसके ऊपर तुरन्त ही मुख्य सचेतक महोदय ने यह प्रस्ताव रख दिया और उसमें यह कहा कि इन्होंने बाधा डाली है, परम्पराओं का पालन नहीं किया और न मालूम क्या-क्या इनके ऊपर चार्जेज लगाकर आज इनको हाउस से बाहर करने की बात कही है। यह विथड्रा कर लें और शांति से····(व्यवधान)···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, हर मामले में खड़े होकर पाइन्ट आफ आर्डर, हर मामले में इस हाउस को रोकना, एक-एक घण्टे तक हाउस को रोके रखना, यह भी कोई ठीक बात नहीं है। मैं इतना को-आपरेट कर रहा हूं आपको और आप इसको सुनना ही नहीं चाहते।

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको सबसे ज्यादा समय दे रहा हूं। आपके सभी लोगों को बुलवा रहा हूं। माननीय सी. एम. साहब। आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की मुझे तो याद नहीं रही कि कोई इस प्रकार की परम्परा रही हो। चाहे आप लोग जिस समय सत्ता में थे और हम विपक्ष में थे, समय बढ़ाने का जब भी प्रश्न आया है तो समय बढ़ाने के प्रश्न पर आज तक कभी डिवीजन नहीं हुआ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: इस असेम्बली में ऐसी भी परम्परा नहीं रही है कि मुख्य मंत्री फाल्स डाकुमेंट प्रजेंट करें हाउस में और सी. बी. आई. की आड़ लेवें। कौन सी परम्पराओं की बात कर रहे हो आप? ....(व्यवधान)...वह लाइये ना, टेबल करिये सी. बी. आई. की रिपोर्ट को। (व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह चौधरी: आप क्यों नहीं बोलने देते हैं मुख्य मंत्रीजी को? आप बीच में क्यों खड़े हुए हो अब?

श्री देवीसिंह भाटी: आप कैसे खड़े हो गए जब सदन के नेता बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: पहले पूरी बात सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरी जानकारी के अनुसार मुझे कोई याद नहीं ऐसी घटना जिसमे कभी समय बढ़ाने के प्रश्न के ऊपर डिवीज़न काल किया गया हो। यह बात सही है, आप नई परम्परा डाल रहे हैं। नई परम्पराएं डाल रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि समय बढ़ाने के प्रश्न के ऊपर आप डिवीजन काल करने की परम्परा डाल रहे हैं, आप खुद विचार कर लें कि कहां तक उचित है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): कल आपको भी इधर आना है इसलिए.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं तो बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा ...(व्यवधान).... मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि आज के कार्यक्रम में यह है कि विपक्ष के भाषणों के बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा। केवल यह प्रस्ताव रखा कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो उस समय तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये। बढ़ाने में लगभग, आप चाहें अभी इन्कार करें, दो-तीन सदस्यों को छोड़कर सबकी यह सहमति थी कि समय बढ़ा दिया जाय। उसके ऊपर उपाध्यक्ष महोदय ने वोट लिया और वाइस वोट से यह निर्णय कर दिया कि सदन का बहुमत समय बढ़ाने के पक्ष में है। आप सब जानते हैं कि एक बार अध्यक्ष की या उपाध्यक्ष की रूलिंग हो गयी वह इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय है। इस सम्बन्ध में मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह भी कहना पड़ेगा कि हमारे विपक्ष के मुख्य सचेतक, इन्होंने भी कहा कि डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर मुख्य रूप से विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है। कांग्रेस पार्टी अलग-अलग मुंह से बोले, यह तो मुझे उम्मीद नहीं। कांग्रेस पार्टी मुख्य सचेतक के माध्यम से या अपने लीडर के माध्यम से बोलती, लीडर आज कार्यवश बाहर गये हुए हैं और मुख्य सचेतक ने अपनी तरफ से कहा कि कोई डिवीजन की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि मुख्य सचेतक ने जो कहा है उस चीज को आप कहां तक अस्वीकार करते हैं और कहां तक उसको स्वीकार करते हैं।

प्रश्न यह है कि अगर डिवीजन होता तो भी उसका परिणाम सामने है, अध्यक्ष को यह निर्णय करने का अधिकार है कि संख्या को देखकर, वोइस को देखकर उसके आधार पर वह निर्णय करें कि बहुमत किसके पक्ष में है। यदि बहुमत में किसी प्रकार का सन्देह हो और अध्यक्ष की यह राय है कि सन्देह स्पष्ट नहीं है उस हालत के अन्दर डिवीजन क्लेम किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कई इश्यूज के ऊपर डिवीजन क्लेम होता है। लेकिन यहां तो यह हालत हो गई कि पार्टी के चीफ व्हिप का भी कहना नहीं मानते। अब आपका डिवीजन होगा, मुझे इसका कोई पता नहीं है। आप नहीं चाहते होंगे कि हमारे चीफ व्हिप, जिस तरह के अनुशासन में सारे सदन को रखने की प्रक्रिया और विपक्ष का जिस प्रकार का रोल है, उसके निर्वहन के अन्दर, जिस प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं वह उचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि यह आपकी डिवीजन काल कराने की मांग अप्रत्यक्ष रूप में आपके मुख्य सचेतक के प्रति सदन का अविश्वास है। अब आप अविश्वास प्रकट करना चाहते हैं तो मुझे कोई....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इस राजनीति में क्यों पड़ रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं पड़ रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी पार्टी की बात तो छोड़िये। अगर अविश्वास है तो आपस में देख लेंगे, पीछे बैठ जायेंगे। विश्वास है जब तक आगे बैठे हैं। आप अपनी बात कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही बात कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन की तो मांग कर रहे थे प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी में डिवीजन हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आपके गोपीलाल जी गुर्जर बोले....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बोले,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बोलने की छूट है। बोले, बोलने की छूट है। मैंने प्रतिबंध नहीं लगाया है किसी पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो मेरा यहां कौन सा प्रतिबंध है ? (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : प्रस्ताव को वापिस कराओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज जवाब नहीं हो, फैसला कर लें, जवाब कल हो जायेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ..(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : आप आज नहीं देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जवाब आज हो, तो केवल एक जिद के कारण से कि मैंने एक काल दे दी, मैंने एक पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिया कि इसमें डिवीजन होना ही चाहिए, वह तो मैं समझता हूं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना चाहिए।

इसलिए मैं सदन से और सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि डिवीजन कराना कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यह परम्पराओं का प्रश्न है इसलिए जो कुछ हुआ वह डिवीजन मानकर सदन की कार्यवाही आगे चले, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, और जहां तक यह प्रस्ताव है यह तो एक चीज का रिएक्शन होता है। जब इसी प्रकार का व्यवहार सामने आ गया कि सदन की कार्यवाही ही नहीं चल रही है तो मुख्य सचेतक की भी यह ड्यूटी है। जैसे विपक्ष के मुख्य सचेतक की ड्यूटी है कि वह सारे सदन को नियंत्रण करके विपक्ष की बात सब लोगों के सामने कहें, उसी प्रकार की इनकी थी। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम प्रस्ताव वापिस ले लेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ....(व्यवधान).. उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं, नियमों के अनुसार चलना चाहता हूं, न इस हाउस को डिमीन करना चाहता हूं और नियमों के तहत, नियम, उपाध्यक्ष जी, मेहरबानी करके उधर भी लगाइये और इधर भी लगाइये। मुख्य सचेतक जी अगर + + + हमें बोलने से रोकेंगे तो उपाध्यक्ष जी, आपसे ही हम प्लीड करेंगे और अगर आप चाहें कि नियमों के तहत, और मर्यादा क्या है तो मैं तो चाहूंगा कि सब सदस्य प्रिविलिजेज के पहले तीन पैराग्राफ पढ़ लें शकधर साहब के अपने घर पर, उनको

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

यह पता लग जायेगा कि हाउस के नियम सोसायटी के नियम होते हैं। आज अपन सोसाइटी से आये हैं। यह नहीं हो सकता कि हाउस जब चाहे मुख्य मंत्री जी अपने हिसाब से चला लें, जब चाहें उप मुख्य मंत्री जी अपने हिसाब से चला लें, दूसरे सदस्य भले ही उसको टोलरेट कर लें लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

सदस्य का निलम्बन

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी का निलम्बन निरस्तीकरण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विराजें आप। इसका मतलब यही हुआ कि मैंने गलती की कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को ज्यादा बोलने दिया। मैं मुख्य मंत्री जी को 3.30 पर ही कह देता कि आप अपना वक्तव्य दीजिये, उत्तर दीजिये।

प्रश्न यह है कि श्री नरेन्द्रसिंह भाटी का निलम्बन रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी। श्री भाटी का निलम्बन रद्द किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर उन्होंने भाग लिया। आलोचना भी हुई, सुझाव भी आये, कविताएं भी सुनी, शेरो-शायरी भी हुई, चौपाई भी पढ़ी गयी। मैं उन सब माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने शेरो-शायरी से इस सदन का मनोरंजन भी किया।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा मोटी चर्चा लॉ एण्ड आर्डर पर, राजस्थान के विकास पर, पंचायत राज व्यवस्था पर और उदारीकरण पर, मुख्य रूप से ये चार विषय चर्चा के केन्द्र बिन्दु रहे। सबने यह कहा विपक्ष की ओर से कि राजस्थान में बड़ा अन्याय हो रहा है।.... (व्यवधान) बीच में मत बोलो। यह ठीक नहीं है। मैं यदि आपके खिलाफ व्यक्तिगत कोई बात कहता हूं तो आप खड़े होकर टोकाटाकी करें लेकिन जो कुछ आपने भाषण दिया उसका उत्तर दे रहा हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई उस चर्चा में एक बात कही है कि राजस्थान सरकार अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही है और जनता में इसकी छवि अच्छी नहीं है। विधान सभा की चर्चा का असर जनता पर होता है। विधान सभा जनता से चुनी हुई होती है। आप जो कुछ कह रहे हैं इसका मापदंड होगा कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है ? जनता जो प्रतिक्रिया व्यक्त करती है उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आधार पर इस बात का असेसमेंट किया जा सकता है कि आप जो कह रहे हैं वह कितना सच्चा है और कितना सच्चा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष तक के लिये हम चुने जाते हैं। हर पांचवें वर्ष बाद फिर जनता के सामने जाते हैं। सत्ता पक्ष ने क्या किया वह जनता धीरे-धीरे देखती-देखती अपना निर्णय बनाती है और मतदान के जरिये अपना निर्णय प्रकट करती है। विपक्ष की क्या भूमिका रही उस भूमिका के आधार पर विपक्ष को भी अपना मतदान करती है। अब राजस्थान सरकार की छवि कैसी है, इसका इस अंतरिम पीरियड में मापदंड क्या हो? राजस्थान में अभी दो चुनाव हुए। एक पंचायतों के, एक नगर पालिका के चुनाव हुए। नगर पालिकाओं में 44 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। 44 नगरपालिकाओं में 35 नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया, सात के ऊपर निर्दलीय जीते और जो आप जोर-जोर से बोल रहे हैं उस पार्टी का केवल दो जगह बहुमत आया है। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि जो कुछ आप जनता के नाम पर बात कह रहे है, जनता पर उसका कितना असर हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पंचायत समितियों में हुआ, पंचायत समितियों में 237 पंचायत समितियां हैं। कांग्रेस का साम्राज्य था। हमारी गिनती की पंचायत समितियां थीं। राजस्थान में शुरू से लेकर अन्त तक, 60 से जब चुनाव शुरू हुए उस समय से लेकर अब तक एक बार जिला परिषद् के प्रमुख बने। एक बार उप प्रमुख बने और 10-11 पंचायत समितियों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। अब यह चुनाव आया। इस चुनाव के बाद परिणाम यह निकला कि 131 पंचायत समितियों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। राजस्थान की लगभग 9 हजार पंचायतों में से 6 हजार पंचायत समितियों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया और 31 जिला परिषदों में से 17 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। अब यह कोई मापदंड तो होता है किसी न किसी चीज का। अब आप इस लोकतंत्र के मापदंड को नहीं मानें, वह आपकी मर्जी की बात है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कई बार हार जाने के बाद भी आदमी कहता है मैं जीता हुआ हूं। तो उस आदमी का करें क्या? कर नहीं सकते। उसको जेल में नहीं भेज सकते, कोई सजा नहीं दे सकते। जब कोई जिद ही कर ले कि मैं तो जीत गया, तो जीत गया तो जीत गया हम उसमें क्या करें?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : जैसा कि आप कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसी स्थिति में सरकार की छवि का अनुमान तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन बातों से लगाया जा सकता है। अब मैं यह कहना चाहूं कि सरकार, जहां आप बैठे हैं वहां छवि कैसी है। महाराष्ट्र में आप जीते हुए थे, आपकी सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र में आप पराजित हो गये। गुजरात में चुनाव हुए, दो तिहाई बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आ गया। कर्नाटक में आपकी राज्य सरकार थी, कर्नाटक में आप पराजित हो गये। आंध्र-प्रदेश में आप पराजित हो गये। बिहार में आप पराजित हो गये और हालत यह हुई कि जिनके हाथ में सत्ता थी वह विपक्ष मे भी नहीं हैं, विपक्षी दल भी भारतीय जनता पार्टी बना है। इससे आप अन्दाज लगा लें कि आपकी राजस्थान में और पूरे देश में किस प्रकार की छवि है ? अब इस छवि के....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : आप इतना अंदाज लगा लें कि आप सत्ता में हैं उसका ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, विश्नोई साहब कभी गर्व नहीं करता। मैं कोई मुख्य मंत्री हूं, इसका भी गर्व नहीं। मेरी पार्टी का बहुमत है इसका भी गर्व नहीं। यह तो जनता जिस पार्टी को चुनना चाहती है उसको भेज देती है और उसके ऊपर रेस्पांसिबिलिटीज अपने आप आती है। उन रेस्पांसिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने का प्रश्न है। फेटफुली उनको डिस्चार्ज किया जाय तो अगले पांच वर्षों में जब भी चुनाव होंगे उस समय जनता इस बात का फैसला करेगी कि हमने फेथफुली अपनी रेस्पासिबिलिटी को डिस्चार्ज किया या नहीं किया। नहीं किया है तो हमको हटा देगी और किया है तो दुबारा हमको चुनाव में भेज देगी। अब ऐसी स्थिति में केवल यह चर्चा करना कि जनता में छवि खराब है, छवि खराब है, जनता में छवि खराब है, उससे काम नहीं चलेगा। यहां, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जिक्र किया गया कि निर्दलीय जिनकी आलोचना करते हैं उनके बहुमत पर यह सरकार टिकी हुई है। इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं है कि जो यह नहीं जानता हो कि केन्द्रीय सरकार दल-बदल के आधार पर टिकी हुई है। कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसको नहीं जानता हो। लेकिन आज यह कहें कि आपने निर्दलियों का कैसे समर्थन ले लिया ? आज राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है, आज केन्द्रीय सरकार तो अपने को देखे और देखने के बाद में यह सोचें कि दलों में किस प्रकार से आपने विभाजन कराया है ? कैसे निर्दलीय सदस्यों को आपने साथ लिया ? और साथ लेकर बहुमत बनाकर बैठे हैं। यह बात मैं नहीं कहता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो सेकंड रेंक, जो नरसिंह राव जी के बाद में दूसरा नम्बर आता था, वह श्रीमान अर्जुनसिंह जी कह रहे हैं और अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं उसका आप समर्थन करते हो, विरोध करते हो, इसका भी पता नहीं है। आज मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अफसोस है कि कांग्रेस के अर्जुनसिंह जी, कांग्रेस के शिवचरण जी माथुर, कांग्रेस के एन. डी. तिवारी और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता आज इस कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं। आरोप कोई छोटा-मोटा नहीं, बैंक स्केम के आरोप लगाते हैं। शूगर स्कैंडल के आरोप लगाते हैं।

पब्लिक अंडर टेकिंग्स की डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, यह सारी बातें आरोप लगा कर कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि यह बीमारी आप में ज्यादा फैलती जा रही है। इस बीमारी को सम्भालें, नहीं तो यहां जितने बैठे हैं उन्हीं लोगों का वहां वापस आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि छवि का जिक्र करने के पहले····

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे हैं, असेम्बली में बोल रहे हैं। कहां दिल्ली की बात करते जा रहे हो, यहां की बातें कहो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर रहा हूं खेतसिंह जी साहब, इतना तो ज्ञान मुझे भी है, मैं कहां बोल रहा हूं इसका मुझे पता है। मैं इतना जरूर समझता हूं कि आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। इसका असर क्या होता है इसका मुझे पता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ बोल रहा हूं उसको आप सुन लो। प्रश्न यह आया, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है और उसमें राजेन्द्र मिर्धा की रिहाई का और इनके अपहरण का प्रश्न यहां खड़ा किया। यह भी कहा गया कि यह जितने भी आतंकवादी थे वह दो, तीन वर्ष से बैठे थे और राजस्थान की पुलिस को इसकी सूचना थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस को इसकी सूचना थी या नहीं थी लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान पुलिस को सूचना मिली मूल्लर की गिरफ्तारी के बाद में।

जब अपहरण हुआ उसके लगभग एक महीने पहले गिरफ्तारी हुई और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे इस बात की जानकारी मिली कि मानसरोवर में किसी मकान के अन्दर आतंकवादी ठहरे हुए हैं। पुलिस जब तक पहुंची वह चले गये थे। मकान के मालिक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर सिलसिला चला। अब आप यह कहें कि राजस्थान की पुलिस सोती रही। मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में जितना इक्विपमेंट, जितनी पुलिस फोर्स, जितना माडर्नाइजेशन और जिस प्रकार की सुविधाएं दिल्ली पुलिस में है, जितनी सुविधाएं पंजाब की पुलिस में है उसके बावजूद क्या दिल्ली में घटनाएं नहीं होती? कोई दिन ऐसा नहीं होता कि अपहरण की कार्यवाही नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई हो,, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि गोलियां नहीं चली हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वहां बलात्कार नहीं हो रहे हों, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वहां हत्याएं नहीं हो रही हों। यह सब चीजें माल के लिए हो रही हैं। माल के लिए अपहरण, माल के लिए हत्याएं और महिलाओं के साथ बलात्कार। यह सब कुछ इक्विपमेंट होने के बाद टोटल माडर्नाइजेशन होने के बाद वहां की पुलिस की हालत है। तो मैं इस बात की कमी महसूस करता हूं कि राजस्थान की पुलिस में आज जितनी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। व्यवस्था इस रूप में कि आज हमारे पास, माननीय सदस्यों ने कहा, गाड़ियां नहीं है, नहीं है, कई लोगों ने कहा इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास आटोमेटिक वीपन्स नहीं है। यह मैं विश्वास करता हूं, यह कोई गलत नहीं है। जब साधन होंगे तो आटोमेटिक वीपन्स भी आयेगी और इस सारी बात को देखते हुए आज बजट में इस बात का प्रावधान रखा कि हम इस पुलिस का माडर्नाइजेशन करें।

लेकिन मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, चाहे आप जोश में बोल रहे हैं, आप इस आधार पर बोल रहे हैं कि हम सरकार को कार्नर करें। सरकार कार्नर हो या नहीं हो, यह बहुत छोटा सा इश्यू है लेकिन आज देश की पूरी स्थिति का अवलोकन करें। आज राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में लगभग 1 हजार 44 किलो मीटर की सीमा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान में क्या करना चाहते हैं? आज पाकिस्तान में के. एल एफ के हों, चाहे के. सी. एफ. के हों, चाहे और इस तरह के टेरेरिस्ट आउट फिट्स के लोग हों, पाकिस्तान में जाकर शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान में यही ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं. आज कश्मीर के जे. के. एल. एफ. के जितने भी टेरेरिस्ट हैं वह भी वहां पहुंच रहे हैं। एल. टी. टी. ई. के टेरेरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं और आई. एस. आई. ने उनको ट्रेनिंग देकर हिन्दुस्तान में किस प्रकार से शांति और व्यवस्था को समाप्त किया जाय, किस प्रकार से इसको बिगाड़ा जाय और उस संबंध में ट्रेनिंग देकर सीमा पार करवा कर हिन्दुस्तान के अलग-अलग इलाकों में कहीं आर. डी. एक्स, कहीं और चीजें भेज कर हिन्दुस्तान में जो इस प्रकार की घटनाएं करवाना चाहते हैं उसके बारे में आपको चिन्ता करनी पड़ेगी। आप कहें, मैं तो उस रूप में नहीं, उससे ज्यादा कहना चाहता हूं।

यदि भारत सरकार इस मामले में सावधान नहीं हुई तो आप यह मान कर चलिये, आज पूरा हिन्दुस्तान ऐसा वोल्केनो पर बैठा है कि कभी भी इरप्शन हो सकता है और कभी भी देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान ने जो गतिविधियां आई. एस. आई. के थ्रू हिन्दुस्तान में चालू कर रखी हैं उनकी रोकथाम और उनके इलाज की व्यवस्था करें और इसी आधार पर राजस्थान की सीमा पर मैंने कई बार भारत सरकार के पदाधिकारियों से, भारत सरकार के नेताओं से कहा कि राजस्थान की और गुजरात की सीमा पंजाब की सीमा पर तारबन्दी पूरी हो गयी, राजस्थान में भी पूरी तारबन्दी होनी चाहिये। तारबन्दी के साथ-साथ इक्विपमेंट भी दिये जाएं। बी. ओ. पीज डिस्टेंस कम की जायें, वहां बी. एस. एफ. की संख्या बढ़ायी जाये। यही स्थिति गुजरात की है और यही स्थिति राजस्थान की है। मेरी जानकारी में है कि पिछले दिनों में ज्यों-ज्यों हमारे वायर पेंसिंग हो रही है पाकिस्तान वहां सड़कें बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बी. ओ. पीज बनाये, बी. ओ. पीज के ऊपर टावर्स लगाये और टावर्स लगा कर इस तरह का मूवमेण्ट चल रहा है कि उस मूवमेण्ट के बारे में यदि हम सतर्क नहीं हुए तो हमें पाकिस्तान से दो-दो हाथ करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आज ऐसी स्थिति में कोई यह समझे कि हम यहां चर्चा कर लेंगे उस चर्चा के आधार पर इन बातों का जिक्र करें कि राजेन्द्र मिर्घा के जो अपहरणकर्त्ता थे, मारने वाले दूसरे थे और इनाम लेने वाले दूसरे हैं।

मैं सदन की जानकारी के लिए कह दूं अभी तक किसी को इनाम नहीं दिया है। यदि मैं बता दूं कि किन-किन ने मारा, मुझे जानकारी है, कोई गलत आदमी इनाम नहीं ले सकता लेकिन मेरे साथ यह भी जिम्मेदारी है कि पंजाब के उदाहरण मेरे सामने हैं। जिन लोगों ने आतंकवादियों को मारा, आतंकवादियों ने उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, आतंकवादियों ने उनके बच्चों का अपहरण किया, महिलाओं का अपहरण किया। आप यह चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनको मारा है मैं उनके नाम डिस्क्लोज करके उनकी हत्या करवाने के लिए टेरेरिस्ट को राजस्थान में इन्वाइट करूं कि इन बहादुर लोगों को तुम मारो और इनसे बदला लेवो।

इसलिए मान कर चले जिनको इनाम मिलना है वह निश्चित रूप से इनाम मिलेगा। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको मिलेगा। अब आप यह कह रहे हैं कि तीन आदमी भाग कर कैसे चले गये। दयासिंह कैसे चला गया, हरनेक सिंह कैसे चला गया, महिला कैसे चली गयी, बच्चा कैसे चला गया? आज कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं हो, लोग जाते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं, पकड़े जाने के बाद और पकड़े जाने के पहले हमें जो सूचनाएं मिली हैं उन सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं सदन को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि पुलिस को माडर्नाइजेशन करने के साथ साथ गुप्तचर एजेन्सियों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सशक्त बनाने की कार्यवाही की जाय। मैं आज राजस्थान के नाते नहीं कहना चाहता, मेरी जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हम तीस वर्षों से लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें आई. एस. आई. का मुकाबला करना है। आज पूरे देश में उस प्रकार की इंटेलीजेंस एजेन्सी हम डवलप नहीं कर पाये। इसमें हां भरने में और ना करने में कोई विशेष फर्क नहीं है। आज पाकिस्तान की आई. एस. आई. एजेन्सी जिस प्रकार से काम कर रही है उसी प्रकार की एजेन्सी हिन्दुस्तान में डवलप हो, यह हमारी इच्छा है। लेकिन अभी तक हम डवलप नहीं कर पाये और उसका नतीजा है कि कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं और घटनाओं के बाद हम कई प्रकार से पश्चाताप करते हैं या उसको रोकथाम करने की कोशिश करते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को इतना बता दूं कि टेरेरिस्ट हो चाहे और कोई, उनको डील करने के लिए हमारी विल पावर है, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास साधनों की कमी है। हमने उसका बजट में प्रावधान रखा है और उस प्रावधान के आधार पर कोई एक दिन में तो पुलिस का माडर्नाइजेशन हो नहीं सकता। हमने भारत सरकार से भी बात की है और मैं समझता हूं भारत सरकार ने इस मामले में पूरा तो नहीं लेकिन आंशिक रूप में हमारा सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है। उस आधार पर हम पुलिस का माडर्नाइजेशन करके इस टेरेरिस्ट की प्राब्लम से राजस्थान को मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर यह प्रचार करना कि राजस्थान में उद्योगपति इसलिए नहीं आ रहे हैं कि राजस्थान में अपहरण की घटनाएं होती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आज राजस्थान में अपहरण की घटनाएं कितनी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पुलिस की सारी डिबेट भी सुनी है, आज अभी तक इस चर्चा में किसी भी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि पुलिस के पास हम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गये थे और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यह एक उपलब्धि है। यह इस बात की है कि पुलिस वर्किंग में विश्वास नहीं करते। मैंने सारा चार्ट देखा, कोई माननीय सदस्य देखना चाहे तो मैं पुलिस की जिस समय डिमाण्ड आयेगी उस समय तो बोलेंगे लेकिन देखना चाहे तो मैं बता दूं। आज वर्किंग नहीं होना और लोगों का रिपोर्ट दर्ज कराना यह इस बात का संकेत नहीं है कि क्राइम हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि राजस्थान की जनता को पुलिस पर भरोसा है। पांच रुपये की चोरी होगी तो भी रिपोर्ट करेंगे, दस रुपये की चोरी होगी तो भी रिपोर्ट करेंगे। पांच आदमी इकट्ठे हो कर नारेबाजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर ली तो वह भी वलवे में लिखा जाएगा। कोई महिला से झगड़ा हो गया मोलस्टेशन की उसकी भी शिकायत होगी। सबसे बड़ी बात है, आज मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी किडनेपिंग के केसेज, रेप के केसेज यह सारे यू. पी. और बिहार में होते हैं उतने केसेज राजस्थान में नहीं होते। लेकिन आज यू. पी. और बिहार में आप जाइये आपको पता लगेगा कि वहां पर किडनेपिंग के केसेज रजिस्टर नहीं होते, बहुत कम नम्बर होता है, वहां पर डकैती के केसेज कम रजिस्टर होते हैं, वहां पर चोरी और बाकी के केसेज तो रजिस्टर ही नहीं होते। तो जिन स्टेटस में हर केसेज को रजिस्टर किया जाता है उनमें क्राइम की फिगर्स हो यह किसी भी तरह से आदमी को ला एण्ड आर्डर के बारे में अपना वक्त बिताने की छुट्टी नहीं देती।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप विचार करें तो आज के युग में यह भी एक स्थिति है। यहां यह कहा जाना कि उद्योगपति नहीं आ रहे हैं, उद्योगपति क्या यू. पी. में जायेंगे, क्या उद्योगपति दिल्ली में जायेंगे, क्या उद्योगपति बिहार में जायेंगे, क्या उद्योगपति बंगाल में जायेंगे? उद्योगपति जायेंगे कहां? राजस्थान, कम्पेरेटिवली आज भी मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा शांत प्रदेश है और इसी कारण से चाहे कोई कितना ही प्रचार करे राजस्थान में उद्योगों का तांता लग रहा है और राजस्थान का औद्योगीकरण होगा। भगवान की कृपा से मेरी आलोचना आप कर सकते हैं, पार्टी की आलोचना कर सकते हैं लेकिन राजस्थान की आलोचना मत करिये, राजस्थान के बारे में पहले लोग कहते थे कि मरु प्रदेश है, यहां पर रेत के सिवाय कुछ नहीं है, यहां पर पीने का पानी नहीं है, यहां पर सड़कें नहीं हैं, यहां पर बिजली नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का विकास का काम नहीं है। आज यही प्रचार हो रहा है जिस प्रचार ने राजस्थान को पीछे रख दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों बम्बई गया। बम्बई में सारे इण्डस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हुए। मैं गया था उनको बुलाने के लिए कि राजस्थान में उद्योग लगाइये। एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि साहब, वहां जाकर करें क्या, वहां तो रेत ही रेत है। मैंने उनसे कहा उद्योग लगाओ या मत लगाओ, उद्योग तो राजस्थान में लगेंगे, औद्योगीकरण में राजस्थान पीछे नहीं रहने वाला है। लेकिन उस आधार पर कहा, भगवान की कृपा से एक काम शुरू कर दो कि राजस्थान में उद्योग मत लगाओ लेकिन राजस्थान की आलोचना कलकत्ता और बम्बई में बैठकर मत करो। इस कारण से राजस्थान को नुकसान होता है। उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नुकसान को हम भोगते हैं, कलकत्ता और बम्बई में रहने वाले उद्योगपति नहीं भोगते और इसलिए कहने की आवश्यकता मैं यह समझता हूं कि राजस्थान में विनियोजन किया जाये। हमें उसके लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा। आज आपने कहा कि राजस्थान में उद्योग कैसे लगेंगे, राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मानता हूं, हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गये। पीछे रह गये वह एक साल में तो पूरा होगा नहीं। पीछे रह गये उसको किसी न किसी प्रकार से पूरा करना पड़ेगा। मैं सन् 1990 में मुख्य मंत्री बना, आप कहेंगे कि भारत सरकार का काम है, बिलकुल सही, यह काम भारत सरकार का है, मीटर गेज को ब्रोड गेज में बदलने का, यह बिलकुल सही है लेकिन उसके पहले आपकी सरकार थी, 30-35 वर्षों तक आपकी सरकार रही, वह मीटर गेज ब्रोड गेज में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? ... (व्यवधान) .... मैंने पहले ही कह दिया कि भारत सरकार का काम है .... (व्यवधान) मैंने पहले ही कह दिया कि यहां आपकी भी सरकार थी, आपकी सरकार यहां भी थी और दिल्ली में भी थी, या तो आप यह मान लीजिए कि हमारी सरकार का उन्होंने कहना नहीं माना या यह मान लीजिये कि हमने कहा लेकिन उन्होंने किया नहीं ...

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : इसी पंचवर्षीय योजना में आया है और उसी में यह ब्रोड गेज में कन्वर्ट हुई.... (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत पहले भी थे, इस विधान सभा में गृह मंत्री थे, आप भी कहीं न कहीं मंत्री थे हिन्दुस्तान में और भी आपके मंत्री थे.... (व्यवधान)....अब आपको भुवनेशजी से बहुत जलन है तो मैं करूं क्या। जो भी आदमी राजस्थान की मदद करे चाहे भुवनेशजी हो, चाहे रामनिवास जी हो, उससे आप लोगों को जलन है, यह मैं अभी तक नहीं समझ पाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : भुवनेशजी ने और अशोक जी ने गिरिजा जी की बहुत मदद की, लोक सभा में धरने पर बैठना पड़ा उन्हें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और फिर भी बात नहीं मानी, धरने पर बैठीं, अच्छी बात है लेकिन बात स्वीकार नहीं की। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 90 में राजस्थान में ब्रोड गेज का काम शुरू हुआ और 1997 के एण्ड तक जैसा रेलवे मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में एक ही सिस्टम रहेगा यूनीगेज का सिस्टम। आज वही इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट की कितनी फेसिलिटीज बढ़ी है उससे आप अंदाजा लगा लें, राजस्थान में सड़कों की कमी है, यह सड़कों की कमी इसलिए नहीं है कि हमने कोई तीन वर्ष में सड़कें नहीं बनायीं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि जिससे आपको यह अंदाजा हो

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

जाये कि पिछले तीन वर्षों में कितनी सड़कें बनीं, उससे पहले कितनी सड़कें बनीं। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस राज में सड़कें नहीं बनीं या कोई विकास के काम नहीं हुए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में सड़कों की कमी है, उस सड़कों की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाय, हमने तय किया कि तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान में सड़कों का जाल फैलाया जाय ताकि उसके आधार पर राजस्थान का दूसरा इन्फास्ट्रक्चर तैयार हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली का है। आज माननीय सदस्य खूब बोल रहे थे कि बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, बिजली 8 घण्टे नहीं मिल रही है, बिजली 10 घण्टे नहीं मिल रही है, बिजली में यह कमी आ गयी, बिजली में यह कमी आ गयी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 1980 के बाद नया बिजली का उत्पादन कहां हुआ और कब हुआ? ....(व्यवधान).... आपने कोटा का नाम लिया, कोटा में 1977 में मैं मुख्य मंत्री था तो मैंने मंजूर करवाया....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : पूछिये किसने मंजूर करवाया, कोटा में एन. टी. पी. सी. का कारखाना कब आया, यह बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं, आप चिन्ता मत करो, आप बैठ जाइये। ....(व्यवधान).... कारखाना तो आज आप कह सकते हो कि 1984 में आपने योजनाएं बनायीं, योजना आपने बनायी धौलपुर की, योजना बनायी आपने चित्तौड़ की योजना बनायी, आपने माण्डलगढ़ की और योजना बनायी आपने सूरतगढ़ की, सूरतगढ़ की नहीं बनी थी और तीन योजनाएं बनाने के साथ आपने नेवेली के सम्बन्ध में कागज चलाये थे, कोई योजना नहीं थी। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, 1984 से लेकर 1990 तक 6 वर्षों में आप धौलपुर का क्लियरेंस क्यों नहीं ले पाये? अब हमने कोशिश करके उसका क्लियरेंस ले लिया और साढ़े सात सौ मेगावाट जनरेट की जाय उस सम्बन्ध में हमारी बातचीत चल रही है। मैं नहीं कहता कि फाइनल स्टेज पर हम आ गये हैं लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि धौलपुर में साढ़े सात सौ मेगावाट पावर जनरेशन होगा। माण्डलगढ़ तो आप भी भूल गये हैं... (व्यवधान).. 5 साल ही नहीं, 10 साल भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि 10 साल, अगर दिल्ली की सरकार मंजूरी हेल्ड अप करके रखे तो 15 साल हो सकते हैं लेकिन बड़ी कोशिश से उसकी मंजूरी करवायी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लिग्नाइट्स के डिपोजिट्स कितने हैं, यह आज की जानकारी नहीं है, आज के बहुत वर्षों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहले शायद लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, जो एस्टीमेट्स कमेटी की चेयरमैन थीं, पलाना के मामले में उस एस्टीमेट्स कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद में लगा कि यहां लिग्नाइट है, उस लिग्नाइट से फ्यूल का भी काम हो सकता है, उस लिग्नाइट से बिजली भी पैदा हो सकती है। पहली बार राजस्थान में, जब मैं मुख्य मंत्री था 1990 में, मैंने कोशिश की कि लिग्नाइट बेस बिजली के कारखाने राजस्थान में लगने चाहिए। इसलिए मैंने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से बातचीत की और बातचीत करने के बाद रेट्स के मामले में हमारे तय नहीं हो पाया, इस बीच हम चले गये, वह काम ठण्डा हो गया और आने के बाद फिर कोशिश कि की बरसिंहसर के अंदर लिग्नाइट के आधार पर बिजली पैदा हो, कपूरड़ी और जालिपा में लिग्नाइट के आधार पर बिजली पैदा हो, वहां पर तो बिजली पैदा करने की बात चल रही है शायद इसी महीने पी.पी. ए. पर चर्चा शुरू हो जाएगी नैक्स्ट मंथ में फाइनल स्टेज पर आ जायेगा कि किस आधार पर यह बिजली का समझौता होता है।

मै आज आपको इतना बता दूं यह समझौता हमने एम. ओ. यू. के आधार पर नहीं किया, भारत के कई राज्यों में एम. ओ. यू. के आधार पर समझौते किये, एम. ओ. यू. के आधार पर स्टेट ने गारंटी दी, एम. ओ. यू. के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काउण्टर गारंटी दी और अल्टीमेटली फैसला हुआ कि एम. ओ. यू. के माध्यम से जो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनमें लेक आफ ट्रांसपेरेंसी है, लेक आफ ट्रांसपेरेंसी के नाम पर भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि एम. ओ. यू. के आधार पर चलने वाली इन बातों के आधार पर अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, काउण्टर गारंटी देने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

आज मैं इसलिए कहना चाहता हू, समय तो हमको लगा है, हमने ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट किये, ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट करने के बाद में अच्छे कंसलटेंट के साथ बैठकर उनको शोर्ट लिस्ट किया और शोर्ट लिस्ट करने के बाद में पावर परचेज एग्रीमेंट का उनको ड्राफ्ट भेजा, उनके आफर्स आ रहे हैं और आफर्स आने के साथ मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने पूरी सावधानी बरती है। हमने इस बात की भी कोशिश की कि जो संसद सदस्य इन बातों से परिचित हैं हमने उनको अपने पेपर्स दिखायें और वह देखें कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, गलती तो भैरोंसिंह करेगा या हमारी सरकार करेगी लेकिन उसका भुगतान राजस्थान की जनता को करना पड़ेगा इसलिए हमने इस बात की भी कोशिश की, हम सब लोगों की राय लें, सारे पेपर्स उनको दिखा दें और देखाने के बाद यदि वे कमी बताते हैं, तो उन कमियों को दूर करें। इसलिए आज राजस्थान में धौलपुर हों,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहे बरसिंहसर, चाहे जालिपा हो, चाहे कपूरड़ी हो, चाहे मथानिया के अन्दर सोलर एनर्जी का प्रश्न हो और चाहे गैस आधारित जैसलमेर के अन्दर बिजली पैदा करने की बात हो और चाहे कोटा की पांचवी यूनिट हो, सारे मिलाकर कोटा यूनिट को माइनस भी कर दें तो 4300 मेगावाट बिजली के जनरेशन का 18 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट की योजना बनी है। जो पूरे राजस्थान के 40 वर्ष में 18 हजार करोड़ का इनवेसमेंट नहीं हुआ। आज इस बात को लेकर यहां पर यह चर्चा की जाये, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, ईमानदारी से हमारे गवर्नर साहब के एड्रेस में और बजट में इस बात को स्वीकार किया है सी. ई. ए. टी. अनुमानों के अनुसार राजस्थान में 40 से 50 प्रतिशत की बिजली की कमी रहने वाली है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं आप सब लोग जानते हैं। उदारीकरण का प्रश्न आपने यहां रखा है। आप उदारीकरण के पक्ष में हैं।

मैं आपसे एक जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। हम यदि मल्टी नेशनल्स को बुलाकर, हिन्दुस्तान की कम्पनीज को बुलाकर यहां पर यदि हम पावर जनरेट करना चाहते हैं तो वह पावर जनरेशन की एक शर्त लगाकर चलते हैं कि हमारी जो कास्ट होगी, जो हम तय करेंगे सारे एस्टीमेट्स के बाद कास्ट होगी वह कास्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देनी पड़ेगी। आज यह मानकर चलें कि हिन्दुस्तान का पूरा नक्शा आपके सामने है। मैं एक राजस्थान की बात नहीं कहता। हरियाणा हो, उत्तरप्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी एनरोन कम्पनी से उन्होंने समझौता किया डाभोल में और उस समझौते के आधार पर 2.67 रुपया पर यूनिट की कास्ट आने वाली है और उसमें एक शर्त है कि यह सारा भुगतान यहां की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करना पड़ेगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का समझौता हो जाये, आज यदि तामिलनाडु में समझौता हो जाये, आन्ध्र प्रदेश में समझौता हो जाये, हरियाणा में समझौता हो जाये और राजस्थान केवल यह इन्तजार करता रहे कि भारत सरकार हमको पैसा देगा या राजस्थान के पास अतिरिक्त साधन होंगे और उसके कारण से बिजली का उत्पादन होगा तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरी जगह चाहे आप चन्दनमल जी को लाकर बैठा दो, चाहे खेतसिंह जी को लाकर बैठा दो या कांग्रेस का शासन आ जाये लेकिन बिजली का उत्पादन आज पब्लिक सेक्टर में होना सम्भव नहीं है। यह प्राइवेट सेक्टर में करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी रखकर क्या कास्ट आफ पर यूनिट आती है उसका फैसला करना पड़ेगा। इसलिए आज आप कहें कि राजस्थान में बिजली की कमी आई है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज बिजली की दो यूनिट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चल रही थीं। एक आर.ए.पी.पी. की पहली यूनिट और तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट पहले बन्द हो गयी और पहली यूनिट बाद में बन्द हो गयी। आज उनमें से 250 के करीब जो पावर जनरेट होती थी वह बन्द हो गयी और वह यूनिट चली गयी। आज उस यूनिट से सस्ती बिजली मिलती थी। 61 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से वह बिजली मिलती थी। दोनों यूनिट बन्द हो गयी। इधर तो बिजली की कमी आ गयी उस बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हम यदि ग्लोबल रेट के आधार पर दूसरी एजेन्सी से बिजली खरीदेंगे तो पूरा पैसा उनको देना पड़ेगा।

यहां यह कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इतना घाटा है। आखिर तारीफ आपको इस बात की करनी चाहिए थी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने घाटा खाकर भी बिजली खरीदी और काश्तकारों के कुओं पर और बाकी के लोगों को बिजली दी। हमने राजस्थान में अंधेरा नहीं होने दिया....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिजली दी आपने एक घंटा, आधा घंटा। यह बिजली देना है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत मैं : इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान आगे बढ़ना चाहता है या राजस्थान पीछे रहना चाहता हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अन्य राज्य जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं उस गति से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी और यदि कोशिश करते हैं तो हमें प्राइवेट सेक्टर में लोगों को इन्वाइट करके जहां हमारे पास साधन नहीं हैं वहां उनको देना पड़ेगा। आज सूरतगढ़ का काम है हम अपने खर्चे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया हो। सूरतगढ़ में 1996 के अन्दर पावर का जनरेशन शुरू हो जायेगा। आज बिजली की कमी है और लिग्नाइट के आधार पर बिजली के कारखाने पैदा करें उसमें समय लगेगा और समय लगेगा इसलिए हमने प्रबन्ध किया कि 6 स्थानों के ऊपर डीजल सेट्स से हम बिजली पैदा करें ताकि डेढ़ वर्ष के अन्दर इसकी बिजली उपलब्ध हो जाये। इमरजेन्सी मैजर्स भी हमने लिये हैं और दीर्घकालीन मैजर्स भी हमने लिये हैं लेकिन कष्ट है उस कष्ट को हमें सहन करना पड़ेगा। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, भारत सरकार से भी बात की है कि आटोमिक पावर प्राजेक्ट के दो यूनिट बन्द हुए हैं उतनी बिजली हमें नरोरा से दी जाये। अभी मैं कह नहीं सकता लेकिन मुझे आश्वासन मिला है कि एक यूनिट के एवज की जितनी बिजली होती है उतनी बिजली हम नरोरा से दिलवायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बार चर्चा की थी एन. टी. पी. सी. से 450 मेगावाट लेने का मैंने समझौता किया और बिजली को लेकर आया लेकिन संकट यह है कि जो कारखानों में हमारा हिस्सा है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सेन्ट्रल प्राजेक्ट से ग्रौर जिसमें हमारा बिजली का हिस्सा है वह कारखाने यदि बन्द हो जायें तो मैं बिजली कहां से पैदा करूंगा। दादरी में गैस की सप्लाई नहीं हुई, दादरी का कारखाना बन्द रहा, ग्रोरैया का कारखाना बन्द रहा, इस प्रकार से भारत सरकार के कारखाने किसी समय भी बन्द हो जायें इसका कोई पता नहीं। किस समय बिजली का उत्पादन कम हो जाये इसका पता नहीं। कमी तो वहां होती है ग्रौर बिजली हमें खरीद कर उसको ज्यादा पैसे का चुकारा करना पड़ता है। इस स्थिति पर माननीय सदस्य विचार करें।

मैं समझता था कि गवर्नर महोदय के एड्रेस में जो इस बात का उल्लेख किया गया है उसी उल्लेख के ग्राधार पर यहां पर चर्चा होकर भी मार्गदर्शन होता कि हम इस ग्रोर किस प्रकार से ग्रागे बढ़ें लेकिन ग्रापका मौन इस पर रहना मैं समझता हूं कि जो भी हमारी योजना है उसकी ग्रप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की स्वीकृति है। मैं इस स्वीकृति को लेकर ग्रब दूसरे विषय पर चलता हूं।....

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : हम बोलें तो उसका गलत ग्रर्थ निकाला जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर उदारीकरण का जिक्र किया गया। मण्डावा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने उदारीकरण का प्रश्न रखा। मैं मानता हूं कि उदारीकरण में कुछ कमियां हैं ग्रौर कुछ भी है लेकिन ग्राप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ग्राप भी सदस्य थे ग्रौर मैं भी सदस्य था। जब राजा राजगोपालाचारी ने एक बात कही जब कि वह स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। उस समय एक बात कही थी कि मैं परमिट राज नहीं चाहता, कोटा राज नहीं चाहता, लाइसेन्स राज नहीं चाहता, इन उद्योगों में मै ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं चाहता। यह रेस्टि्कशन्स मैं नहीं चाहता। उस समय इस सदन में ग्रौर लोक सभा में ग्रौर लोक सभा के बाहर राजाजी को कहा जाता था कि यह ग्रोपन मार्केट इकानामी के पक्षधर हैं। यह हिन्दुस्तान को तबाह कर देंगे। यह ग्रोपन मार्केट इकानामी हिन्दुस्तान स्वीकार नहीं कर सकता....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वह उस समय की बात थी 'दैट वाज ग्रनटाइमली।'

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज श्रीमाधोपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र बता रहे थे। ग्रापने 60 के ग्रन्दर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखा है क्या? मैं सौ दिन की महंगाई का जिक्र नहीं करता। मैं केवल एक ही जिक्र करना चाहता हूं। उसमें कहां ग्रोपन मार्केट इकानमी का उल्लेख है? कोई उल्लेख नहीं है ग्रोपन मार्केट इकानामी का। ग्राप देखना चाहें तो देख लेना। उस समय व्यवस्था नहीं थी 90 में ग्राप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आए। अब अचानक जिस समाजवाद को लेकर यहां तालियां बजाते थे रामनारायण जी आप, याद है ना। समाजवाद, समाजवाद। आप कहते थे समाजवादी व्यवस्था से हिन्दुस्तान का भला होगा और जब आप बोलते थे समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : गांधीवादी समाजवाद ·· (व्यवधान)····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गांधीवादी समाजवाद को समझने में दिमाग चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवाद-समाजवाद की बहुत चर्चा मैंने सुनी है। जहां भी आम सभाएं होती थीं और उनमें भाषण होते थे तो कहते थे कि हम समाजवाद लाकर गरीब और अमीर का अन्तर मिटायेंगे। हम समाजवाद लाकर गरीब की रोटी का इन्तजाम करेंगे। हम समाजवाद लाकर गरीबों के आवास की व्यवस्था का काम करेंगे। हम समाजवाद लाकर गरीबों को रोटी देंगे। वह समाजवाद कहां गया ?····

श्रीमती कमला (बैराठ) : समाजवाद आज भी है, आगे भी रहेगा। यह कभी नहीं मिटेगा। समाजवाद का मतलब है समान अवसर जिसमें जितनी क्षमता है वह है। इसलिए हम कभी नहीं मिटा सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। समाजवाद, समाजवाद से परेशान हो गए। हम उस समय समाजवाद का विरोध करते थे तो उस समय कहते थे कि पूंजीपतियों के पक्षधर हैं। ओपन मार्केट इकानामी की बात करते थे तो पूंजीपतियों के पक्षधर थे। हम कहते थे लाइसेन्स, परमिट, कोटा राज खतम करो। उसका समर्थन नहीं करते थे और 90 के बाद में आपका हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन होकर आप कहने लगे ओपन मार्केट इकानामी, ओपन मार्केट इकानामी और उदारीकरण की चर्चा करने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय परिस्थितियां थीं आपने समाजवाद के नाम पर गरीबों का शोषण किया। वह परिस्थितियां थीं। आपको शोषण करने का कोई अधिकार नहीं था लेकिन समाजवाद के नाम पर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों में आप जाते थे और कहते थे कि हम समाजवाद ला रहे हैं—जैसे बोरी भरकर समाजवाद आ जायेगा और बांट देंगे। हम समाजवाद ला रहे हैं गरीबों के मकान बनाकर। जिस पार्टी ने 40 वर्षों तक हिन्दुस्तान की गरीब जनता का समाजवाद के नाम पर शोषण किया आज वही पार्टी समाजवाद की जगह मल्टी नेशनल्स के नाम पर देश का शोषण करना चाहती है।

हम मल्टीनेशनल्स की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारे पास जिस सैक्टर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के अन्दर टैक्नोलाजी नहीं है, जिस सैक्टर के अन्दर हमारे पास साधन नहीं हैं या जिस सैक्टर में हम कोई काम नहीं कर सकते उस सैक्टर्स में यदि मल्टी-नेशनल्स को लाया जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो चीज हिन्दुस्तान में बन सकती है, बनाने की यहां टैक्नोलोजी है, यहां बनाने के लिए हमारे पास साधन हैं, यहां बनाने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। उन सब चीजों की उपेक्षा करके यदि मल्टी-नेशनल्स को हिन्दुस्तान में बुला लिया, पेप्सी कोला के लिये बाहर से कम्पनियां आ रही हैं, साबुन बनाने की कम्पनियां बाहर से आ रही हैं, ब्लेड बनाने की कम्पनियां बाहर से आ रही है। अगर इन कन्ज्यूमर आइटम्स को बनाने के लिए आपने हिन्दुस्तान में मल्टीनेशनल्स को बुला लिया तो आप यह मानकर चलो, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई डूंडी पीटने की आवश्यकता नहीं है, यह मल्टीनेशनल्स एक बार आपने प्रोडक्ट को सस्ता करके बाजार में बेचेंगे तो एक ही साथ हिन्दुस्तान की इण्डस्ट्रीज चाहे स्माल स्केल इण्डस्ट्री हो, चाहे मीडियम इण्डस्ट्री चाहे लार्ज इण्डस्ट्री हो वे फ अपने आप खतम हो जायेंगी।

मैं समझता हूं, आप लोगों में से कई माननीय सदस्यों ने अध्ययन किया होगा कि जब से उदारीकरण की नीति आयी है उसके बाद हिन्दुस्तान की किन-किन बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने अपने शेयर्स मल्टी-नेशनल्ज को बेच दिये। मल्टीनेशनल्स की भागीदारी लेकर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस वातावरण पर रोक नहीं लगायी तो हिन्दुस्तान में जहां पाकिस्तान का आई. एस. आई. का खतरा है, वहीं हिन्दुस्तान में मल्टीनेशनल्स की मार्फत जैसे शुरू में ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी थी उसी प्रकार की कम्पनियां बनकर हिन्दुस्तान का शोषण करेंगी इसके प्रति भी हमें सावधान रहकर चलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप इससे सावधान रहें।

श्री चन्दनमल बैद . यही बात आपने डंकल के बारे में कही थी। अब नहीं कहते हो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब भी कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डंकल का प्रस्ताव या वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन (डब्लू.टी.ओ.), इनके बारे में बाहर बहुत चर्चा हुई। हमने उसका विरोध किया। आज भी मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं कहता हूं कि किसान की गुलामी किसी से नहीं आ सकती। उसके उपकरणों के ऊपर यदि पूंजीपतियों का कब्जा हो गया तो निश्चित रूप से किसानों में गुलामी आयेगी, इसमें किसी प्रकार का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आज इन्टरनेशनल ट्रेड में जब हमने आवाज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगायी थी कि सामाजिक क्षेत्र में डब्लू. टी. ओ. या डवल किसी तरह से प्रवेश नहीं करेगा। मैंने इसी सदन में एक बार कहा था या सदन के बाहर कहा था, आज इन्टरनेशनल मार्केट में हम जाना चाहते हैं लेकिन वहां शर्तें क्या लगायी जा रही हैं कि हिन्दुस्तान का कारपेट मत खरीदो क्योंकि इसमें चाइल्ड लेबर काम में आती है, हिन्दुस्तान का मार्बल मत खरीदो इसमें बाउंडेड लेबर काम में आती है ....

श्री चन्दनमल बैद : माना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माना नहीं है, वह सही है लेकिन नीयत बता रहा हूं। उनकी नीयत क्या थी। बाउंडेड लेबर काम में आ रही है इसलिए इनका मार्बल और ग्रेनाइट मत खरीदो। चाइल्ड लेबर का इसमें प्रयोग हो रहा है इसलिए इनकी प्रमुक चीज मत खरीदो और अच्छा हुआ, हमने भी विरोध किया, पार्लियामेंट में सदस्यों ने विरोध किया और भारत सरकार से कहा कि सोशल क्लाजेज यदि किसी भी प्रकार से शुरू कर दिये गये तो हिन्दुस्तान का उद्योग अपने आप में चौपट हो जाएगा। आज तक तो हम बचे हुए हैं लेकिन कितने दिन बचे रहेंगे यह हमारे सामने निश्चित रूप से एक समस्या है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जगदीप धनखड : स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा ध्यान है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

श्री जगदीप धनखड : विधान सभा में बोलिये, चुनाव सभा करके बोल रहे हैं आप। विधान सभा की बात कीजिये, चुनाव सभा की बात मत कीजिये। आप चुनावी भाषण कर रहे हैं। जिस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने आपका ध्यान आकर्षित किया उस पर आप फिर भी बोलते रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर योजना की भी चर्चा की गयी। योजना भी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर है कि राजस्थान का ओवर आल डवलपमेंट कैसे हो जब तक हमारे पास साधन नहीं होंगे उस समय तक हम राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। हमारे साधनों के आधार पर योजनाएं बनती हैं और योजनाओं की क्रियान्विति के साथ सब प्रकार के विकास के काम होते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पांचवीं से छठी योजना में जो आकार बना उसमें 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छठी से सातवीं योजना में जो आकार बना उसमें 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन सातवीं से आठवीं पंचवर्षीय योजना में 283 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वह हिन्दुस्तान और राजस्थान के इतिहास में एक रिकार्ड

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। आज वह रिकार्ड है। इतनी वृद्धि किसी राज्य में कभी नहीं हुई। आज आकार अगर हमने बढ़ाया तो मैं नहीं कहता कि उस आकार के बढ़ाने में भारत सरकार का सहयोग नहीं है, सहयोग आप भी ले सकते थे लेकिन आपको नहीं मिला। मुझे सहयोग मिला, इसलिए आपको जलन होती है ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जलन काहे के लिए होती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं होती है न, ठीक है। अब आप कहोगे मेरे इन पांच वर्षों में क्या हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड : हमें खुशी है आप नरसिंह राव के खास दोस्तों में से हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है, बहुत खुशी की बात है, वे मेरे दोस्त हैं और आपको मिलने का समय भी नहीं देते, मैं क्या करूं ? मैंने यह नहीं कहा कि भारत सरकार ने मेरा सहयोग नहीं किया। मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि भारत सरकार ने मेरा सहयोग किया है। उनके सामने राजस्थान की परिस्थितियां रखीं, राजस्थान की जितनी बैकवर्डनेस है वह रखी और हमारी बिल पावर बतायी कि जितने भी एडिशनल रिसोर्सेज हमें मोबिलाइज करने हैं हम किसी किसी प्रकार से एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे उसका नतीजा यह हुआ कि योजना का आकार बढ़ा। आप अब यह कहेंगे कि आपने पांच वर्ष में क्या किया तो 1985 से लेकर 1990 तक पांच वर्षों में केवल 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि 1990 से लेकर 1995 तक 148 प्रतिशत की वृद्धि हुई है....

श्री चन्दनमल बैद : यह किस बात की वृद्धि हुई है 148 प्रतिशत ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आकार में वृद्धि हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह तो सभी प्रान्तों में बढ़ रहा है, केन्द्रीय आकार भी बढ़ रहा हैं इसमें आप खुद अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक काम करना किताबें तो मेरे से ले जाना और बजट का भाषण देऊं उस वक्त बता देना कि दूसरे-राज्यों की योजना में आकार की वृद्धि कितने प्रतिशत है। इसका विवाद अभी करने की जरूरत नहीं। मैं किताब दूंगा, आप किताब देख लीजिये।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि 1990-91 में राज्यों में हमारा 12 वां स्थान था, 1994-95 में वह स्थान 12वें से घटकर छठा आ गया और इतना मैं कह सकता हूं अगले वर्ष की योजना तक हम छठे से भी नजदीक पहुंचेंगे। इस योजना के आकार के कारण से मैं आज भी कहता हूं प्रति व्यक्ति विनियोजन 1989-90 में 217 रुपये था और 1995-96 में 727

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रुपये प्रति व्यक्ति का विनियोजन है। उपाध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं कि कई राज्यों का योजना का आकार तो बढ़ा है लेकिन मैं दूसरे राज्यों की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह काम मैं महुआ से आने वाले माननीय सदस्य हरिसिंह जी पर छोड़ूंगा। यह आंकड़े मेरे से ले लें और यह आपको खुद को पता लग जायेगा कि योजना मंजूर कराने के बाद वर्ष के अन्त में उस योजना की राशि कितनी खर्च हुई और कितनी खर्च नहीं हुई। पांच-पांच सौ, सात-सात सौ करोड़ रुपये उस योजना के आधार में से खर्च नहीं किये गये। राजस्थान उन राज्यों में से है कि जितनी वार्षिक योजना का आकार था उससे उस योजना के अन्त में ज्यादा खर्चा किया है, कम खर्च करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री चन्दन मल बैद : पिछले साल में नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देख लेना। मैं अभी नहीं कहता, आपको बोलने का मौका है, आप कर लेना।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 16 राज्य हैं जिन 16 राज्यों में जितनी योजना मंजूर करवायी उतनी योजना खर्च नहीं हुई। उनकी योजना का आकार तो बढ़ गया लेकिन खर्चा बहुत कम हुआ है। ऐसी स्थिति में जब योजना का आकार ही इस प्रकार से बढ़ेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक वायुमण्डल बनता है, विकास की दृष्टि से। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बाह्य सहायता के बारे में आलोचना की गयी। एक्सटर्नल एड की आलोचना की गयी कि यह एक्सटर्नल एड कैसे लाये, कैसे नहीं लाये, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐक्सटर्नल एड स्टेट की क्रेडिबिलिटी के आधार पर मिलती है। जिस राज्य की क्रेडिबिलिटी ठीक रहेगी उसको एक्सटर्नल एड खूब मिलेगी। राजस्थान में सन् 1952 से लेकर सन् 1990 तक एक्सटर्नल एड आपको 178 करोड़ रुपये मिली,

(18.00)

178 करोड़ रुपये कुल, कितने वर्ष होते हैं 1952 से लेकर 1990 तक? 38 वर्ष में मिले आपको 178 करोड़ रुपये और 1994-95 में हमें बाह्य सहायता 200 करोड़ रुपये की मिली है एक वर्ष में। अब इससे आप अन्दाज लगा लें क्रेडिबिलिटी का चार्ज क्या है? 1995-96 में हमें 350 करोड़ रुपये मिलेंगे। अब इससे आप अन्दाज लगा लें और पूरी आठवीं योजना में 1500 करोड़ रुपये की हमें बाह्य सहायता मिलेगी। उसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि विश्व बैंक के आदमी सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। विश्व बैंक है किसका? क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विश्व बैंक में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है? (व्यवधान) मैं यह बता दूं, आप मेरी सुनिये। क्या हमारा कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है? हमारी हिस्सेदारी है, हमारा कन्ट्रीब्यूशन है और जितनी भी वर्ल्ड की फण्डिंग-एजेन्सीज हैं इस प्रकार की....

श्री रामनारायण (नैनवां) : यह कितना कन्ट्रीब्यूशन है? है ही नहीं कोई कन्ट्रीब्यूशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ, बता देंगे आपको।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : विश्व बैंक के आप मेम्बर भी नहीं हो, आपका कोई भी कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बिलकुल गलत बयानी कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बाद में विषय उठा लेना। आपकी जानकारी यही है, यह तो दुर्भाग्य है। मैं तो कहीं आपका नाम ले देता कि भाटी साहब से पूछो, वे अपने आप जवाब देंगे लेकिन भाटी साहब भी ऐसे निकले, मेरे मान्य हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सही बात ही है कि आपका कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मेम्बरशिप आपकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेम्बरशिप है ना, बस ठीक है। अगर हम जिस वर्ल्ड बैंक के आर्गेनाइजेशन के मेम्बर हैं उस मेम्बर का सदस्य यदि सेक्रेटेरिएट में बैठता है तो पुष्कर में जलन क्यों पैदा होती है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में बैठता है पेंशन लेने वाला आदमी। तब क्या होता है? मनमोहन सिंह जी बैठे हैं।

श्री विष्णु मोदी : पार्लियामेंट हाउस में आपकी पार्टी ने, आपके दल ने हर जगह चाहे भारत सरकार का बजट हो या दूसरी बात हो, वर्ल्ड बैंक के नाम पर गाली निकालने के अलावा कोई काम नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गाली निकालने के, देखिये मैं बता दूं, मेरी सुनिये....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमेशा आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट में यह कहा है कि बजट विश्व बैंक के डाइरेक्शन से बनाया जा रहा है, विश्व बैंक डिक्टेट करा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। टोकाटाकी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदना करना चाहता हूं कि आप एक काम करवा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दीजिये, आपका मैं बड़ा अहसान मानूंगा और राजस्थान आपका बहुत अहसान मानेगा।

जो भी हमें सहायता मिलती है वह सहायता, माननीय चन्दन मलजी जानते हैं, आधे पर्सेण्ट के इण्ट्रेस्ट से, चाहे किसी भी फण्डिंग एजेन्सी की हो, वह सहायता हिन्दुस्तान की सरकार के थ्रू आती है और सरकार वह सहायता हमको देती है। वहां से तो आधा पर्सेण्ट के ऊपर और भारत सरकार हमसे चार्ज करती है 7 पर्सेण्ट। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग जाकर नरसिंहरावजी के पास बैठ जायें और जाकर यह कहें कि आधा पर्सेण्ट की यह ब्याज की दर पर जो विदेशों से पैसा मिलता है उस आधार पर ही हमसे ब्याज चार्ज किया जाये, 7 पर्सेण्ट हमसे चार्ज नहीं किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें और बताना चाहता हूं। बाह्य सहायता के सम्बन्ध में जो क्रेडिट देने वाली एजेन्सीज़ हैं या ग्रांट देने वाली एजेन्सीज हैं उनका राजस्थान के बारे में सोच है, उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के बारे में यह लगभग 44 करोड़ रुपये की योजना थी। इस 44 करोड़ रुपये की योजना, जो भी विदेशी फण्डिंग एजेन्सी या बैंक देती है उनका मानीटरिंग भी हुआ, उनका इवेल्युएशन भी हुआ। मानीटरिंग हुआ, इवेल्युएशन हुआ और इवेल्युएशन के बाद में उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा है तो 18 करोड़ रुपये जो दूसरे राज्यों को उन्होंने दिये थे, वे खर्च नहीं कर पाये या जिनको देना था उनकी काम की ठीक प्रकार से योग्यता नहीं थी, हमको ट्रांसफर किये कि तुम्हारी खर्च करने की कैपेसिटी है, तुम ठीक प्रकार से खर्च करोगे। 18 करोड़ रुपये हमको दे दिये, यह एफिसिएंशी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख केनाल जो वर्षों से पड़ी थी। सिद्धमुख केनाल के लिए हमने एक योजना बनाकर बाह्य सहायता ली। सिद्धमुख केनाल का अभी इन्सपेक्शन किया और इन्सपेक्शन करने के बाद में उन्होंने कहा, यहां पर जितना बढ़िया काम हुआ है हम आगे भी इसमें सहायता करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाह्य सहायता के लिए क्रेडिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी, आपको अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है वह आपको दिखाना पड़ेगा और उसके आधार पर ये सब चीजें आपको मिलेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना, इसका भी इवेल्युएशन हुआ और इवेल्युएशन होने के बाद में इन्हीं फण्डिंग एजेन्सीज ने कहा कि हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया काम राजस्थान में हुआ है और मैं इस आधार पर यह कह सकता हूं कि और पैसा मिलेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा हुई, उद्योग नीति क्यों बनायी ? भाई उद्योग नीति बनायी तो कोई अपराध कर दिया गया ?

श्री विष्णु मोदी : यह कहा कि जैसे भारत सरकार ने बनायी, हाउस के अन्दर रिजोल्युशन लेकर के आये। आप भी नीतियां बनायें लेकिन इस सदन को दूर नहीं रखें। इस सदन में लाकर के मंजूर कराकर के फिर नीति बनायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमने उद्योग नीति बनायी, आपको मालूम है 1977-78 में बनानी थी, 1977-78 में बनाने के बाद 1980 में हम चले गये 1980 के बाद 1990 में वापस आये।....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अब कब जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना बता दूं, अभी तो मेरी चिन्ता मत करो।

श्री जगदीप धनखड़ : आपका मिडवे आ गया। भाभड़ा जी पास में बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली की सरकार कब जायेगी, वह चिन्ता करो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह तो नहीं जा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी मेरी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हरिसिंह जी, थोड़ा बोलने दो।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उद्योग नीति बनायी 1977-78 में। 1990 तक आये। अब आप खुद हिसाब लगा लें उद्योग नीति हो, चाहे खनिज नीति हो, चाहे मार्बल नीति हो, चाहे सड़क नीति हो, उसके पीछे एक कारण है। आप अगर यह समझो कि इसमें डिलेइंग प्रेक्टिस खतम की जाये; पहला हिन्दुस्तान में उदाहरण होगा कि उद्यग नीति बनायी और जिस समय उद्योग नीति को हमने जनता के सामने रखा, उस उद्योग नीति में जितने एक्ट्स, रूल्स, प्रोसीजर हैं उनमें जो अमेंडमेंट करने थे वे अमेंडमेंट कराकर गजट नोटिफिकेशन कराया। आप एक उदाहरण बता दो हिन्दुस्तान में इस प्रकार की कोई कहीं भी कार्यवाही की और जब यह कार्यवाही हुई तो उसके इसी आधार पर हम आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, खनिज नीति हमने 1978 में बनायी और बाद में 1994 में भी बनायी। अब ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि नीतियों के आधार पर चलने से आज जो आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक आब्स्टेकल्स आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक को-आपरेशन नहीं मिलता। अगर आपने नीति बना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ली, किस आदमी को उद्योग के लिए कितनी जमीन देनी है, किस आदमी को कर में कितनी सहूलियत देनी है, जमीन किस प्रकार से देनी है। साथ ही इन सारी नीतियों का प्रारूप एक जगह आता है और कोई भी अफसर हो, चाहे नेता हो या उद्योगपति हो, हर आदमी को उस ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेरित करता है और इस आधार पर हमने नीतियां बनायी हैं। इन नीतियों के पीछे आप यह कहे कि कोई नीतियां बनाकर हमने वाह-वाही लूटी है। वाह-वाही लूटने के लिए मैंने नीतियां नहीं बनायी हैं लेकिन राजस्थान का विकास हो, विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हो, मार्ग सीधा हो, लोगों को प्रेरित करने वाला हो और इसके लिए नीतियां बनायी हैं। मैं समझता हूं विष्णुजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन नीतियों के कारण से राजस्थान का निश्चित रूप से विकास होगा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : हाउस में लाते तो इधर के या उधर के माननीय सदस्य और अच्छी राय देते।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो मै ऐसा समझता हूं कि नीति बनने से लेकर अब तक 6-7 महीने निकल गये और कापियां मैंने सबको भेजी हैं। आपकी कापी घर में है या नहीं है, इसका भी पता नहीं है, पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि केवल चर्चा करने में....

श्री राधेश्याम : मैं कुछ बोलूंगा तो आप महसूस करोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां बोलो। मान लिया आप बहुत ज्ञाता हैं, आपको एक-एक शब्द जुबानी है यह भी मान लिया लेकिन यह भी मान लो कि आज तक पढ़ी नहीं और फिर भी पारदर्शी हैं आप तो। सारी चीजें देखकर आपने कम्प्यूटर की तरह से अपने दिमाग में जमा कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई बातों की खराबी पर बात की गयी। मैं समझता हूं कि ईमानदार आदमी और निष्पक्ष भाव से आप देखेंगे तो इनकी बुराइयों की जड़ सिस्टम है। सिस्टम में यदि हमने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो कोई भी बुराई कम नहीं कर सकते। बुराइयां बढ़ेंगी और सिस्टम में यदि आपने इम्प्रूवमेंट किया तो बुराईयां कम होंगी। अब सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाये ? हमने मनोत साहब की एक कमेटी बनायी और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने कुछ सुझाव दिये। काफी सुझाव हैं जो हमने लागू कर दिये।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज कोई भी ट्रेडर किसी प्रकार का ट्रेड कर रहा है उस ट्रेडर को 10 से लेकर 20 तक लाइसेंस लेने पड़ते हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहीं 10--15 लाइसेंस लेने पड़ते है। लाइसेंस लेने नहीं पड़ते हैं हर साल रिन्युअल करवाने पड़ते हैं। अब आप अन्दाज लगा लें कि कितनी परेशानी होती है। हमने इस सारे सिस्टम को चेंज किया है और चेंज करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचे है कि सिस्टेमैटिक बुराइयों को बन्द किया जाये और इसके लिए तय कर दिये कि हर साल लाइसेंस रिन्युअल करने की आवश्यकता नहीं। 10 से 20 वर्ष तक के बीच की अवधि तय कर दी और उसमें लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। इस व्यवस्था से, ये ऐसी कमियां एक नहीं है, इस सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अपेरेट्स में इस तरह की सिस्टेमैटिक कमजोरियां बहुत आ गयी है, उन कमजोरियों को चाहे कोई भी सरकार आ जाये जब तक उन कमजोरियों को दूर नहीं करगी तब तक इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सदन विश्वास करे या नहीं करे, मैं इस सिस्टेमैटिक चेंज करके राजस्थान की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं और मुझे इसमें सफलता मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जनरल फाइनेंस रूल्स थे उनमें पावर सेंट्रलाइज हो गयी, हर चीज सैक्रेटेरिएट में आयेगी। कोई कलक्टर अपने अधिकार से पैसा नहीं दे सकता, कोई आदमी किसी की सहायता नहीं कर सकता, जैसे अकाल राहत मंत्रीजी कल यहां बोल रहे थे, आज अगर कहीं ओलावृष्टि हो जाये, तो पहले का सिस्टम था कि पहले जायेगा पटवारी, पटवारी गिरदावरी करेगा, आधी गिरदावरी नायब तहसीलदार/गिरदावर देखेगा, गिरदावर का आधा हिस्सा नायब तहसीलदार देखेगा, नायब तहसीलदार को तहसीलदार देखेगा और देखने में काफी लम्बा समय लगता था और जब रिपोर्ट बनकर सरकार के पास आती उस समय अकाल की मार को अकाल पीड़ित व्यक्ति भूल जाता था। हमने इस सिस्टम में चेंज कर दिया कि अगर लोगों को सहायता देनी है तो सेक्रेटेरिएट से मंजूरी होगी इसकी क्या आवश्यकता है कलक्टर मंजूरी करे इसकी क्या आवश्कता है जो भी मौके पर अधिकारी है वह मौके पर जाकर असेसमेंट करे कि इतना नुकसान हुआ, उस नुकसान के आधार पर तुरन्त वहीं सहायता दे दे यह सिस्टम अच्छा है। ये सिस्टेमेटिक चेंजेज हमने किये है।

उपाध्यक्ष महोदय, जी. एफ. एण्ड ए. आर. में दुनिया के पावर्स सेन्ट्रलाइज्ड किये हुए थे उन सेन्ट्रलाइज्ड किये हुए पावर्स का हमने डि-सेंट्रलाइजेशन किया है और डिसेंट्रलाइजेशन के परिणाम हमें मिलने लगे हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि कुछ बातों को छोड़कर जो बहुत ही आवश्यक हों, उन बातों को छोड़कर यदि पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाये और डिसेन्ट्रलाइजेशन की ठीक प्रकार से मानिटरिंग हो तो देश की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। यहां एक माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्य बड़े जोर से भाषण दे रहे थे, शायद श्री रामनारायण जी बोल रहे थे कि गोचर भूमि पर कब्जे किये जा रहे हैं। यह श्रीमान्‌जी कब हुआ गोचर भूमि पर कब्जा ?....

श्री रामनारायण चौधरी : अभी हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी हो रहा है ना और पहले भी होता था....

श्रीमती कमला : पहले इतना नहीं होता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं कहता हूं कि पहले नहीं होता था.... आपने 1976 के अन्दर एक नियम क्यों बनाया ? और नियम बनाकर आपने व्यवस्था की कि 1971 तक जिन लोगों ने गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है उनको रेगुलराइज कर दिया जायेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : गोचर नहीं थी।

श्रीमती कमला : सरकारी पड़त भूमि का था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पढ़ लो थोड़ासा। देखिये, सरकारी पडत का भी है आप देखलेना....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : गोचर नहीं है।

श्रीमती कमला : सिवाय चक का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह एक विवाद चला था और विवाद चला... (व्यवधान)... 1966 होगा, लेकिन पहले यह विवाद था कि जमीन पर कब्जा करो और कब्जा करने के बाद में सरकार पर दबाव डालो और सरकार पर दबाव डालकर यह कहते कि अमुक तारीख तक अतिक्रमण किया है उसको रेगुलराइज कर दिया जाये। यह सिस्टम था, इस सिस्टम को हमने बन्द कर दिया है। और बन्द करने के कारण से जैसे श्री रामनारायण जी कह रहे थे कि उनको निकालने की कार्यवाही हो रही है, निकालेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन आप सब जानते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस होगी। इस जुडिशियल प्रोसेसे में तहसीलदार को कह देऊं कि आप सजा ठोक देओ। तो एक तहसीलदार ने सजा ठोकी उसके +++ के चांटा पड़ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हू आज सारे अफसर भी....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : कहां मिला दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिलाने की

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात नहीं कह रहा हूं, यदि आप सख्ती करें तो कानून तो कानून के जरिये से ही लागू होगा। कानून धापा-मुक्की से और थप्पड़ से लागू नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : जवाब नहीं देकर बातों को जोड़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जोड़ नहीं रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी स्थिति में आप कहें कि राजस्थान में यहां पर शिक्षा के ऊपर चर्चा हुई। मैंने पिछली बार भी कहा था कि राजस्थान का बजट राजस्थान की शिक्षा के लिए समर्पित है। मैं इतना हो कह सकता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सारी कमियां दूर कर दी हों मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं और न ही इस बात का दम भरता हूं लेकिन इतना कह सकता हूं कि राजस्थान का शिक्षा का बजट जो गये साल का था, पिछले 10 वर्षों में इतना बजट नहीं था....

श्री शिवनाथसिंह : वह पूरा का पूरा बचा लिया क्योंकि मास्टर नहीं लगाये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके अकेले के थोड़े ही आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो कह रहा हूं मेरी सुनिये .... (व्यवधान).... अब सही बात सुनने को तैयार नहीं हैं....

श्री जगदीप धनखड़ : आपके भाषणों पर कोई कमीशन बैठाये तो पता चले कि आप आंकड़ों का इतना खेल खेलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी, हां।

श्री जगदीप धनखड़ : आप एक नया अभिभाषण पढ़ रहे हैं। आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले रखी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उधर सत्ता को बांटिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपकी आपत्ति नहीं की आपने कल या परसों भाषण दिया था। किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए कि वह बजट का भाषण था और गवर्नर साहब के भाषण पर बोल गये। आपको, यही अन्तर मालूम नहीं हैं कि बजट भाषण पर क्या बोलना चाहिए और गवर्नर साहब के अभिभाषण पर क्या बोलना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी, आप इन बातों का जवाब दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डिस्टर्ब मत कीजिये। आप डिस्टर्ब मत करो, बड़े विद्वान आदमी है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी वकालत चलती है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप राज्यपाल का नया अभिभाषण पढ़ रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है ? मैं इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी हमने विकास किया है या जो कुछ भी धन लगाया है उसका परिणाम क्या निकला। 4 लाख नये एंट्रेंस आये हैं, जिसमें 2 लाख 5 हजार के करीब बच्चियां हैं। आज उपलब्धि हुई है, एडमिशन ज्यादा हुए हैं। अब इस एडमिशन में सहायता देने के लिए हमने क्या किया है ? आपको सुनकर खुशी होगी कि एक से लेकर 5वीं क्लास तक सब लड़कों और लड़कियों को और एक से 8वीं क्लास की लड़कियों को 11 करोड़ 6 लाख की किताबें मुफ्त में बांटी है।

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 40 वर्ष में प्राइमरी क्लास की एक भी किताब जिसमें 'घ' मानी घोड़ा और 'क' मानी कबूतर लिखा हो, यह कभी एक किताब बांटी हो तो मुझे बता दीजिये। आपने कुछ किया नहीं और जब हम कर रहे हैं तो आपको उसकी आलोचना दिखती है। आप कहते हैं कि साक्षरता के अभियान, मैं ऐसा समझता हूं और सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी अन्तरराज्यीय बैठकें होती है तो दो चीजों से मुझे बहुत शर्म आती है। एक शर्म तो जब आती है जब बीच में बोलकर यह कहते है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है और दूसरी बात उसके विपरीत कहते है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। इन दोनों के लिए वह कहते हैं। आप चाहे विश्वास करें या नहीं करें मुझे इस बात की शर्म भी आती है, और शर्म आने के कारण इस बात की इच्छा भी होती है कि हम सब मिल कर राजस्थान पर यह दो प्रकार के जो कलंक लगे हैं इन कलंक को राजस्थान से किसी प्रकार से साफ कर देवें। और इसलिए कोशिश यह की कि बजट में इस प्रकार का प्रावधान रखा जावे और इसके कारण से मैं कह सकता हूं कि इधर साक्षरता का अभियान इधर लोक जुम्बिश का अभियान, इधर और कार्यक्रम लिये हैं और उन कार्यक्रमों के आधार पर एक वातावरण राजस्थान में इस प्रकार का बना है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि उस वातावरण को दूषित नहीं करें, आप इस बात का मन में संकल्प ले लें कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो राजस्थान को इस कलंक से हम बचायें। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मैंने लोगों से कहा भी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जनसंख्या की दर जिस प्रकार से बढ़ रही है मैं आज कह सकता हूं कि योजना चाहे साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की हो, चाहें योजना पच्चीस हजार करोड़ रुपये की हो, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हम नहीं कर पाये तो राजस्थान के विकास का लाभ राजस्थान की जनता ले सके, इस प्रकार की स्थितियां नहीं रहेंगी। आज सबसे ज्यादा दुःखी किसान हैं। किसान के बच्चे ज्यादा होंगे, जमीन का बंटवारा होगा जमीन का बंटवारा होते ही इकोनोमी होल्डिंग खतम होकर मजदूरी के लिए उसको जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर चर्चा की गयी कि पंचायत कानून में पहले कोई संशोधन किये थे मैंने उनको संशोधित कर दिया।

मैं पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि सदन में मेरा भाषण उठाकर देख लें। और बाकी के सदन के माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है वह देख लें, जिस समय कानून बना उस समय कानून में यह था कि एक वर्ष के बाद में जिसके ज्यादा बच्चे हो जायें, कानून बना था चुनाव के लिए, चुनाव के बाद में एक वर्ष में जिसके बच्चा हो जायेगा वह डिसक्वालिफाई होगा। मैं विधान सभा को आश्वासन दे चुका, जनता को आश्वासन दे चुका, चुनाव हो रहे 1993 में और मैं उसको 1992 में लागू करूं तो मैं समझता हूं कि सदन के प्रति लोगों का विश्वास घटता, कानून के प्रति क्रेडिबिलिटी घटती और राजस्थान की जनता को हम इस प्रकार से धोखे में रखकर उसको पंचायत के चुनाव से वंचित रखते। हमने उसकी व्यवस्था की थी। यह मैं मानता हूं कि उससे मेरी आलोचना भी हुई यह आपने ही नहीं, और लोगों ने भी की है लेकिन अनभिज्ञता के कारण से आलोचना हुई है और मै समझता हूं कि आप अनभिज्ञ नहीं हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये। आप देखिए। मैं बोलूं या नहीं बोलूं, अगर आपकी ग्रहण करने की क्षमता इतनी है तब तो मैं बन्द कर दूं और यदि ग्रहण करने की क्षमता खूब है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि (व्यवधान) बजट के पहले-पहले माननीय सदस्य इन भ्रान्तियों से निकल जाये और राजस्थान में जो कुछ हमने किया है, उस सारी कार्यवाही को देख लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार का सुधार हो रहा है, कमियां नहीं हैं लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है कि हम राजस्थान की जनता को एक राइट नहीं दे पाये और वह राइट है, राइट टू इन्फोर्मेशन का। हिन्दुस्तान में कहीं किसी राज्य में नहीं है लेकिन इस पर मैं विचार कर रहा हूं और विचार की शुरूआत में जो पहले आरोप लगाते थे, 1990 से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकर 1994-95 तक, जब तक ये चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, बी. एल. डब्लू खा गये, पटवारी खा गये, अफसर खा गये, पंच खा गये, सरपंच खा गये। मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, 1990 से लेकर 1995 तक पंचायतों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विकास के काम हुए हैं, यदि विकास सम्बन्धी सूचना कोई पंच और सरपंच और पंचायत लेना चाहेगा तो फोटो कापी की कीमत देने के बाद में वह सारी सूचना मिलेगी और मिलने के साथ ही यदि गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ की जांच करके राज्य सरकार से या जो कुछ भी हम एजेंसी बनायें, उस एजेंसी से गड़बड़ी की जांच होगी। मैं समझता हूं, इससे बढ़कर कोई अवसर आने वाला नहीं है (व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : ....बल्कि आपने हत्यारों को भी बचाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको तो ....देखिये, यूं कहने से कोई मतलब नहीं है। आपको तो मैं मौका दे रहा हूं कि पंचायतों में किसने पैसा खाया, किसने नहीं खाया, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, उसकी इन्फोर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं और यह इसलिए दे रहा हूं कि आप उसको देखो, आप वास्तविकता को देखो और देखने के बाद में आप रिपोर्ट करो, मुकदमा बनाओ और बनाने के बाद में उन लोगों को नसीहत दो कि यह मत समझो कि हम 1990 में खा गये तो हमारा पीछा करने वाला नहीं है। उनको यह इम्प्रेशन देओ कि 1990 में खा गये तो 1995 में भी खाया हुआ आप से निकालने के लिए व्यवस्था की जा रही है इसकी आवश्यकता है और इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस विचार के आधार पर कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि मैंने कोशिश तो की है कि सब बातों का जवाब देऊं। अब सब बातों का जवाब देना सम्भव भी नहीं है (व्यवधान) नहीं, मुझे तो याद है, इनको याद नहीं है। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है, उस अभिभाषण को भी आप देखें। कोई चीज हमने छिपाने की कोशिश नहीं की है, कोई चीज नहीं छिपायी बल्कि सही चीज रख दी। उसका यह एडवर्स नतीजा निकला, उसका एडवर्स इम्पेक्ट रहा। सही चीज रखने के बाद में आपके पास बोलने के लिए सामग्री ही नहीं रही। आज ईमानदारी से देखो तो भाषण क्या हुए हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शेरो-शायरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेरो-शायरी, कभी कविता, कभी रहीम के दोहे, कभी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तुलसी की चौपाई (व्यवधान) मैंने सबके भाषण सुने हैं, मैंने किसी के भाषण में टोकाटाकी नहीं की, सभी के भाषण सुने हैं। कड़वी से कड़वी आलोचना को भी सुना। मैं समझता हूं, यह धैर्य आपमें भी होना चाहिए और इस धैर्य के आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने एक-डेढ़ घंटा जवाब देने में लगाया है। केवल इसलिए कि आपकी भ्रान्तियां मिट जायें और आप अध्ययन करके बजट के ऊपर चर्चा करें। वह आपके भाषणों का जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं थी, दो मिनट के अन्दर ही सारे मामले को डिस्पोज-आफ कर देता। आपने सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, आप कृपापूर्वक उसका समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट रखे थे, कोई लेना चाहें तो ? प्रश्न यह है कि·····(व्यवधान) सभी ने लिये ?

श्री जगदीप धनखड़ : चलो, वापस लिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अपना अमेंड-मेंट वापस लेता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : अपना अमेंड-वापस लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति है लेने में ?

(स्वीकृत)

(व्यवधान)

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : ....मुझे पूछा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्ताव श्री शांति लाल जी धारीवाल ने रखा है....

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : शान्ति कुमार। (व्यवधान) कुमार।

श्री उपाध्यक्ष : शान्ति जी धारीवाल।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : या तो आप मुझे शान्ति धारीवाल कह दें....

श्री उपाध्यक्ष : शान्ति कुमार जी धारीवाल....

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : हां।

श्री उपाध्यक्ष : ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाये ?

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : आप फरमाओ, क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप ले रहे हैं ?

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : आप फरमाओ, क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप लीजिये।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : ले लेता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री कालीचरण सराफ ने रखा है और जिसका समर्थन श्री राजेन्द्र जी गहलोत ने किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनाक 6 अप्रेल, 1995 की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 18.27 बजे गुरुवार 6 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट--1

तारांकित प्रश्न संख्या 230 का विवरण एवं प्रति

क्र सं. 1	नाम/पिता का नाम 2	आवेदन प्राप्ति का दिनांक 3
तहसील वल्लभ नगर :—		
1.	श्री शांतिलाल/पृथ्वीराज मेनारिया	7-10-94
2.	,, ललित कुमार/नानालाल दक	26-7-94
3.	,, सूर्य प्रकाश/सन्तोष लाल	26-7-94
4.	,, सुरेश कुमार/मदन लाल	29-10-94
5.	,, शिव सिंह/कालूजी	10-11-94
6.	,, लक्ष्मी लाल/धनराज	10-11-94
7.	,, पुष्कर लाल/वृद्धिचंद मेनारिया	10-11-94
8.	श्रीमती कमला/लक्ष्मीलाल	10-11-94
9.	श्री मोहन लाल/प्रभुलाल	23-6-94
10.	,, कैलाशचन्द/किशन लाल	8-11-94
11.	श्रीमती चन्द्रकला/देवी लाल	14-11-94
12.	श्री तुलसीराम/छगन लाल	27-10-94
13.	,, जुगल किशोर/किशन लाल	10-11-94
14.	,, देवी लाल/शोभा लाल	14-12-94
15.	,, सागर मल/भंवर लाल	1-11-94
16.	,, चेतन प्रकाश/कस्तूरचन्द	8-11-94
17.	,, सत्यनारायण/किशन लाल	14-11-94
18.	,, अम्बालाल/रामलाल	14-11-94
19.	,, सोहन लाल/उदयमल	11-11-94
20.	,, मांगी लाल/गुलाब जी	14-11-94
21.	,, झमक लाल/उदय लाल	8-11-94

1	2	3

तहसील उदयपुर ग्रामीण :—

1.	श्री शंकर लाल/कालू लाल	8-11-94
2.	,, चतर सिंह/जयसिंह	30-11-94
3.	बालु लाल/धर्मचन्द	14-11-94
4.	,, पुरुषोत्तम/जयशंकर	26-11-94
5.	,, रोडी लाल/हीरा लाल	29-11-94
6.	,, राजीव प्रकाश/मगनी राम	10-11-94

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), उदयपुर, (राजस्थान)

क्रमांक-एफ 32 (1) लाईसेंस/94/807 दिनांक 6-10-94

बैरल पोइन्ट स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र संबंधित

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 17 (24) खा. वि./विधि/90, दिनांक 1-7-94 के दिशानिर्देश अनुसार विभिन्न उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की प्राप्त सर्वे रिपोर्ट एवं बैरल पोईन्ट स्थापित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप तहसीलों के आगे अंकित स्थानों पर बैरल पोईन्ट स्थापित करने हेतु अनुज्ञा-पत्र लेने के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र के आवेदन में निम्न बिन्दु आवश्यक हैं :—

1. आवेदन-पत्र राजस्थान पैट्रोलियम अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण (आदेश, 1990 के फार्म "अ" में होकर सभी कालमों की पूर्ति होना चाहिये।

2. पट्रोलियम रूल्स 1976 के तहत डीजल संग्रह हेतु "जे" लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिये साथ ही प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट दो प्रतियों में नक्शा होना चाहिये ।

3. प्रार्थी एक शपथ पत्र (पांच रुपये के नोन ज्यूडिशियल) स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित शुदा प्रस्तुत करेंगे । प्रपत्र "ब"

4. तहसील के आगे जिस स्थान पर प्रार्थी बैरल पोइन्ट संग्रह कर व्यवसाय करना चाहता है उस स्थान के 10 कि. मी. की परिधि में कोई डीजल पम्प नहीं होना चाहिये ।

उपरोक्त आवेदन पत्र सम्बन्धित तहसीलों में दिनांक 20-10-94 तक प्रस्तुत करेंगे —

क्र. सं.	नाम उपखण्ड	नाम तहसील	बैरल पोईन्ट स्थान का नाम
1.	2	3	4
1.	गिर्वा	गिर्वा	1. कुराबड़ 2. बम्बोरा 3. जगत 4. ईसवाल
2.	गिर्वा	गोगुन्दा	1. जसवंतगढ 2. मजावद 3. सायरा 4. मानपुरा 5. पानेर 6. कमोल
3.	वल्लभनगर	वल्लभनगर	1. खेरोदा 2. कानोड़ 3. करणपुर 4. भ्रहिन्दा 5. बाना 6. रूडेण्डा 7. पाणुन्द 8. लूणदा 9. गुपड़ी 10 सिंहाड़
4.	,,	मावली	1. मावली (मु.) 2. खेमली 3. पलाना 4. दूढिया (कीर की चोकी) 5. घासा

1	2	3	4
5.	वल्लभ नगर	धरियावद	1. खुन्ता 2. मूंगाना 3. पारसी 4. गोठड़ा 5. लसाड़िया 6. केशा 7. बलीचा 8. कालीभींत 9. धगड
6.	सलुम्बर	सलुम्बर	1. उथरदा 2. खरका 3. मबराना 4. झल्लारा 5. ईन्टाली खेड़ा
7.	,,	सराड़ा	1. सराड़ा (मु.) 2. सेमारी 3. टोकर 4. चावण्ड 5. बडगांव 6. पलोदड़ा
8.	,,	खैरवाड़ा	1. बावलवाड़ा 2. कालावास 3. थाणा 4. डेरी 5. कनबई 6. पाटिया 7. कल्याणपुर 8. कोजावाड़ा 9. जवास
9.	झाड़ोल	झाड़ोल	1. फलासिया 2. मादड़ी 3. ओगण 4. डेया 5. अम्बासा
10.	,,	कोटड़ा	1. कोटड़ा 2. मामेर 3. मांडवा 4. देवला चौराया।

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर, (रसद)
उदयपुर

प्रतिलिपि :—

1. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ....

2. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक ....

3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति ....

के पास लिखा जावे क्षेत्र के तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं तहसील के प्रमुख स्थानों पर उक्त आदेश अथवा पेम्पलेट लगाया जाकर व्यापक प्रचार कर आवेदन पत्र दिनांक 20-10-94 तक प्राप्त कर उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को 31-10-94 तक प्राप्त कर उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को 31-10-94 तक भिजवावें, ताकि लाईसेंस स्वीकृति हेतु खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास भिजवाया जा सके।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर, (रसद)

उदयपुर

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 231 की प्रति

सेवा में,

श्रीमान् सहायक अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग सोजतसिटी जिला-पाली

विषय-ग्राम बोगासनी तहसील जैतारण जिला-पाली (राज.) की सरहद में ख. सं. 184 में पहिले से ही ग्रामवासी निवास करते हैं किन्तु इसी ख.सं. 184 में कोई किसी किसम की लीज की अनुमति नहीं दिलायी जावें।

श्री मान् जी,

ग्रामवासी बोगासनी तहसील जैतारण जिला-पाली (राज.) की जनता की ओर से निवेदन निम्न प्रकार से है—

1. यह है कि ग्राम बोगासनी ख. सं. 184 जिसमें ग्राम बोगासनी में ही पीढ़ियो से ग्राम बसा हुआ है। इसी ख. सं. 184 जिसमें ग्राम बोगासनी की जनता ने रहवासीय माकानात एवं मवेशीयान के बाड़े वगैराह बने हुए हैं। जो आबाद है ग्राम बोगासनी की आबादी करीबन 300 घरों की है और करीब 1000-1500 हजार पन्द्रह सौ मवेसीयान है। जो 60-70 घरों की आबादी ग्राम बोगासनी में है तथा 60-70 ही मवेशीयों के अलग-अलग बाड़े हैं इसी ख. सं. 184 से ग्राम रास्ता जो ग्राम निम्बोल से बोगासनी होते हुए मुरकासनी डामर सड़क से मिलता है और इसी ख. सं. 184 में ग्राम रास्ता ग्राम सिण्डला एवं खेतों में आने-जाने का आया हुआ है। इसी ख. सं. 184 में बिजली की बड़ी लाइन 1100 के. वी. भी आयी हुई है। इसी खसरा नम्बर 184 के पास में ग्राम बोगासनी की नाडी, तालाब आये हुए है। जहां हर समय मवेशीयान आती-जाती रहती है। और इसी ख. सं. 184 के चिपती गो चर भूमिआयी हुई है। तथा इसी ख. सं. 184 में तीन काश्त के कुए आये हुए है जहां पर रहवासीय मकानात बने हुए हैं और तीनो कुओं से चारत की पिलाई की जाती है।

2. यह है कि माइनिंग एक्ट के तहत 300 मीटर की दूरी तक बस्ती (गांव)

बसा हुआ है नहीं होना चाहिए किन्तु इसमें करीब 60-70 मीटर के ऐरिये में चारो तरफ बस्तीयां एवं गांव आया हुआ है इस प्रकार इस खसरा नम्बर 184 में कोई किसी किस्म की लीज की अनुमति नहीं दिलायी जावे वरना हमारे ग्रामवासी का रहना भी बड़ा खतरे में हो जायेगा।

3. यह है कि इस खसरा नम्बर 184 के क्षेत्र में लीज दी जायेगी तो बारूद से विस्फोट होंगे और विस्फोट से (खनन कार्यो के लिए) पत्थर बिखर कर ग्राम बोगासनी के घरों पर आ कर गिरेगें। तो हमारा ग्रामवासियों का जीवन खतरे में हो जायेगा। जन हानि भी हो जायेगी। और हमारे मवेशियों को भी खतरा हो जायेगा। उक्त लीज खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर विधि विरूद्ध रूप से दी जा रही है। जो यह कतई गैर कानूनी है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बोगासनी तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) ख. सं. 184 के क्षेत्र में कोई किसी भी सख्स को लीज आवंटित नहीं की जावे अगर लीज आवंटित कर भी दी हो तो शीघ्र ही निरस्त कर दी जायें। उक्त क्षेत्र में उच्चाधिकारी तथा प्रभावशाली लोग बेनामी रूप से किसी दूसरों के नाम से लीज लेने के तत्परी है।

प्रार्थीगण

ह.

ग्रामवासी ग्राम बोगासनी

तहसील-जैतारण

जिला-पाली

प्रतिलिपियों नीचे लिखे अनुसार—

1. श्री मान् तहसीलदार साहब, जैतारण।
2. श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी, जैतारण।

3. श्रीमान् जिला कलक्टर साहब, पाली।

4. श्रीमान् सहायक अभियन्ता खान एवं भू-विभाग, सोजत सीटी।

5. श्रीमान् राज्यपाल राजस्थान राज्य सिविल लाईन्स, जयपुर।

6. ,, निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।

मौका-रिपोर्ट

दिनांक 6-9-93 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, पाली एवं श्रीमान् स. स. प्र. सा. के साथ बोगासनी गांव के पास आवेदित क्षेत्र, खनिज लाईम स्टोन, श्री अशोक देवल के पक्ष में था का निरीक्षण किया। मौके पर हल्का पटवारी ने उक्त क्षेत्र खसरा नं. 184 एवं 172 में होना बताया। मौके पर उक्त आवेदित क्षेत्र में कोई आबादी नहीं पायी गयी तथा मौके पर बाड़े इत्यादि भी बने हुये नहीं पाये गये। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त क्षेत्र में पहाड़ियां तथा पर्वत एवं कृषि अयोग्य भूमि आती है। अतः उक्त रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र गोचर भूमि में नहीं आता है। आवेदित क्षेत्र में से मुख्य आबादी में लगभग आधा किलोमीटर दूर है। आवेदित क्षेत्र में से एक कच्चा रास्ता (पगडंडी) भी निकलती है। रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

ह.-

21-9-93

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची

कार्यालय पंचायत समिति माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)

पंचायत समिति क्षेत्र वर्ष 1994-1995 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए तालाब/एनीकट/नाड़ी की सूची

क्र. सं.	नाम तालाब/नाड़ी/एनीकट का नाम	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम
1	2	3	4
तालाब—			
1.	कोचरिया तालाब	कोचरिया	मैजा
2.	बैरा तालाब	बैरा	माद्‌
3.	गुलाब सागर तालाब	माद्‌	माद्‌
4.	मामा देव तालाब	भगवानपुरा	भगवानपुरा
5.	नीम का खेड़ा तालाब	नीमखेडा	धूवालां मांडल
6.	धूवांला मांडल (धर्म-तालाब)	धूवाला (मांडल)	धूवांला (मांडल)
7.	उम्मेदपुरा तालाब	उम्मेदपुरा	बावंड़ी
8.	लिरड़िया तालाब	लिरड़िया	बावंड़ी
9.	सूरजपुरा तालाब	सुरजपुरा	भीमड़ियास
10.	भिमड़ियास धर्म-तालाव	भिमड़ियास	,,
11.	छाजूओ का तालाब	छाजूओ का खेड़ा	कैरिया
12.	काशीराम जी की खेडी तालाब	काशीराम जी की खेडी	आलमास
13.	गोरधन सागर तालाब	हिसनियां	आलमास
14.	फतेहपुरा तालाब	फतेहपुरा	कबराड़िया

1	2		3
15.	सोड़ास तालाब	सोड़ास	कबराड़िया
16.	नाडी मादोलाई तालाब	घोड़ास	घोड़ास
17.	गांव के पास वाला तालाब	,,	,,
18.	ढेबरियां तालाब आव	जोरावरपुरा	जोरावरपुरा
19.	खाखरीया तालाब	सोमानिया	रामपुरिया
20.	कुरिया तालाब	आमदला	आमदला
21.	देवीपुरा तालाब	देवीपुरा	बेमाली
22.	टीका तलाई बागोर	बागोर	बागोर
23.	कापडिया तालाब	कापडिया	बागोर
24.	अमरगढ तालाब	अमरगढ़	पितास
25.	मनोहरपुरा तालाब	मनोहरपुरा	निम्बाहेड़ा
26.	निम्बाहेडा तालाब	निम्बाहेड़ा	,,
27.	बरावलो का खेड़ा तालाब	बरावलो का खेडा	गोरख्यां
28.	कापरिया तालाब	गोरख्यां	गोरख्यां
29.	मेनासा तालाब	करेडा	करेडा
30.	फारेला तालाब	दहीमंथा	दहीमंथा
31.	बिहारीसागर तालाब	,,	,,
32.	केसरपुरा तालाब	केसरपुरा	दहीमंथा
33.	नया तालाब बड्डू	बड्डू	आमदला
34.	मोपां तालाब की आव	बड्डू	आमदला
35.	बरला तालाब की आव	आमदला	,,
36.	गुन्दली खेडा तालाब	गुन्दली खेडा	ममाणा
37.	जगनाथ सागर तालाब सेणुन्दा	सेणुन्दा	,,
38.	ममांणा तालाब	ममोणा	,,
39.	अलगवास तालाब	अलगवास	,,

1	2	3	4
40.	गरवाय तालाब	चिताम्बा	चिताम्बा
41.	कनकसागर तालाब की ग्राव	,,	,,
42.	कागंसो का बाड़िया तालाब	,,	,,
43.	तगड़िया तालाब कासा जी का	तगड़िया	धुवाला
44.	तगड़िया तालाब स्कूल के पिछे	,,	,,
45,	ऊमरा तालाब	ज्ञानगढ़	ज्ञानगढ़
46.	सुलिया तालाब	सुलियां	,,
47.	सुलियां छोटा तालाब	सुलियां	ज्ञानगढ़
48.	माखलिया नाड़ी	टहुका	टहुका
49.	लक्ष्मीपुरा तालाब	शिवपुर	शिवपुर
50.	रोघा का तालाब	कोडीमाल	कोडीमाल
51.	चानसेन तालाब की ग्राव	चानसेन	,,
52.	कचोलिया तालाब	कचोलिया	,,
53.	लापसिया खेड़ा तालाब	मालास	लादूवांस
54.	जालमपुरा तालाब	जालमपुरा	दहीमंथा
55.	डांग का खेडा तालाब	डांग का खेडा	रामपुरिया
56.	मेलियास तालाब	मेलियास	बावड़ी
57.	प्रेमसागर तालाब ग्राव	दहिमंथा	दहिमंथा
58.	गोकलपुरा तालाब	गोकलपुरा	बावड़ी
एनीकट —			
59.	मादू एनीकट पुराना	मादू	मादू
60.	मादू एनीकट नया	मादू	मादू
61.	दांता एनीकट	दांता	लुहारिया
62.	लुहारिया एनीकट	लुहारिया	लुहारिया
63.	नीम का खेड़ा एनीकट	नीम का खेड़ा	धुवाला (माण्डल)

1	2	3	4
64.	घूवांला (मांडल) एनीकट	घुवांला	घुवांल (मांडल)
65.	दांता एनीकट	दांता	,,
66.	एससीएसटी एनीकट सिरड़ीया	सिरड़ीया	बावड़ी
67.	बावड़ी एनीकट	बावड़ी	,,
68.	राजपुरा एनीकट तालाब	राजपुरा	भीमड़ियास
69.	खालीयो नाली एनीकट	कैरिया	कैरियां
70.	जामून वाला एनीकट	,,	,,
71.	हिसनियां एनीकट	हिसनियां	आलमास
72.	हिसनियां एनीकट	हिसनियां	आलमास
73.	हिसनियां एनीकट	,,	,,
74.	एनीकट कवराड़िया	कबराड़िया	कबराड़िया
75.	हाथीपुरा एनीकट	हाथीपुरा	,,
76.	सोड़ास एनीकट	सोड़ास	,,
77.	गराड़िया एनीकट	गराड़िया	,,
78.	थांणा एनीकट	थांणा	थांणा
79.	हाथोलां एनीकट	,,	,,
80.	मांगल जी का एनीकट	शिवपुर	शिवपुर
81.	मालास एनीकट	मालास	लादुवास
82.	कायां का एनीकट	चिताम्बां	चिताम्बां
83.	चिताम्बां एनीकट (नागा कावाड़ियां)	,,	,,
84.	अलगवास एनीकट	अलगवास	भभगां

नाड़ियां—

85.	धोवणी नाड़ी	मांडल	मांडल
86.	कुटी नाड़ी	मेजा	मेजा

1	2	3	4
87.	धर्मनाड़ी	कालुखेड़ा	मेजा
88.	बैरातलाई	बैरा	मादू
89.	धर्मनाड़ी बेरा	बैरा	मादू
90.	मालडी खेडा धर्मनाड़ी	मालडी खेडा	,,
91.	रामगिया धर्मनाड़ी	लुहारिया	लुहारियां
92.	धर्मतलाई दांता	दांता	,,
93.	हरजीखेडा धर्मनाड़ी	हरजीखेडा (गम्भीरपुरा)	घूवांला (मांडल)
94.	अमरपुरा नाड़ी	अमरपुरा	,,
95.	धर्मनाड़ी सुरास	सुरास	सुरास
96.	धर्मनाड़ी, कैरियां	कैरियां	कैरियां
97.	चमारीया खेडा नाडी आव	चमारिया खेड़ा	जोरावरपुरा
98.	देवीपुरा नाडी	देवीपुरा	बैमाली
99.	धर्म तलाई पीथांस	पीथांस	पीथांस
100.	धर्मनाडी चिलेश्वर	चिलेश्वर	चिलेश्वर
101.	अमरपुरा नाडी	करेडा	करेडा
102.	काला जी की नाडी	,,	,,
103.	धर्मनाडी दहीमंथा	दहीमंथा	दहीमंथा
104.	धर्मनाडी खोखला	आमदला	आमदला
105.	धर्मनाडी भगवानपुरा	भगवानपुरा	भगवानपुरा

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, मांडल

जिला-भीलवाड़ा

परिशिष्ट – 4

तारांकित प्रश्न संख्या 234 की सूचियां

उदयपुर जिले में संचालित छात्रावासों की सूची

(1) उदयपुर (कन्या)
(2) उदयपुर
(3) सलूम्बर
(4) कोटडा (कन्या)
(5) चावण्डा (कन्या)
(6) खेरवाड़ा (कन्या)
(7) धरियावाद
(8) छाणी
(9) कोटडा
(10) फलासिया
(11) झाडोल
(12) भवराना
(13) मिंडर
(14) ओगना
(15) झाडीवली
(16) सरेरा
(17) खेरवाड़ा
(18) सायरा
(19) ऋषभदेव (कन्या)
(20) सलूम्बर (कन्या)
(21) बावलवाड़ा
(22) नालवा
(23) ओडा
(24) डम्या
(25) बारापाल
(26) पाटिया
(27) कल्याणपुर
(28) कुरावड
(29) परसाद
(30) पारसोला
(31) झाडोल-सराड
(32) मावली
(33) कालीभीत
(34) गोराना
(35) टोकर
(36) भेड
(37) गोगुन्दा
(38) जवासा
(39) जलारा
(40) नाई (कन्या)
(41) झाडोला (कन्या)
(42) सनवाडा

(43) मदार

(44) उदयपुर (कन्या)

(45) मेहरपुर (कन्या)

(46) उदयपुर

(47) उदयपुर (कन्या)

(48) बलभनगर

(49) उदयपुर

(50) उदयपुर

उदयपुर जिले में रिक्त छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम छात्रावास व स्थान	कब से रिक्त है
1	2	4
(1)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रा. मादड़ी	1-1-90
(2)	राजकीय जन जाति छात्रा. काड़ोल (क)	1-8-92
(3)	,, ,, भवराना	1-9-94
(4)	,, ,, भिण्डर	1-7-92
(5)	,, ,, बावलवाड़ा	6-6-92
(6)	,, ,, पोरापा	17-7-93
(7)	,, ,, कल्याणपुर	25-8-93
(8)	,, ,, टोकर	1-8-94
(9)	,, ,, पारसोला	1-2-89
(10)	,, ,, झेड़	4-11-93
(11)	,, ,, खेरवाड़ा	1-7-94
(12)	,, ,, सांयरा	1-7-94

1	2	3
(13)	राजकीय जन जाति छात्रा, कोटडा	1-1-95
(14)	हरिजन छात्रावास खेमपुरा, उदयपुर	15-12-94
(15)	राजकीय कन्या छात्रावास, खेरवाड़ा	16-3-93
(16)	,, ,, कोटड़ा	1-7-81
(17)	,, ,, चावण्ड	1-7-83
(18)	,, ,, उदयपुर	1-10-93
(19)	,, ,, मेरपुर	1-7-92
(20)	,, ,, नाई	27-1-94
(21)	,, ऋषभदेव	1-7-94
(22)	,, ,, सलूम्बर	1-7-94

परिशिष्ट-5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दूदू के प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालय

235. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के अधीन कितने प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं

(श्री बाबूलाल)

चिकित्सालय हैं ? वर्तमान में प्रत्येक में कितने अधिकारी व कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा वास्तव में कितने कार्यरत हैं ?

(2) उक्त चिकित्सालयों में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा सरकार इन्हें कब तक भर देगी ?

उत्तर

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक एक्सीडेन्ट यूनिट, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 उच्चीकृत उपकेन्द्र 5 एडपोस्ट तथा 40 उपकेन्द्र कार्यरत हैं । प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण संलग्न है ।

(2) उपरोक्त संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण प्रश्न के भाग की एक की सूची में अंकित है । चिकित्सा अधिकारी का एक पद चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर तथा नर्स श्रेणी-II के चार पद, लैब टेक्नीशियन के छः पद एवं प्रसाविका के तीन पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरना सम्भव हो सकेगा । वाहन चालक, वार्ड ब्याय/हरिजन के पद वेतन शृंखला 1 से 6 में है जिन पर नवीन नियुक्ति हेतु राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है । जिससे इन रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है । प्रतिबन्ध समाप्त होने पर ही रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

रेगिस्तानी क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

236. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये विश्वविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार की राज्य के पिछड़े व रेगिस्तानी क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि जन सहयोग से विद्यालय भवन उपलब्ध न कराने पर विश्वविद्यालय नहीं खोला जा सकता ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

वन भूमि का खनन कार्यों के लिए आवण्टन हेतु विचाराधीन आवेदना-पत्र

237. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन भूमियों को खनन कार्यों के लिए हस्तानान्तरित करने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों को तीन वर्ष में प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र फॉरेस्ट (कन्जरवेशन) एक्ट, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत भारत सरकार को अनुमति प्रदान करने के लिए अग्रेषित किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि सभी प्रार्थना-पत्र अब तक भारत सरकार को नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और शेष प्रार्थना-पत्र कब तक भारत सरकार को अनुमति प्रदान करने के लिए भेज दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थियों से उपरोक्त भूमि पर वन लगाने की कीमत के साथ-साथ भूमि की कीमत भी जमा कराने का इकरार करने को कहा गया है जबकि ऐसी भूमि पर प्रार्थी का स्वामित्व नहीं होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन भूमियों को खनन कार्यों के लिये अनारक्षित किये जाने हेतु विभाग के अधिकारियों को तीन वर्षों में "492" प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उनमें से "271" प्रार्थना पत्र फोरेस्ट-कन्जरवेशन एक्ट., 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित वन खण्ड अधिकारी को प्रेषित किये गये हैं। वन भूमि खनन कार्यों के लिए हस्तान्तरित करने का एक प्रकरण दिनांक 14-6-93 को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया है।

(2) जी हां। खनन कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचना पूर्ण होने पर वन विभाग द्वारा भारत सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु भेज दिये जायेंगे।

(3) जी नहीं। खननपट्टाधारियों से केवल वन-सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक राशि जमा कराने एवं वैकल्पिक वन लगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। परन्तु भूमि की कीमत जमा कराने का इकरार करने के कोई निर्देश नहीं दिये हैं।

छबड़ा व छीपा बड़ौद (बारां) में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलें

238. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

की छबड़ा व छीपा बड़ोद तहसीलों के 150 से अधिक ग्रामों में कृषकों की ओलावृष्टि से शतप्रतिशत फसलें नष्ट हो चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसीलों में ओलावृष्टि से जानवरों की मौतें हुई है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में किस-किस कृषक के कितने-कितने जानवर हादसे के शिकार हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ओलावृष्टि से प्रभावित सभी ग्रामों में राहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में क्या-क्या राहत कार्य शुरू किये गये एवं उक्त कार्यों पर किन-किन ग्रामों के कितने-कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों में कृषकों को सहायता राशि वितरित की गई है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में किस-किस कृषक को कितनी-कितनी सहायता राशि वितरित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सहायता राशि वितरित कर दी जायेगी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले की तहसील छबड़ा के 50 ग्राम एवं तहसील छीपा बड़ोद के 52 ग्रामों में ओलावृष्टि से कृषकों की फसलों को 10 से 90 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

(2) उक्त दोनों तहसीलों में ओलावृष्टि से जानवरों की मौत नहीं हुई है।

(3) विभिन्न विकास एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं के कार्य उक्त तहसीलों में चल रहे है जिनमें ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मजदूरी प्राप्त हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर इन योजनाओं के तहत और कार्य स्वीकृत किये जावेंगे। राहत कार्य शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों में कृषकों को सहायता राशि वितरित की जा रही है व ज्यादातर कृषकों को दे भी दी गई है परन्तु समस्त कृषकों को राशि वितरण कार्य पूर्ण होने पर कृषक वाइज सूचना प्रस्तुत की जा सकेगी।

जिला धौलपुर की आंगई नहर पर व्यय

239. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आंगई (धौलपुर) नहर के लिये वर्ष 1993-94 में कितनी राशि स्वीकृत हुई और इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की जांच की है ?

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

(2) क्या आंगई (धौलपुर) नहर के जरिये निर्धारित असिंचित कृषि क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है ? क्या यह भी सही है कि मुख्य नहर व शाखा नहर के जरिये बसई नवाब व मूरापुरा टेल पर पानी पहुंच सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 में पार्वती नहर (आंगई धौलपुर नहर) पर 25.49 लाख रुपये का आवंटन किया गया था, इसका उपयोग 3/94 तक कर लिया गया।

(2) जी हां। यह भी सही है कि टेल व बसई नवाब व मूरापुरा गांवों में पानी नहीं पहुंच सका। क्योंकि रख-रखाव मद में बजट के अभाव में नहरों की आवश्यक मरम्मत एवं डिसिल्टींग नहीं करवाई जा सकी।

गंगापुर (भीलवाड़ा) का छात्रावास भवन

240. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाडा): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर (भीलवाड़ा) में छात्रावास भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गईथी ? यदि हां, तो कितनी और कौन से वित्तीय वर्ष में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग निर्माण कार्य में हो गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या इस भवन निर्माण कार्य को छात्रहित में शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या कोशीथल (सहाड़ा) में कार्यरत छात्रावास हेतु भी भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गंगापुर छात्रावास भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 88-89 में 11.50 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गयी थी। स्वीकृति की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध 8.78 लाख रु. का उपयोग हुआ है। शेष राशि का उपयोग नहीं होने का मुख्य कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया जाना है।

(3) इस छात्रावास का निर्माण कार्य माह जून 1995 तक पूरा किया जाने का प्रयास किया जावेगा।

(4) कोशीथल (सहाड़ा) में भवन निर्माण का कार्य भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि.
नेहरू सहकार भवन भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ. 4(23)होस्टल/88-89/14777-78 दिनांक 25-11-88

1. जिलाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
भीलवाड़ा।

2. अतिरिक्त जिलाधीश (विकास)
एवं पदेन परियोजना निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
भीलवाड़ा।

विषय :—अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. जयपुर के निर्णयानुसार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 11.50 लाख रुपये की अंतरिम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	अन्तरिम प्रशासनिक स्वीकृति	अन्तरिम वित्तीय स्वीकृति	
				सामग्री पेटे	श्रम पेटे
1.	गंगापुर (जिला भीलवाड़ा)	25	11.50	8.05	3.45
		योग	11.50	8.05	3.45

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

1. उपरोक्त धनराशि राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. जयपुर द्वारा समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत दी गयी राशि की बचत से व्यय की जावेगी।

2. किसी परियोजना में से प्राप्त राशि पुनर्विनियोजित की जावेगी, इस सम्बन्ध में निगम स्तर से अलग से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

3. कार्य का निष्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होगा अर्थात सारा कार्य विभागीय स्तर से निष्पादित किया जावेगा ना कि ठेकेदारों के माध्यम से।

4. सामान्यतया उपरोक्त निर्माण कार्य का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जावेगा, परन्तु अगर जिलाधीश चाहें तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/नगर विकास न्यास/राज. आवासन मण्डल अन्य कोई भी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को भी (जिनके पास तकनीकी सुविधायें उपलब्ध हों) इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

5. छात्रावास भवन निर्माण की तकनीकी स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विकास के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी और इस तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही अंतिम (फाइनल) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निगम द्वारा जारी की जावेगी।

6. कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपने स्तर से समय-समय पर राशि हस्तान्तरित करेगा।

7. कार्य के उपयोग से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र की निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर तथा माप पुस्तिका में तकनीकी रिपोर्ट स्वीकृत होने पर सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति विकास

सह. निगम लि. जयपुर को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

भवदीय,

ह./-

(श्याम एस. अग्रवाल)
प्रबन्धक निदेशक

क्रमांक एफ. 4/23/होस्टल/88-89/14779-40 दिनांक 25-11-88

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव समाज कल्याण विभाग जयपुर।
2. उप शासन सचिव एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा।
6. परियोजना प्रबन्धक (अनुसूचित जाति विकास अनुभाग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा।
7. सहायक निदेशक, समाज कल्याण/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग भीलवाड़ा।
8. संबंधित प्रबन्धक, अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. जयपुर।
9. लेखाकार भुगतान/केशियर
10. रक्षित पत्रावली।

ह./-
महाप्रबन्धक

एम. सी. एच. पाठ्यक्रम का रजिस्ट्रेशन

241. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में कितनी ऐसी यूनिट्स हैं जो-राजस्थान यूनिवर्सिटी के आर्डिनेन्स 278-सी (4) के अनुरूप नहीं हैं ?

(2) क्या यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसी यूनिट्स में एम. सी. एच. पाठ्यक्रम के लिये प्रत्याशियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के सभी विभाग राजस्थान यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस 278 सी (4) के अनुरूप शैक्षणिक इकाईयों के रूप में कार्यरत है, जिनके अन्तर्गत बेहतर उपचार सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार क्लिनिकल इकाईयां सृजित की गई है।

(2) जी हां, चूंकि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज की सभी शैक्षणिक इकाईयां अर्थात शैक्षणिक विभाग यूनिवर्सिटी आर्डिनेन्स के अनुरूप है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम खीवाड़ा—गजनीपुरा गुडा ठाकुरजी (देसूरी) मार्गों पर अतिक्रमण

242. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी के ग्राम गजनीपुरा से खीवाड़ा डामर सड़क बनी हुई है जो देसूरी तहसील को जोड़ती है ?

(2) क्या यह भी सही है खीवाड़ा गजनीपुरा व गुडा ठाकुरजी ग्रामों की डामर सड़क के किनारों पर अतिक्रमण कर लिया गया है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, समस्त अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

सीकर गोली काण्ड आन्दोलनकारियों के मुकदमे

243. श्री अमराराम (घोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या 22 अप्रेल, 1987 को सीकर गोली काण्ड एवं उसके बाद न्यायिक जांच की मांग पर चलाए गए आन्दोलन के दौरान सरकार द्वारा बनाए गए मुकदमों को वर्तमान सरकार वापिस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

सीकर गोली काण्ड व न्यायिक जांच की मांग के दौरान आन्दोलन के मुकदमों को वापस लेने का कोई प्रार्थना पत्र वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अकाल राहत मजदूरों हेतु चिकित्सा व्यवस्था

244. श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में अकाल राहत के तहत होने वाले कार्यों पर लगे मजदूरों, मजदूर-महिलाओं तथा उनके बच्चों की (मजदूरी करने वाले स्थानों पर) चिकित्सा सुविधा हेतु कोई अलग से व्यवस्था की हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। राज्य में अकाल राहत कार्यों के तहत होने वाले कार्यों पर लगे मजदूरों तथा उनके बच्चों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश है।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के बांध

245. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई के कौन-कौनसे बांध स्थित हैं तथा उनकी भराव क्षमता क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994 में इन बांधों में कितना-कितना पानी आया तथा कम पानी आया तो इसका कारण क्या रहा ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है वर्ष 1994 में औसतन से कम वर्षा होने के कारण, इन बांधों में आवक, क्षमता से कम रही।

भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील में स्थित बांधों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	बांध का एफ. टी. एल. गेज (फीट में)	बांध का गेज अधिकतम वर्ष 1994 (फीट में)
1.	बांसरोली	5'-0'	3.20
2.	मटावली	7'-0'	5.50
3.	हुसना	4'-0'	4.50
4.	आजऊ	6'-0'	7.00
5.	धनवाड़ा	6'-0'	3.30
6.	पाऊआ	6'-0'	5.50
7.	गुदावली	6'-0'	3.50
8.	हैल्फ रूथ	6'-0'	5.80
9.	सेह बन्धली	4.75'	4.30
10.	कुम्हेर टैंक	4.50'	4.50
11.	सेह बन्ध	9'.00	6.00
12.	भांडोर	9'.00	3.90
13.	बोरई	9'.00	6.00

वर्ष 1994-95 में स्वीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

246. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में कितने छात्रावास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है ? स्वीकृत छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त स्वीकृत छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश दिया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक छात्रावास के कितने-कितने छात्र रहते हैं ?

(3) उक्त छात्रावासों में प्रति छात्र कितना माहवार बजट दिया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार छात्रों को अतिरिक्त एवं पर्याप्त बजट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 30 छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी गयी है। स्वीकृत छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। दो छात्रावासों को छोड़कर शेष छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश दिया गया है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सूचना परिशिष्ट "ख" के अनुसार संलग्न है।

(3) उक्त छात्रावासों में प्रति छात्र 250/-रुपये प्रतिमाह भोजन, वस्त्र, नाश्ता, तेल, साबुन, जूते, मोजे, तौलिया, बाल कटिंग, बिजली, पानी, समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि के लिए दिया जाता है।

(4) छात्रों के लिए भोजन वस्त्र आदि सुविधाओं हेतु प्रतिछात्र रु. 350/- प्रतिमाह बढ़ाये जाने की घोषणा वर्ष 1995-96 के बजट में कर दी गयी है।

वर्ष 94-95 में खोले गये छात्रावासों की सूची :—

क. सं. 1	नाम जिला 2	स्थान 3	योजना 4	स्वीकृत छात्र संख्या 5
1.	उदयपुर	1. खैरवाड़ा	अनुसूचित जनजाति	25
		2. सायरा	,, ,,	25
		3. ऋषभदेव (कन्या)	,, ,,	25
		4, सलुम्बर (कन्या)	,, ,,	25
2.	बांरा	1. बडोरा	अनुसूचित जाति	25
		2. हरनावदा शांहजी	,, ,,	25
		3. शाहबाद (कन्या)	,, ,,	25
3.	भीलवाड़ा	1. बनेड़ा	,, ,,	25
		2. बिजोरिया	,, ,,	25
4.	अलवर	1. बानसूर	,, ,,	25
5.	बांसवाड़ा	1. बागीदोरा	अनुसूचित जनजाति	25

1	2	3	4	5
6.	सवाईमाधोपुर	1. चौथका बरवाड़ा	अनु. जाति	25
7.	राजसमन्द	1. भीम	अनु. जाति	25
		2. कुरज	"	25
8.	अजमेर	1. पीसांगन	अनु. जाति	25
		2. साकर	"	25
9.	जयपुर	1. गागरडू	"	25
10.	दौसा	1. बलाव गांव	"	25
		2. महुवा	अनु जनजाति	25
11.	सीकर	1. पीपराली	अनु. जाति	25
12.	धोलपुर	1. मामियां	"	25
13.	चित्तोडगढ़	1. बड़ी सादड़ी	अनु. जनजाति	25
14.	पाली	1. बंसी	अनु. जाति	25

1	2	3	4	5
15.	कोटा	1. कमोलर	अनु. जाति	25
16.	गंगानगर	1. भादरा	,,	25
		2. झड़ावाली	,,	25
17.	चूरू	1. राजलदेसर	,,	25
18.	झालावाड़	1. डग (कन्या)	,,	25
		2. सुमेल	अनु. जनजाति	25
19.	झुन्झुनूं	1. पीलानी	अनु. जाति	25

वर्ष 94--95 में खोले गये छात्रावासों की सूची :—

क्र. सं.	नाम. ज़िला	स्थान	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र संख्या
2	2	3	4	5	6
1.	उदयपुर	1. खैरवाड़ा	अनु. जनजाति.	25	25
		2. सायरा	,,	25	18
		3. ऋषभदेव (कन्या)	,,	25	25
		4. सलुम्बर ,,	,,	25	10
2.	बांरा	1. बडोरा	अनु. जाति	25	13
		2. हरनावदाशांहजी	,,	25	25
		3. शांहबाद (कन्या)	,,	25	25
3.	भीलवाड़ा	1. बनेड़ा	अनु. जाति	25	19
		2. बिजोलिया	,,	25	25
4.	अलवर	1. बानसूर	अनु. जाति	25	12
5.	बांसवाड़ा	1. बागीदोरा	अनु. जनजाति	25	25

252

1	2	3	4	5	6
6.	सवाईमाधोपुर	1. चौथ का बरवाड़ा	अनु. जाति	25	25
7.	राजसमन्द	1. भीम	अनु. जाति	25	25
		2. कुरज	"	25	21
8.	अजमेर	1. पीसागन	"	25	24
		2. सावर	"	25	25
9.	जयपुर	1. गागरडू	"	25	11
10.	दौसा	1. तलाब गांव	"	22	25
		2. महुवा	अनु. जनजाति	25	25
11.	सीकर	1. पीपराली	अनु. जाति	25	23
12.	धौलपुर	1. मामियां	"	25	10
13.	चित्तौडगढ़	1. बड़ीसादड़ी	अनु. जनजाति	25	17
14.	पाली	1. बंसी	अनु. जाति	25	18

1	2	3	4	5	6
15.	कोटा	1. कमोलर	अनु. जाति	25	25
16.	गंगानगर	1. मादरा	,,	25	25
		2. झड़ावाली	,,	25	बन्द
17.	चुरू	1. राजलदेसर	,,	25	11
18.	झालावाड़	1. डग (कन्या)	अनु. जाति	25	बन्द
		2. सुमेल	अनु. जनजाति	25	14
19.	झुन्झुनूं	1. पीलानी	अनु. जाति	25	10

ग्राम चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) में प्राथमिक चिकित्सालय

247. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ में (लगभग 10 हजार की जनसंख्या) सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़गढ़ नगर का एक वार्ड है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चन्देरिया क्षेत्र में ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी है तथा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ 150 रोगी शय्यायुक्त है।

इसके अतिरिक्त गंगरार पंचायत समिति का एक ग्राम पुठोली 1-2 कि. मी. दूरी पर स्थित है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनू) की सड़कों की मरम्मत

248. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र की मणकसास-बागोली-सराय सड़क (2) बागोली से पापड़ा-झड़ाया सड़क की हालत अत्यन्त खराब है?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले 5-7 वर्षों में इन सड़कों की मरम्मत पर कोई खर्चा नहीं किया गया? यदि हां, तो कब-कब, कितनी राशि खर्च की गई?

(3) इन सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र की ये दोनों ही सड़कें ग्रामीण श्रेणी की हैं।

(I) मणकसास-बागोली-सराय सड़क के बागोली से सराय के 4 कि. मी. तक में पेच निकलवाकर मरम्मत कर दी गई है परन्तु मणकसास-बागोली के 5 कि. मी. की सड़क विशेष मरम्मत से ही ठीक हो सकती है। जिसे वर्ष 1995-96 में विशेष मरम्मत करवाकर ठीक किया जाना प्रस्तावित है।

(II) बागोली-पापड़ा-झड़ाया सड़क पर साधारण मरम्मत के अन्तर्गत 10.5

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कि.मी. में से 8.5 कि.मी. में का पेच कार्य करवा दिया गया है। शेष 2 कि. मी. में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त दोनों सड़कों की मरम्मत पर पिछले 7 वर्षों में रुपये 7.62 लाख की राशि व्यय की गई। खर्च का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(3) मणकसास-बागोली-सराय सड़क के क्षतिग्रस्त भाग "मणकसास-से बागोली" की मरम्मत हेतु प्रस्ताव सड़कों की विशेष मरम्मत कार्यक्रम एवं बागोली-पापड़ा-झड़ाया सड़क का बचा हुआ मरम्मत का कार्य वर्ष 95-96 में प्रस्तावित है।

1. मणकसास-बागोली सराय सड़क तथा (2) बागोली-पापड़ा-पचलंगी-झराया सड़क पर पिछले 7 वर्षों में किये गये व्यय का विवरण।

(राशि लाखों में)

वर्ष	मणकसास-बागोली-सराय सड़क	बागोली-पापड़ा-पचलंगी-झराया सड़क	
1	2	3	
1988-89	—	0.08	वार्षिक मरम्मत मद 3054
1989-90	0.09	—	"
1990-91	0.01	0.10	"
1991-92	0.27	0.16	"

1		2	3
1992-93	0.18	0.49	,,
1993-94	0.03	0.91	,,
1994-95	—	3.45	पेच रिपेयर
(2/95 तक)		0.69	(साधारण मरम्मत)
		0.16	बाढ से क्षति की मरम्मत
			मद 2245
			मद 3054
योग :—	0.58	7.04	

कुल योग रु. 7.62 लाख

जयपुर के पंजीकृत क्लब

249. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में कितने क्लब पंजीकृत हैं ? प्रत्येक क्लब के विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन क्लबों में "ताश" का जुआ खेलने की अनुमति नियमों के तहत दी हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार "ताश" के पत्तों से जुआ को रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) इन क्लबों का गत वर्ष कब-कब आकस्मिक निरीक्षण सरकार द्वारा किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इन क्लबों में कोई अनैतिक कार्य न हो क्या इसके लिए सरकार द्वारा निगरानी की कोई व्यवस्था को गई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में कुल 46 क्लब पंजीकृत हैं।

(2) जी नहीं, उक्त में ताश जुआ खेलने की जानकारी अभी तक प्रकाश में नहीं आई है।

(3) इन सभी क्लबों का संबंधित वृत्ताधिकारी व थानाधिकारी द्वारा गश्त के दौरान आकस्मिक निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। ऐसी चैकिंग एवं निरीक्षण का कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार संबंधित वृत्ताधिकारी एव थानाधिकारी गश्त व पेट्रोलिंग के दौरान निरीक्षण एवं निगरानी करते रहते हैं।

नेवटा एवं रामचन्द्रपुरा (जयपुर) के बांधों का निर्माण

250. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नेवटा एवं रामचन्द्रपुरा (जयपुर) के बांधों के लिए सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो इन बांधों का कार्य अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया एवं अब इनका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

नेवटा बांध का कार्य पूरा करवाया जा चुका है। रामचन्द्रपुरा बांध पर कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

वृद्धावस्था पेन्शन योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

251. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वृद्धावस्था पेन्शन योजना कब से लागू की गई तथा अब प्रति व्यक्ति कितनी राशि दी जाती है ? महिलाओं के लिए इस पेन्शन में क्या-क्या रियायतें दी गई हैं ?

(2) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में वृद्धावस्था पेन्शन राशि में कोई वृद्धि की है ?

(3) क्या सरकार इस पेंन्शन राशि को आवश्यकतानुसार उपयुक्त मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वृद्धावस्था पेन्शन राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वृद्धावस्था पेन्शन योजना दिनांक 15-5-1974 से प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में प्रति व्यक्ति 100/-रुपये प्रतिमाह एवं 150/-रुपये प्रति दम्पति को पेन्शन दी जाती है। पुरुष हो तो 58 वर्ष व महिला को 55 वर्ष की आयु के उपरान्त वृद्धावस्था पेन्शन देय है।

(2) पूर्व पेन्शन राशि प्रतिमाह 60/- रुपये व दम्पति को 100/-रुपये देय थी। दिनांक 21/12/89 से इस राशि को बढ़ाकर 100/-रुपये एकल एवं दम्पति को 150/- रु. प्रतिमाह दिया जा रहा है।

(3) राज्य सरकार की सीमित आर्थिक संसाधनों के अन्तर्गत पेंशन दरों में बढ़ोतरी करना विचाराधीन है।

सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर की आइसोटोप प्रयोगशाला

252 श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में प्रदेश की एक मात्र आइसोटोप प्रयोगशाला अव्यवस्थित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रयोगशाला में रुपये एक करोड़ से अधिक की लागत के उपकरण लगे हुए हैं जिनमें अत्याधुनिक माइक्रोडेल्टा कम्प्यूटर भी शामिल हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रयोगशाला की समस्त गतिविधियां "आइसोटोप" नामक पदार्थ की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिसकी प्राप्ति का एक मात्र स्रोत बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र है ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि विकिरण चिकित्सा विज्ञान

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

में डिप्लोमा धारक विशेषज्ञ की नियुक्ति इस प्रयोगशाला में नहीं होने की स्थिति में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र आइसोटोप उपलब्ध करवाना बन्द कर देगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि विकिरण भौतिक विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होने के कारण कोबाल्ट थैरेपी के लिए आवश्यक कोबाल्ट सोर्स उपलब्ध करवाने में उक्त केन्द्र ने असमर्थता प्रकट कर दी थी, जिसके कारण बीकानेर एवं जयपुर स्थित विकिरण चिकित्सा इकाई लम्बे समय तक बन्द पड़ी रही थी ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों में से विकिरण चिकित्सा विज्ञान में विशेषज्ञ वर्तमान परमाणविक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त एक भी नहीं है ? यदि हां तो उनके सेवानिवृत्ति के बाद उक्त प्रयोगशाला संचालन की व्यवस्था के सबंध में सरकार क्या विचार रखती है ?

(7) क्या सरकार आने वाली समस्या के पूर्व समाधान हेतु इस विषय में डिप्लोमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को डिप्लोमा करने की अनुमति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, मेडिसिन विभाग से सम्बद्ध प्रदेश की एक मात्र आइसोटोप प्रयोगशाला सवाई मानसिंह कालेज, जयपुर में अवस्थित है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां, परन्तु यह भी एक तथ्य है कि रेडिएशन मेडिसीन में अनुभवी एवं प्रशिक्षित चिकित्सकों अथवा तकनीशियनों की उपलब्धता की स्थिति में भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र द्वारा आइसोटोप उपलब्ध करा दिया जाता है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, यह सत्य है कि वर्तमान में न्यूक्लियर मेडिसिन चिकित्सा इकाई की प्रभारी डा. (कुमारी) दिनेश माथुर, जो कि जनरल मेडिसीन विभाग में प्रोफेसर है, के अतिरिक्त मेडिकल कालेज, जयपुर में, कार्यरत कोई शिक्षक रेडिएशन मेडिसीन में डिप्लोमाधारी या प्रशिक्षित नहीं है। इनकी सेवानिवृति के पूर्व मेडिसिन अथवा रेडियो थैरेपी विभाग के किसी इच्छुक सहायक प्रोफेसर को डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसीन के प्रशिक्षण हेतु भेजने का राज्य सरकार का विचार है।

(7) जी हां, राज्य सरकार रेडियेशन मेडिसीन में डिप्लोमा करने के इच्छुक मेडिसीन अथवा रेडियो-थैरेपी विशिष्ठता के सहायक प्रोफेसर को अनुमति प्रदान करने हेतु पूर्णरूपेण सहमत है तथा इस इस हेतु प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर से प्रस्ताव अपेक्षित है।

जिला बून्दी में महिला महाविद्यालय

253. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में लड़कियों के लिए—अलग से महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार की वर्ष 1995-96 में बून्दी में लड़कियों के लिए अलग से महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस महाविद्यालय के लिए भूमि का आवंटन अभी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भूमि कब तक उपलब्ध करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया है कि जिन जिला मुख्यालय पर जहां राजकीय महाविद्यालय में 300 से ज्यादा छात्राएं हों, वहां छात्राओं के लिए अलग से महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है, प्रकरण विचाराधीन हैं ।

(2) महाविद्यालय खोले जाने पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

भू-माफिया गिरोह पीड़ितों को मुआवजा

254. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में भू-माफिया गिरोह है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कौन-कौन ? जनवरी 1994 से अब तक किन-किन भू-माफियाओं के विरूद्ध कहां-कहां पर मुकदमें दायर किये गये ?

(2) क्या सरकार ने भू-माफियाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/संस्थाओं को कोई मुआवजा दिया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति / संस्था को क्या-क्या सहायता/ मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो अब-कब तक मुआवजा दे दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान में भू-माफिया गिरोह जयपुर व सवाई माधोपुर में सक्रिय हैं । भू-माफिया गिरोहों का विवरण एवं उनके विरूद्ध दायर किये गये मुकदमों की सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । भू माफिया द्वारा पीड़ित व्यक्तियों / संस्थाओं को वित्तीय

(गृह मंत्री)

पीड़ित व्यक्तियों/संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता/मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सिंचाई हेतु तालाब निर्माण

255. **श्री कुबेरसिंह (फलासिया)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई हेतु तालाब बनाने के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने विधान सभा क्षेत्र फलासिया एवं गोगुन्दा में भूमि की सतह के ऊपर तथा पानी की सतह के नीचे होने के कारण नियमों के आधार पर सिंचाई हेतु तालाबों का निर्माण नहीं कराया?

(3) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु पानी उपलब्ध कराने बाबत तालाबों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए मार्ग निर्देश परिशिष्ट--"अ" पर, लघु सिंचाई परियोजना के लिए परिशिष्ट--"ब" व वित्तीय मानदण्ड परिशिष्ट--"स" पर संलग्न है। तथा संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट--"द" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र में तालाबों का निर्माण कराया गया है।

(3) जी नहीं। अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में योजना की तकनीकी उपयुक्तता हेतु पहले से ही लाभ लागत अनुपात 1 : 1 है जबकि अन्य क्षेत्रों में 1.5 : 1 है।

(विवरण तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की गणना

256. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या की कोई गणना करवायी है? यदि हां, तो ऐसे वर्गों के लोगों की संख्या का प्रतिशत प्रदेश की आबादी में कितना प्रतिशत है?

(2) यदि प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या की गणना अब तक नहीं करवाई गई है तो सरकार अब यह गणना कब करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आगामी जनगणना 2001 में होगी जिसके अन्तर्गत राज्यों एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि द्वारा विचार विमर्श कर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में डा.सी.एम. पाटनी का मृत्यु प्रकरण

257. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रसिद्ध चुम्बक चिकित्सक डा. सी. एम. पाटनी की सवाई मानसिंह अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से दिनांक 16 मार्च, 1994 को मृत्यु हो गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि मंत्रीजी ने पूर्व में विधान सभा में दोषी डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही नही किये जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जांच के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही की पुष्टी नहीं हुई।

(2) जी हां। प्रकरण की जांच विभाग के उप शासन सचिव से करवाई गयी। जहां तक डा. सी. एम. पाटनी के ईलाज में संबंधित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने का प्रश्न है, जांच के आधार पर इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रजोपा--ढीपरी रोड (कोटा) की सम्पर्क सड़क

258. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने रजोपा से ढीपरी सड़क, जिला कोटा को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का कार्य कब स्वीकृत किया था ?

(2) इसका निर्माण कार्य किन कारणों से रुका हुआ है तथा सरकार अब कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य चालू कर पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में रजोपा से ढीपरी सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य निम्नांकित तिथियों में स्वीकृत किया गया था :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

	मद	स्वीकृत राशि एवं दिनांक
(अ) कि. मी. 0/0 से 4/0	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	27 लाख एफ2 (14) पी. डब्ल्यू. ए.एम./84 दिनांक 14-6-84
(ब) कि. मी. 4/0 से 7/500	,, ,,	23 लाख एफ2 (41) पी. डब्ल्यू. /ए.एस./93 दिनांक 29-5-93
(स) कि. मी. 07/500 से 9/500		16.50 लाख कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के आदेश संख्या 15231-36 दिनांक 19-3-94
(द) कि. मी. 9/500 से 18/0	विश्व बैंक सहायता	87.10 लाख एफ6 (5) ए. डी. पी. /एकाउन्टस/ पेज-II/93-94/285-309 दिनांक 16-3-94

(2) (अ) कि. मी. 0/0 से 4/0 का कार्य डामर सड़क बना कर पूर्ण हो चुका है।

(ब) कि. मी. 4/0 से 7/500 तक कार्य रुका हुआ नहीं है, प्रगति पर है। ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण पूर्ण नहीं हुआ है, अब यह कार्य 31-12-95 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(स) कि. मी. 7/500 से 9/500 तक का कार्य राज. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृति जारी कर करवाया जा रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इसकी कार्य समाप्ति तिथि 10-10-95 है। मिट्टी का कार्य पूर्ण करवा दिया गाय है।

(द) कि. मी. 9/500 से 18/0 तक कार्य विश्व बैंक की सहायता से 21-1-95 में आवंटित हुआ और इस विभाग द्वारा 22-2-95 को शुरू करवाया गया है एवं कार्य समाप्ति तिथि फरवरी, 1997 है। अब तक 7.5 कि.मी. मिट्टी का कार्य करवा दिया गया है।

कोटा संभाग में शस्त्र अनुज्ञा-पत्र

259. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 2 वर्षों में प्रदेश में नये हथियार प्राप्त करने हेतु कितने लाईसेन्स जारि किये गये हैं ? जिलेवार संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में नये लाईसेन्स जारी करना बन्द कर रखा है ? यदि नहीं, तो फिर किसी लाईसेन्सधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के नाम से लाईसेन्स जारी क्यों नहीं किये जाते हैं ? इस संभाग में इस प्रकार के कितने प्रार्थना-पत्र विचारणीय हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में अवैध हथियार का भण्डार है तथा समय-समय पर पुलिस को धरपकड में अवैध हथियार बरामद हुए है ? यदि हा, तो गत वर्ष से आज तक कितने अवैध हथियार बरामद किये गये हैं ?

उत्तर

(1) गत 2 वर्षों में 3673 लाईसेंन्स जारी किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

कोटा संभाग में लासेन्सधारियों की मृत्यु पर उनके वारिसान के कुल 196 आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं। शस्त्र लाईसेंन्स जारी करने से पूर्व आवेदन के चरित्र तथा शस्त्र की आवश्यकता के बाबत जांच करवाई जाती है। इस जांच की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(3) 1-1-94 से 15-3-95 तक कोटा संभाग में पुलिस द्वारा 242 अवैध हथियार बरामद किये गये हैं।

ASSEMBLY QUESTION NO. 51/HM/H BY SHRI BHARAT SINGA REGARDING NO. OF LICENCE ISSUED IN LAST TWO YEARS

1	2	3
1.	Ajmer	92
2.	Alwar	22
3.	Bikaner	151
4.	Barmer	48
5.	Banswara	49
6.	Bharatpur	49
7.	Bhilwara	149
8.	Bundi	343
9.	Chittorgarh	19
10.	Churu	143
11.	Dungarpur	53
12.	Ganganagar	232
13.	Jaipur	408
14.	Jaisalmer	38
15.	Jalore	8
16.	Jhunjhunu	95
17.	Jodhpur	286
18.	Jhalawar	185
19.	Kota	76
20.	Nagaur	24
21.	Pali	25
22.	Sikar	268
23.	Sawai Madhopur	60
24.	Sirohi	49

1	2	3
25.	Tonk	333
26.	Udaipur	93
27.	Baran	173
28.	Raj Samand	26
29.	Dausa	31
30.	Dholpur	77
31.	Hanumangarh	69
	Total	3673

मारगिया बांध (डूंगरपुर) से सिंचाई हेतु जल वितरण

260. श्री नाथूराम अहारी (चौरासी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मारगिया बांध (डूंगरपुर) की राइट कैनाल से कितने गांवों के काश्तकारों को कितने-कितने बीघा भूमि में पानी दिया जाता है ? विवरण मय ग्राम व काश्तकार के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस कैनाल के पानी का सिपेज होता है ? यदि हां, तो बिलिया-बड़गामा के कितने काश्तकारों की भूमि सिपेज से बरबाद हुई है ? विवरण काश्तकार व ग्राम के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बिलिया, बड़गामा आदि गांवों की सिपेज से जमीनें व गेहूं की फसल बरबाद हुई है ? यदि हां, तो ग्राम व काश्तकार वाइज पानी से बरबाद हुई जमीन का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथूराम अहारी)

(4) क्या यह भी सही है कि अपर घोड़ी बांध की राइट कैनाल देवलखास तक बनी हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 1994 तक इस नहर से कितने बीघा जमीन की पिलाई हुई, ब्योरा मय काश्तकार सदन की मेज पर रखें।

(5) यदि नहीं, तो पानी नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) मारगिया बांध की राइट कैनाल से 11 गांव के 379 काश्तकारों को 1538 बीघा 18 बीस्वा भूमि में वर्ष 1993-94 में पानी दिया गया सिंचित क्षेत्र का ग्राम वार विवरण मय विवरण परिशिष्ट--"अ" पर संलग्न है। काश्तकार वाइज सिंचित क्षेत्र की सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त की जा रही है, प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जावेगी।

(2) जी हां। इस कैनाल के कुछ हिस्से में सिपेज होता है। सिपेज से बिलिया-बड़गामा गांवों की प्रभावित भूमि का विवरण परिशिष्ट--"ब" पर संलग्न है।

(3) सूचना राजस्व विभाग से एकत्र की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(4) जी हां। वर्ष 1990 से 94 तक इस नहर से औसतन 159.50 बीघा प्रति वर्ष सिंचाई की गई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट--"स" पर संलग्न है।

(5) प्रश्न (4) के उत्तर के परिपेक्ष में इस प्रश्न की कोई सूचना अपेक्षित नहीं है।

मारगिया तालाब के सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों की ग्रामवाइज रकबा सूची
(वर्ष 1993-94 के अनुसार)

क्र. सं.	गांव का नाम	सिंचित रकबा बीघा	सिंचित रकबा बिस्वा
1	2	3	4
1.	मारगिया	9	16

1	2	3	4
2.	ओजरी	58	5
3.	आंतरी	77	15
4.	पारडा मोरू	40	19
5.	पारडा गोकलिया	21	18
6.	डोजा	15	5
7.	राजगढ़ी	68	10
8.	विलिया	125	2
9.	बडगामा	237	2
10.	वरदा	145	3
11.	बरबोदनिया	739	3
		1538	18

परिशिष्ट "ब"

मारबिवा बांध की दाईं नहर से सिपेज पानी से प्रभावित काश्तकारों की सूची

गांव बिलिया, बडगामा

सिंचाई खण्ड डूंगरपुर (राज.)

क्र. स.	काश्तकार का नाम	गांव	रकबा	
			बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	कचरा, घुला पिता मेगाजी	बिलिया	3	13
2.	कडूव, देवा पिता लखमाजी	"	3	14
3.	घुला पिता कल्याणजी	"	3	9
4.	खतरा पिता नगजी	"	2	7
5.	ईश्वरलाल पिता खूमाजी	"	7	8
6.	गोपाल पिता भेमाजी	"	4	19
7.	डूंगर, वजी पिता मेगाजी	"	2	19

1	2	3	4	5
8.	ताजू पिता कारीलाल	बिलिया	5	00
9.	दला वगैर पिता गोराजी	"	1	18
10.	देवजी वगेर पिता लखमाजी	"	4	16
11.	देवजी पिता धनजी	"	6	8
12.	धना पिता गोमनाजी	"	4	16
13.	धुला पिता रतनाजी	"	1	18
14.	शंकरलाल पिता नाथजी	"	2	2
15.	नानजी पिता थानाजी	"	0	17
16.	नाना पिता कचराजी	"	8	1
17.	नाथू पिता मानजी	"	12	8
18.	पूजा पिता लखमाजी	"	3	4
19.	माणजी पिता लालू	"	1	0

1	2	3	4	5
20.	भीमजी पिता माणाजी	"	2	7
21.	भूरजी पिता हामजी	"	2	16
22.	मणीलाल पिता लक्ष्मणजी	"	4	12
23.	मणीलाल वगैर पिता लक्ष्मणजी	"	1	14
24.	परता, सोमा पिता हरियाजी	"	3	7
25.	मोतीया पिता कचराजी	"	3	10
26.	रामा पिता होमजी	"	7	16
27.	भेमजी पिता नगजी	"	2	0
28.	लक्ष्मण पिता लाल	"	1	19
29.	विरजी पिता थानाजी	"	0	15
30.	किरजी वगैरा पिता माणाजी	"	1	5
31.	संकर पिता खेमजी	"	0	13

1	2	3	4	5
32.	हुकरा पिता दलाजी	बिलिया	4	2
33.	हवजी, हॉजीया पिता करमाजी	,,	2	0
34.	शंकर पिता भेमजी	बडगामा	2	0
35.	माणजी पिता मंगलाजी	,,	1	17
36.	मूरी पिता सोमाजी	,,	1	4
37.	नाथी पिता हुकराजी	,,	1	3
38.	केवला पिता माणाजा	,,	1	8
39.	वालजी पिता पूंजाजो	,,	0	16
40.	वासुदेव पिता गोतमजी	,,	1	8
41.	बदिया पिता सवजी	,,	2	10
42,	हुकरा पिता पूंजाजो	,,	2	7
43.	बदा पिता प्रेमजा	,,	1	3

1	2	3	4	5
44.	कुरीया पिता धनाजी	बडगामा	1	2
45.	धना, धुलिया पिता कमजी	"	4	5
46.	काना पिता मेगाजी	"	0	17
47.	कचरा पिता मानाजी	"	1	13
48.	खुमण, नाना पिता हाँजोया	"	2	14
49.	हकरा पिता हांजीयाजी	"	2	17
50.	हुरमा, पूंजा पिता मोमाजी	"	0	12
51.	कालीया पिता गलाजी	"	0	17
52.	शंकर वगैर पिता खेमजी	"	0	14
53.	हकरा पिता हुरजी	"	3	13
54.	धना, धुलजी पिता वालजी	"	0	13
55.	धुला पिता हकरा	"	2	2

1	2	3	4	5
56.	घमीत पिता हांजीया	बडगामा	1	14
57.	डूंगर पिता घनाजी	,,	0	19
58.	घना धुलजी पिता वालजी	,,	0	15
59.	पेमजी पिता कोदराजी	,,	0	17
		कुल रकबा	161	6

हस्ताक्षर
अधिशाषी अभियन्ता
सिचाई खण्ड डूंगरपुर

परिशिष्ट--"स"

अपरघोडी तालाब की दांई नहर से वर्ष 1990 से 1994 तक की गई सिंचाई मय काश्तकारों की सूची—

क्र.सं.	नाम काश्तकार	वर्ष 90--91		91--92		92--93		93--94	
		बीघा	बिस्वा	बिघा	बि.	बी.	बि.	बी.	बि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अलखी पत्नि नाथा पटेल	3	11	3	15	3	17	3	12
2.	रामजी/रतना	3	16	3	16	3	16	3	16
3.	देवा/अमरा	3	11	4	1	4	1	3	11
4.	मोगा वगैरा पटेल	1	6	2	3	2	11	1	6
5.	कचरा धुला पटेल	1	1	1	1	1	19	1	1
6.	वेला/पेमजी	3	0	3	1	6	8	3	0
7.	गला/हीरा	1	7	1	17	1	12	1	7
8.	आनजी/भाणा	2	9	2	9	2	9	2	9
9.	कचरा/धुला	2	11	2	11	2	11	2	11
10.	हीरा/मोगा	0	15	0	15	0	15	0	18

276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	बदा/वाला	5	1	4	16	4	15	5	1
12.	पुरुषोतम/काशीराम	5	13	5	13	5	13	5	13
13.	भगवान/मोमा	0	15	0	15	0	15	0	18
14.	प्रलखो/घुला	2	6	2	5	2	6	2	6
15.	भगवान, मोगा, देवा वगैरा	1	6	1	6	1	6	1	6
16.	भीमा/सुखा	5	16	5	16	5	16	5	16
17.	मोतम वगैरा दोला	0	16	0	16	0	16	0	16
18.	गला/हुक्सी	2	16	2	16	2	16	2	16
19.	खातरा/पेमा	2	11	3	11	3	11	3	11
20.	नाथा/बदा	0	13	0	13	0	13	0	13
21.	प्रभाशंकर/वगैरा	3	0	3	0	3	0	3	0
22.	कचरा/गोवनजी	4	16	4	4	4	6	4	6
23.	धना/लवजी	2	11	2	11	2	11	2	11
24.	कचरा, रामजी/व खेमा	4	12	3	11	4	12	4	12

277

278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	भगवान/गोवजी	1	15	1	15	1	15	1	15
26.	पेमजी/वाला	3	11	3	16	3	16	3	11
27.	गोवजी/बालजी	2	8	2	8	2	8	2	8
28.	लालजी/नाथा	2	8	2	3	1	8	2	8
29.	कचरा/वेला	3	5	3	5	3	5	3	5
30.	होमजी/दला	0	11	0	6	0	6	1	5
31.	प्रभादेवी/हरिश	2	1	2	2	2	2	2	2
32.	घना/धूला	1	18	1	18	1	18	1	18
33.	नाथा/बदा	1	5	1	5	1	5	1	5
34.	हुका/लाला	0	5	0	5	0	5	0	5
35.	नवलराम/सँगा	1	0	1	4	1	4	1	4
36.	फूलशंकर/अर्जुन	1	11	1	4	1	11	1	11
37.	फूला/धीरा	0	8	0	15	0	8	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	पूंजा/हुवजी	0	3	2	18	2	3	2	3
39.	नानका/काउवा	2	17	—	—	—	—	2	17
40.	वदा/वरमा लालू	2	0	1	0	2	0	2	0
41.	जीवा/रामा	4	3	—	—	4	3	4	3
42.	नाथूलाल; केशवलाल/हाकरचंद	2	11	4	2	4	11	2	11
43.	सोमा/भेरा	1	12	—	0	1	7	1	7
44.	तेजा, मंगला पिता ताजू	1	4	—	—	1	4	1	4
45.	बदा/नाथा	1	17	—	—	1	17	1	17
46.	शंकर पिता तेजो	14	6	10	15	21	6	18	6
47.	बदा/हकरी	4	19	—	0	0	0	4	19
48.	शंकर, पूंजा, हकरा	4	16	3	1	4	16	4	16
49.	हुका/थाना	2	7	2	17	2	7	2	7
50.	दोलिया/कपजी	1	10	1	10	1	10	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	लेम्बा/रामजी	1	10	2	7	1	10	1	10
52.	कचरा/ककुभ्रा	1	19	1	14	1	14	1	19
53.	नानीया/वाला	1	19	1	19	1	19	1	19
54.	लालू कोमूला वगैरा	0	15	—	—	—	—	0	15
55.	बदा/हीमा	0	8	0	—	—	8	0	8
56.	गोतम/सूखा	0	10	—	—	0	15	0	10
57.	कानजी/हीमा	0	16	—	—	0	16	0	16
58.	ककुभ्रा/नानीया	0	10	—	—	—	—	-0	13
59.	रामा/केवला	1	0	1	0	—	—	1	0
60.	नानका/काउवा	1	4	1	3	2	17	1	4
61.	लेम्बा/नानजी	1	3	—	—	—	—	1	3
62.	सेंगा/हकरा	1	3	—	—	—	—	1	3
63.	मंगला/हीरा	0	7	—	—	0	5	0	7
64.	जीवा/हीरा	0	6	—	10	—	—	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	सवा/धनजी	1	15	2	4	0	18	1	10
66.	अमरा/कमजी	1	7	—	—	0	10	1	2
67.	लखमा/खेमजी	2	7	1	5	1	01	7	7
68.	मोगजी/गुलाबजी	—	—	9	18	10	12	10	12
69.	रूपजी/हुक्सी	—	—	2	13	2	15	2	15
70.	कोदरा/मोगा	—	—	1	6	1	6	1	6
	योग	151	10	141	15	176	15	178	6

औसतन 90-91 से 93-94 तक 159.50 बीघा

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 344 का विवरण

निम्न योजनाओं में फुलेरा तहसील में निम्न कार्य निर्माणाधीन है।

"अ" विश्व बैंक की सहायता से कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से निम्न कार्य निर्माणाधीन हैं :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विवरण (आबादी 1971)
1	2	3	4	5
1.	जोबनेर रेनवाल। सड़क से डूंगरी कलां	2.00	9.0	डूंगरी कलां की आबादी 1456
2.	बदाल सड़क से बासडी	5.5	35.0	बासडी खुर्द की आबादी 1093
5.	जोबनेर रेनवाल दातारामगढ़ से रणजीतपुरा	2.0	12.0	रणजीतपुरा की आबादी 1238
4.	बदाल सड़क से डूंगरी खुर्द	2.0	12.0	डूंगरी खुर्द की आबादी 1177
5.	कालवाड सड़क से डूंगरी	6.0	36.0	डूंगरी की आबादी 1122

1	2	3	4	5
6.	बदाल सड़क से लूनियावास	5.0	30.0	लूनियावास की आबादी 1229
7.	सांभर कुचामन सड़क से त्यौंदा	4.0	22.0	त्यौंदा की आबादी 1276
8.	सम्पर्क सड़क खण्डेल	4.0	22.0	खण्डेल की आबादी 1328
9.	बोबास सड़क से कालख	5.0	30.0	कालख की आबादी 1230
10.	जोबनेर फुलेरा सड़क से जैतपुरा	4.0	19.50	जैतपुरा की आबादी 1045
11.	हरसोली करणसर से मूंडियागढ	2.50	15.9	मूंडियागढ की आबादी 1068
	"ब" जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत पंचायत समिति द्वारा निर्माणाधीन कार्य			
1.	लालपुरा हिंगोनिया सड़क से सुदरियावास	2.0	3.0	सुदरियावास की आबादी 433
2.	भदवा सड़क से मुंडोती	1.50	2.05	मुंडोती की आबादी 442
3.	चौमू सड़क से डूंगरी खुर्द	0.75	1.125	डूंगरी खुर्द की आब,नी 1177
4.	चौमू सड़क से डूंगरीकलां	0.75	1.125	डूंगरी कलां की आबादी 1456

1	2	3	4	5
5.	सुदरियावास से गुडामान	2.0	3.0	गुडामान की आबादी 636
6.	बदाल से तुरकियावास	2.0	3.0	तुरकियावास की आबादी 117
7.	भोजपुरा से मुरलीपुरा	2.50	3.75	मुरलीपुरा की आबादी 762
8.	रेनवाल से सांवत का वास	2.0	3.0	सांवतकावास की आबादी 360
9.	खेडी मिलख से रामजीपुरा	2.75	4.45	रामजीपुरा की आबादी 888

वर्तमान में जारी सड़क नीति के अनुसार जिला कलक्टर, जयपुर को अधिशाषी अभियन्ता खण्ड दक्षिण जयपुर के पत्रांक 10599 दिनांक 22-3-1995 द्वारा जिला ग्रामीण विकास योजनाओं में स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रस्तावित कार्यों की सूची :—

क.सं.	ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या 1971 के आधार पर	प्रस्तावित सड़क का नाम	कुल लंबाई कि. मी.	मेटल सड़क तक निर्माण की अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6
		1971 की जनसंख्या पुस्तिका में अंकित नहीं है।			
1.	अनन्तपुरा	1000 (1981)	पहुंच सड़क अनन्तपुरा (मंडा)	2	6 लाख
2.	जयसिंहपुरा	356	खेडी से जयसिंहपुरा	3	12 लाख
3.	जोरपुरा जोबनेर	591	जोबनेर सिनोदिया सड़क से जोरपुरा (जोबनेर)	2	6 लाख

1	2	3	4	5	6
4.	कोरडियों का बास	399	मैसावा से कोरडियों का बास	2	6 लाख
5.	नादरी	497	सांभर रेनवाल सड़क से नाहरी	2	6 लाख
6.	रलावता	825	चौमू रेनवाल सड़क से रलावता	3	9 लाख

परिशिष्ट - 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 348 का विवरण

क.सं.	नाम खातेदार	ग्राम निवासी	खसरा नं.	अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल	मुआवजा राशि	मुआवजा भुगतान की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम	रोजवाडी						
1.	रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण पि. शंकरलाल कोम-ब्राह्मण	रोजवारी पातलवास	6/1	17 बिस्वा	9560.00	भुगतान प्राप्त किया दि. 24-5-85	
2.	मूल्या, गग्या, कल्याण पिता-मोरीलाल मीणा	बाबडी का बास	6/2	13 बिस्वा	4530.00	भुगतान प्राप्त नहीं किया तथा उच्च न्यायालय में वाद 38/94 अभी लम्बित है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सूज्या पुत्र रामनारायण मीणा	बावड़ी का बास	7	5 बिस्वा	1560.00	भुगतान प्राप्त नहीं किया। उच्च न्यायालय में वाद 38/94 अभी लम्बित हैं।	
ग्राम—बावड़ी का बास							
1.	बद्रीनारायण पुत्र नानच्या मीणा	बावड़ी का बास	42	2 बिस्वा	2785.00	भुगतान प्राप्त किया दि. 10-5-85	
2.	महादेव पुत्र पांचू मीणा	बावड़ी का बास	45	2 बिस्वा	1135.00	भुगतान प्राप्त नहीं किया। उच्च न्यायालय में वाद संख्या 38/94 अभी तक लम्बित है।	

नोट :—कुल पांच खातेदारो में से उपरोक्त दो ने भुगतान प्राप्त कर लिया था तथा शेष तीन ने भुगतान प्राप्त करने से मना कर दिया था।

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 349 की सूचना

जिला —उदयपुर

क्र. सं.	स्थान जहां डाक बंगला (विभागीय विश्रान्तिगृह) बने हुए	स्थान उपखण्ड/तहसील मुख्यालय/अन्य	वर्तमान में आवास सुविधा	मद जिसमें रख-रखाव का खर्चा किया जाता है।
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	जिला मुख्यालय	17 कमरे	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें
2.	सलुम्बर	उपखंड मुख्यालय	2 कमरे	3054—सड़क एवं पुल
3.	झाडोल	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
4.	वल्लभनगर	—एजन—	4 कमरे	—एजन—
5.	चावण्ड	तहसील सराडा मुख्यालय के पास	2 कमरे	—एजन—
6.	धरियावद	तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय	2 कमरे	—एजन —
7.	खैरवाड़ा	--एजन—	2 कमरे	—एजन

1	2	3	4	5
8.	गोगुन्दा	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
9.	कोटड़ा	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
10.	मावली	—एजन—	3 कमरे	—एजन—
11.	भीण्डर	पंचायत समिति मुख्यालय	5 कमरे	—एजन—
12.	सेमारी	पंचायत मुख्यालय	2 कमरे	—एजन—
13.	सायरा	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
14.	सोम	—एजन—	1 कमरे	—एजन—
15.	पानरवा	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
16.	बावलवाड़ा	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
17.	परसाद	—एजन—	2 कमरे	—एजन—
18.	बारापाल	—एजन—	2 कमरे	—एजन—

परिशिष्ट--9

अतारांकित प्रश्न संख्या 351 की सूची

क्र.सं.	कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़क का नाम	मार्च-95 तक व्यय राशि 94-95	किये गये मरम्मत का कार्य का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
3054 साधारण मरम्मत				
1.	मिलकुआ कुशलगढ़ सड़क किमी. 30	4.44	समस्त 30 किमी. का मरम्मत कार्य पूर्ण	
2.	कुशलगढ़ उदयगढ़ (थान्दला) किमी. 15 राज्य सीमा तक	1.12	कुल 15 किमी. लम्बाई में 8 से किमी में मरम्मत का कार्य पूर्ण।	
3.	कलिंजरा कुशलगढ़ सड़क 24 किमी.	3.45	पूर्ण सड़क का मरम्मत कार्य किया गया मात्र इस सड़क से मंगलेश्वर व अन्देश्वर लिंक रोड की मरम्मत शेष।	

1	2	3	4	5
4.	गामदा कोटडा कुशलगढ़ सड़क किमी. 19	1.88	अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण मात्र यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया गया है। सड़क की मरम्मत कार्य शेष है।	
5.	छोटा डूंगरा कसारवाड़ी किमी. 14	5·64	14 किमी. में से 9 किमी. का मरम्मत कार्य पूर्ण है एवं शेष किमी. की विशेष मरम्मत कार्य प्रस्तावित।	
6.	सज्जनगढ़ ताम्बेसरा किमी. 6	0.13	पेच रिपेयर का कार्य शेष है मात्र मेटेरियल इकठ्ठा किया गया है।	
3054-विशेष मरम्मत/नवीनीकरण				
1.	गामदा कोटडा कुशलगढ़ किमी. 26,27,28	1.29	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
2.	भीलकुआ कुशलगढ़ सड़क किमी. 63, 64, 65	5.72	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
3.	कलिजरा कुशलगढ़ सड़क किमी. 46, 47	4.10	कार्य पूर्ण हो चुका है।	

1	2	3	4	4
4.	डूंगरा सातसैरा कमारवाड़ी किमी. 9, 10, 11	2.22	इस किमी. में मेटल का कार्य पूर्ण हो चुका है मात्र डामर का कार्य शेष है।	
5.	कुशलगढ़ गामदा कोटडा सड़क किमी. 37	0.61	कार्य हेतु मटेरियल कलेक्शन किया गया है।	
6.	पुलिया मरम्मत कार्य कुशलगढ़ उदयगढ़ किमी. 14	0.48	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
7.	मोलकुआ कुशलगढ किमी. 45, 48 50, 51, 59, 60, 62, 63	9.62	इन किमी. में विशेष मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है।	
		40.10		

प्रश्न संख्या 3 में दर्शाई गई सड़कों की विस्तृत सूचना :—

1. कुशलगढ़ कलिजरा अन्देश्वर

कुशलगढ़ से कलिजरा सड़क की कुल लम्बाई 26 किमी. है जिसका मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। लेकिन इस सड़क से मंगलेश्वर (3 किमी.) एवं अन्देश्वर (1 किमी. लिंक रोड) का मरम्मत कार्य शेष है इन लिंक सड़कों को यातायात योग्य मरम्मत करा दी गई है।

2. कुशलगढ़ गामदा सड़क

इस सड़क की कुल लम्बाई 19 किमी. है इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण यह सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मरम्मत कार्य संभव नहीं हो सका है जबकि मात्र यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु कुछ मरम्मत कार्य कराया गया है।

3. कुशलगढ़ थानदला सड़क

कुशलगढ़ उदयगढ़ (थान्दला) राज्य सीमा तक सड़क की कुल लम्बाई 15 किमी. है जिसमें से 8 किमी. तक पेच रिपेयर कार्य पूर्ण कराया गया है शेष किमी. में राज्य सरकार के वित्तिय संसाधनों की कमी के कारण मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया है। यातायात योग्य मरम्मत करा दी गई है।

4. भिलकुआ से डूंगरा सड़क

भिलकुआ से डूंगरा तक सड़क की कुल लम्बाई 15 किमी. है जिसका मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

5. ताम्बेसरा सज्जनगढ़ सड़क

इस सड़क की कुल लम्बाई 6 किमी. है जिसका मरम्मत कार्य शेष है मात्र मटेरियल कलेक्शन का कार्य किया गया है। यातायात योग्य मरम्मत करा दी गई है.

6. डूंगरा से लंकाई सड़क वाया जालिमपुरा

डूंगरा से लंका तक कुल लम्बाई 18 कि. मी. है जो मात्र ग्रेवल सड़क है। अतः मरम्मत कार्य की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में यह सड़क यातायात एवं आवागमन की दृष्टि से ठीक है।

7. कलारवाड़ी से हिम्मतगढ़ सड़क

कुल 2 कि. मी. लम्बी सड़क पर मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शेष है। यातायात योग्य मरम्मत करा दी गई है।

परिशिष्ट--10

अतारांकित प्रश्न संख्या 352 का विवरण

"ए. ए." श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची

क्र. सं.	नाम	वर्ष 1994-95 में कुल राशि की निविदाएं जो स्वीकृत हुई है (रुपये लाखों में)
1.	मैसर्स भारती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बांसवाड़ा	52.18
2.	मैसर्स वागड़ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बांसवाड़ा	95.31
3.	मैसर्स चण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा	—

परिशिष्ट–"2"

'ए' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची

क्र. सं.	नाम	वर्ष 1994-95 में कुल राशि की निविदाएं जो स्वीकृत हुई है (लाखों रुपये में)
1.	मैसर्स ममता कन्स्ट्रक्शन कं.	42.97
2.	मैसर्स विश्वकर्मा कन्स्ट्रक्शन कं.	40.14
3.	मैसर्स मेहुता एसोसिएटस्	70.10
4.	पेंट्रो कन्स्ट्रक्शन कं.	38.76
5.	मैसर्स जैन कन्स्ट्रक्शन कं.	147.76
6.	मैसर्स सिंग एण्ड एसोसिएटस्	95.46
7.	मैसर्स कृष्ण कुमार गुप्ता	—
8.	मैसर्स यादव एण्ड एसोसिएटस्	5.42

परिशिष्ट--"3"

"बी" श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची

क्र. सं.	नाम	वर्ष 1994-95 में कुल राशि की निविदाएं जो स्वीकृत हुए हैं (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	श्री नाथू सिंह पिता सज्जन सिंह,	21.13
2.	श्री आर. एस. शक्तावत कन्स्ट्रक्शन, उदयपुर	20.32
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार कन्हैया लाल, बांसवाड़ा	10.70
4.	श्री जयन्ती लाल छगन लाल	4.58
5.	श्री दिलीप कुमार देवी लाल जैन	8.64
6.	श्री के. बी. सुलपाराणा	1.89
7.	श्री विजय कुमार जैन	3.45
8.	श्री राजेश कुमार	0.11
9.	श्री चन्द्र	6.11
10.	श्री रवीन्द्र कुमार, बांसवाड़ा	10.64
11.	श्री आर. के. सिंह, नरवाली	2.22
12.	श्री नरेन्द्र कुमार भगत	0.49
13.	श्री अशोक कन्स्ट्रक्शन	—
14.	श्री चौधरी कन्स्ट्रक्शन, डूंगरपुर	—
15.	श्री कोठारी इन्टरप्राईजेज, बांसवाड़ा	0.96

1	2	3
16.	श्री सुमति विलास, सागवाड़ा	13.50
17.	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, बांसवाड़ा	1.18
18.	श्री चेतना कन्स्ट्रक्शन ,,	—
19.	श्री मनोज कुमार जैन, बांसवाड़ा	—
20.	श्री अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन	—
21.	श्री कैलाश कन्स्ट्रक्शन	18.82
22.	श्री जैन कन्स्ट्रक्शन	34.42
23.	श्री क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन	9.40
24.	श्री अनिल प्रकाश माथुर	—
25.	श्री नरेश कोठारी, घाटोल	—
26.	श्री डांगी कन्स्ट्रक्शन, बांसवाड़ा	—
27.	श्री मै. नकुल कन्स्ट्रक्शन, गढ़ी	20.21
28.	श्री दोहरा जी इन्जिनियरिंग, अहमदाबाद	17.98
29.	श्री रामचरण शर्मा	—
30.	मै. शर्मा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	0.79

परिशिष्ट-"4"

"सो" श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची

क्र. सं.	नाम	वर्ष 1994-95 में कुल राशि की निविदाएं जो स्वीकृत हुई है (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	मैसर्स प्रदीप ब्रदर्स बांसवाड़ा	5.26
2.	श्री एस. सी. अग्रवाल कांट्रेक्टर्स, बांसवाड़ा	0.34
3.	श्री रवीन्द्र कुमार त्रिवेदी, तलवाड़ा	14 75
4.	श्री रफी एहमद पुत्र श्री सादिक हुसैन, पकलोदा	8.63
5.	श्री अजीतकुमार कौशिक, कांट्रेक्टर, बांसवाड़ा	2.51
6.	श्री नारायणलाल कान्ट्रेक्टर, बांसवाड़ा	—
7.	मैसर्स ज्योती कन्स्ट्रक्शन, कम्पनी घाटोल	3.99
8.	श्री कैलाश अग्रवाल	1.63
9.	श्री नरेन्द्रकुमार जोशी, मीलूडा	3.57
10.	श्री राजेशकुमार कान्ट्रेक्टर, बांसवाडा	1.65
11.	श्री मैसर्स माईन कंस्ट्रेक्शन, घाटोल	2.66
12.	श्री हेमन्त श्रीमाली, बांसवाडा	—
13.	मैसर्स खन्ना एण्ड कम्पनी, बांसवाडा	—
14.	श्री अजीतकुमार मिश्रा, कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बांसवाड़ा	—
15.	मैसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन	36.57
16.	श्री सत्तार खान, कान्ट्रेक्टर्स, खोडन	2.09

(300)

1	2	3
17.	मैसर्स शक्तावत कन्स्ट्रक्शन, बांसवाडा	....
18.	श्री कान्तिलाल सुथार, कन्स्ट्रक्शन, बांसवाडा	....
19.	श्री रवीन्द्र सोलंकी कांटेक्टर बांसवाडा	....
20.	श्री रमेशकुमार घोगणा कंस्ट. बांसवाडा	....
21.	श्री राजेन्द्रकुमार आचार्य, तलवाडा	....
22.	श्री सत्येन्द्र गुप्ता कन्स. बांसवाडा	1.05
23.	मैसर्स प्रमीत इन्टरप्राईजेज, बांसवाडा	....
24.	मैसर्स सांवलिया इन्टरप्राईजेज, उदयपुर	....
25.	श्री मनोज वर्मा कन्स. बांसवाडा	....
26.	श्री शैलेन्द्र सुथार कन्स. उदयपुर	....
27.	श्री सतीश टांक कांक्ट. उदयपुर	....
28.	श्री विवेक शर्मा, कन्स. उदयपुर	....
29.	श्री महीपाल जैन कन्स. बांसवाडा	....
30.	मैसर्स प्रवीण कान्स. प्रोपराईटर श्री पवनकुमार, उदयपुर	....
31.	मैसर्स भावना कन्स. कम्पनी, बांसवाडा	....
32.	मैसर्स हैप्पी कन्स, उदयपुर	....
33.	श्री मोहम्मद रफी कन्स, घाटोल	1.19
34.	श्री आर. के. शर्मा कांक्ट., बांसवाडा	....
35.	श्री ओंकारेश्वर पंवार कन्स., बांसवाडा	....
36.	श्री ओमपालसिंह कांक्ट. बांसवाड़ा	....
37.	श्री जितेन्द्रकुमार जैन, कन्स. खोरा	....
38.	श्री महेशचन्द्र टांक कन्स. बांसवाडा	....
39.	श्री जितेन्द्रसिंह चौहान, दलजी का गड़ा	3.93

1	2	3
40.	श्री दिनेशकुमार कलाल, कांक्ट. बांसवाडा	....
41.	श्री दशरथसिंह कांक्ट. सोजपुर (उदयपुर)	....
42.	मैसर्स जयमवानी कन्स. देवदउ (घाटोल)	2.85
43.	श्री हंसानन्द दौलतानी कन्स. बांसवाडा	22.68
44.	श्री गामोट कन्स. कम्पनी	....
45,	श्री सोनू कन्स. कम्पनी	....
46.	श्री हरीश पण्डया	14.78
47.	श्री राजेन्द्रसिंह	9.00
48.	श्री रोयल कन्स. कम्पनी	3.65
49.	श्री ललित जोशी	9.46
50.	श्री कुनाल सोनी	1.27
51.	श्री प्रवीण कन्स्ट्रक्शन	10.87
52.	श्री दीपक शर्मा	1.07
53.	श्री मेहता इन्टरप्राईजेज	0.81
54.	श्री खुमानलाल पुत्र श्री रामलाल	....
55.	मैसर्स सोडो कन्स. बांसवाडा	38.40
56.	श्री महेन्द्रसिंह	1.03
57.	श्री दशरथ साहनी	12.19
58.	श्री किशोरीलाल पाटीदार	4.00
59.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	5.45
60.	श्री फकीर मोहम्मद	15.48
61.	श्री मैसर्स सुवाला कन्स्ट्रक्शन, सुवाला	37.26
62.	श्री वालेग पिता तार्जेग	2.17

1	2	3
63.	जी. थोमस, बांसवाड़ा	4.13
64.	श्री मुकेशकुमार त्रिवेदी	—
65.	श्री हेमेन्द्रकुमार जैन	0.73
66.	श्री लक्ष्मण खन्ना एण्ड कम्पनी	6.23
67.	मैसर्स आदित्यकुमार एण्ड कम्पनी	....
68.	श्री कान्तिलाल सुथार	....
69.	श्री सुनिलकुमार ब्रजवाशी	....
70.	श्री हन्सा नन्द दौलतानी	....
71.	श्री प्रमीतकुमार अरोड़ा	—
72.	श्री राजेन्द्रकुमार मुदगील	....
73.	मैसर्स कठोरी कन्स्ट्रक्शन	....
74.	श्री रमेशचन्द्र वाधवा	....
75.	श्री सुरेशचन्द्र गोयल	....
76.	श्री नवनीत पटेल	....
77.	श्री विरेन्द्रकुमार आर्या	....
78.	श्री मुरलीदास वैष्णव	....

परिशिष्ट-"5"

"डी" श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची

क्र. सं.	नाम	वर्ष 1994-95 में कुल राशि की निविदाएं जो स्वीकृत हुई हैं (रु. लाखों में)
1	2	3
1.	श्री के. के. वेलथन	0 40
2.	हुलिया	0.16
3.	श्री अनिल कुमार	0.23
4.	श्री अजय इन्टरप्राईजेज	0.59
5.	श्री कन्हैया लाल	0.70
6.	श्री दिलीप सिंह	1.49
7.	श्री सुरेश कुमार गोयल	0.36
8.	श्री राजेश कुमार गुप्ता	0.46
9.	श्री विरेन्द्र आर्य	0.37
10.	श्री कन्हैया लाल बोरी	0.43
11.	श्री पवन कुमार	0.29
12.	श्री अदम खां पठान	0.95
13.	श्री अशोक घीघरा	—
14.	श्री विजय कुमार पाठक	—
15.	श्री मोती सिंह	—
16.	श्री पूजा कन्स्ट्रक्शन	—
17.	श्री मांगी लाल ठेकेदार	1.38
18.	श्री ईश्वर पूरी	1.17
19.	श्री दुले सिंह राय	0.19
20.	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	17.43

1	2	4
21.	श्री वृद्ध सिंह दादुका	1.52
22.	श्री शैल सिंह दादुका	2.51
23.	श्री अमित जयसिंह	4.27
24.	श्री ललित कन्स्ट्रक्शन	2.37
25.	श्री कचरू लाल	—
26.	श्री हरिश चन्द्र माथुर	—
27.	श्री दौलत सिंह	1.92
28.	श्री कैलाश चन्द्र मीणा	0.66
29.	श्री रामलाल गहलोत	—
30.	श्री बहोरी सिंह	—
31.	श्री सुरेश चन्द्र ..	—
32.	श्री राजेन्द्र सिंह कल्याण सिंह	
33.	श्री हर लाल शर्मा शिवराम	0.59
34.	श्री गजेन्द्र सिंह	1.65

परिशिष्ट--11

अतारांकित प्रश्न संख्या 350 का विवरण

छीपा बड़ौदाव छबड़ा तहसीलों में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	अनुमानित लागत (लाख रुपयें)	सी. सी. ए. (हैक्टेयर में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	फातिया	छबड़ा	91.67	343	तखमीने की जांच की जा रही है।
2.	दरी	,,	43.00	95	डूब में सिंचित क्षेत्र आने के कारण वैकल्पिक उपयुक्त स्थल हेतु जांच की जा रही है।
3.	उतावली	छीपा बड़ौदा	200.07	709	तखमीने की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
4.	तुमरा	छीपा बड़ौदा	62.00	316	तखमीने की जांच की जा रही है ।
5.	सेतुकोल	,,	65.99	126	वन भूमि डूब में आने से वन विभाग की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 357 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1994 में क्षतिग्रस्त तालाबों की सूची

1. नाहरगढ़ बांध
2. जोगलिया बांध
3. कालदेह
4. उमरचा
5. श्री पुरा

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 362 का विवरण

क्र. सं. 1	नाम नाका/चैक पोस्ट 2	नाका/चैक पोस्ट प्रारम्भ करने की दिनांक 3
1.	बिलाड़ा मोड़ (सोजत सिटी)	9-10-92
2.	अटपड़ा (अटपड़ा गांव)	9-10-92
3.	निम्बोल (जैतारण)	31-7-92
4.	खराड़ी (जैतारण)	2-11-93
5.	सोजत रोड़ पाली (पाली)	31-7-92
6.	जोधपुर रोड़ घुमटी (पाली)	31-7-92
7.	चडावता (रायपुर)	1-11-94
8	रावडियावास (जैतारण)	22-10-94

परिशिष्ट—'ख'

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	डिलीवरी चालान सं.		बिना रवन्ना के एवं डिलीवरी चालान से निर्गमित खनिज की मात्रा		डिलीवरी चालान की संख्या जिसमें वजन अंकित नहीं है।	
		वर्ष 93	वर्ष 94	वर्ष 93	वर्ष 94	वर्ष 93	वर्ष 94
1.	सोजत लाईम कम्पनी, सोजत रोड़	454	461	5517.1 टन	7232.8 टन	10	2
2.	हर्षवर्धन मेहता, सोजत रोड़	—	2	—	(वजन अंकित नहीं है)	....	2
		454	463	5577.1 टन	7232.8 टन	10	4

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 363 का प्रमाण-पत्र

कार्यालय ग्राम पंचायत–नांगल राजावतान

क्रमांक/पंचायत/93/16 दिनांक : 24-2-93

वास्ते :—श्रीमान् थानाप्रभारी,
पुलिस थाना नांगल राजावतान

विषय : पुलिस थाना कार्यालय का माहवारी किराया
ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कराने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकृषित कर निवेदन है कि कार्यालय भवन का मासिक किराया कार्यालय ग्राम पंचायत में जमा कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में दिनांक 9-2-93 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के चैम्बर में आयोजित बैठक में निश्चय किया गया है कि आप द्वारा जो किराया अन्य किसी को दिया जा रहा है वह अनुचित है। अतः आप कार्यालय थाना का किराया अन्य किसी को न देकर कार्यालय ग्राम पंचायत में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

ह0/--

प्रशासक
ग्राम पंचायत नांगल राजावतान
पं. सं. दौसा, जिला दौसा

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 365 की सूचना

वर्ष 1993 व 1994 में दर्ज आई. पी. सी. के अभियोगों का विवरण :—

वर्ष 1993 व 1994 में दर्ज मा. द. सं. में दर्ज अभियोग

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	रिपोर्ट	अदमबकु	अदम्पता	अदम सबुत	जेर तफतीश	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डकैती	1993	1	1	....	....	....	....
		1994	....	....	....	....	....	....
2.	कत्ल	1993	5	....	1	....	....	4
		1994	3	....	....	....	1	2
3.	लूट	1993	....	....	....	....	....	....
		1994	1	....	....	....	1	....
4.	नकबजनी	1993	26	1	8	....	....	17
		1994	30	2	24	....	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	सकांसादा	1993	41	6	28	....	7	....
		1994	69	11	52	....	1	5
6.	सकी मवेशी	1993	3	....	3	....	....	....
		1994	3	....	2	....	1	....
7.	बलवा	1993	86	39	....	....	....	47
		1994	81	30	....	....	....	51
8.	बलात्कार	1993	1	....	....	....	....	1
		1994	...	....	....	....	....	....
9.	दीगर मादस	1993	243	48	19	....	....	176
		1994	288	60	17	....	1	210
10.	योग	1993	406	95	58	....	....	253
		1994	475	103	95	....	7	270

वर्ष 1993 से दिसम्बर 1994 तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मारपीट व सड़क दुर्घटना में दर्ज अभियोग थाना बगरू

क्र. सं.	वर्ष	मारपीट चालान के दर्ज अभि.		एफ. आर.	एक्सीडेन्ट के दर्ज अभि.	चालान	एफ. आर.
1.	1993	22	13	9	10	9	1
2.	1994	24	19	5	17	11	6
	योग	46	32	14	27	20	7

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न सख्या 366 का विवरण

उदयपुर शहर के कुल थाने तथा चौकियों पर नियुक्त अधिकारी/पुलिस कांसटेबलों के पदनाम का विवरण :

क्र. सं.	थाना व चौकी	पु. नि.	उ. नि.	स. उ. नि.	हे. का.	कानि.
1.	थाना घंटाघर	....	1	1	2	15
	चौकी जगदीश चौक	....	....	1	....	8
2.	सूरजपोल थाना	1	2	4	4	22
	चौकी सूरजपोल	....	....	1	....	8
	चौकी रंगनिवास	....	....	1	....	8
3.	थाना मुपालपुरा	....	1	2	2	15
	चौकी भुपालपुरा	....	....	1	....	8
	चौकी ग्रायड	....	....	1	....	8
4.	प्रतापनगर थाना	....	1	2	2	16
	चौकी देवारी	....	....	1	....	8

1	2	3	4	5	6	7
5.	थाना हिरणमगरी	....	1	4	2	10
	चौकी हिरणमगरी	....	....	....	....	7
6.	थाना हाथीपोल	1	1	2	2	17
	चौकी मधुवन	....	....	1	....	8
7.	थाना अम्बामाता	....	1	3	2	17
	चौकी फतेहपुरा	....	....	1	....	8
	चौकी कैलाशपुरी	....	....	....	1	4
8.	थाना धानमण्डी	1	....	2	2	18
	चौकी लोहरवाड़ी	....	....	1	....	8
	चौकी भोली बावड़ी	....	....	1	....	7

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 367 का विवरण

जयपुर (शहर) में वर्ष 1994 में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, नशीली दवाएँ खिलाकर लूटने के अपराधों का विवरण।

शीर्षक	दर्ज अपराध	चालान	एफ. आर.	पेंडिंग पुलिस
हत्या	63	33	25	5
लूटपाट	64	34	27	3
चोरी	2489	406	2048	35
डकैती	4	—	2	2
अपहरण	145	43	97	5
बलात्कार	22	17	5	—
नशीली दवा खिलाकर लूट	20	—	20	—

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 369 का विवरण

अपराध शीर्षक	रिपोर्ट	अदम वकु	153बी सीआर पीसी	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ.	173(8)	299 सीआर पीसी	चालान	सजा	रिहा बरी	राजी नामा	पेंडिंग कोर्ट	चालानी प्रतिशत	मूल. की सं.	मदका	वाजियाफत	
डकैती	9					4			5				5	100%	28	1376483	552000	40%
चोरियां	933	227		473		81			152				152	24%	165	11001647	7696261	70%

(317)

परिशिष्ट—19 316

अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की प्रति

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी (राज.)

क्रमांक :—भवन/94/86-87 दिनांक 28-1-94

अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास)
बूंदी (राज.)

विषय :—ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण।

प्रसंग :—सहायक शासन सचिव चि. एवं स्वा. (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर के क्रमांक 11 (3) चि. स्वा./ग्रुप-2 92 दिनांक 11-1-1994

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु सूची संलग्न कर भिजवायी जा रही है। कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को अवगत कराते हुए एक प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भी भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : -- दो प्रति में एस/डी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बूंदी

क्रमांक : भवन/94/86-89 दिनांक 28-1-1994

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सहायक शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर। (संलग्न दो प्रति)
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर (संलग्न दो प्रति)
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक भवन एवं पथ निर्माण विभाग, बूंदी। (संलग्न दो प्रति)

एस/डी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बूंदी।

स्वीकृत

उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम :—

1. रोटेदा (प. समिति के. पाटन)
2. सुनगर
3. करवालीकी झोपड़िया
4. जलोदा
5. रड़ी
6. मीया
7. करबला
8. तेसरदा
9. गरमपुरा
10. घोटका बराना
11. घरावल
12. गोहांटा
13. कोटाखुर्द
14. ढगरिया
15. माखोदा
16. चावंदा
17. बावई
18. कांकराडूंगर
19. गेंडोली

20. बोतराका खेडा
21. हस्तिनापुर
22. बलवन

पंचायत समिति बैनवा :

1. सहण
2. गुढ़ा सदावर्तिया
3. पीपल्दा
4. मोतीपुरा
5. नीम का खेडा
6. आंतरदा
7. खेडी
8. माणो
9. केथूदा
10 कटीबटी
11. समिधी
12. नाहरगंज
13. गंभीरा
14. धानगांव
15. बाछोता
16. सिसोतां
17. खानपुरा
18. सादेडा
19. फूलेता
20. गुढादेवजी

21. खजूरी
22. बावडी
23. लाम्बवरड़ा
24. डोकून

निर्माण कार्य बाबत

निर्माणकार्य हेतु उप स्वा. केन्द्र का नाम
प. समिति के. पाटन

1. घाट का बराना
2. करवाला की झोपडियां
3. जलोदा
4. रडी
5. मोंया
6. करवाला
7. लेसरदा
8. चाणदा
9. हस्थीनापुर
10. डगारिया
11. कांकराडूंगर
12. (उची) जेयल
13. (उच्ची) लबान
14. (उच्ची) मोहनपुरा
15. (उच्ची) झालीजी का बरासा

(नोट : भवन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।)

पंचायत समिति नैनवां

1. गुडासतावरतिया

2. पीपल्या
3. मोतीपुरा
4. माणी
5. कंथूदा
6. समिणि
7. नाहरगंज
8. घानुगांव
9. संरसावना
10. सादडी
11. फलेता
12. गुडादेवजी
13. खूजूरी
14. बावडी (उच्ची) मजनेरी

नोट : (सिसोला में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हैं।)

स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम

1. ढिकरिया कला
2. बाजड
3. फलम्दा
4. भवानीपुरा
5. जमीतपुरा
6. दोलाडी
7. जखमण्ड
8. केथूदा
9. अफा नगर
10. पिपलूदा हाडा
11. जलोदी
12. गुमानपुरा
13. कोथ्या
14. लालपुरा
15. सीतापुरा
16. डोरा
17. देवरिया
18. घनेवरा
19. खडीपुर
20. राजपुरा
21. बुद्धपुरा
22. सतडा
23. गरड्दा
24. गवार
25. लोईचा
26. जवाहर नगर
27. गुडानाथावत
28. जावरा
29. भंरूपुरा ओझा
30. बम्बोरी
31. रायथल
32. समावदा

33. नोताडा
34. कुवारती
35. कालपुरया
36. संमावदा
37. छत्रपुरा

पंचायत समिति हिन्डोली

1. पेचकी बावडी
2. पगारा
3. काछोला
4. थामा
5. जाखनी
6. सांवतगढ़
7. रानीपुरा
8. सोरण
9. सतर
10. चतरगंज
11. तलावगांव
12. जेता
13. प्राकोदा
14. ठिकरदा
15. रामचन्द्रजी का खेडा
16. रेण
17. रोणिया
18. ग्रोण
19. बिजयगढ़

1. देहित
2. ठिकरिया
3. बाजड
4. देलुन्दा
5. भवानीपुरा
6. जमीतपुरा
7. नोताडा
8. जाखुण्ड
9. ग्रन्थडा
10. ग्रलफा नगर
11. पिपल्दा हाडा
12. जलोदी
13. गुमानपुरा
14. कोथ्या
15. लालपुरा
16. डोरा
17. घनेघवर
18. खडीपुर
19. बुद्धपुरा
20. सूलडा
21. गरडदा
22. लोईचा
23. जवाहर नगर
24. बम्बोरी

25. रायथल

26. कवांरती

27 छत्रपुरा

पंचायत समिति हिन्डोली

1. रानीपुरा

2. पगारा

3. काछोला

4. बासनी

5. सावतगढ़

6. सतर

7. बतरगंज

8. तलावगांव

9. चेता

10. आकोदा

11. ठिकरदा

12. रेहणा

13. रोणिया

14. विजयगढ़

15. (उच्ची बडोडिया)

एस/डी

मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी,
बूंदी

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 379 की तालिका

Retail prices of Essential commodities for selected Districts

Janury

Price Rs./Kg.

1		2	WHEAT 3	RICE 4	SUGAR 5	DAL MOONG 6	DAL URAD 7	DAL GRAM 8	Cloth Meter long 9	Cloth Meter shirting 10
1.	AJMER	1991	4.25	6.50	9.00	11.00	11.00	9.00	17.50	NA
		1992	5.25	7.50	9.50	12.50	13.00	8.50	20.50	26.00
		1993	4.00	6.75	10.20	14.50	12.00	12.00	21.00	NA
		1994	4.50	9.00	13.50	17.00	13.00	18.50	20.55	NA
		1995	5.00	11.00	13.50	19.50	28.00	16.50	20.58	NA
	Jan 91 over Jan 95		117.65	169.23	150.00	177.27	254.55	183.33	117.60	
2.	JAIPUR	1991	4.50	6.50	9.25	11.50	12.25	9.75	NA	NA
		1992	5.00	7.50	9.30	12.00	13.00	8.60	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1993	3.60	8.00	10.00	14.25	12.50	12.25	22.80	228.0
	1994	4.50	8.25	13.25	15.00	13.00	19.00	22.80	22.70
	1995	5.50	11.00	13.50	19.00	27.00	15.00	22.80	22.70
Jan 91 over Jan 95		122.22	169.23	145.95	165.22	220.41	153.85		
3. **JODHPUR**	1991	3.50	6.00	8.75	11.50	12.00	10.00	17,00	NA
	1992	5.50	6.50	9.00	11.00	12.00	8.50	14.00	NA
	1993	4.25	7.50	9.75	14.00	12.00	11.50	17,52	18.65
	1994	4.50	11.00	13.25	16.50	13.00	16.50	17,55	13,65
	1995	4,50	13,00	13,00	20,00	28,00	18,00	17,55	18,65
Jan. 91 over Jan 95		126.57	216.67	146.57	173.91	233.33	180.00	103.24	
4. **KOTA**	1991	4.50	5.00	9.00	12.50	12.50	9.50	NA	NA
	1992	4.50	7.00	8.75	13.00	14.00	9.00	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1993	4.25	7.00	10 00	15.50	12.50	11.00	NA	NA
	1994	4.45	7.75	14.00	16.50	12.50	18.00	NA	NA
	1995	4.60	9.00	13.50	20.00	26.00	18.00	NA	NA
Jan 91 over Jan 95		102.22	180.00	150.00	160.00	208.00	189.47		
5 **UDAIPUR**	1991	4.00	6.00	9.00	12.50	14.00	10.00	17.40	18.75
	1992	4.90	6.50	9.45	13.00	13.00	9.50	17.20	18.70
	1993	4.00	7.15	9.75	13.50	12.00	10.50	21.75	30.40
	1994	4.75	7.00	13.25	16.00	12.00	18.00	21.75	30.40
	1995	5.00	8.50	13.00	18.00	25.00	14.00	21.75	30.40
Jan 91 over Jan 95		125.00	141.67	141.44	140.00	178.57	140.00	126.45	162.13

Retail Prices of Essential commodities for selected Districts

						DAL			pr.ce Rs-/Kg	Cloth Meter
			WHEAT	RICE	SUGAR	MOONG	URAD	GRAM	Long Shirting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AJMER	Aug-94	4.80	10.00	15.00	18.00	19.50	18.02	20.55	NA
		Sep-94	4.80	10.00	16.00	17.00	19.50	17.50	20.55	"
		Oct-94	4.70	10.00	15.00	20.00	25.00	19.00	20.55	"
		Nov.94	4.80	10.00	14.00	20.00	26.00	19.00	20.55	"
		Dec-94	5.00	11.00	13.50	20.00	27.00	17.00	20.55	"
		Jan-95	5.00	11.00	13.50	19.50	28.00	16.50	20.58	"
2.	JAIPUR	Aug-94	4.50	8.75	14.50	16.00	18.50	18.50	22.80	22.70
		Sep-94	4.50	9.00	15.50	17.00	20.00	18.00	22.80	22.70
		Oct-94	4.50	9.00	14.25	19.00	24.00	19.50	22.80	22.70
		Nov-94	5.00	9.50	13.00	19.00	26.00	19.00	22.80	22.70

326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dec-94	5.50	10.50	13.50	19.00	26.00	17.50	22.80	22.70,
		Jan-95	5.50	11.00	13.50	19 00	27.00	15.00	22.80	22.70
3.	JODHPUR	Aug-94	5.00	12.00	14.50	18.00	19.00	18.00	17.55	18.65
		Sep-94	4.90	12.00	15.00	15.00	19.00	18.50	17.55	18.65
		Oct-94	5.50	13 00	14.50	21.00	28.00	19.00	17.55	18.65
		Nov-94	5.25	13.00	13.00	22.00	27.00	18.00	17.55	18.65
		Dec-94	5.00	13.00	13.00	20.00	28.00	18.00	17.55	18.65
		Jan-95	4.50	13.00	13.00	20.00	28.00	18.00	17.55	18.65
4,	KOTA	Aug-94	4.75	9.50	14.00	17.00	16.00	18.00	NA	NA
		Sep-94	4.50	9.50	15.00	16.00	19.00	17.50	"	"
		Oct-94	4.50	9.50	14.00	17.00	20.00	19.00	"	"
		Nov-94	4.50	9.00	13.00	20.00	25.00	18.00	"	"
		Dec-94	4.50	9.00	13.00	20.00	26.00	18.00	"	"
		Jan-95	4.60	9.00	13.50	20.00	26.00	18.00	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	UDAIPUR	Aug-94	4.75	9.00	14.00	17.00	18.00	17.00	21.75	30.40
		Sep-94	5.15	9.25	15.00	17.00	18.50	17.00	21.75	30.40
		Oct-94	5.10	9.25	13.50	20.00	22.50	18.80	21.75	30.40
		Nov-94	5.10	9.25	13.00	20.00	25.00	17.50	21.75	30.40
		Dec-94	5.00	9.00	12.50	19.00	25.00	16.50	21.75	30.40
		Jan-95	5.00	8.50	13.00	18.00	25.00	14.00	21.72	30-40

परिशिष्ट--21

अतारांकित प्रश्न संख्या 384 का विवरण

DISTRICE.......NAGAUR

S. No. 1	Name of Instituion 2	Clams Amount 3
1.	Gram Panchayat Balia	16000
2.	,, ,, Palot	48485
3.	Krishan Gopal Gosadan Sam. Jaswantgarh	26084
4	Rolia Mahaveer Seh. Samiti Kolia	94397
5.	Sh. Balaji Goseva Samiti Mithri	5704
6.	Gram Panchayat Kathoti	19288
7.	,, ,, Jalsunamak	72488
8.	Milk prod. Seh. Samiti Devra	11440
9.	Go seva Samiti Degana	16528
10.	Surajmal Tapdia memo. Trust Jaswantgarh	26124
11.	Gram Panehayat Majhi	16962
12.	Milk prod. Seh. Samiti Igyasani	74894
13.	Gram Panchayat Goredi	19410
14.	,, ,, Degana cattle camp	56908
15.	Wagarh Cherytable Trust Deedwana	102324
16.	Daulatpura vikas Samiti Daulatpura	56551

1	2	3
17.	Gram Panchayat Soopka (C. camps)	16870
18.	„ „ Chara Dipot Banklia	49011
19.	„ „ „ „ Fardot	5500
20.	„ „ „ „ Ratau	26920
21.	„ „ „ „ Tanvra	16800
22.	Chara Dipot mithri	34223
23.	Cattle came Gopal go Shakha	72000
24.	Sh. Ganga go shala kotikhatu Deedwana	5796
25.	Meera pashu palan sami. Medtacity	66400
26.	Sh. Krishan Gulab go shala Nimbijodha	51596
27.	D. P. Fed. S. Panchla Singha C. Depo. Piplia	40798
28.	Pancholi Grame Seva Samiti Lisi Nagaur	25600
29.	Sh. Balaji Samiti Nagaur	55960
30.	S. Bhanshyamdas Pusaram Inadi Ch. S. Rol	93988
31.	„ Trust	82800
32.	Gram sewa Seh., Sami. Deran ki Dhani	25864
33.	Gram Panchayat Singod	7000
34.	„ Khipala	6600
35.	„ Gotloli	6200
36.	Gopal Go Janhit Sewa Sangh Faran	3880
37.	Gram Panchayat Jayal	4500
38.	„ Varnel	7504

1	2	3
39.	Gopal go Janhit Sewa Sangh Faran	5536
40	Gram Sewa Seh. Samiti Paldi	17200
41.	Grame panchayat Varnel	11200
42.	Gram Sewa Seh. Samiti Innanea	16200
43.	,, Varan Gaun	14944
44.	Dairy Prod. Fed. Samiti Chavria	8716
45.	,, Bher	13962
46.	Gram Panchayat Varnel	11372
47.	,, Tarnau	431770
48.	,, Kasumbi	58370
49.	,, Mugriapali	26100
50.	,, Didiya bala	35500
51.	Raj. Akal Sahayta Samiti Nagaur	26492
52.	Gram Panchayat Senne	41744
53.	,, ,, ,,	10912
54.	Dary. Prod. Seh. Samiti Rla	8732
55.	Akal Rahat Madhuiap go Sewa Samete Kuchera	3440

District—Nagaur

S.No	Name of Institution	Claims Amount
1	2	3
1.	Gram Panchyat Balia	16000
2.	Gram Panchayat Palot	48485
3.	Krishan Gopal Gosadan Sam. Jaswantgarh	26084
4.	Kolia Mahaveer Seh. samiti Kolia	94397
5.	Sh. Balaji Goseva Samiti Mithri	5704
6.	Gram Panchayat Kathoti	19288
7.	,, ,, Jalsunamak	72488
8.	Milk Prod. Seh. Samiti Devra	11440
9.	Go Seva Samfti Degana	16528
10.	Surajmal Tapdia Memo. Trust Jaswantgarh	26124
14.	Gram Panchayat Majhi	16962
12.	Milk Prod. Seh. Samiti Igyasani	74894
13.	Gram Panchayat Goredi	19410
13.	,, Degana Cattle Camp	56908
15.	Wagarh Cherytable Trust Deedwana	102324
16.	Daulatpura Vikas Samiti Daulatpura	56551
17.	Gram Panchayat Soopka (C. Camps)	16870
18.	,, Chara Dipot Banklia	49011

1	2	3
19.	Gram Panchayat Chara Dipot Fardot	5500
20.	,, Chara Dipot Ratau	26920
21.	,, Chara Dipot Tanvra	16800
22.	Chara Dipot Mithri	34223
23.	Cattle Camp. Gopal Go Shakha	72000
24.	Sh. Ganga Go Shala Kotikhatu Deedwana	5796
25.	Meera Pashu Palan Sami. Medtacity	66400
26.	Sh. Krishan Gulab Go Shala Nimbijodha	51596
27.	D.P.Fed.S.Panchla Singh C. Depo. Pipiia	40798
28.	Pancholi Gram Seva Samiti Lisi Nagaur	25600
29.	Sh. Balaji Samiti Nagaur	55960
30.	S Ghanshyamdas Pusaram Inadi Ch. S. Rol	93988
31	,, Trust	82800
32.	Gram Sewa Sch. Sami. Deran Ki Dhani	45864
33.	Gram Panchayat Singod	7000
34.	,, Khipala	6600
35.	,, Gotloli	6200
36.	Gopal Go Janhit Sewa Sangh Faran	3880
37.	Gram Panchayat Jayal	4500
38.	,, Varnel	7504
39.	Gopal Go Janhit Sewa Sangh Faran	5536
40.	Gram Sewa Sch. Samiti Paldi	17200

1	2	3
41.	Gram Panchayat Varnel	11200
42.	Gram Sewa Seh. Samili Innanaa	16200
43.	,, Varan Gaun	14944
44.	Dairy Prod. Fed. Samiti Chavria	8716
45.	,, Bher	13962
46.	Gram Panchayat Varnel	11372
47.	,, Tarnau	431770
48.	,, Kasumbi	58370
49	,, Mugriapali	26100
50.	,, Didiya Nala	35500
51.	Raj. Akal Sahayta Samiti Nagaur	26492
52.	Gram Panchayat Scnni	41744
53.	,, Senni	10912
54.	Dary. Prod. Seh. Samiti	8732
55.	Akal Rahat Madhu Gosewa Samiti Kuchera	3440